दशम माला

19 जुलाई, 1991 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

,ण्ड 1, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

8 शुक्रवार, 19 जुलाई, 1991/28 आषाढ़, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
***तारांकित प्रश्न संख्या :** 101 से 105 और 107	1–22
प्रश्नों के लिखित उत्तर : . . .०	78–218
तारांकित प्रश्न संख्या: 106, 108 से 118 और 120	23–34
अतारांकित प्रश्न संख्या 389 से 467 . .	34–99
उत्तर प्रदेश में 19 तीर्थ यात्रियों की हत्या के बारे में	100–110
सभा पटल पर रखे गए पत्र	111–120
समितियों के लिए निर्वाचन . . .	120–124
(एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	120
(दो) तम्बाकू बोर्ड	121
(तीन) काफी बोर्ड	121
(चार) रबड़ बोर्ड .	122
(पांच) गर्म मसाला बोर्ड .	122
(छः) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड	123
(सात) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	123
(आठ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड .	124
ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	124–157
श्री आर० जीवरत्नम	125–126
श्री इम्चालम्बा	126–129
श्री के० पी० रेड्डय्या	129–139
श्री पी० वी० नरसिंह राव	139–157

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

1—610 LSS/91

विधेयक पुरःस्थापित ० 157–164

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 74 और 163 में संशोधन)
श्री जार्ज फर्नान्डीज . . . 157

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 26 में संशोधन)
श्री जार्ज फर्नान्डीज . . 158

(तीन) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक
(विधेयक के पूरे नाम आदि में संशोधन)
श्री पवन कुमार बंसल . . . 158

(चार) परिसीमन (संशोधन) विधेयक
(धारा 9 में संशोधन)
श्री पवन कुमार बंसल 159

(पांच) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक श्री सन्तोष कुमार गंगवार 159

(छ) संविधान (संशोधन) विधेयक
(उद्देशिका आदि में संशोधन)
श्री राम नाईक 159

(सात) शिशु खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन प्रदाय और विवरण का विनियमन) विधेयक श्री राम नाईक 160

(आठ) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक
(धारा 2 में संशोधन) . . . .
श्री राम नाईक 160

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 81 आदि में संशोधन)
श्री राम नाईक 161

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक
अनुच्छेद 370 का लोप
श्री काशीराम राणा 161

(ग्यारह) सामाजिक निःशक्तताओं का निवारण विधेयक
श्री काशीराम राणा 162

(बारह) गुजरात उच्च न्यायालय (सूरत में एक स्थाई न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक
श्री काशीराम राणा 162

(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक
(नये अनुच्छेद 26 क का अन्तःस्थापन)
श्री भोगेन्द्र झा 163

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक
(आठवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)
श्री भोगेन्द्र झा 163

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 327 आदि में संशोधन)
श्री भोगेन्द्र झा 163

(सोलह) रोजगार गारन्टी विधेयक
श्री भोगेन्द्र झा 164

15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों को यथापूर्व स्थिति बनाए रखने हेतु उपाय किए जाने के बारे में संकल्प . 164–203

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित 167–189

प्रो० के०वी० थामस 189–191

श्री सूर्य नारायण यादव 191–200

श्री सुदर्शन राय चौधरी 200–203

लोक सभा

शुक्रवार, 19 जुलाई, 1991/28 आषाढ़, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रुपए के अवमूल्यन का प्रस्ताव

[अनुवाद]

†श्री हरि किशोर सिंह
*101. श्री मनोरंजन सुर } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले रुपये के हाल के अवमूल्यन का हमारे विदेश व्यापार, विदेशी ऋण, भुगतान सन्तुलन की स्थिति और अनिवासी भारतीयों के मुद्रा की आवक पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) हमारा विदेश व्यापार कौन-कौन सी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में होता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991 को रुपये के विदेशी मूल्य में भारतीय रिजर्व द्वारा किये गये समायोजनों से अल्पावधि में भुगतान सन्तुलन की स्थिति ही स्थिर होगी तथा मध्यावधि में व्यापार सन्तुलन की स्थिति में सुधार होगा। इन समायोजनों से विदेशी ऋण के विदेशी मुद्रा मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन रुपये के रूप में, विदेशी ऋण प्रत्येक ऋण के सम्बन्ध में मुद्रा के मूल्य वर्ग के आधार पर 21 से 23 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इन समायोजनों से हमारे निर्यातों की लाभकारिता में वृद्धि होगी, गैर जरूरी आयातों में कमी आयेगी, गैर कानूनी रूप से पूंजी को विदेशों में भेजा जाना कम होगा और इसके परिणामस्वरूप हमारे भुगतान सन्तुलन में सुधार होगा इससे

अनिवासी भारतीयों का भारतीय अर्थ व्यवस्था में विश्वास पड़ेगा और अनिवासी भारतीय स्रोतों से विदेशी मुद्रा के अन्तः प्रवाह में वृद्धि होगी।

(ख) भारत के विदेशी व्यापार से सम्बन्ध प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में अमरीकी डालर, पौंड स्टर्लिंग, ड्यूश मार्क और जापानी येन शामिल है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार के वक्तव्य और इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और कहा जा चुका है। लेकिन "फाइनेंशियल एक्सप्रैस" नई दिल्ली के 13 जुलाई के संस्करण में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का उद्धरण दिया गया है, उसका छापा गया है। उसमें लिखा है कि 15 परसेंट से अधिक रुपये का अवमूल्यन करना पड़ेगा। यह सन् 87 की रिपोर्ट है। रुपये के अवमूल्यन के सम्बन्ध में सरकार ने देश को विश्वास में नहीं लिया। अवमूल्यन दो बार करना पड़ा। पहले मैं जानना चाहूंगा कि दो दफा अवमूल्यन करने की क्या आवश्यकता थी? वित्त मंत्री जी नामी-गिरामी अर्थशास्त्री हैं, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं, मैं इनको जानता हूं और इनका आदर करता हूं। लेकिन सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि रुपये का दो दफा अवमूल्यन करें? पहले जो किया वह अपने मन से किया और दूसरा जो किया कि वह विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में किया।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्ण रूप से सच्चे मन से यह कह रहा हूं कि जो भी कदम उठाया गया है; वह देश के हित में उठाया गया है तथा इसे दो चरणों में करना एक पूर्व-निर्धारित नीति थी। मैं सदन के सामने यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसे दो चरणों में क्यों करना पड़ा।

हम (फ्लोटिंग करेंसी) चल मुद्रा की दुनिया में रह रहे हैं। रुपए की उचित विनिमय दर क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। यह एक अनुमान का खेल है। पिछले महीने के दौरान यह अफवाहें रहीं कि वर्तमान भुगतान स्थिति में रुपए के मूल्य को स्थिर नहीं रखा जा सकता। वास्तव में पिछली सरकार के वाणिज्य मंत्री ने प्रैस के सामने यह विचार व्यक्त किए कि रुपए की उचित विनिमय दर 30 रु० है। ऐसे वातावरण में कौन यह विश्वास कर सकता था कि रुपए पर इसका असर नहीं होगा? इसलिए जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई, मैंने यह देखा कि अस्थिरता काफी हद तक बढ़ गई है तथा इस अस्थिरता से एक बहुत ही विपरीत स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि अनिवासी जमा-कर्ताओं में काफी घबराहट थी। वे काफी मात्रा में धन देश से बाहर ले जा रहे थे। उस स्थिति में, थोड़ी सी अवधि में ही हमने यह निर्णय लिया कि कुछ करने की आवश्यकता है। कल भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने यह कहा कि हमने यह सब बहुत जल्दी में किया। मेरे विचार में इस सदन को हमें बधाई देनी चाहिए कि हमने इस स्थिति के प्रति एक उपयुक्त, तेज तथा निर्णायक रुख अपनाया। अगर आप अपने देश में विनिमय दर के इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि विनिमय दर पर वर्ष 1964 से 1966 तक चर्चा होती रही। सरकार के आपसी मतभेदों के कारण 3½ उसे वर्ष व्यर्थ गंवा दिए गए और अन्त में

जब कार्यवाही करने का समय आया तो उस सम्बन्ध में निर्णय लेने की भावना लुप्त थी। इस बार हमने निर्णायक कार्यवाही की है। हमने जानबूझ कर इसे दो चरणों में किया और ऐसा हमने क्यों किया इस सम्बन्ध में मैं आपको वस्तुस्थिति स्पष्ट करता हूं। पहले तो हमें यह ज्ञान नहीं था कि बाजार का वास्तविक सन्तुलन क्या होगा। इसलिए हमने सोचा पहले बाजार को परख लेते हैं। पहले दिन हमने रिजर्व बैंक के गवर्नर को रुपए का अवमूल्यन करने को कहा और स्वयं चुपचाप बैठे रहे। मैंने यह कहा कि रिजर्व बैंक ने सामान्य रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 'बास्कट प्रणाली' का उपयोग किया है। इसके पश्चात् बाजार में इस बात पर गौर किया गया कि क्या कार्यवाही की गई है तथा सामान्य भावना यह थी कि रुपया सन्तुलन की स्थिति में नहीं पहुंचा है परन्तु कुछ समय के लिए इस 8 से 9 प्रतिशत अवमूल्यन के पश्चात् और अवमूल्यन नहीं होगा। इस प्रकार समय बीतता गया। इसलिए, एक समय लोगों ने यह विश्वास करना आरम्भ कर दिया कि विनिमय दर बनी रहेगी; यद्यपि समय के साथ-साथ इसमें गिरावट आती जायेगी। हमने असन्तुलन की अटकलों को नियन्त्रित किया। रुपए के पीछे भागदौड़ समाप्त हो चुकी थी। दो दिन के पश्चात् एक शरारतपूर्ण समाचार प्रकाशित हुआ। क्योंकि विदेशों में भारत के कई दुश्मन हैं; इसलिए एक राष्ट्रीय समाचारपत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि स्टेट बैंक आफ इंडिया अपने अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को निभाने में असफल रहा है। मैं पूरी ईमानदारी से यह बात कह रहा हूं कि जब प्रातः मैंने यह समाचार पढ़ा तो क्योंकि हम पहले ही दूसरे चरण की कार्यवाही कुछ दिनों में करने का निर्णय ले चुके थे तो मैंने सोचा कि यह समय कार्यवाही करने का है क्योंकि जब बाजार खुलेगा और अगर यह समाचार पहले ही फैल गया कि स्टेट बैंक आफ इंडिया अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहा है तो अनिवासी भारतीय जमाकर्ता तुरन्त अपना पैसा निकलवाने के लिए भागेंगे। इसलिए प्रधानमन्त्री तथा उनके साथियों से सलाह-मशविरा करने के पश्चात् मैंने यह निर्णय लिया कि यह समय कार्यवाही करने का है तथा इस प्रकार रिजर्व बैंक को यह हिदायत दी गई कि बाजार खुलने से पहले नई विनिमय दर निर्धारित की जाए। इस प्रकार यह सब सोची समझी नीति के अनुसार ही किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश पर नहीं किया गया। यह आरोप निराधार है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमें कहा कि पहली कार्यवाही पर्याप्त नहीं इसलिए हमें दूसरी बार कार्यवाही करनी पड़ी। यह उस एकमुस्त कार्यवाही का हिस्सा था जिसे मैंने प्रधानमन्त्री तथा उनके सहयोगियों से विचार-विमर्श के बाद तय किया था।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, जो पिछली सरकार थी जिसको कांग्रेस पार्टी के साथियों ने बनाया था और जिसकी ख्याति बिकाऊपन की थी, राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय बाजार में उसके प्रभाव के कारण क्या हमारी मुद्रा पर असर पड़ा। अगर पड़ा तो कितना पड़ा। मुद्रा की स्थिति पर और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में उसका क्या प्रभाव पड़ा। कल का समाचार है कि 91 पैसा फिर पौंड और स्टरलिंग के बराबर हमारे रुपए में गिरावट आई है।

था, किन्तु, भारतीय कृषि क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा इस विश्वास से पूरी तरह छोड़ दिया गया था कि कृषि निर्यात का कोई भविष्य नहीं है। आज हमने जो किया है वह निर्यात को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में एक आम सुधार है और मुझे विश्वास है कि, इसके परिणामस्वरूप, भारत का कृषि निर्यात विशेषकर प्रसंस्करित वस्तुओं का निर्यात, जिसकी अच्छी संभावनाएं है में वृद्धि होगी। मैं यह नहीं बता सकता कि उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि मेरे साथ, माननीय वाणिज्य मंत्री ने सरकार के निर्यात संबंधी विचारों पर इस सभा में या दूसरी सभा में एक वक्तव्य दिया था। अगर आप मुझे पूर्व सूचना दें, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर देने को भी तैयार हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, कम से कम मेरे लिए तो श्री मनमोहन सिंह को यह तर्क देते हुए सुनना अत्यन्त दुखदायी है कि गरीबों के लिए ऋण माफी योजना से भारत पर अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास प्रभावित हुआ है। कम से कम उनसे तो मैंने यह आशा नहीं की थी।

मैं उनसे इस प्रश्न का उत्तर चाहूंगा कि पूर्व में किए गए अवमूल्यनों का क्या अनुभव रहा है? मैं वह सब जानना चाहूंगा जो हमने उस समय अपेक्षाएं की थी और जो अनुभव रहा।

(ख) भाग में यह पूछा गया है कि इन गैर-जरूरी आयातों का उपभोक्ता कौन है? क्या उनके पास 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत भण्डार के लिए पर्याप्त पूंजी है। क्या यह सत्य है अथवा नहीं कि मारुति कार की बिक्री घरेलू रूप से कम नहीं हुई है? इन वस्तुओं का आयात मूल्य कम करने के लिए कितने मूल्य बढ़ाने चाहिए?

अगर कोई मात्रा में कमी हुई तो, वह मूल्य वृद्धि आयात लागत से निष्क्रिय हो जाएगी। चीन के अतिरिक्त क्या यह अन्य देशों का भी अनुभव नहीं रहा जिनका आयात-निर्यात व्यापार पर एक दृढ़ नियंत्रण है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं सिर्फ तथ्य बता रहा था। मैं ऋण माफी योजना की आलोचना नहीं कर रहा था। मुझसे यह प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौनसी बातें हुई जिनसे विश्वास कमजोर हुआ। मेरे विचार से, इस विशेष योजना ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का विश्वास कम कर दिया है।

श्री राम नाईक : क्या यह आपका विचार है या सरकार का विचार है?

श्री मनमोहन सिंह : मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं।

दूसरे, माननीय सदस्य ने पूछा कि अवमूल्यन का पिछला अनुभव क्या रहा है। माननीय सज्जन उस दल से संबंध रखते हैं जिसका एक वैचारिक आधार है।

श्री बूटा सिंह : हम माननीय सदस्य हैं और माननीय सज्जन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य एक सज्जन भी होता है।

श्री मनमोहन सिंह : विनिमय दर के इस मामले में, मुझे अपने देश में वाममार्गियों और दक्षिण पंथियों में एक अजीब षड्यंत्र मिलता है। दोनों सोचते हैं कि विनिमय दर में हस्तक्षेप करना कुछ अनैतिक है। मेरे विचार से भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की यह परम्परा नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह कोई वैचारिक प्रश्न नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : उन्होंने फिर 1966 के अनुभव के बारे में पूछा। 1966 का अनुभव निम्नलिखित कारणों की वजह से दोहराया नहीं जाएगा।

1966 में हमारा उत्पादकता आधार अत्यन्त कम था। आज हमारा 70 प्रतिशत निर्यात उत्पादक निर्यात है। अगर पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाएं तो ये निर्यात और बढ़ेंगे। उस समय भारत की कृषि अर्थव्यवस्था भी अवस्थायी अर्थव्यवस्था थी। अब भारत की कृषि अर्थ-व्यवस्था भी वैज्ञानिक हो गई है। प्रोत्साहन मिलने पर, कृषि निर्यात भी बढ़ेंगे। आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 1966 का अनुभव दोहराया जाएगा।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा दिए गए विवरण में रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव की विशेषताएं एक अच्छे लक्षण को दर्शाती हैं। उनके अनुसार इस उपाय से हमारे निर्यात से होने वाले लाभ में वृद्धि होगी, इससे गैर-जरूरी आयात हतोत्साहित होगा, विदेशों में गैर-कानूनी रूप में पूंजी जमा कराने की प्रवृत्ति में कमी आयेगी। और इससे हमारे भुगतान संतुलन में सुधार होगा।

मैं भद्रपुरुष और माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा—जब तक वह माननीय सदस्य नहीं थे, वह भद्रपुरुष थे, अब भी वह भद्रपुरुष हीं हैं—हम माननीय सदस्य हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने विदेशों में गैर-कानूनी ढंग से पूंजी जमा कराने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए क्या विशेष उपाय किए हैं।

हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए श्री जसवन्त सिंह ने कहा था कि भारतीय मुद्रा दूसरे देशों में भेजी जाती है और वही मुद्रा देश में वापस आकर युवा वर्ग के सर्वनाश का कारण बनती है। यह नशीली दवाओं और स्वचालित हथियारों के रूप में यहां आती है।

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि सरकार द्वारा रुपये का अवमूल्यन करने के बाद खतरनाक व्यापार जो हवाला के माध्यम से और ट्रकों में सीमा पार मुद्रा ले जाने के माध्यम से किया जा रहा है, इसको प्रभावी ढंग से रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं। सरकार द्वारा किये गये सामान्य उपायों से जो पहले ही किये जा चुके हैं, मैं संतुष्ट नहीं हूं।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार हमारी अमूल्य मुद्रा के विदेशों में भेजे जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह गैर-कानूनी ढंग से पूंजी बाहर भेजे जाने को हतोत्साहित करने के लिए एक उपाय किया गया है । विनिमय दर के आकर्षण के फल-स्वरूप जो लोग पूंजी बाहर ले जाते हैं चूंकि वे लोग काले बाजार के माध्यम से और अधिक धन बनाने के लिए मुद्रा का विनिमय करते हैं । उन्हें अब कम प्रोत्साहन मिलेगा । मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं कि यही सारे उपाय नहीं हैं जिनसे सुधार होगा । माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव मैंने नोट कर लिया है । मेरे पास अभी उत्तर नहीं है । यदि मुझे उचित रूप से पूर्वसूचना दी जायेगी तो मैं इस सभा में पुनः उपस्थित हो कर इस विषय में यथोचित उत्तर दूंगा ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल अर्थशास्त्र से सम्बन्धित नहीं है और न ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह से निकलने वाला है । मैं इस देश की गरीब जनता के बारे में सवाल कर रहा हूं जो इस अवमूल्यन से सम्बन्धित है । मंत्री जी ने अभी बताया कि जो अवमूल्यन हुआ है, उससे स्थिरता में सुधार होगा, विदेशी मुद्रा मूल्य में कोई कमी नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, आपको पढ़ना नहीं है, सीधे प्रश्न पूछिये । वक्त नहीं है क्योंकि अभी बहुत लोग पूछने वाले हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस अवमूल्यन के बहुत से फायदे उन्होंने बताये । हम यह देखते हैं कि सितम्बर, 1949 में और फिर जून, 1966 में भी यहां मुद्रा अवमूल्यन किया गया था और अब भी फिर दो बार अवमूल्यन हुआ । उस समय पूरे देश में, अवमूल्यन से महंगाई बढ़ गयी, और सोने के भाव बहुत ऊंचे हो गये । मैं माननीय मंत्री जी से शासकीय दायरे से निकल कर यह पूंछना चाहता हूं कि इस समय भी सोने का मूल्य बहुत ज्यादा हो गया है और इस अवमूल्यन से देश में महंगाई भी बढ़ रही है, क्या इस महंगाई पर माननीय मंत्री जी नियंत्रण कर पायेंगे, कैसे करेंगे और सोने के मूल्यों को कैसे नियंत्रित करेंगे, जिसका कि गरीब से सीधा सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या, सोने से ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जी, देहात की आम जनता और गरीब लोग शादी विवाह के अवसर पर सोना काफी मात्रा में खरीदते हैं । (व्यवधान) ।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम 1949 की स्थिति में नहीं हैं । हम 1966 की स्थिति में भी नहीं हैं । इसलिए 1949 के अनुभव, 1966 के अनुभव यह नहीं बताते कि 1991 में क्या होगा । मैंने भारत के आर्थिक ढांचे की भिन्नता का हवाला दिया है जो कि हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति से पिछले 44 वर्षों में हुआ है और सभा को भी 1966 की स्थिति को याद रखना चाहिए । जब हम विदेशों पर निर्भर थे । हमारे देश में खाद्यानों का उत्पादन कम था । लेकिन शुक्र है कि देश में खाद्यान्न

के उत्पादन में वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप आज हमारे पास खाद्यान्नों का काफी बड़ा भण्डार है । अतः किसी को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मुझे वित्त मंत्री द्वारा अवमूल्यन जैसे आशावादी उपाय को करने के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए । लेकिन वह शायद मुझसे सहमत होंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार करने तथा हमारी मुद्रा में स्थिरता लाने का केवल यही उपाय नहीं है ।

क्या वित्त मंत्री इस सभा को विश्वास में लेंगे और सूचित करेंगे कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारतीय मुद्रा में स्थिरता लाने और हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए हैं ।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक योजना है एक विश्वसनीय कार्यक्रम है । लेकिन अभी बजट पेश करने में पांच दिन शेष हैं । मुझे आशा है कि बजट वाले दिन जब मैं सभा के सम्मुख आऊंगा, तब माननीय सदस्यों को विश्वास दिला दूंगा कि हमारे पास ऐसी योजना है जो कारगर सिद्ध होगी ।

श्री के० पी० रेड्डय्या : मेरे दो विशिष्ट प्रश्न हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दो नहीं, केवल एक ।

श्री के० पी० रेड्डय्या : मेरा प्रश्न भाग (क) तथा (ख) में है । महोदय, मौजूदा सरकार के सम्मुख मुख्य समस्या भुगतान संतुलन तथा रुपये का अवमूल्यन है । मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या 46 टन सोना बेचने से प्राप्त राशि भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त रहती । अगर यह राशि एक वर्ष के भुगतान संतुलन की स्थिति के लिए पर्याप्त है, तो सरकार को रुपये का अवमूल्यन स्थगित कर देना चाहिए था क्योंकि हम पहले ही 46 टन सोना तो बेच ही चुके थे ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए । मैं इस प्रश्न पर पहले ही आधा घंटा दे चुका हूं ।

श्री के० पी० रेड्डय्या : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । सारा देश केवल अवमूल्यन से चिन्तित है । मेरे जैसा साधारण आदमी को, जो गांव से सम्बन्धित हैं, यह डर है कि हमारे ऋण .....

अध्यक्ष महोदय : आप फिर से भाषण देने लगे । कृपया केवल प्रश्न ही किजिए ।

श्री के० पी० रेड्डय्या : अवमूल्यन के कारण बहुत से लोगों को यह सन्देह है कि इससे एक लाख करोड़ रुपये का ऋण बढ़ कर 1.6 लाख करोड़ रुपये हो गया है । क्या सरकार अवमूल्यन को स्थगित कर सकती थी ? हम भुगतान संतुलन के संकट का समाधान पहले ही कर चुके हैं ।

दूसरा मुद्दा यह है : जिन भारतीयों ने गैर-कानूनी या कानूनी रूप से स्विस बैंक इत्यादि में अथाह धन राशि जमा करा रखी है, क्या माननीय वित्त मंत्री के पास उन्हें आम माफी देने के बारे में कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा । ये असम्बद्ध प्रश्न है। आप एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री के० पी० रेड्डय्या : रुपये के अवमूल्यन से बचा जा सकता था । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की बजाए ये लाभ भारतीयों को मिलने चाहियें । क्या यह सही है ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि काफी भारतीय धनराशि गैर-कानूनी रूप में विदेशों में जमा है । लेकिन मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर हमारी वार्षिक व्यवस्था की व्यवहार्यता तथा भारत की अर्थव्यवस्था की कारगरता पर सन्देह है तो यह धनराशि वापस नहीं आएगी । ये अन्य बातें कारगार सिद्ध हों इससे पहले मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास उत्पन्न करना है । हम विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर मुझ से अधिक न पूछें । यह सभी बातें विचाराधीन हैं । माननीय सदस्य ने कहा : क्या आप मुद्रा दर में परिवर्तन को स्थगित कर सकते थे ? मैं सभा को यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि हम जिस परिस्थिति में थे, उसके तहत हम इसे स्थगित नहीं कर सकते थे और अगर हम ऐसा करते तो मेरे विचार से हम देश की अत्यधिक हानि पहुंचाते, हम ऋण अदायगी में चूक जाते और इसके अत्यंत गंभीर परिणाम होते ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत संक्षेप में दो प्रश्न कर रहा हूं । पहला, माननीय वित्त मंत्री ने सुझाया है कि विगत सरकार की ऋण माफी योजना के फल-स्वरूप भारत का .....

अध्यक्ष महोदय : हमें इस वैचारिक वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहिए । कृपया अपना प्रश्न कीजिए ।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय वित्त मंत्री ने यह बात कही है। इसीलिए मैं कहना चाहता था । मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । लेकिन मैं आपके विनिर्णय का उल्लंघन नहीं करूंगा । अवमूल्यन के प्रश्न पर जैसा कि स्थिति है, विभिन्न मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय-दर अस्थिर रहती है। इस बदलती विनिमय दर के शुरू होने से लेकर इस पहले औपचारिक अवमूल्यन तक रुपये का वास्तव में कितना अवमूल्यन हुआ है ?

श्री मनमोहन सिंह : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं क्योंकि मेरे विचार से रुपये में यह बदलाव 1972 में शुरू हुआ था । उसके बाद से विश्व की सभी मुद्राओं की विनिमय दर अस्थिर रही है और अवमूल्यन अथवा कमी का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। आपकी मुद्रा एक मुद्रा की तुलना में महंगी हो सकती है, जबकि दूसरी मुद्रा की तुलना में सस्ती हो

सकती है । फिर भारत के प्रतियोगी भी हैं । इन आंकड़ों को एकत्र करना सरल नहीं है। कुछ प्राक्कलन हैं और इसके लिए मुझे पूर्व सूचना दी जाए । हम यह जानकारी माननीय सदस्य को भेज देंगे ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मुझे आम आदमी का एक प्रश्न करना है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक आम महिला का प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : आदमी में महिला भी शामिल हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : पूर्व सरकार के बर्ताव के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उत्पन्न विश्वास के संकट पर अभी कुछ देर पहले माननीय मंत्री बोले थे । अब, मैं क्या माननीय मंत्री महोदय से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने को कथित रूप से गिरवी रखे जाने, जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक आफ इंग्लैण्ड के बीच हुई कार्यवाही को एक परोक्ष बिक्री की बजाय गिरवी ही कहा गया है, के बारे कुछ पूछ सकती हूं ? अब, जब एक व्यक्ति गिरवी रखता है और इसके तत्काल बाद उस गिरवी वस्तु को ऋणदाता के घर भेजने की जल्दबाजी करता है ..... क्या इससे ऋणदाता के विश्वास का पता चलता है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संभवतः इस गिरवी रखी वस्तु का प्रलेखन नहीं किया गया है । यही प्रश्न है ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हमने जो कुछ किया है, उसने अन्तर्राष्ट्रीय ऋण संस्थाओं, हमारे अन्तर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं तथा इस देश के अनिवासी भारतीयों को आश्वस्त कर दिया है कि यह देश अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को अत्यंत गंभीरता से लेता है । पूरे विश्व भर में भारत के प्रति विश्वास फिर आ गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे एक अनुरोध करना है । आपने दूसरे पक्ष के सदस्यों को प्रश्न करने की अनुमति दी है । कृपया इस पक्ष से भी मुझे एक प्रश्न करने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

स्वीकृति हेतु लंबित महाराष्ट्र की परियोजनाएं

*102. **श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटील :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कौन-कौन सी परियोजनाएं और योजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित हैं, और

(ख) प्रत्येक मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्यों के लिए कुल 156.03 करोड़ रुपये के 17 परियोजना प्राक्कलन, 11 सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव और कुल 359.82 करोड़ रुपये की 801 स्कीमों से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) वर्ष 1991-92 के नियमित बजट के पारित होने के पश्चात् ही परियोजना प्राक्कलनों को स्वीकृति दे पाना संभव होगा । आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही नए राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित निर्णय लिया जाएगा। इन स्कीमों पर, स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत विचार नहीं किया जा सका क्योंकि निधि में अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है ।

[हिन्दी]

श्री प्रकाशबापू बसंतराव पाटील : अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्स कलैक्शन बढ़ा है उसमें से 5 प्रतिशत टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देने का वादा 1988 से सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने किया है । 1988 से अब तक तीन सालों में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा सैंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया है । उसके बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं ? अभी तक जो रोड्स और ब्रिजेज के महाराष्ट्र में मेजर वर्क्स चालू हैं उसके बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : 1988 में संसद के दोनों सदनों द्वारा लिए गए निर्णय को वित्त मंत्री ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है । इसलिए मुझे धनराशि नहीं मिली है । (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : सभा की सिफारिश के बावजूद ऐसा हुआ है । पूर्व प्रधान मंत्री ने यह वचन दिया था कि वे तुरन्त इस धनराशि को जारी करेंगे । (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : क्या आप मुझे अपना उत्तर पूरा करने देंगे ? सभा ने जो निर्णय लिया था उसी को पुनः कार्यान्वित करने के लिए मैं इसे वापस मंत्रिमंडल के समक्ष पेश कर रहा हूं । (व्यवधान) महोदय, मेरे पास चार प्रमुख सड़क परियोजनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में यहां पर मौजूद पूर्व मुख्य मंत्री यह जानकर खुश होंगे कि बम्बई के लिए पुनरुद्धार भुगतान किया जा रहा है, जिसके बारे में वे कहते रहे हैं और माननीय सदस्य इसका उल्लेख कर रहे हैं । मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कुल 60 किलोमीटर लम्बी सड़क है और पिछले वर्ष दिसम्बर में हमने लगभग 17 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की थी और कार्य की प्रगति काफी अधिक है, केवल 10 किलोमीटर का काम शेष बचा है ।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश बापू वसंतराव पाटिल : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रोडस के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी क्या मदद कर सकती है ? मंगलवेढ़ाजत-बेलगांव रोड को सैंक्शन जल्दी देने के बारे में आप क्या सोच-विचार कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : यह अधिनियम को बदलने का प्रश्न है । निजीकरण करने से पूर्व अधिनियम में परिवर्तन करना जरूरी है और मैं समझता हूं कि हम इसी सत्र के दौरान यह करेंगे । अन्यथा अगले सत्र में तो हम अवश्य ही निजीकरण के बारे में कार्यवाही करेंगे, जो विचार हमारे सम्मुख है। मेरी इसमें अत्याधिक रूचि है और मेरा मंत्रालय सड़कों के निजीकरण के पक्ष में है ।

श्री सुधीर सावन्त : मैं माननीय मंत्री का ध्यान कोंकण क्षेत्र जो कि एक तटीय क्षेत्र है की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से विकास की प्रक्रिया एकदम ठप्प है और इसका मुख्य कारण वहां संचार सुविधाओं की कमी है । वहां एक ही सड़क है—मुम्बई–गोवा मार्ग, जिसे राज मार्ग तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ दूरियों तक तो सड़क ऐसी है कि हम केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गाड़ी चला सकते हैं । माननीय मंत्री की सर्वप्रथम प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि वह इस राज मार्ग के सम्बन्ध में कुछ करें ।

दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने ग्यारह सड़कों को राष्ट्रीय राज मार्ग बनाने का प्रस्ताव दिया था । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या इसे कुछ प्राथमिकता दी जा रही है और क्या तटीय इलाके के पिछड़ेपन की वजह से पश्चिमी तटीय राज मार्ग को पहली प्राथमिकता दी जा रही है ।

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे महाराष्ट्र सरकार से 17 प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 11 पर हम विचार कर रहे हैं । लेकिन हर चीज बजट पेश होने पर ही निर्भर है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि हमारे मंत्रालय को कितना पैसा मिला है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न है । अतः मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र के सदस्य प्रश्न पूछें ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, ये जो 17 प्रोजेक्ट्स का एस्टिमेट तैयार किया गया है, उसमें ऐसा बताया गया कि मुम्बई–अहमदाबाद जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें दहिसर से मनोर तक लगभग 178 किलोमीटर सड़क को फोर ट्रैक्स करने का प्रस्ताव था। क्या यह प्रस्ताव इसमें सम्मिलित है ? यदि हां, तो उसकी कास्ट कितनी है ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे 17 प्रस्ताव मिले हैं जिनमें से 11 प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्गों के हैं। मैं केवल तभी निर्णय ले सकता हूं जब मुझे यह जानकारी हो कि कितना पैसा उपलब्ध होगा।

श्री राम नाईक : महोदय, कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैंने मुम्बई–अहमदाबाद राजमार्ग के बारे में पूछा था कि क्या इसे चार मार्गों में 178 किलोमीटर तक चौड़ा करने का प्रस्ताव था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे सन्दर्भित 11 परियोजनाओं में शामिल किया गया है।

श्री जगदीश टाईटलर : मुम्बई–अहमदाबाद–नान्देड़–जमशेदपुर मार्ग 660 किलोमीटर है। मैं इस समय यह नहीं बता सकता हूं कि जिस मार्ग की आप बात कर रहे हैं उसे शामिल किया गया है या नहीं—यदि यह इस सड़क का हिस्सा है तो अवश्य ही इसे इसमें शामिल कर लिया गया होगा।

श्री मुकुल वासनिक : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय सड़क निधि में महाराष्ट्र का पिछले दो वर्षों में क्या योगदान रहा है और इस केन्द्रीय सड़क निधि में से महाराष्ट्र को पिछले दो वर्षों में राज्य में सड़कों की दशा सुधारने हेतु कुल कितना प्रतिशत धन दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महोदय के पास आंकड़े हों तो वे इन्हें बाद में पेश कर सकते हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं उन्हें इसके आंकड़े बाद में दे दूंगा।

व्यापार–अन्तर

*103. **श्री सैयद शाहबुद्दीन**
श्री गोविन्दराव निकम } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रुपयों/एस० डी० आर० में आंकड़ वास्तविक व्यापार–अन्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990–91 के दौरान रुपयों तथा एस० डी० आर० में अलग–अलग अनुमानतः कितने मूल्य का निर्यात और कितने मूल्य का आयात किया गया है तथा वर्ष 1989–90 की तुलना में प्रत्येक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) 1990–91 के दौरान विभिन्न वस्तुओं के आयात में मात्रा तथा मूल्य की दृष्टि से वृद्धि होने के क्या कारण थे; और

(घ) ऐसे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है जिनसे 1991–92 के दौरान कम मूल्य का और कम मात्रा में आयात किया जाए ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान रुपयों और विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में व्यापार अन्तर के वर्ष-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं :

व्यापार अन्तर

वर्ष	करोड़ रुपए	मिलियन एस० डी० आर०
1988-89 . . .	—9003	—4154
1989-90(अ) .	—7731	—3618
1990-91(अ) . .	—10644	—4283

(अ: अनन्तिम)

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी निदेशालय कलकत्ता।

(ख) वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान निर्यात एवं आयात के अनन्तिम आंकड़े रुपए और एस० डी० आर० में निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपए)

(I) रुपए में :

	1989-90(अ)	1990-91(अ)	प्रतिशत वृद्धि
निर्यात .	27681	32527	+17.5
आयात . .	35412	43171	+21.9
व्यापार अन्तर .	—7731	—10644	+37.7

(मिलियन एस डी आर)

(II) एस० डी० आर० में :

	1989-90(अ)	1990-91(अ)	प्रतिशत वृद्धि
निर्यात .	12954	13090	+1.0
आयात .	16572	17373	+4.8
व्यापार अन्तर .	—3618	—4283	+18.4

(अ: अनन्तिम)

(परिवर्तन दर वर्ष 1989-90 के दौरान प्रति एस० डी० आर० 21.368 रुपए और 1990-91 दौरान प्रति एस० डी० आर० 24.849 रुपए है।)

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता।

(ग) वर्ष 1990–91 के दौरान आयात बिल में वृद्धि पैट्रोलियम एवं पैट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल, दालें, लुग्दी और रद्दी कागज, परियोजना माल, कोयला, कोक और ब्रिकेट, धात्विक लौह अयस्क और धातु–छीलन, धातु विनिर्माण, गत्ता तथा उससे विनिर्मित वस्तुएं, अपरिष्कृत रबड़, आदि जैसी मदों के ऊंचे आयात के कारण हुई थी।

(घ) वर्ष 1991–92 के दौरान आयात–नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं: निर्यात के लिए पी० ओ० एल०, उर्वरक, खाद्य तेल आदि जैसे आवश्यक आयातों को छोड़कर सभी आयातों को निर्यात से जोड़ते हुए निर्यात–आयात नीति में दूरगामी परिवर्तन और पूरक लाइसेन्सिंग एवं अवशिष्ट खुला सामान्य लाइसेन्स सुविधा को समाप्त करना। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद राशि की न्यूनतम सीमा और जमा राशि की अपेक्षायें बढ़ाकर आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से तथा उपलब्ध ऋण के अनुसार पूंजीगत माल का आयात सीमित कर देने से भी आयात कम होंगे। इसके अलावा हाल में मुख्य मुद्राओं की तुलना में रुपए के अवमूल्यन से भी आयात कम होने की आशा है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैंने जानबूझकर रुपये/एस० डी० आर० में वास्तविक व्यापार संतुलन के बारे में पूछा है। मैंने देखा है कि 1970 से चल राजस्व दर का निरन्तर ह्रास हो रहा था। मैं इसे अवमूल्यन कहूंगा, लेकिन मैं अपने माननीय वित्त मंत्री के जो कि मेरे अच्छे मित्र हैं, खिलाफ नहीं जाऊंगा। अत: इस अधोमुखी समायोजन के कारण प्रत्येक समायोजन से वाणिज्य मंत्री को निर्यातों में बढ़ोतरी के दावे को दृढ़ता मिली है। लेकिन जहां तक वास्तविक रूप से इसकी मात्रा की बात है—उस हद तक इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनका दावा है कि रुपये के मूल्य के अधोमुखी समायोजन के कारण निर्यात में रुपये को देखते हुए 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मेरे हिसाब से यह सभा में आंकड़ेबाजी की एक चाल चली गयी है। अत: मेरा बहुत ही बुनियादी प्रश्न है कि क्या माननीय वाणिज्य मंत्री एक ऐसी पद्धति लायेंगे जिसके तहत प्रासंगिक आंकड़े और निर्यात आंकड़े इस तरह से पेश किये जायें कि राष्ट्र और सभा के समक्ष एक पूर्ण तस्वीर उभर आये। उन्हें गलत तस्वीर पेश नहीं करनी चाहिए ताकि हम रुपये के अधोमुखी अवमूल्यन की वजह से इसमें शामिल मात्राओं, अर्जित इकाइयों की दृष्टि से इसे जान सकें, बजाय इसके कि इसका केवल दावा किया जाये या इसे लाख पत्र या 20 प्रतिशत या 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के हिसाब से जानें।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि जो आंकड़े दिये गये हैं, वे झूठे हैं। उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा भी यही परम्परा जारी रही है कि भारतीय रुपये में आंकड़े दिये जायें, क्योंकि भारत के लोग इस आंकड़ों को समझ सकते हैं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी भारतीय रुपये में आंकड़े जानना चाहेंगे। लेकिन जब से मैंने पदभार ग्रहण किया है पिछले तीन सप्ताहों से प्रत्येक अवसर पर मैंने इस बात पर जोर दिया कि मैं इन आंकड़ों को दुर्लभ मुद्रा के रूप में देना चाहता हूं। अत: जब मैंने इस वर्ष के लिए लक्ष्य या आंकड़े दिये तो मैंने वे लक्ष्य न केवल भारतीय मुद्राओं में दिये, बल्कि संबद्ध दुर्लभ मुद्राओं में भी दिये।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमें आंकड़े दुर्लभ मुद्राओं में भी जानने चाहिएं लेकिन भारतीय मुद्राओं में इन आंकड़ों को नकारना गलत है और सखेद मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने कहा था कि आप गुमराह कर रहे हैं और देश को गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि हम आवश्यक आयातों की बात करते हैं। पी० ओ० एल० उर्वरक, खाद्य तेल के कुछ उदाहरण दिये गये हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री किसे अनावश्यक आयात समझते हैं और हमें जो आयात संबंधी आंकड़े दिये गये हैं उसमें रुपये की दृष्टि से इन आवश्यक आयातों का क्या योगदान है।

और फिर समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार इससे एक अन्य प्रश्न उठता है कि हमने शायद संस्थागत और वाणिज्यक आधार के फलस्वरूप विदेशों से मिलने वाले धन का जिसे विशेष परियोजनाओं में लगाने की बात थी, उपयोग नहीं कर पाये और इसकी वजह से हमारा निर्यात रुक गया, यद्यपि यह धन उपलब्ध रहा था। मैं माननीय मंत्री से उन कारणों को जानना चाहता हूं जिनकी वजह से यह हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम : आपके प्रश्न का दूसरा भाग क्या है ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है। हम इस बात पर तर्क-वितर्क करते रहे कि हम अपने आयात बिलों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं और हम आवश्यक और अनावश्यक आयातों में विभेद करते हैं। जहां तक आवश्यक आयातों का सवाल है ऐसी खबर थी कि कुछ संस्थागत निधियां जिन्हें पहले से ही देने की बात थी, अब उपलब्ध हैं। हम उसका उपयोग नहीं कर सके और वस्तुत: सरकार इस उधार की रकम पर ब्याज देती रही है। शायद यह इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने इसे किसी एक विशेष परियोजना अथवा किसी विशिष्ट देश से पूंजीगत माल की आपूर्ति के संबंध में रखा हुआ था। मैं माननीय मंत्री से यह विशेष कारण जानना चाहता हूं जिसकी वजह से आयात के लिए उस निधि का इस्तेमाल नहीं किया गया।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, प्रश्न का दूसरा भाग वाणिज्य मंत्रालय से संबद्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि इसे वित्त मंत्री को सम्बोधित किया जाना चाहिए, वह हमें बता सकेंगे कि क्या कोई ऐसा ऋण है जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए रखा गया है या नहीं। जहां तक प्रश्न के पहले भाग की बात है इस देश में अनावश्यक वस्तुओं का आयात किया जा रहा है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मुझे प्रसन्नता है कि आपने इसे स्वीकार किया।

श्री पी० चिदम्बरम : इसी लिए पिछली सरकार ने आयात सीमित करने के लिए कई उपाय किये थे और जिनके फलस्वरूप आयात संकुचन की स्थिति आयी थी। इस वर्ष हम लगभग 2000 करोड़ रुपये के आयात को सीमित करने की आशा करते हैं। अनावश्यक आयातों के दो प्रकार हैं। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहूंगा।

पहली बात यह है कि यह एक ऐसी वस्तु है जिसे हमें आयात करने की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत में यह मूल्य की दृष्टि और गुण दोनों में काफी किफायती है। इसका आयात नहीं किया जाना चाहिए।

अन्य प्रकार का गैर आवश्यक आयात यह है कि यदि आप किसी विशेष स्तर पर और विशेष खपत के लिए आयात कर रहे हैं तो यह स्तर 'क' से 'ख' तक चला जायेगा, मेरा मत है कि 'क' और 'ख' के बीच का अन्तर गैर आवश्यक आयात है। हमें इस खपत पर अंकुश लगाना चाहिए और हमें केवल आवश्यक वस्तुओं का ही आयात करना चाहिए क्योंकि आयात का स्तर आवश्यक नहीं है। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : ऐशो आराम की वस्तुओं का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री मानी भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि पूंजीगत वस्तुओं का ही आयात करना चाहिए और वह भी उपलब्ध ऋण तक ही और इस तरह से भी आयात में कमी होगी।

मैं मंत्री महोदय से अन्य वस्तुएं जो आवश्यक समझी जाती हैं, के आयात को कम करने के बारे में उत्तर देने का अनुरोध करता हूं। मेरे विचार से आप गैर आवश्यक आयात को कम करने के लिए विचार नहीं कर रहे हैं। क्या आप बतायेंगे कि इसके परिणाम क्या रहे हैं ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : पिछले तीन महीनों के दौरान।

श्री मानी भट्टाचार्य : पिछले तीन महीनों के दौरान क्या परिणाम रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया केवल एक प्रश्न पूछिये।

श्री मानी भट्टाचार्य : मूल्य वृद्धि तथा विदेशी विनिमय के कारण भी आयात में कितनी कमी हुई है ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, पूर्व सरकार द्वारा आयात को कम करने के उपायों से वर्ष 1989-90 की तुलना में 1990-91 के दौरान वास्तविक उपभोक्ता लाइसेन्सों में 24 प्रतिशत की कमी हुई है और पंजीकृत निर्यातकों में एक प्रतिशत तथा अन्य श्रेणियों में ग्यारह प्रतिशत की कमी हुई है।

मेरे विचार से आवश्यक वस्तुओं के आयात में कोई कमी नहीं आई है। आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मेरे विचार से इस वर्ष आयात में कमी करने के सम्बंध में जो उपाय किये गये हैं उससे लगभग 3,000 करोड़ रुपये मूल्य का आयात कम हुआ है। मेरे विचार से भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से, उत्पादन क्षेत्र में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के आयात में कमी हुई है। मेरे विचार से श्री निर्मल कांति चटर्जी पिछले तीन महीनों के बारे में जानने के उत्सुक हैं। अप्रैल में, रुपयों में कुल आयात 11.6 प्रतिशत तक घट गया, तेल के अलावा अन्य वस्तुओं में आयात 15 प्रतिशत तक घट गया।

मई 1991 के दौरान, पिछले वर्ष की मई की तुलना में, कुल आयात में केवल 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अर्थात, आयात में कमी प्रभावकारी रही गैर-तेल आयात 13.7 प्रतिशत तक कम हुआ। आयात में कमी आई है (व्यवधान)

छोटे पत्तनों का विकास

*104. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में विकसित किये जाने वाले छोटे पत्तनों का ब्यौरा क्या है,

(ख) उन पर, राज्य-वार, कुल कितनी धन राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि उक्त अवधि के दौरान गोपालपुर छोटे पत्तन का विकास किया जाये, और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयदीश टाईटलर) : (क) और (ख) लघु पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार के पास इस समय किसी लघु पत्तन का चयन अथवा विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार से मई, 1988 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मुख्य परियोजित ट्रैफिक थर्मल कोल था। पारादीप पत्तन में मौजूदा और प्रस्तावित सुविधाओं को मद्दे नजर रखते हुए, केन्द्र सरकार का यह मत है कि आठवीं योजना के दौरान और कम से कम नौवीं योजना अवधि के मध्य तक पारादीप के आस-पास थर्मल कोल के लिए दूसरे निकास की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री अर्जुन चरण सेठी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में विकसित किए जाने वाले छोटे पत्तनों का ब्यौरा क्या है। उत्तर है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

उत्तर के दूसरे भाग में उन्होंने कहा है कि उड़ीसा राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। महोदय, यदि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तो क्या प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है..... (व्यवधान)..... मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या नहीं। उत्तर के प्रथम भाग में वह कहते हैं कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और दूसरे में वह कहते हैं, यद्यपि एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी। जैसाकि मैंने अपने प्रश्न के 'ख' भाग में पूछा है..... (व्यवधान)..... महोदय उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

श्री जगदीश टाईटलर: मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं जो इस मंत्रालय से सम्बंधित नहीं हैं। यह राज्य सरकार से सम्बंधित हैं। एक प्रस्ताव गोपालपुर पत्तन के लिए प्राप्त हुआ था। लेकिन हमने देखा है कि यह आवश्यक नहीं है क्योंकि हमें पारादीप पत्तन पर पहले ही सुविधाएं प्राप्त हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी : यदि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तो क्या प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है?

श्री जगदीश टाईटलर : प्रस्ताव को अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं है। मैं दूसरे पत्तन पर पहले ही अन्य सुविधाएं दे रहा हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उड़ीसा में पारादीप पत्तन से थर्मल कोल की ढुलाई के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित कौन-कौन सी सुविधाएं हैं ताकि इस उद्देश्य के लिए एक और छोटे पत्तन का विकास करने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं उड़ीसा से हूं और इसलिए मैं जानता हूं कि पारादीप पत्तन पर सुविधाएं अपर्याप्त हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या उड़ीसा से दक्षिण के लिए पारादीप पत्तन के माध्यम से थर्मल कोल की ढुलाई करने की व्यवस्था का कोई मूल्यांकन किया गया है या नहीं और क्या उस पत्तन पर विद्यमान सुविधाएं पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो क्या वह वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं? क्या यह सच है कि उड़ीसा से दक्षिण के लिए काफी अधिक मात्रा में कोयला भेजना पड़ता है क्योंकि वहां अनेक थर्मल पावर संयंत्र हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : पारादीप पत्तन पर पहले ही से बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और थर्मल कोल की ढुलाई करने के लिए पत्तन सुविधाओं के बड़े पैमाने पर हुए विस्तार-योजना को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि वहां दूसरा पत्तन जरूरी नहीं है जिसके लिए उड़ीसा सरकार ने कहा था। लेकिन मैं सदन को एक मुद्दे के बारे में सूचित करना चाहूंगा। यह अनुमान लगाया गया है कि पारादीप पत्तन से लगभग 30—35 मिलियन टन थर्मल कोल की ढुलाई की जा सकती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक परियोजना बनाई है कि सन् 2000 तक दक्षिण भारत के तटीय थर्मल पावर स्टेशन के लिए तालचेर कोयला खानों से निर्यात 32 मिलियन टन तक कोयला भेजा जायेगा और मात्रा 32 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। अतः वहां 35 मिलियन टन कोयला तक की ढुलाई की सुविधाएं प्राप्त हैं।

जल सेना के लिए तीसरा विमानवाहक पोत

*105. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जल सेना के लिए तीसरे विमानवाहक पोत के निर्माण के लिए कोई निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, आठवीं लोक सभा में जब इस सदन में यही प्रश्न पूछा गया था तब रक्षा मंत्री, श्री के०सी० पंत ने उत्तर दिया था कि तीसरा विमानवाहक पोत भारत सरकार के विचाराधीन है और वर्तमान दो विमानवाहक पोत विशेषतया आई० एन०एफ० विक्रान्त पुराने हो चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या भारतीय नौ सेना के लिए तीसरा विमानवाहक पोत लेने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री शरद पवार : एयरक्राफ्ट कैरियर का अधिक मूल्य होने के कारण हम तीसरा विमानवाहक पोत लेने की स्थिति में नहीं हैं। हमने निर्णय लिया है कि केवल दो विमानवाहक पोत का उपयोग करते रहेंगे और इस समय यही पर्याप्त है।

एक माननीय सदस्य : सैनिक एक रैंक एक वेतन की मांग कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विमानवाहक पोत से सम्बंधित है आपका अनुपूरक प्रश्न संगत नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग

*107. **श्री लाल कृष्ण आडवानी**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत-पेटियों एवं मत-पत्रों पर आने वाली लागत को खत्म करने, मत-गणना के दौरान कदाचारों को दूर करने और चुनाव के खर्च को कम करने आदि के लिए चुनावों में इलैक्ट्रानिक मशीनों का उपयोग करने के सुझाव प्राप्त हुए है ;

(ख) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि इस बारे में कोई कार्य-योजना तैयार की है तो वह क्या है ;

(ग) निर्वाचन आयोग कितनी इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें ले चुका है और उन पर कितना खर्चा आया है; और

(घ) आयोग ने अब तक कितनी बार इन मशीनों का उपभोग किया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी हां।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 61 क अंतःस्थापित की गई है जिससे कि आयोग को, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में, जैसा वह, प्रत्येक मामले की परिस्थिति के अनुसार, विहित करे, इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त हो सके। यह धारा 15-3-1989 से प्रवृत्त हुई है।

(ग) तारीख 31-3-90 तक निर्वाचन आयोग ने लगभग 75 करोड़ रुपए मूल्य की 1.5 लाख इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें खरीदी हैं। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1982-84 की अवधि के दौरान लगभग 25 लाख रुपए मूल्य की 444 मशीनें खरीदी थीं।

(घ) सर्वप्रथम मई, 1982 में केरल में परूर निर्वाचन क्षेत्र के 50 पोलिंग स्टेशनों में, और उसके पश्चात विभिन्न राज्यों में 10 और निर्वाचन क्षेत्रों में, जिनका ब्यौरा सदन के पटल पर रखे विवरण में दिया गया है, इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	निर्वाचन की प्रकृति	निर्वाचन क्षेत्र की सं० और नाम जहां इलैक्ट्रनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया	निर्वाचन का मास और वर्ष	प्रयोग की गई मशीनों की संख्या
1. केरल	साधारण	70—परूर वि० नि०	मई, 1982	50
2. नागालैंड	—यथोक्त—	10.—उत्तरी अगामी (वि० नि०)	नवम्बर, 1982	12
3. आंध्र प्रदेश	—यथोक्त—	191.—शादनगर (अ०जा०) वि०नि०	जनवरी, 1983	126
4. कर्नाटक	—यथोक्त—	84.—शान्तिनगर (अ०जा०) वि०नि०	जनवरी, 1983	75*
5. त्रिपुरा	—यथोक्त—	9.—इनमलीपुर वि०नि०	जनवरी, 1983	12*
6. दिल्ली	—यथोक्त—	1.—सरोजिनी नगर म०प०	फरवरी, 1983	26*
7. दिल्ली	—यथोक्त—	3.—गोल मार्किट (अ०जा०) म०प०	फरवरी, 1983	27*
8. दिल्ली	—यथोक्त—	5.—दिल्ली छावनी म०प०	फरवरी, 1983	25*
9. अरुणांचल प्रदेश	उप चुनाव	22.—रोइंग वि०नि०	अप्रैल, 1983	25
10. बिहार	—यथोक्त—	199.—चांदी वि०नि०	जून, 1983	159
11. त्रिपुरा	—यथोक्त—	18.—चारिलम वि०नि०	नवंबर, 1983	19*

वि०नि०—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र म०प०—महानगर परिषद्

*एक ही परिसर में स्थित दो मतदान केन्द्र में एक ही मशीन का प्रयोग किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रक्षा कर्मियों के लिए समान रैंक समान वेतन

*106. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा कर्मियों के मामले में समान रैंक समान वेतन लागू करने का है,

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है,

(ग) क्या रक्षा बलों के समग्र सामान्य कर्मियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

1. सेना, नौसेना और वायुसेना अधिनियमों और रक्षा सेवा विनियमावली के उपबन्धों के अन्तर्गत रक्षा सेनाओं के सभी कार्मिकों की शिकायतों का निवारण करने की एक प्रणाली है। कार्मिकों की शिकायतों को दूर करने की प्रणाली का विवरण क्रमशः सेना अधिनियम 1950 की धारा 26 और 27, नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 23 और वायुसेना अधिनियम 1950 की धारा 26 और 27 में दिया हुआ है। इन धाराओं का उद्धरण क्रमशः अनुबन्ध-I, II तथा III में दिया गया है।

2. उपर्युक्त उपबन्धों में की गई व्यवस्था के अनुसार जब कभी कोई अधिकारी/कार्मिक यह महसूस करता है कि उसे निजी तौर पर उत्पीड़ित किया जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, दुर्व्यवहार आदि किया जा रहा है तो वह अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को लिखित शिकायत कर सकता है। इन विनियमों में इस तरह की शिकायत को केन्द्रीय सरकार को भेजने की व्यवस्था है और छह माह के भीतर शिकायत का अन्तिम उत्तर प्राप्त न होने पर अगले उच्च अधिकारी को सीधे अपील की जा सकती है।

अनुबंध–I

26. (1) आफिसर से भिन्न इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई भी व्यक्ति, जो यह समझता है कि किसी वरिष्ठ या अन्य आफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है, उस दशा में, जिसमें कि वह किसी ट्रुप या कम्पनी से संलग्न नहीं है उस आफिसर से, जिसके समादेश या आदेशों के अधीन वह सेवा कर रहा है, परिवाद कर सकेगा और उस दशा में जिसमें वह किसी ट्रुप या कम्पनी से संलग्न है उसका समादेशन करने वाले आफिसर से परिवाद कर सकेगा।

(2) जब कि वह आफिसर, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, ऐसा आफिसर है जिससे कोई परिवाद उपधारा (1) के अधीन किया जाना चाहिए, तब व्यथित व्यक्ति उस आफिसर के अगले वरिष्ठ आफिसर से परिवाद कर सकेगा।

(3) हर आफिसर, जिसे ऐसा कोई परिवाद प्राप्त हो परिवादी को पूरा प्रतितोष देने के लिए यावत्संभव पूर्ण अन्वेषण करेगा या जब आवश्यक हो परिवाद वरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देशित कर देगा।

(4) ऐसा हर परिवाद ऐसी रीति से किया जाएगा जो उचित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) थल सेनाध्यक्ष द्वारा उप धारा (2) के अधीन किए गए किसी विनिश्चय को केन्द्रीय सरकार पुनरीक्षित कर सकेगी, किन्तु उसके अध्यधीन रहते हुए थल-सेनाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

उत्पीड़ित अधिकारियों की शिकायतों का निवारण करना :

27. कोई आफिसर जो यह समझता है कि उसके कमान आफिसर या किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है और जिसको अपने कमान आफिसर से सम्यक आवेदन करने पर ऐसा प्रतितोष प्राप्त नहीं होता जिसका वह स्वयं को हकदार समझता है, वह केन्द्रीय सरकार से ऐसी रीति से परिवाद कर सकेगा जो उचित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

अनुबन्ध–2

उत्पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण :

23. (1) यदि कोई अफसर अथवा नौसैनिक यह समझता है कि किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप से सताया गया है, उस के साथ अन्याय किया गया है अथवा उसके साथ अन्य कोई अभद्र व्यवहार किया गया है तो उस दशा में वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार परिवाद कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित विनियमों में यह व्यवस्था की जाएगी कि यदि शिकायतकर्ता अपने परिवाद पर दिए गए निर्णय से संतुष्ट न हो तो उस दशा में उक्त शिकायत केन्द्रीय सरकार को उनके विचारार्थ अग्रेषित कर दी जाएगी।

अनुबन्ध–3

उत्पीड़ित वायु सैनिकों की शिकायतों का निवारण :

26. (1) कोई भी वायुसैनिक जो यह समझता है कि किसी वरिष्ठ या अन्य आफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है, उस दशा में, जिसमें कि वह किसी यूनिट या टुकड़ी से संलग्न नहीं है उस आफिसर से, जिसके समादेश या आदेशों के अधीन वह सेवा कर रहा है परिवाद कर सकेगा और उस दशा

में जिसमें वह किसी यूनिट या टुकड़ी से संलग्न है और उसका समादेशन करने वाले आफिसर से परिवाद कर सकेगा।

(2) जब कि वह आफिसर जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, ऐसा आफिसर है जिससे कोई परिवाद उपधारा (1) के अधीन किया जाना चाहिए, तब व्यथित वायु सैनिक उस आफिसर के अगले वरिष्ठ आफ़िसर से परिवाद कर सकेगा और यदि वह स्वयं यह समझता है कि ऐसे वरिष्ठ आफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है, उस दशा में वह वायुसेनाध्यक्ष से परिवाद कर सकेगा।

(3) हर आफिसर, जिसे ऐसा कोई परिवाद प्राप्त हो परिवादी को पूरा प्रतितोष देने के लिए यावत संभव पूर्ण अन्वेषण करेगा या जब आवश्यक हो परिवाद वरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देशित कर देगा।

(4) ऐसा हर परिवाद ऐसी रीति से किया जाएगा जो उचित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) वायु सेनाध्यक्ष द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी विनिश्चय को केन्द्रीय सरकार पुनरीक्षित कर सकेगी, किन्तु उसके अध्यधीन रहते हुए, थल-सेनाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

उत्पीड़ित अधिकारियों की शिकायतों का निवारण करना

27. कोई आफिसर जो यह समझता है कि उसके कमान आफिसर या किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है और जिसको अपने कमान आफिसर से सम्यक् आवेदन करने पर ऐसा प्रतितोष प्राप्त नहीं होता जिसका वह स्वयं को हकदार समझता है, वह केन्द्रीय सरकार से ऐसी रीति से परिवाद कर सकेगा जो उचित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

केरल में मेन सेंट्रल रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

***108. श्री रमेश चेन्निथला :**

क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अंगमल्ली से त्रिवेन्द्रम तक जाने वाली मेन सेंट्रल रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वायु सेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

[हिन्दी] *109. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना में विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की दर विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान हुई ऐसी दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) (क) से (ग) : विभिन्न देशों की वायुसेनाओं से संबंधित हवाई दुर्घटनाओं की संख्या और उनकी दर के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए भारतीय वायुसेना से संबंधित हवाई दुर्घटनाओं की दर से उनकी तुलना करना सम्भव नहीं है। अतः यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि भारतीय वायुसेना से संबंधित हवाई दुर्घटनाओं की दर विश्व में सबसे अधिक है।

निर्यात नीति का पुनर्निर्धारण

[अनुवाद] 110. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : } क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात को यथासम्भव बढ़ाने के लिए निर्यात नीति को पुनर्निर्धारित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :

(क) और (ख) जी हां। सरकार ने दिनांक 4 जुलाई, 91 को निम्नलिखित उद्देश्यों के प्रयोजन से एग्जिम नीति में महत्वपूर्ण ढांचागत परिवर्तन किए ह :

(क) लाईसेंसिंग में कमी लाना अथवा उसे समाप्त करना और अधिकाधिक स्वचालन लाना ;

(ख) निर्यात संवर्धन;

(ग) अनुकूलतम आयात कटौती :

किए गए परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) निर्यात से संबंधित आयात के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंसिंग योजना (आरईपी) अब प्रमुख साधन हो गई है। इसे अब "एग्जिम स्क्रिप्ट" कहा जाएगा और इसके तहत मुक्त रूप से व्यापार किया जाएगा।

(2) प्रत्येक निर्यात पर एफओबी मूल्य के 5% से 20% की वर्तमान दरों की तुलना में अब 30% की एक समान आरईपी दी जाएगी। किन्तु रत्न तथा आभूषणों, कतिपय धातु-आधारित हस्तशिल्पों और समाचार-पत्रों/पत्र-पत्रिकाओं आदि पर विशेष दरें जारी रहेंगी।

(3) निर्यातकों को अधिकतम प्रोत्साहन देने की नई आरईपी योजना, जिनका आयात तीव्रता कृषि निर्यात की तरह कम हो।

(4) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना का, जिसके अन्तर्गत निर्यात-संबद्ध आयात की अनुमति दी जाती है, और अधिक सरलीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। अंतिम लाइसेंस निर्यात पर आरईपी की दर निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) के 10% से बढ़ाकर निवल विदेशी मुद्रा के 20% कर दी गई है।

(ग) आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्यात बढ़ने की संभावना है।

कपड़ा नीति की पुनरीक्षा

[हिन्दी]

111. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा, विद्युतकरघा, सिन्थेटिक मिलों, किसानों, मजदूरों, और विभिन्न स्तरों के प्रबन्धकों की समस्याओं से निपटने के लिए कपड़ा नीति की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या कपास का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद किसानों को कपास का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ङ) क्या सरकार ने आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा समिति की किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (च) सरकार ने वर्ष, 1985 की वस्त्र नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिये श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने जनवरी, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर राज्य सरकारों तथा वस्त्र उद्योग के विभिन्न हितों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों आदि के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सरकार समिति की सिफारिशों पर यथासंभव शीघ्र ही अपने निर्णयों की घोषणा कर देगी।

सरकार कपास की न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करते समय विभिन्न निविष्टियों की लागत के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखती है कि इससे किसानों को उचित आय प्राप्त हो। वर्ष 1990-91 के मौसम के दौरान कपास उगाने वाले किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन कीमत से अधिक कीमत पर बेचने में समर्थ रहे हैं।

रुपए का अवमूल्यन

[अनुवाद]

*112. **श्री धर्मण्णा मोंडिय्या सादुल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मुद्रा का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अवमूल्यन करने से पहले सरकार ने किन बातों पर विचार किया था; और

(ख) प्रत्येक दुर्लभ मुद्रा के मामले में किये गये आकलन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भुगतान संतुलनों की स्थिति में रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में परिवर्तनों द्वारा प्रतिबिम्बित हमारे निर्यातों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हमारे विदेशी मुद्रा भण्डारों और बाजार की अवधारणाओं की स्थिति तथा रुपए के विनिमय मूल्य से संबंधित संभावनाओं पर पूर्णतया विचार करने के पश्चात पहली और तीन जुलाई, 1991 को रुपए के बाह्य मूल्य में समायोजन किए गए।

(ख) भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के विनिमय दर के रुख और भारत तथा विदेशों में मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए भारत की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में घटबढ़ के परिप्रेक्ष्य में हाल ही में रुपए की विनिमय दर में समायोजन करने का निर्णय लिया गया जो अलग-अलग मुद्राओं में घटबढ़ अथवा द्विपक्षीय विनिमय दरों पर आधारित नहीं था।

सेना कर्मियों की सेवा-निवृत्ति की आयु

[हिन्दी]

*113. **प्रो० प्रेम धुमाल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेना कर्मियों के मामले में भी सेवा-निवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 58 वर्ष तक करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) रक्षा सेनाओं के सभी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इससे सेनाओं का युवा स्वरूप तथा उनकी लड़ने की क्षमता को बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल में जूट मिलों का बन्द होना

[अनुवाद]

114. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की उन जूट मिलों का ब्यौरा क्या है जो इस समय या तो बन्द पड़ी हैं अथवा अपनी क्षमता से बहुत कम स्तर पर कार्य कर रही हैं;

(ख) इन मिलों के बन्द होने से अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई तथा कितने कामगार बेरोजगार हुए हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बार-बार यह अनुरोध किया है कि वह इन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले को किस प्रकार से निबटाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में 30 जून 1991 की स्थिति अनुसार बन्द पड़ी पटसन मिलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	मिल का नाम	कामगारों की संख्या	बन्द होने की तारीख
1.	नडिया	4000	2-6-88
2.	बजबज	3400	18-3-88
3.	अगरपारा	3400	13-6-91
4.	एंग्लो इण्डिया	5500	20-5-91
5.	प्रेम चन्द	900	17-10-90
	योग:	17200	

कुछ पटसन मिलें जैसे कि भारत, कलकत्ता, गौरीपुर, तिरुपति पटसन मिलें अपनी निर्धारित क्षमता से काफी कम कार्य कर रही हैं ।

इन मिलों के बन्द होने के फलस्वरूप, विदेशी मुद्रा की क्षति का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार का यह विचार है कि रुग्णता की समस्या का निवारण अधिग्रहण/राष्ट्रीयकरण में निहित नहीं है और सरकार नियम के तौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी । सरकार ने रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे पटसन उद्योग

की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, पटसन अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण के लिए विशेष पटसन निधि की स्थापना, खाद्यान्न, चीनी, सीमेंट तथा यूरिया के लिए जूट पैकेजिंग के अनिवार्य प्रयोग का कानून बनाना, अनुसन्धान तथा विकास क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, तथा उत्पाद विविधीकरण कार्यक्रम, लागत जमा आधार पर बी ट्विल बोरों की नियमित खरीद, उत्पाद शुल्क की छूट, रियायती आयात शुल्क, वितरण सहायता सुविधायें प्रदान करके विविधीकरण को प्रोत्साहन देना आदि। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए उपचारात्मक, निषेधात्मक तथा सुधारात्मक कदमों को सुनिश्चित करने तथा उन्हें लागू करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण की स्थापना भी की है।

टैक्सी किराए में वृद्धि

*115. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड़:** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "आरबि–ट्रेरी प्रि-पेड टैक्सी फेयर हाइक एलेज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

जल–भतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, हां।

(ख) यात्रियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) बूथों के समीप प्रमुख स्थानों पर किराया सूची लगाई जाती है।

(ii) मिलने वाली प्रत्येक शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(iii) यथार्थता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अब प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

(iv) दिल्ली पुलिस, "जोन सिस्टम" को समाप्त करते हुए "कालोनी डिस्टेंस" प्रणाली लागू कर रही है।

(v) "प्रि-पेड बूथों" में निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं :—

(क) सार्वजनिक घोषणा प्रणाली।

(ख) टी० वी०–टेलीटैक्स्ट सुविधा सहित।

(vi) सभी "प्री-पेड बूथों" को महानगर टेलीफोन निगम के "नेटवर्क" के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि किसी भी बूथ द्वारा जारी किए गए वाउचर का सुनिश्चित भुगतान नगर स्थित अन्य बूथों पर हो सके।

राज्य व्यापार निगम द्वारा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना को स्थगित किया जाना

*116. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना को स्थगित करने तथा फालतू कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या अधिकारी और कर्मचारी स्तर के फालतू कर्मचारियों के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी है।

(ख) और (ग) : एसटीसी ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को यह कार्य सौंपा है कि वे इस बारे में अध्ययन करके यह पता लगायें कि वहां कितना और किस प्रकार का बेशी स्टाफ है।

आवश्यक वस्तुओं की खरीद हेतु ऋणों का वितरण

[हिन्दी]

*117. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की खरीद हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के ऋण दिए गए हैं तथा चालू वर्ष के दौरान अनुमानतः कितनी राशि के ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर-सरकारी थोक विक्रेताओं को ऋण देना बन्द करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ताकि वे अपना व्यापार चलाने हेतु अपने निजी स्रोतों से धनराशि जुटायें;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : : (क) वाणिज्यिक बैंक आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए तथा थोक व्यापारियों के परिचालनों के वित्त पोषण के लिए ऋण प्रदान करते हैं। निम्नलिखित सारणी में गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों, चीनी,

प्रमुख तिलहनों आदि जैसी कुछ चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के लिए बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि को दर्शाया गया है :—

(राशि करोड़ रुपए)

मार्च 1988	1722
मार्च 1989	2128
मार्च 1990 . .	2424
फरवरी 1991	2400

(अद्यतन उपलब्ध)

अन्य सरकारी वित्तीय संस्थायें आवश्यक वस्तुओं के व्यापार के लिए ऋण नहीं देती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

रेशम का उत्पादन

[अनुवाद]

118. **डा० असीम बाला** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम का उत्पादन बढ़ाने हेतु आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) इन उपायों से छोटे, सीमान्त और भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा किस प्रकार होगी; और

(ग) पश्चिम बंगाल में कितनी और किस प्रकार की परियोजनायें लागू की जा रही हैं, उन पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है और परिणामतः कितना उत्पादन हुआ है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी एस बी) ने देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए राज्य रेशम उत्पादन विभाग के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, विस्तार, प्रशिक्षण तथा अवस्थापना सम्बन्धी सहायता देने के लिए देश व्यापी एककों को नेटवर्क स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप रेशम की प्राप्ति में सुधार हुआ है जिससे किसानों को अधिक आर्थिक आय होने लगी है। इसके अलावा, छोटे, मामूली तथा भूमिहीन किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(क) 50 प्रतिशत लागत पर शहतूत की कलमों/पौधों की सप्लाई।

(ख) मामूली किसानों को कीटपालन उपकरणों की निशुल्क आपूर्ति।

(ग) 50 प्रतिशत लागत पर यूजी फ्लाई को नियमित करने के लिए नायलोन के जालों की आपूर्ति।

(घ) द्विफसलीय रेशमकीट पालकों तथा रीलरो को प्रोत्साहन बोनस।

(ङ) किसानों के लिए अध्ययन दौरे का प्रबन्ध करना।

(च) केन्द्रीय रेशम बोर्ड की लागत पर किसानों के खेतों से शहतूत प्रदर्शन फार्म की स्थापना।

(छ) रीलरो को कोसो की खरीद के लिए इमदादी ब्याज पर कार्य-शील पूंजी की सहायता।

(ज) रीलिंग केन्द्रों पर कोसों की बिक्री के लिए कीटपालकों की विपणन तथा परिवहन सुविधा की व्यवस्था करना।

(ग) इस समय पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही रेशम उत्पादन परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं:—

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (शहतूती)

अवधि	5 वर्ष (1989-90 से 1994-95 तक)
परिव्यय (लाख रु०)	4989.00
व्यय (लाख रु०)	286.89 (1989-90 तथा 1990-91)

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (एन० एस० पी०) के केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संघटक के अन्तर्गत एक पी 4 फार्म, एक पी 3 फार्म, दो पी 2 फार्म, तीन अनाज भण्डार, चौदह तकनीकी सेवा केन्द्र तथा एक प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की अब तक स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 102 चौकी कीटपालन केन्द्रों की भी स्थापना की गई है। इन एककों ने अभी हाल ही में कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

चुनाव प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग

*120. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही के आम चुनावों के दौरान भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री द्वारा चुनाव प्रचार के लिए कुल कितने घन्टे भारतीय वायुसेना के विमानों और हैलीकाप्टरों का इस्तेमाल किया गया;

(ख) भारतीय वायुसेना के विमानों और हैलीकाप्टरों के प्रयोग के परिणामस्वरूप भारतीय वायुसेना को कुल कितनी धनराशि देय हो गयी है;

(ग) क्या यह धनराशि वसूल कर ली गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह धनराशि शीघ्र वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) : पूर्व प्रधान मंत्री की गैर सरकारी यात्रा के लिए 2 अप्रैल, 1991 से अर्थात् जिस तारीख को चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के आदर्श आचार संहिता का पैरा VII जारी किया गया, 13 जून, 1991 तक अर्थात् जिस तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, कुल 1307.10 घण्टों की उड़ान का प्रयोग किया। इस अवधि के लिए पूर्व उप-प्रधान मन्त्री को गैर सरकारी यात्राओं के लिए भारतीय वायु सेना के वायुयान उपलब्ध नहीं कराए गए।

पूर्व प्रधान मंत्री को गैर सरकारी यात्राओं के लिए भारतीय वायु सेना के वायुयानों के प्रयोग के लिए कुल लगभग 412 लाख रुपये (चार सौ बारह लाख रुपये) की राशि का भुगतान करना है।

(ग) से (ङ) : जी, नहीं। वायु सेना मुख्यालय को बिल भेजने से पहले उसकी जांच के लिए सामान्यतः 3-4 माह के समय की आवश्यकता होती है।

भारत-पाक सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी

389. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) प्राप्त सूचनाएं यह दर्शाती हैं कि भारत पाक-सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) हाल ही में भारत-पाक सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। राजस्थान में भूमि-सीमा को देखने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का एक क्षेत्रीय एकक जोधपुर में स्थापित किया गया है। सीमा शुल्क ने भी जोधपुर अपर समाहर्ता के प्रभार में एक निवारक संगठन की स्थापना की है जिसमें सीमा के साथ निवारक रेंज तथा सेक्टर भी शामिल हैं। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों जैसे--सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क तथा पुलिस के साथ उच्च स्तरीय बैठकें, उनकी जांच निपुणता को तेज बनाने के लिए आयोजित की गई। समय-समय पर प्रवर्तन संघटन को अवैध व्यापारियों द्वारा अपनाई जाने वाली नवीनतम कार्यप्रणाली, मार्ग तथा छिपाने के तरीकों के बारे में अवगत कराया जाता है।

दिल्ली में आई० टी० ओ० के निकट यमुना नदी पर दूसरे पुल का निर्माण

390. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आई० टी० ओ० के निकट यमुना नदी पर दूसरे पुल का निर्माण करने के लिए हाल में इसका शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होगा तथा निर्माण के विभिन्न चरणों को पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या निविदाएं आमंत्रित की गई हैं तथा ठेका दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किसको तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) अभी निर्माण शुरू होने का समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि परियोजना को अभी संस्वीकृति दी जानी है। परियोजना, प्रारम्भ होने की तारीख से चार वर्षों के अन्दर पूरी हो जाने की उम्मीद है।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कपड़े को सस्ती दरों पर सिले-सिलाए वस्त्र बनाने वाले उद्यमियों को देने का प्रावधान

[हिन्दी] 391. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय कपड़ा निगम के एककों द्वारा निर्मित कपड़े को बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में सिले-सिलाए कपड़ों के निर्माण में कार्यरत स्व-रोजगार उद्यमियों को उपलब्ध करने और उनकी वस्तुओं के निर्यात को सुगम बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसका कुल मूल्य कितना था ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) स्वरोजगार प्राप्त उद्यमी निर्यात के लिए सिले-सिलाए परिधानों का निर्माण करने के लिए एन० टी० सी० से कपड़े की अपनी मांग के अनुसार खरीददारी करने के लिए स्वतन्त्र हैं। फिर भी उद्देश्य के लिए कोई विशेष योजना विद्यमान नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन टी सी मिलों द्वारा निर्मित कपड़े का उत्पादन तथा मार्केट यार्न और उसका मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन		मूल्य
	कपड़ा (मिलियन मीटर)	मार्केट यार्न (मिलियन कि० ग्रा०)	(करोड़ रु० में)
1988–89 . . .	691.66	77.11	1097.79
1989-90 .	662.24	90.64	1273.07
1990–91 . . .	606.63	98.87	1228.15

अप्रवासी भारतीयों से प्राप्त धनराशि

[अनुवाद] 392. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990–91 और गत दो वर्षों के दौरान अप्रवासी भारतीयों से एस० डी० आर० तथा रुपयों के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या हाल के महीनों में उल्लेखनीय आय में कमी या निकासी में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा देश में धनराशि के आगमन में वृद्धि तथा निर्गमन में कमी लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1988–89 से 1990–91 तक के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा निक्षेपों में प्रेषण धनराशियां निम्न प्रकार से हैं :—

अवधि	अनिवासी (बाह्य)		विदेशी मुद्रा अनिवासी	
	करोड़ रुपए	मिलियन एस० डी० आर०	करोड़ रुपए	मिलियन एस० डी० आर०
1988–89 (वास्तविक)	235	122	2,230	1,158
1989-90 (अनंतिम अनुमान)	—4	—2	2,179	1,020
1990–91 (अनंतिम)	—146	—59	255	103

(ख) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-मई, 1991 में अनिवासी (बाह्य) और विदेशी मुद्रा अनिवासी स्कीमों के अन्तर्गत अंतर्मुखी प्राप्तियों में कमी सुस्पष्ट तथा निवल बहिर्गमन अवगम्य थीं।

(ग) भुगतान संतुलन पर दबाव खाड़ी संकट से और अधिक बढ़ गया था जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार से धन निकालने में तेजी आई। प्रमुख विदेशी मुद्राओं के संबंध में रुपए का अद्योगामी समायोजन तथा व्यापार नीति सुधार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है, विदेशी क्षेत्र में असंतुलन को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। पर्याप्त सुधारात्मक उपायों के शुरू किए जाने से यह आशा की जाती है कि इस प्रवृत्ति में उलट-फेर होगी तथा अन्तःप्रवाह की स्थिति सामान्य होगी।

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में कदाचार की जांच

[हिन्दी] 393. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 8 जनवरी, 1990 को सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में कदाचार की जांच करने की मांग के संबंध में कोई ज्ञापन पेश किया गया था;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) सैनिक स्कूल, चितौड़गढ़ के पूर्व प्रधानाचार्य पर कुप्रशासन और पद का दुरुपयोग करने से संबंधित आरोपों के बारे में सरकार को 8 जनवरी, 1990 का पत्र प्राप्त हुआ था, उक्त स्कूल के प्रधानाचार्य का 10 फरवरी, 1990 को स्थानान्तरण कर दिया गया था और सैनिक स्कूल के निरीक्षण अधिकारी ने मामले की जांच की थी। जांच रिपोर्ट के बारे में स्थानीय प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सरकारी क्षेत्र में बैंकों में विदेशी मुद्रा की गड़बड़ी

[अनुवाद] 394. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1991 के "इकनोमिक टाइम्स" में "फोरेन्स लाइफन्ड फ्रॉम बैंक्स फोर्जड डाक्यूमेन्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्रों के उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपराधी व्यक्तियों को जाली दस्तावेज जारी किए हैं;

(ग) उक्त जालसाजी में कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा की गड़बड़ी की गई और क्या इस हानि/जालसाजी के लिए जिम्मेदार किन्हीं व्यक्तियों/बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है;

(च) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में इस प्रकार की हानि/जालसाजी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) गत छः महीनों के दौरान उपभोक्ता शिकायत निवारण सेल को सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक बैंक के विरुद्ध कितनी-कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(च) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यूनियन बैंक आफ इंडिया की खण्ड शाखा के खातों की मार्च 1991 में की गई छानबीन से कुछ प्रक्रियात्मक कमियां ध्यान में आई हैं। हालांकि बैंक की निधि इसमें अन्तर्गत नहीं थी तथापि 32 आयात बिलों के मामलों में जाली आयात दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए कपटपूर्वक 568.58 लाख रुपए के बराबर धन प्रेषित किया गया। बैंक के आन्तरिक लेखाकारों ने इस कपट का पता लगाया। बैंक के अनुसार वह धोखाधड़ी बाहरी व्यक्तियों द्वारा की गई थी।

(घ) इस मामले की जानकारी यूनियन बैंक आफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक को दी जिसने इसकी सूचना प्रवर्तन निदेशालय को भेजी। निदेशालय ने जांच का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। बैंक ने संबंधित मुख्य प्रबंधक को स्थानान्तरित कर दिया है और इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शाखाओं को आयात वसूली दस्तावेजों पर कार्रवाई हेतु बैंक ने अपने अनुदेशों/मार्गनिर्देशों पर फिर से बल दिया है।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत कक्ष को बैंकों/शाखाओं के विरुद्ध ड्राफ्टों के जारी करने, ऋणों की स्वीकृति आदि में विलम्ब जैसे उनके कार्यनिष्पादन से संबंधित कुछ मामलों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। विगत छः महीनों (अर्थात् 1-1-1991 से 30-6-1991 तक) में प्राप्त शिकायतों की बैंकवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक का शिकायत कक्ष स्वयं ही कुछ मामलों में, जहां अपेक्षित हो, जांच पड़ताल करता है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों और सम्बद्ध बैंकों से टिप्पणियां मंगवाता है, जबकि शेष मामलों को ऐसे कार्यालयों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या	उचित कार्रवाई के लिए बैंकों/भा० रि० बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे गए	जांच/टिप्पणी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकों को भेजे गए
1.	भारतीय स्टेट बैंक	197	154	43
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	10	8	2
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	16	14	2
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	10	9	1
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	5	2	3
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	14	10	4
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	8	4	4
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	6	2	4
9.	इलाहाबाद बैंक	26	20	6
10.	आन्ध्रा बैंक	26	18	8
11.	बैंक आफ बड़ौदा	50	27	23
12.	बैंक आफ इंडिया	61	32	29
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	31	19	12
14.	केनरा बैंक	44	27	17
15.	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	23	21	2
16.	कारपोरेशन बैंक	25	18	7
17.	देना बैंक	23	18	5
18.	इंडियन बैंक	21	13	8
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	26	18	8
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	51	43	8
21.	ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	23	19	4
22.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	57	50	7
23.	पंजाब नेशनल बैंक	75	62	13
24.	सिंडिकेट बैंक	40	30	10
25.	यूको बैंक	41	31	10
26.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	30	28	2
27.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	18	14	4
28.	विजया बैंक	69	49	20
	कुल	1,026	760	.26

कानपुर में पुलिस अधिकारी द्वारा चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय पर कब्जा किया जाना

395. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पुलिस अधिकारी ने मई, 1991 में अथवा मई, 1991 के मध्य के आस-पास कानपुर में उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी के चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय में ए : पूणे अवकाश के दिन अवैध रूप से प्रवेश किया था;

(ख) क्या वह अधिकारी उस कार्यालय में तीन अथवा चार दिन तक, जब तक संबंधित मंत्रालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, लगातार रहा;

(ग) क्या वही अधिकारी 7 जून, 1991 से इसी कम्पनी में फिर से उसी पद पर नियुक्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संदेश के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी की सेवाएं 7 मई, 1991 को निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सी एम डी) की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि० (बी आई सी) कानपुर को सौंप दी थी फिर भी संबंधित अधिकारी को 23 मई, 1991 को यह सूचित किया गया था कि जब तक सी० एम० डी० के रूप में उनकी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक वह भारत सरकार से आगे के संदेश के लिए प्रतीक्षा करें। अधिसूचना जारी होने के बाद भारत सरकार ने उक्त अधिकारी को यह परामर्श दिया कि वह पद का कार्य-भार संभाल लें। उनने 7 जून, 1991 को पदभार ग्रहण कर लिया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्चतन न्यायालय में पदोन्नति

396. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों के नाम क्या हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति दी गई;

(ख) पदोन्नति की तारीख को न्यायाधीशों की अखिल भारतीय सूची में उनकी वरीयता का क्रम क्या था;

(ग) 1 अप्रैल, 1988, 1 अप्रैल, 1989, 1 अप्रैल, 1990, और 1 अप्रैल, 1991 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद थे तथा इन तारीखों को कितने पद रिक्त थे; और

(घ) विद्यमान रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के निबंधनों के अनुसार की जाती है और जिस व्यक्ति को उपयुक्त समझा जाता है उसे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की कोई अखिल भारतीय सेवा नहीं है।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के विद्यमान रिक्त पदों को भरने के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है और यह ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है कि विद्यमान रिक्त पदों की कब तक भरे जाने की संभावना है।

विवरण–I

क्र०सं०	न्याय धीश का नाम	उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की तारीख
	सर्व श्री	
1.	न्यायमूर्ति एन०डी० ओझा	18–01–88
2.	एस०आर० पांडियन	14–12–88
3.	डा० टी० के० थोम्मेन	14–12–88
4.	ए०एम०अहमदी	14–12–88
5.	के० एन० सैकिया	14–12–88
6.	कुलदीप सिंह	14–12–88
7.	जगदीश शरण वर्मा	03–06–89
8.	वी० रामस्वामी	06–10–89
9.	पी० बी० सावंत	06–10–89
10.	एन० एम० कासलीवाल	06–10–89
11.	मदन मोहन पुंछी	06–10–89
12.	के०रामस्वामी	06–10–89
13.	कुमारी बीवी, मीरा साहिब फातिमा	06–10–89
14.	के० जे० रेड्डी	11–01–90
15.	एस०सी० अग्रवाल	11–01–90
16.	राम मनोहर सहाय	11–01–90
17.	योगेश्वर दयाल	22–03–91

विवरण–II

तारीख को	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पद
1 अप्रैल, 1988	26	17	9
1 अप्रैल, 1989	26	20	6
1 अप्रैल, 1990	26	25	1
1 अप्रैल, 1991	26	23	3

लखनऊ, कानपुर और मेरठ छावनी क्षेत्रों में पट्टेदारों के कब्जा लेने और उसे बनाए रखने के अधिकार रद्द करना

397. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रतिरक्षा सम्पदा निदेशालय, लखनऊ तथा सरकार को उन पट्टे वाले भू-स्थलों जिनमें पट्टे की अवधियां समाप्त हो चुकी हैं, में पट्टेदारों के कब्जा लेने और उसे बनाये रखने के अधिकारों को निरस्त करने के लिये लखनऊ, कानपुर और मेरठ छावनियों के निवासियों से पिछले तीन महीनों में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो भूतपूर्व पट्टेदारों को हटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

[हिन्दी]

398. **श्री राम विलास पासवान** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों (नौसेना, थल सेना और वायुसेना) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफी कम है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों में सभी पात्र, भारतीय नागरिकों की भर्ती की जा सकती है, भले ही वे किसी जाति, वंश, समुदाय या धर्म के हों। अतः किसी जाति, जनजाति या समुदाय के लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

थल सेना (इन्फैन्ट्री) के हथियारों का निर्माण

[अनुवाद]

399. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पैदल सेना (इन्फैन्टरी) को सुसज्जित करने के लिए छोटे हथियारों और गोलाबारूद के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन इन्फैन्टरी, हथियारों की क्षमता, गुणवत्ता और लागत की अन्य देशों द्वारा विकसित किये गए तथा प्रयोग में लाए जा रहे छोटे हथियारों से तुलना की जा सकती है ;

(ग) इस संबंध में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का क्या योगदान है ;

(घ) क्या ऐसे छोटे हथियारों का निर्यात बढ़ाने की कोई संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सेना की इंफेन्ट्री संबंधी सभी हथियारों की जरूरतें देश में ही पूरी की जा रही हैं। इंफेन्ट्री में इस्तेमाल होने वाले छोटे हथियारों की वर्तमान श्रृंखला के स्थान पर ऐसे नए छोटे हथियारों की श्रृंखला को क्रमिक रूप से लाया जा रहा है जिनका डिजाइन और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आयुध निर्माणियों के सहयोग से किया है। ये नए हथियार अपेक्षाकृत अधिक हल्के, सुविधाजनक साइज के हैं तथा उनकी फायर शक्ति भी काफी बेहतर है। यद्यपि नई हथियार प्रणाली कार्यक्षमता और गुणता की दृष्टि से अन्य देशों की हथियार प्रणाली से किसी तरह कम नहीं है फिर भी इन पर होने वाले खर्च की तुलना केवल तभी की जा सकती है जब इनका बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की व्यवस्था हो जाए।

(घ) और (ङ) देश की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद ही इन हथियारों के निर्यात किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाना

400. श्री चन्नजीत यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने तथा कुछ श्रेणी के शस्त्रास्त्रों के नवीकरण एवं प्रतिस्थापन के लिए योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार ने अर्जुन सिंह समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वायुसेना का आधुनिकीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। रक्षा व्यय से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए श्री अरुण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

एकसमान नागरिक संहिता (सिविल कोड)

[हिन्दी]

401. श्री अशोक राव आलन्द राव देशमुख : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी नागरिकों के लिए एकसमान नागरिक संहिता लागू करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) से (ग) सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को लागू करने से अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में आवश्यक परिवर्तन करने होंगे। सरकार की यह सदैव नीति रही है कि, अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में अपनी ओर से तब तक कोई हस्तक्षेप न करे जब तक स्वयं ऐसे समुदायों की ओर से ही परिवर्तन के लिए पहल न की जाए।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कपड़ा मिलों की वित्तीय स्थिति

402. श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1990-91 के अन्त में पेश किये गये अपने वार्षिक लेखा-विवरणों के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन प्रत्येक कपड़ा मिलों की राज्यवार लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वस्त्र नीति के अन्तर्गत उन्हें सक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये तथा उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत राज्य-वार प्रत्येक वस्त्र एकक के अनन्तिम लाभ/घाटे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों के लाभ प्रदत्ता में सुधार करने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं :—

— आधुनिकीकरण
— खर्चीली क्षमताओं की छंटाई करना
— किफायती क्षमताओं को अनुकूल बनाना
— चुनिंदा आधुनिकीकरण
— अधिक उत्पादकता
— श्रमिक सुव्यवस्थीकरण
— कच्चे माल की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद
— अधिक यार्न उत्पादन
— कम कपड़ा उत्पादन
— कीमत को अनुकूल बनाना
— उत्पाद उन्नयन

एन टी सी/सरकार द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप वर्ष 1989-90 के दौरान इन मिलों के घाटे लगभग 35% कम हो गए और वर्ष 1990-91 के दौरान इसमें लगभग 5% की और कमी हुई।

विवरण

(करोड़ रु० में)

राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	मिल का नाम	वर्ष 1990–91 के दौरान लाभ/घाटा (अनन्तिम)
1	2	3
पंजाब	1. दयालबाग स्पि० एण्ड वी० मिल्स, अमृतसर	— 0.04
	2. सूरज टैक्सटाइल मिल्स, मलौत	+ 0.31
	3. खरड़ टैक्सटाइल मिल्स, खरड़	+ 0.74
	4. पानीपत वूलन मिल्स, खरड़	— 2.71
राजस्थान	1. श्री विजय काटन मिल्स, विजय नगर	+ 0.26
	2. उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	+ 0.38
	3. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	— 0.25
	4. एडवार्ड मिल्स, ब्यावर	+ 0.08
दिल्ली	1. अज्यूघ्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	— 2.74
प० बंगाल	1. बंगाल टैक्सटाइल मिल्स, मर्शीदाबाद	— 1.13
	2. लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स, रिशरा	— 1.74
	3. आर्ती काटन मिल्स, दासनगर	— 1.11
	4. बंगाल फाइन स्पि० एण्ड वी० मिल्स, नं० 2, कोटागंज	— 0.79
	5. कनोरिया इंडस्ट्रीज, कोनानगर	— 0.82
	6. सैन्ट्रल काटन मिल्स, हावड़ा	— 4.62
	7. बंगाल फाइन स्पि० एण्ड वी० मिल्स नं० 1, कोननगर	— 1.66
	8. बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, सेरामपुर	— 3.30
	9. श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स, पल्टा	— 3.06
	10. रामपुरिया काटन मिल्स, सेरामपुर	— 3.26
	11. बंगाश्री काटन मिल्स, सुकचर	— 1.65
	12. ज्योति वी० फैक्टरी, कलकत्ता	— 1.30
	13. मनिन्द्रा मिल्स, कासिमबाजार	— 1.21
	14. सोदपुर काटन मिल्स, सोदपुर	— 0.98

1	2	3
बिहार	1. गया काटन एण्ड जूट मिल्स, गया	— 1.70
	2. बिहार कोआपरेटिव स्पि० मिल्स, मोकामय	— 1.15
उड़ीसा	1. उड़ीसा काटन मिल्स, भगतपुर	— 0.67
असम	1. एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज, कामरूप	— 1.31
तमिलनाडु	1. ओम पराशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर	+ 0.04
	2. कम्बोडिया मिल्स, कोयम्बटूर	+ 0.94
	3. कृष्णावाणी टैक्सटाइल मिल्स, कोयम्बटूर	+ 0.60
	4. श्री रंगविलास जि० स्पि० एण्ड वी० मिल्स, पैडामेडू	+ 1.03
	5. पंकज मिल्स, कोयम्बटूर	+ 1.30
	6. पायनियर स्पिनर्स, कामुडाकुडी	+ 0.49
	7. कालीश्वरर मिल्स "बी" यूनिट,कल्यानरकोल	+ 1.89
	8. कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स, कोयम्बटूर	+ 1.47
	9. सोमासुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	+ 0.63
	10. कालीश्वरर मिल्स, "ए" यूनिट,कोयम्बटूर	+ 0.07
	11. कोयम्बटूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स, कोयम्बटूर	+ 0.93
	12. श्री शारवा मिल्स, कोयम्बटूर	+ 0.90
	13. बलराम वर्मा टैक्सटाइल मिल्स, शेनकोट्टा	+ 0.79
	14. कोठाड्म स्पि० मिल्स, मदुराइ	
पांडिचेरी	1. स्वदेशी काटन मिल्स, पाण्डिचेरी	— 0.79
	2. श्री भारती मिल्स, पाण्डिचेरी	— 0.06
उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीयकृत	
	1. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	— 7.67
	2. म्यूर मिल्स, कानपुर	— 7.13
	3. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	— 9.44
	4. स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	— 1.14
	5. स्वदेशी काटन मिल्स, माऊनाथ भंजन	— 0.02
	6. श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ	— 1.81
	7. लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर	— 3.78
	8. बिजली काटन मिल्स, हाथरस	— 1.15
	9. रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	— 0.59
प्रबन्धक मिले	1. लक्ष्मीरत्तन काटन मिल्स, कानपुर	— 13.41
	2. अथर्टन मिल्स, कानपुर	— 11.91

1	2	3
आंध्र प्रदेश	1. आज़म जाही मिल्स, वारंगल	— 2.72
	2. अडोनी काटन मिल्स, अडोनी	+ 0.12
	3. अनन्तापुर काटन मिल्स, तादपतरी	— 0.23
	4. नटराज स्पि० एण्ड वी० मिल्स, निर्मल	+ 0.33
	5. मेथा स्पि० मिल्स, सिकन्दराबाद	— 0.25
	6. तिरुपति काटन मिल्स, रेंगीगुण्टा	+ 0.35
केरल	1. अलगप्पा टैक्सटाइल्स मिल्स, अलगप्पानगर	+ 0.91
	2. कन्नानूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स, कन्नानूर	+ 0.86
	3. केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचुर	+ 1.44
	4. पार्वती मिल्स, क्योलोन	— 1.32
	5. विजयमोहिनी स्पि० एण्ड वी० मिल्स, त्रिवेन्द्रम	+ 1.08
माहे	1. कन्नानूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स, माहे	+ 0.76
कर्नाटक	1. मिनर्वा मिल्स, बंगलौर	— 2.96
	2. मैसूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स, बंगलौर	— 3.00
	3. एम० एस० के० मिल्स, गुलबर्गा	— 2.58
	4. श्री यलम्मा सी डब्ल्यू एण्ड सिल्क मिल्स, वेवनगीर	+ 0.16
महाराष्ट्र	1. इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं० 1, बम्बई	— 2.31
	2. इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं० 2, बम्बई	— 2.08
	3. इण्डिया यूनाइटिड मिल्स नं० 3, बम्बई 4. इण्डिया यूनाइटिड मिल्स नं० 4, बम्बई	— 2.53
	5. इण्डिया यूनाइटिड मिल्स नं० 5, बम्बई	— 1.25
	6. इण्डिया यूनाइटिड डाई वर्क्स, बम्बई	— 1.22
	7. माडल मिल्स, नागपुर	— 3.46
	8. आर एस आर जी स्पि० एण्ड वी० मिल्स, अकोला	— 0.79
	9. आर एच बी ए स्पि० एण्ड वी० मिल्स, हिंगनघाट	— 0.30
	10. सवत्रम रामप्रसाद मिल्स, अकोला	— 0.85
	11. विदर्भ मिल्स (बराड़), अचलपुर	— 0.60

1	2	3
महाराष्ट्र	1. बर्शी टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	+ 0.80
	2. अपोलो टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	— 0.79
	3. भारत टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	— 0.18
	4. विग्विजय टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	— 2.02
	5. जूपीटर टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	— 3.13
	6. न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	— 3.41
	7. मुम्बई टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	— 3.38
	8. औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद	— 0.82
	9. चालीसगांव टैक्सटाइल मिल्स, चालीसगांव	— 0.21
	10. धुले टैक्सटाइल मिल्स, धुले	— 0.70
	11. नान्देद टैक्सटाइल मिल्स, नान्देद	— 2.53
महाराष्ट्र	**प्रबन्धित मिले**	
	1. एल्फिनस्टोन स्पि० एण्ड वी० मिल्स (यू सी)	— 3.13
	2. फिन्ले मिल्स	— 1.60
	3. गोल्ड मोहर मिल्स	— 1.39
	4. जाम मैन्युफैक्चरिंग मिल्स	— 4.56
	5. कोहिनूर मिल्स (1, 2 तथा 3)	— 7.62
	6. श्री मधुसूदन मिल्स	— 4.89
	7. न्यू सिटी आफ बम्बई मिल्स	— 0.38
	8. पोद्दार मिल्स	— 1.56
	9. पोद्दार प्रोसेसर्स	— 0.24
	10. श्री सीताराम मिल्स	— 4.44
	11. टाटा मिल्स	— 5.69
गुजरात	1. राजकोट टैक्सटाइल मिल्स, राजकोट	— 1.37
	2. महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर	— 2.11
	3. पेटलड टैक्सटाइल मिल्स, पेटलड	— 2.38
	4. अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	— 2.73
	5. अहमदाबाद जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	— 3.41
	6. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	— 2.22
	7. राजनगर मिल्स नं० 1, अहमदाबाद 8. राजनगर मिल्स नं० 2, अहमदाबाद	— 2.90
	9. वीरमगांव टैक्सटाइल मिल्स, वीरमगांव	— 2.17
	10. न्यू मानकचौक टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	— 1.43
	11. हिमाद्री टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	— 1.19
	12. फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद	—

1	2	3
मध्य प्रदेश	1. इंदौर माल्वा मिल्स, इंदौर	— 4.82
	2. कल्याणमल मिल्स, इंदौर	— 2.33
	3. स्वदेशी सी एण्ड एफ मिल्स, इंदौर	— 3.51
	4. हीरा मिल्स, उज्जैन	— 4.25
	5. बुरमानपुर ताम्बी मिल्स, बुरमानपुर	— 0.62
	6. बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव	— 2.23
	7. न्यू गोपाल टैक्सटाइल मिल्स, भोपाल	— 1.22

नगरों का वर्गीकरण

403. **श्री मोरेश्वर साबे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) नगरों के वर्गीकरण के लिये क्या मानदंड नियत किया गया है ;

(ख) क्या यह वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो औरंगाबाद (महाराष्ट्र) किस श्रेणी में आता है ;

(घ) क्या सरकार का विचार औरंगाबाद का स्तर बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) मकान किराया भत्ता और प्रति पूर्ति (नगर) भत्ता मंजूर किए जाने के प्रयोजन के लिए शहरों/कस्बों का वर्गीकरण नीचे दी गई जनसंख्या के आधार पर किया जाता है :—

शहर की जनसंख्या	वर्गीकरण
16 लाख से अधिक	क
8 लाख से अधिक किन्तु 16 लाख से अधिक नहीं	ख–1
4 लाख से अधिक किन्तु 8 लाख से अधिक नहीं	ख–2
50,000 से अधिक किन्तु 4 लाख से अधिक नहीं	ग

मकान किराया भत्ते मंजूर किए जाने के प्रयोजन के लिए शहर के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर की जनसंख्या और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के लिए शहरी-समूह की जनसंख्या जहां पर मौजूद हो, अन्यथा शहर के नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या को हिसाब में लिया जाता है।

(ग) 1981 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में औरंगाबाद "ग" श्रेणी का शहर है।

(घ) और (ङ) औरंगाबाद के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर 1991 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

पांचवे वेतन आयोग की नियुक्ति

[अनुवाद] 404. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महंगाई भत्ते के पच्चास प्रतिशत निशान पार करके वास्तविक मूल्य के संदर्भ में वेतनमान अपरदित होने के कारण सरकार का पांचवा वेतन आयोग की नियुक्ति करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करने हेतु सरकार का वर्तमान महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में परिवर्तित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) जी, नही।

महंगाई भत्ते की मात्रा में वृद्धि होना नया वेतन आयोग नियुक्त किए जाने का मापदण्ड नही है।

(घ) राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) की पिछली बैठक में कर्मचारी पक्ष ने यह मांग रखी थी कि पेंशन को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिए महंगाई भत्ते के एक अंश को महंगाई वेतन के रूप में माना जाए। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

बिहार में मतदान केन्द्रों पर हत्या

405. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मतदान केन्द्रों पर, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार 20 मई और 12 जून, 1991 को कितनी हत्याएं हुई ;

(ख) 12 जून, 1991 को मधुबनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के जेली और बेनीपट्टी विधान सभा क्षेत्रों में मारे गये मतदाताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और संसद के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) विधि और व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबद्ध राज्य सरकार का है। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से संपर्क बनाए रखती है और स्थिति को निरंतर मानीटर और उसका पुनर्विलोकन, करती रहती है। जब भी आवश्यकता होती है, वह राज्य सरकार को उपयुक्त सहायता प्रदान करती है। तथापि राज्य सरकार को लिखा गया है कि वह इस संबंध में उसके द्वारा उठाए गए विनिर्दिष्ट कदम उपदर्शित करे।

श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों के पीड़ितों को ऋण

406. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों के ज्ञात पीड़ितों को अपनी आर्थिक गतिविधियों को पुनः चालू करने हेतु रियायती दर पर ऋण सहायता देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी करने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। वर्तमान प्रथा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, दंगों/उपद्रवों की स्थिति में राज्य सरकार से रिपोर्टें/अनुरोध प्राप्त होने पर और उपद्रवों के स्वरूप और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में लागू होने वाले मार्गनिर्देशों के अनुरूप दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को पुनरुद्धार सहायता प्रदान करने की सलाह देता है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली वर्तमान प्रथा ऐसी परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से कवर करती है। अतः सरकार ने इस संबंध में नये अनुदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा।

पंजाब में प्रत्याशियों की हत्या

407. **श्री प्रो० के० वी० थामस** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पंजाब में चुनाव कराने की घोषणा के पश्चात् कितने प्रत्याशियों तथा उनके अंगरक्षकों की हत्याएं हुई हैं ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्) : 16-7-1991 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार पंजाब में मतदान की घोषणा से अब तक, निर्वाचन लड़ने वाले 23 अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के 21 अंगरक्षक मारे गए हैं।

केरल में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

408. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल की वर्तमान सड़कों में से किसी को भी राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस बारे में किसी योजना का सुझाव दिया है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार हो जाने के बाद ही नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर विचार किया जाएगा।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केरल राज्य सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में चार राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल करने का अनुरोध किया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इन प्रस्तावों पर कार्यवाही करना संभव है।

कोचीन के रबर बाजार में मन्दी

409. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति में परिवर्तन के कारण कोचीन के रबर बाजार में आयी मन्दी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो संकट का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) कोचीन बाजार में रबड़ की कोई भरमार नहीं है। दिनांक 5 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार, कीमतें आर०एम० ए०-4 ग्रेड के लिए 2,115/- रु० प्रति क्वि० और लाट रबड़ के लिए 1,980/- रु० प्रति क्वि० पर चल रही थीं। भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति में परिवर्तन की घोषणा से पहले की कीमत की तुलना में उसमें कोई गिरावट नहीं आई है।

पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपास्त्र प्राप्त करना

410. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री अर्जुन चरण सेठी } क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा हाल ही में अनगिनत एम–11 चीनी प्रक्षेपास्त्र प्राप्त करने से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार का पाकिस्तान की किसी भी चुनौती का मुकाबला करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह से नजर रखती है और पूर्ण रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समुचित उपाय करती है ।

सरकारी परिवहन प्रणाली में गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता

411. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़कों के निर्माण और रख-रखाव तथा सरकारी परिवहन प्रणाली चलाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का है जैसाकि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ ने सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां । निजी क्षेत्र पहले से ही सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के अनेक क्षेत्रों में सहभागिता कर रहा है। देश में, लगभग दो तिहाई यात्री बसें निजी प्रचालकों की हैं तथा उनके द्वारा प्रचालित की जाती हैं । निजी क्षेत्र की निर्माण कम्पनियां सरकार द्वारा वित्त-पोषित सड़कों और पुल-निर्माण परियोजनाओं में प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं । सरकार, सड़क निर्माण के वित्त-पोषण में निजी क्षेत्र को शामिल करने के और तरीकों की जांच कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

412. श्री धर्मण्णा मोंडिय्या सादुल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र से गुजरने वाली, विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने तथा उनका विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और निर्माण कार्यों को, यातायात की सघनता, राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा हालत, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक-प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर, संस्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान मंजूर किए जाने वाले निर्माण कार्यों की वार्षिक योजना में महाराष्ट्र के लिए 325.45 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों को शामिल किया गया है जिनमें पश्चिमी महाराष्ट्र में 53.10 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्य भी शामिल हैं। 1992–93 के लिए इस तरह की वार्षिक योजना अभी तैयार की जानी है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए समान पद समान पेंशन योजना को लागू करना

[हिन्दी] **413. प्रो० प्रेम धुमाल :**
श्री सन्तोष कुमार गंगवार } : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों के लिए समान पद समान पेंशन योजना को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के अफसर रैंक से नीचे के उन कार्मिकों के मामले में जो 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए थे, तदर्थ आधार पर पेंशन में अनुग्रह पूर्वक वृद्धि किए जाने की एक योजना 1 जनवरी, 1990 को मंजूर की थी। अगली सरकार ने इस मामले पर विचार किया था किन्तु उसने इस मुद्दे पर निर्णय को अस्थगित कर दिया। इस समग्र मामले पर, वित्तीय, कानूनी और अन्य सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुनः विचार किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को प्रति पूर्ति भत्ता

414. **प्रो० प्रेम धुमाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में इस समय कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को उसी आधार पर प्रतिपूर्ति भत्ता देने का है जिस आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश राज्य में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए क्षेत्रों के वर्गीकरण के आधार पर, विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता दिए जाने के आदेश 31-5-1991 को जारी कर दिए गए हैं । ये आदेश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं जिनकी प्रतिपूर्ति भत्ता दिए जाने के लिए अपनी स्कीम है ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी ऋणों में वृद्धि

[अनुवाद] 415. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी ऋणों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और विदेशी मुद्रा में विदेशी ऋण के नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान तथा 31 मई, 1991 तक विदेशी ऋण चुकाने हेतु कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना था और उसमें से कितना भुगतान हुआ था ; और

(ग) बकाया भुगतान की शर्तों के अनुसार न कर पाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान विदेशी ऋणों में प्रतिशत वृद्धि/कमी निम्नानुसार है :—

	सरकारी ऋण (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को शामिल करते हुए)	निजी ऋण
1988-89	(—) 0.25	(—) 36.43
1989-90	8.71	45.62
1990-91	78.25	(—) 3.51

उपर्युक्त में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिए गए उधार शामिल नहीं हैं । 31 मार्च, 1991 तक की स्थिति के अनुसार कुल बकाया विदेशी ऋण 514930 लाख अमेरिकी डालर होने का अनुमान है ।

(ख) विदेशी ऋण की वापसी अदायगी के लिए दी जाने वाली राशि और 1990 (जनवरी से दिसम्बर) और जनवरी से मई, 1991 के दौरान अदा की गई राशि क्रमशः 5267 करोड़ रुपए और 2558 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

न्यायालयों में लम्बित मामले

416. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा कितने मामले निपटाए गए;

(ख) लम्बित पड़े ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें अभी तक निर्णय की घोषणा नहीं की गई है जबकि अनेक बार सुनवाई पूरी हो चुकी है ; और

(ग) लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्) :

अ. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों की कुल संख्या 359 है, जिनमें बहस की जा चुकी है, किन्तु निर्णय नहीं दिए गए हैं । तथापि, इनमें से कुछ समूहों में रखे गए मामले हैं और यदि किसी ऐसे समूह के मामले को एक मामले के रूप में माना जाए तो ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्णय अभी दिया जाना है, केवल 121 होगी । उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में ऐसी ही जानकारी एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ग) न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं । समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है । मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रक्रियात्मक सुधार और उपांतरण किए गए हैं । विभिन्न न्यायालयों ने इस बाबत उपर्युक्त कदम उठाए हैं, जैसे विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखना, शीघ्र निपटारे के लिए अपेक्षित मामलों को पूर्विकता देना, विशेषज्ञीय न्यायपीठों का गठन, आदि । बकाया विषयक समिति (मालिमथ समिति) को, जिसने उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन किया था, रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न सुझाव, सभी संबद्ध राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और सभी उच्च न्यायालयों को ऐसी ही अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायपीठों का गठन इस प्रकार किया जाता है कि वे लम्बी अवधि तक कार्य कर सकें और इस प्रकार कार्य आवंटित किया जाता है कि एक प्रकार के मामले एक ही न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत हों ।

ब. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (के० प्र० अ०) और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (ए० तथा अ० व्या० आ०)

(क) से (ग) यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, न्यायालय नहीं हैं बल्कि ये विशेषज्ञीय अधिकरण हैं जिनको संसद के विनिर्दिष्ट विनियमों के प्रशासन के अनुक्रम में उत्पन्न होने वाले विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए स्थापित किया गया है। इन दोनों निकायों के सम्बन्ध में वांछनीय जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण

न्यायालयों का नाम	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की सं०		
	1988	1989	1990
उच्चतम न्यायालय	44252	48118	56343
उच्च न्यायालय			
1. इलाहाबाद	60356	51258	26730*
2. आंध्र प्रदेश	98675	92846	75605
3. मुबम्ई	64749	53188	54877
4. कलकत्ता	37468	44672	21104*
5. दिल्ली	30169	37089	32749
6. गुवाहाटी	7246	9642	8655
7. गुजरात	20235	19403	9855*
8. हिमाचल प्रदेश	23327	10915†	उपलब्ध नहीं हैं
9. जम्मू-कश्मीर	17915	15689	उपलब्ध नहीं हैं
10. कर्नाटक	41468	31949	उपलब्ध नहीं हैं
11. केरल	70223	104595	68014
12. मध्य प्रदेश	42397	47003	41747
13. मद्रास	64352	99743	103023
14. उड़ीसा	15878	28364	27560
15. पटना	37421	43408	उपलब्ध नहीं हैं
16. पंजाब और हरियाणा	56327	69555	66622
17. राजस्थान	26626	26974	28686
18. सिक्किम	96	81	57

†जानकारी 30-6-1989 को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के सम्बन्ध में है।

*जानकारी 30-6-1990 को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के सम्बन्ध में है।

एच० एस०-748 एवरो विमान दुर्घटना

417. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 25 मार्च, 1991 को येलाहन्का हवाई पट्टी पर हुई एच० एस०-748 एवरो विमान दुर्घटना, जिसमें भारतीय वायु सेना के 28 युवा अधिकारी अपनी जान से हाथ धो बैठे, के सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) :

(क) जी, हां ।

(ख) दुर्घटना की जांच करने वाली जांच अदालत ने यह पाया है कि उक्त दुर्घटना संभवतः उड़ान भरने के तुरन्त बाद विमान के दाहिने इंजन में पावर समाप्त हो जाने के कारण हुई ।

(ग) दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयास निरन्तर किए जाते रहते हैं । प्रत्येक दुर्घटना की जांच विशेषज्ञों की जांच अदालत द्वारा करवाई जाती है । जांच अदालत द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । जब कभी किसी हानिकारक प्रवृत्ति अथवा कमजोरी का पता चलता है तो समस्या की जांच करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता से निर्माताओं और प्रयोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से विशेष अध्ययन किया जाता है ।

संयुक्त राज्य व्यापार कानून के "स्पेशल 301" प्रावधानों पर अमरीकी शिष्टमण्डल के साथ चर्चा

418. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के एक उच्च-स्तरीय सरकारी शिष्टमण्डल ने भारतीय अधिकारियों के साथ बुद्धिजीवी सम्पत्ति अधिकारों से सम्बन्धित संयुक्त राज्य व्यापार कानून के स्पेशल 301 के प्रावधानों पर चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :

(क) और (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

यू० एस० आमनीबस ट्रेड एण्ड कम्पीटिटीवनेस एक्ट, 1988 के प्रावधान स्पेशलल 307 के अन्तर्गत बातचीत करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों के एक दल ने 1–2 जुलाई, 1991 को नई दिल्ली का दौरा किया । विचार-विमर्श के दौरान, जो तकनीकी स्तर पर हुआ, संयुक्त राज्य अमरीका के दल ने पेटेन्ट संरक्षण, ट्रेड मार्क प्रकाशनाधिकार, प्रकाशनाधिकार को लागू करने और चलचित्रों के लिए बाजार में प्रवेश के सम्बन्ध में भारतीय कानून और नीतियों पर अपनी चिन्ता जाहिर की और उनके पीछे जो तर्क हैं उन्हें स्पष्ट किया । भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में इन क्षेत्रों की स्थिति से उन्हें अवगत कराया और उन ऐतिहासिक और विकासात्मक परिस्थितियों और सार्वजनिक नीतियों को स्पष्ट किया, जिन पर भारतीय कानून और नीतियां आधारित हैं ।

हालांकि प्रकाशन अधिकार और उनके सख्ती से कार्यान्वयन के मुद्दे पर भारत और अमरीका के विचारों में समानता थी, लेकिन पेटेन्ट और विदेशी ट्रेड मार्क के बाजार में प्रवेश के मामले में धारणाएं अलग-अलग थीं । जहां तक चलचित्रों का सम्बन्ध है, अमरीकी निर्यातक संघ तथा भारतीय सरणीयन एजेन्सी, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच जो वर्तमान समझौता है उस पर दोबारा बातचीत चल रही है ।

इस बातचीत से दोनों को एक दूसरे की शंकाओं को समझने में मदद मिली । आशा है कि जब दोनों सरकारों के पास एक दूसरे की शंकाओं पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय होगा तो बातचीत को जारी रखा जाएगा ।

रुपए का अवमूल्यन

419. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए का अवमूल्यन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस अवमूल्यन के उद्देश्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई, 1991 से विनिमय दर में समायोजन किया जिसमें रुपए का मूल्य प्रमुख मुद्राओं (पौंड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, ड्यूश मार्क, येन और फ्रांसिसी फ्रांक) की तुलना में लगभग 7 से 9 प्रतिशत तक गिर गया । 3 जुलाई, 1991 की विनिमय दर में फिर समायोजन किया गया जिसमें रुपए का मूल्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत गिरा । 28 जून और 3 जुलाई, 1991 के बीच पांच प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए के मूल्य में 17 से 19 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि रुपए की तुलना में इन प्रमुख मुद्राओं में लगभग 21 से 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई । अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए आन्तरिक और बाह्य असंतुलनों के कारण ये समायोजन करने आवश्यक हो गए थे । भुगतान संतुलनों की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी जो प्रारक्षित

भंडारों में तेजी से की गई निकासी से प्रतिबिम्बित होती है । अक्तूबर, 1990 से, भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की तुलना में, देश में मुद्रास्फीति की अपेक्षाकृत ऊंची दर के परिणामस्वरूप रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि होती रही है और अभिहित विनिमय दर में बहुत धीमी दर पर मूल्यह्रास हुआ है जिससे अर्थव्यवस्था की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में ह्रास हुआ है । रुपए की विनिमय दर के अवबोधन से उत्पन्न हुई अस्थिर बाजार संभावनाओं को रोकना भी समान रूप से आवश्यक है । आशा है कि विनिमय दरों में किए गए इन समायोजनों से अल्पावधि में भुगतान संतुलन की स्थिति में स्थिरता आएगी और मध्यावधि में व्यापार संतुलन की स्थिति में सुधार होगा ।

फरीदपुर (बरेली) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर उप-मार्ग का निर्माण

(हिन्दी) 420. श्री राजबीर सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** 17 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न 915 के, उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में निर्माण किए जाने वाले उपमार्गों की सूची में शामिल फरीदपुर (बरेली) होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर भीड़ को कम करने के लिए एक उप-मार्ग के निर्माण का प्रावधान किया गया था,

(ख) यदि हां, तो इस उप-मार्ग का अब तक निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार का विचार इस उप-मार्ग का कब तक निर्माण करने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

421. श्री राजबीर सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इसकी मरम्मत पर कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश और बिहार में सामान्यतः सभी राजमार्ग वर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुए थे ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी मरम्मत पर खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रु०)

वर्ष	बिहार	उत्तर प्रदेश
1988–89 . . .	472.174	653.47
1989–90 . .	286.550	440.87
1990–91	174.693 (फरवरी, 1991 तक)	293.92
जोड़	933.417	1388.26

सड़क वाहनों के निर्माता

422. **श्री राजबीर सिंह :**

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़ी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो सड़क वाहनों के निर्माण में रत हैं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी आमदनी और खर्च का ब्यौरा क्या है

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) और (ख) उपलब्ध तुलना पत्रों के अनुसार सड़क वाहनों के विनिर्माण में कार्यरत कम्पनियों के नामों और गत तीन वर्षों के दौरान उनकी आय तथा व्यय से संबंधित वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(लाख रु० में)

सं०	कम्पनी का नाम	समाप्त वर्ष	आय	व्यय
1	2	3	4	5
1.	मारुति उद्योग लि०	मार्च, 1990	125396	120137
		मार्च, 1989	98460	95437
		मार्च, 1988	80321	77642
2.	आन्ध्रा प्रदेश स्कूटर्स लि०	मार्च, 1990	71	437
		मार्च, 1989	36	303
		जुलाई, 1988	82	485

1	2	3	4	5
3.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	मार्च, 1990	1032	5069
		मार्च, 1989	1105	4391
		मार्च, 1988	1212	3868
4.	स्कूटर्स केरला लि०	मार्च, 1990	96	125
		मार्च, 1989	85	104
		मार्च, 1988	33	57
5.	तमिलनाडु मोपेड्ज लि०	मार्च, 1990	93	162
		मार्च, 1989	79	117
		मार्च, 1988	40	132
6.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव लि०	मार्च, 1990	196910	182081
		मार्च, 1989	167642	159129
		मार्च, 1988	140255	137050
7.	अशोक लेलैंड लि०	मार्च, 1990	86429	83369
		दिसम्बर, 1988	52910	50852
		दिसम्बर, 1987	42960	42046
8.	बजाज टेम्पो लि०	मार्च, 1990	22121	20975
		मार्च, 1989	25961	25571
		सितम्बर, 1987	15600	15392
9.	डी० सी० एम० टोयटा लि०	मार्च, 1990	10037	9382
		मार्च, 1989	4588	4614
		सितम्बर, 1988	9279	9850
10.	महिन्द्रा निशान एलबिन लि०	मार्च, 1990	5248	5557
		मार्च, 1989	2766	3573
		जून, 1988	3460	3864
11.	स्वराज माजदा लि०	मार्च, 1990	9154	9030
		मार्च, 1989	9023	9155
		दिसम्बर, 1987	3821	4060
12.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०	मार्च, 1990	92161	90324
		मार्च, 1989	99272	97115
		अक्तूबर, 1987	59928	58329

1	2	3	4	5
13.	आइशर मोटर्स लि०	मार्च, 1990	11415	11069
		मार्च, 1989	9272	9614
		अप्रैल, 1988	6272	6465
14.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि०	मार्च, 1990	63171	62930
		मार्च, 1989	53725	54377
		मार्च, 1988	43219	43488
15.	प्रोमियर आटोमोबाइल्स लि०	जून, 1990	56175	54119
		जून, 1989	46517	44808
		जून, 1988	34700	33370
16.	स्टैन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लि०	मार्च, 1990	11	984
		मार्च, 1989	1954	3667
		मार्च, 1988	3236	5274
17.	सिपानी आटोमोबाइल्स लि०	मार्च, 1990 (15 माह : 1-1-89 से 31-3-1990)	648	457
		दिसम्बर, 1988	359	388
18.	बजाज आटो लि०	मार्च, 1990	106463	96353
		मार्च, 1989	62423	58923
		जून, 1988	55283	51658
19.	काइनेटिक होंडा मोटर लि०	जून, 1990	13224	12785
		मार्च, 1989	7110	6953
		जनवरी, 1988	3063	3651
20.	एल०एम०एल० लि०	मार्च, 1990	22576	22532
		मार्च, 1989	18543	18479
		मार्च, 1988	27267	27872
21.	महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०	मार्च, 1990	12380	10744
		मार्च, 1989	9587	8527
		मार्च, 1988	6562	6087
22.	एस्काटंस लि०	मार्च, 1990	76982	73513
		मार्च, 1989	78336	76196
		दिसम्बर, 1987	48223	47134

1	2	3	4	5
23.	एनफील्ड इंडिया लि०	मार्च, 1990	7318	7893
		मार्च, 1989	5411	5547
		जून, 1988	6634	7152
24.	हीरो होंडा मोटर्स लि०	मार्च, 1990	15262	15295
		मार्च, 1989	10454	10951
		जून, 1988	11087	10915
25.	गुजरात नर्मदा आटो लि०	मार्च, 1990	3748	4716
		मार्च, 1989	3122	3548
		जून, 1988	3550	3932
26.	टी०वी०एस० सुजुकी लि०	मार्च, 1990	14373	14925
		मार्च, 1989	17659	17350
		फरवरी, 1988	12574	13475
27.	आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया लि०	मार्च, 1990	3174	3608
		मार्च, 1989	4262	4251
		दिसम्बर, 1987	2779	4251
28.	मैजेस्टिक आटो लि०	मार्च, 1990	4195	4678
		मार्च, 1989	2416	2656
		मार्च, 1988	3082	2965
29.	बेस्पा कार को० लि०	मार्च, 1990	1257	1627
		मार्च, 1989	3112	3637
		सितम्बर, 1987	1147	1448
30.	काइनेटिक इंजीनियरिंग लि०	मार्च, 1990	12450	11849
		मार्च, 1989	8940	8610
		जून, 1988	10191	9543
31.	सूरज आटोमोबाइल्स लि०	मार्च, 1990	130	138
		मार्च, 1989	150	161
		मार्च, 1988	115	126
32.	इंडिया आटोमोटिफ लि०	मार्च, 1990	27	64
		मार्च, 1989	180	115
		मार्च, 1988	92	127
33.	केल्वीनेटर ऑफ इंडिया लि०	जून, 1990	29758	28369
		जून, 1989	23340	22350
		जून, 1988	19454	18765
34.	बुक बॉण्ड इंडिया लि०	दिसम्बर, 1990	64952	59903
		दिसम्बर, 1989	55175	50253
		दिसम्बर, 1988	63894	57905

टिप्पणियां :

1. बड़ी कम्पनियों की ऐसी कम्पनियों के अर्थ के रूप में लिया गया है जिनके पास 50 लाख रुपये और इससे अधिक प्रदत्त पूंजी है।

2. सड़क वाहनों में भारी वाहन, हलके वाहन, वैन, जीपें, मैटाडोर्स, तिपहिये, स्कूटर, मोटर साईकिलें और मोपेड आदि शामिल किए गए हैं।

3. सड़क वाहन के विनिर्माण में कार्यरत कुछेक कम्पनियां अन्य गतिविधियों में भी कार्यरत हैं। ऐसी कम्पनियों की कुल आय में सड़क वाहनों की बिक्री और उनके द्वारा निर्मित अन्य मदों दोनों से हुई आय शामिल है। इसी प्रकार, कच्चे माल और मजदूरी आदि पर हुआ व्यय केवल सड़क वाहनों से ही संबंधित नहीं है।

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से अर्जित राजस्व

423. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में वृद्धि के पश्चात् 1990-91 के दौरान कितना राजस्व अर्जित हुआ ;

(ख) क्या इस वर्ष के दौरान राजस्व अर्जन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसे किस प्रकार ठीक करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :

(क) 1990-91 में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से हुई राजस्व वसूली के अनन्तिम अनुमानों के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

सीमाशुल्क—20567.70 करोड़ रु०

उत्पाद शुल्क—24355.65 करोड़ रु०

ये आंकड़े विभागीय रिकार्डों पर आधारित हैं तथा उत्पाद शुल्क से संबंधित राजस्व में वे उपकर शामिल नहीं हैं जिन्हें राजस्व विभाग द्वारा लागू नहीं किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त राजस्व प्राप्तियों के आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पाद शुल्कों के मामले में 9.73 प्रतिशत की वृद्धि और सीमाशुल्कों के मामले में 14.85 प्रतिशत की वृद्धि के द्योतक हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन

424. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंक कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यह प्रोत्साहन कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भर्ती प्रक्रिया

425. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न संवर्गों/श्रेणियों में कर्मचारियों की भर्ती के लिये एक समान प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कार्य कर रही एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(घ) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सभी संवर्गों/श्रेणियों में भर्ती के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) से (ङ) 28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारी और लिपिक वर्गों की नियुक्ति की प्रक्रिया का काम 15 बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों और एक केन्द्रीय भर्ती बोर्ड को सौंपा गया है। इसके क्षेत्राधिकार को अनुबंध में दर्शाया गया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों मे अधीनस्थ संवर्ग में भर्ती, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से बैंक स्वयं करते है।

विवरण

अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/केन्द्रीय भर्ती बोर्ड के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/केन्द्रीय भर्ती बोर्ड	कर्मचारियों के चयन के लिए क्षेत्राधिकारी	
		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र 28 बैंकों में लिपिकीय संवर्ग और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी संवर्गों में भर्ती	बैंकों में अधिकारी संवर्ग
1	2	3	4
1.	बंगलौर	कर्नाटक	केनरा बैंक विजया बैंक कार्पोरेशन बैंक

1	2	3	4
2.	बड़ौदा	गुजरात, दीव, दमन, दादरा और नागर हवेली	बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	—
5.	बम्बई	महाराष्ट्र और गोवा	बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र यूनियन बैंक
6.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	यूको बैंक
7.	चन्डीगढ़	पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर	—
8.	दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स
9.	गुवाहटी	असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और मणिपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
10.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	सिंडिकेट बैंक आन्ध्रा बैंक
11.	जयपुर	राजस्थान	—
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद बैंक
13.	मद्रास	तमिलनाडु और पाण्डिचेरी	इण्डियन बैंक इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
14.	पटना	बिहार	—
15.	त्रिवेन्द्रम	केरल, माहे, लक्षद्वीप समूह	—
16.	*केन्द्रीय भर्ती बोर्ड (बम्बई)	—	भारतीय स्टेट बैंक और उसके सात अनुषंगी बैंक

*भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों के अधिकारियों की भर्ती से सम्बद्ध भर्ती बोर्ड को केन्द्रीय भर्ती बोर्ड कहा जाता है।

सेना में महिलाओं की भर्ती

426. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं को आर्मी मेडिकल कोर और मिलिटरी नर्सिंग सर्विस के अलावा सेना के अन्य क्षेत्रों में भी भर्ती करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) :

(क) और (ख) सरकार से प्राप्त इस आशय के सुझावों पर कि तीनों रक्षा सेनाओं की चुनी हुई शाखाओं में महिलाओं की भर्ती की जाए, विचार किया जा रहा है और इन पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

लक्षद्वीप के लिए तीव्रगामी नौकाओं की खरीद

[अनुवाद]

427. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना में किये गए प्रावधान के अनुसार लक्षद्वीप के लिए अब तक कितनी तीव्रगामी नौकाएं प्राप्त कर ली गई हैं।

(ख) उनका क्रयादेश किस देश की किस निर्माण कम्पनी को दिया गया है,

(ग) एविएशन बार में नौकाओं की निर्धारित गति क्या है,

(घ) सरकार ने नौकाओं की सुपुर्दगी का क्या समय नियत किया है और क्या समय की इस पाबन्दी का पालन किया जा रहा है, और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक नौकाएं प्राप्त होने और काम में लगाए जाने की संभावना है ।

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दो

(ख) मैसर्स टाइली स्कीपस्वो, नीदरलैण्ड को आर्डर दे दिए गए हैं।

(ग) 25 समुद्री मील (नाट)

(घ) इन दोनों फैरीज की कोचीन में डिलीवरी की संविदागत तारीख 12-9-90 थी। निर्माताओं द्वारा इसका पालन नहीं किया गया।

(ङ) विलम्ब के मुख्य कारणों में यार्ड तथा उनके उप-ठेकेदारों द्वारा ठेके को निष्पादित न किया जाना, गलत वैल्डिंग के कारण वैल्ड–जोइन्ट्स की समस्या, विलम्बित डिलीवरी के संबंध में चुकता क्षति की वसूली और स्टेज भुगतान इत्यादि जारी करने के बारे में यार्ड के साथ विवाद शामिल हैं। दोनों फेरीज अब शिपमेंट के लिए लगभग तैयार है और सितम्बर, 1991 के मध्य तक इनके कोचीन पहुंचने की उम्मीद है और ऐसा यार्ड के साथ किए जा रहे समझौते पर निर्भर करता है। फेरीज के डिलीवर होते ही इनका प्रचालन शुरू कर दिया जाएगा।

लक्षद्वीप के लिए यंत्रचालित नौकाओं को प्राप्त करना

428. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप के लिए कुछ यंत्रचालित नौकाओं को प्राप्त किया जा रहा है,

(ख) क्रयादेश कब, किसे और कितनी यंत्रचालित नौकाओं के लिए दिया गया था,

(ग) क्रयादेश के अनुसार माल प्राप्ति की तिथि क्या थी,

(घ) क्या नियत तिथि को माल की डिलीवरी नहीं की गई,

(ङ) क्या समझौते में जुर्माने का कोई प्रावधान था,

(च) क्या डिलीवरी की समय सीमा बढ़ा दी गई है, और

(छ) क्या समय में विलम्ब के कारण नौकाओं के मूल्य में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप बजट के प्रावधान गड़बड़ा जाएंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) 300 डी० डब्ल्यू० टी० प्रत्येक की क्षमता वाले चार कार्गो बार्जस के निर्माण और डिलीवरी के लिए मैसर्स अलकाक एशडाउन एण्ड कम्पनी लि० भावनगर को 30-5-1989 को आर्डर दिया था।

(ग) संविदा के अनुसार, इन चार बार्जस की डिलीवरी की तारीखें क्रमशः 20-2-91, 17-4-91, 12-6-91 तथा 7-8-91 हैं।

(घ) जी, हां। यद्यपि पहले तीन वैसल्स की डिलीवरी की संविदागत तारीखें पहले ही निकल चुकी हैं तथापि अभी तक वैसल्स डिलीवर नहीं किए गए हैं। चौथे वैसल की डिलीवरी में भी विलम्ब होने की सम्भावना है।

(ङ) जी, हां।

(च) यार्ड ने डिलीवरी का समय बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(छ) यार्ड के साथ की गई संविदाओं में संविदा समय के दौरान विनिमय दर में रद्दो बदल के करण मूल्य में वृद्धि के सिवाय किसी बढ़ौतरी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि यार्ड ने संविदा पर हस्ताक्षर होने के बाद सांविधिक नियमों में परिवर्तन होने के कारण और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए किए गए कुछ संशोधनों की वजह से बार्जेस के मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। सरकार द्वारा इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कपड़ा मिल कर्मचारी पुनर्वास निधि योजना

429. **श्री काशी राम राणा :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने कपड़ा मिलों के आंशिक रूप से बन्द होने, आंशिक रूप से पुन: खुलने की स्थिति में भी कपड़ा मिल कर्मचारी पुनर्वास निधि योजना लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जो नये प्रबन्धक मण्डल बन्द कपड़ा मिलों को फिर से खोलने के इच्छुक हैं उन्हें ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों में ढील देने के लिए गुजरात सरकार के अनुरोध पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां।

(ख) निधि के दबाव के कारण आंशिक रूप से बन्द पड़ी मिलों पर इस योजना का विस्तार करना संभव नहीं हो पाया है,

(ग) रुग्ण वस्त्र एककों को कार्यशील पूंजी की स्वीकृति देने संबंधी मानदण्डों में ढील देने के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर वस्त्र सचिव की बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में विचार किया गया था। जबकि मानदण्डों में सामान्य ढील देने पर सहमति नहीं हो सकी, फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रतिनिधियों ने अलग-अलग मामले में उसके गुण-अवगुण के आधार पर मार्गदर्शी सिद्धांतों में ढील देने पर विचार करने के लिए सहमति प्रकट की।

दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में आयकर के छापे

430. **श्री मती गीता मुखर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान आयकर विभाग ने दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता में छापे मारे;

(ख) यदि हां, तो जिन परिसरों की तलाशी ली गई, जो गिरफ्तारियां की गई तथा जितनी गुप्त आय का पता लगाया गया उनका ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या तलाशियों के दौरान हथियाए गए प्रपत्रों की जांच की गई और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) आयकर विभाग द्वारा वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता में ली गई तलाशियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

स्थान	ली गई तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत की गई प्रथमदृष्टया लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रु० में)	छिपाई गई आय की राशि, जिससे तलाशियों के दौरान घोषित किया गया (करोड़ रु० में)
दिल्ली	814	32.09	15.85
बम्बई	1062	61.10	133.82
कलकत्ता . . .	668	29.93	8.76

प्रथमदृष्टया लेखाबाह्य इन परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान लेखा-पुस्तकें तथा अपराध आरोपणीय दस्तावेज भी अभिगृहीत किए गए थे। अभिगृहीत लेखा-पुस्तकों तथा दस्तावेजों की संवीक्षा की गई है तथा आयकर अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।

जिन व्यक्तियों के परिसरों की तलाशियां ली जाती हैं उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने के निमित्त आयकर अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है।

अभियोजन चलाए जाने का प्रश्न केवल कर-निर्धारण के मुकम्मल होने पर ही उठता है।

सोवियत संघ के साथ रुपयों में व्यापार

431. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 1991 के इकानामिक टाइम्स में "ट्रेड/रुपी पेमेन्ट एग्रीमेंट इ आपशन्स फार इण्डिया शीर्षक" से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ के साथ रुपयों में होने वाले व्यापार की वर्तमान तथा भावी स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार का विचार भारत से सोवियत संघ के अवशेष को जारी करने के लिए क्या उपाय करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में भुगतान के आधार पर व्यापार करने के संबंध में भारत तथा सोवियत संघ के बीच जो व्यापार करार हुआ है वह दिनांक 31 दिसम्बर, 1995 तक वैध है।

(ग) यह बकाया राशि सोवियत संघ की है और वही भारत–सोवियत व्यापार करार के अनुसार इसका उपयोग कर सकता है।

वस्त्र निर्यात संवर्धन निधि की स्थापना

432. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'वस्त्र निर्यात संवर्धन निधि' की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस निधि की स्थापना करने संबंधी आदेशों की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी ;

(ग) निधि के लिए धन का स्रोत और राशि क्या है; और

(घ) अब तक वितरित किए गए धन की राशि, वितरण की तारीखें, धनराशियां, उद्देश्य और लाभ ग्रहियों आदि का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) : सरकार ने वर्ष 1988–90 के लिए दीर्घकालिक परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति बनाते समय खुली निविदा योजना नामक एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। इस योजना में निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित प्रीमियम के आधार पर सुपर-फास्ट श्रेणियों के आंबटन की व्यवस्था थी। खुली निविदा योजना के अन्तर्गत संकलित प्रीमियम (56.62 करोड़ रु०) को इस उद्देश्य के लिए बनाई गई वस्त्र निर्यात संवर्धन निधि में डाल दिया गया था। वस्त्र निर्यात संवर्धन निधि सृजित करने के निर्णय के अनुसरण में विशिष्ट निर्यात संवर्धन परियोजनाएं अभिज्ञात तथा प्रतिपादित करने के लिए एक प्रवर्तन समिति स्थापित की गई थी। इस समिति की स्थापना करने संबंधी आदेश की एक प्रति संलग्न है। वस्त्र निर्यात संवर्द्धन निधि से वितरित की गई कुल राशि 42.50 लाख रु० थी। यह राशि अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् को जनवरी, 1989 में बम्बई में दूसरे भारतीय परिधान मेले के लिए विदेशों में प्रचार के साथ-साथ वर्ष 1988–89 में विषयपरक तथा सामान्य प्रचार करने के लिए रिलीज की गई थी।

अनुलग्नक

सं० 1/9/87–ईपी (टी एण्ड जे–1)

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15–3–1988

आदेश

यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी विशिष्ट परियोजनाओं को अभिज्ञात तथा प्रतिपादित करने के लिए एक प्रवर्तन समिति की स्थापना की जाए जिसके लिए निधियों

की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा उस वस्त्र निर्यात संवर्धन निधि से की जाएगी जिसे वर्ष 1988–90 की परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति की खुली निविदा योजनाओं के अन्तर्गत एकत्रित प्रीमियम के राजस्व से स्थापित किया गया है। यह प्रवर्तन समिति सरकार को अनुमोदन के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत करेगी।

प्रवर्तन समिति का गठन निम्नोक्तानुसार होगा :—

(1) संयुक्त सचिव (वस्त्र निर्यात के प्रभारी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
(2) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई के प्रतिनिधि	सदस्य
(3) वित्त प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
(4) महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली	सदस्य
(5) अध्यक्ष, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली	सदस्य
(6) श्री मोहन जीत सिंह, पूर्व-अध्यक्ष अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली.	सदस्य
(7) श्री सुरेश केवल रमणी, अध्यक्ष, ई०पी० समिति, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	सदस्य
(8) श्री अशोक चुग, उपाध्यक्ष, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् (दक्षिणी क्षेत्र)	सदस्य
(9) निदेशक (वस्त्र निर्यात के प्रभारी), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य-सचिव

समिति सरकार के अनुमोदन के लिए अभिज्ञात तथा चुनिंदा परियोजनाओं में नियमों तथा प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए स्वयं निर्णय करेगी।

ह/-
(आर० पूर्णानिगम),
निदेशक

कपास का निर्यात

433. **श्री राम नाईक :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1988–89, 1989–90 और 1990-91 के दौरान कपास के निर्यातों (गांठों और मूल्य सहित) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का 1991–92 के दौरान कपास के निर्यात में वृद्धि करने करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) वर्ष 1988–89 से वर्ष 1990–91 तक कपास मौसम के दौरान कपास निर्यात का ब्यौरा निम्नोक्तानुसार है :—

कपास मौसम	मात्रा (लाख गांठों में प्रत्येक गांठ 170 कि०ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1988–89	0.76	72.14
1989–90	13.71	510.52
1990-91 (1–7–91 तक)	11.74	554.98

(ख) से (घ) देश से कपास निर्यात सरकार द्वारा कपास मौसम के दौरान निर्यात कोटे जारी करके नियमित किया जाता है। इसलिए वर्ष 1991–92 के कपास मौसम के दौरान कपास निर्यात की स्थिति के बारे में बताना संभव नहीं है क्योंकि कपास निर्यात के कोटे जारी करते समय सरकार को फसल पर आधारित इसकी उपलब्धता, घरेलू मांग, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति आदि जैसे महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 434

सामूहिक निधि में गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

434. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामूहिक निधि में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) सरकार ने देश में पारस्परिक निधियों की कार्य-प्रणाली की जांच करने तथा ऐसी निधियों जिनकी स्थापना संयुक्त/निजी क्षेत्र में हो सके, सहित पारस्परिक निधियों के विनियमन के लिए विधि संबंधी उपयुक्त ढांचा तैयार करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है।

वस्त्र इकाइयों पर बकाया देय राशि

435. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर भारत की जिन वस्त्र इकाइयों ने वित्तीय संस्थानों को देय राशि का समय पर भुगतान नहीं किया है उनके नाम क्या हैं; और

(ख) बकाया देय राशि का एककवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इलबीर सिंह) : (क) और (ख) निष्ठा एवं गोपनीयता के बारे में बाध्यताओं संबंधी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं के व्यक्तिगत ग्राहकों से संबंधित ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते। अलबत्ता, उत्तर भारत की उन वस्त्र इकाइयों की कुल संख्या एवं अतिदेय रकमें, जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान इन वित्तीय संस्थाओं (आई० डी० बी० आई०, आई०एफ०सी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० और आई० आर० बी० आई०) की देय रकमों की वापसी अदायगी में चूक की है, निम्नानुसार हैं :—

संस्था का नाम	वर्ष	इकाइयों की संख्या	अतिदेय रकमें (लाख रुपए)
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०)	1987–88	22	817.15
	1988–89	23	1635.10
	1989–90	15	1606.12
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०)	1987–88	19	859.67
	1988–89	15	530.41
	1989–90	14	709.84
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई०सी०आई०सी० आई०)	1987–88	32	769.00
	1988–89	28	770.00
	1989–90	40	1098.00
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई०आर०बी० आई०)	1987–88	6	154.22
	1988–89	5	238.93
	1989–90	9	333.36

नए राष्ट्रीय राजमार्ग

436. **श्री गोविन्द राव निकम** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) : आठवीं पंच वर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

कपास और वस्त्रों का निर्यात

[हिन्दी] 437. **श्री गोविन्दराव निकम :**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के कपास तथा वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कपास की अपेक्षा वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क) वर्ष 1988–89 वर्ष 1990–91 के दौरान कपास तथा सूती वस्त्रों के निर्यात का ब्यौरा निम्नोक्तानुसार है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)	
	कपास का निर्यात	सूती वस्त्र का निर्यात
1988–89	72.14	1341
1989–90	610.52	1825
1990–91	554.98	2461
	(1–7–91 की स्थिति के अनुसार)	

(ख) से (घ) सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया जाए। इसलिए सरकार द्वारा हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों सहित घरेलू वस्त्र उद्योग की मांगों को पूरी तरह से पूरा करने के पश्चात् ही कपास निर्यात कोटे रिलीज किए जाते हैं ताकि उन्हें मूल्य वर्धित मदों का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके।

मुम्बई और रत्नागिरी के बीच स्टीमर सेवा

438. **श्री गोविन्द राव निकम :**

क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मुम्बई और रत्नागिरि के बीच स्टीमर सेवा को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :

(क) जी, हां।

(ख) सरकार ने मुम्बई रत्नागिरी– पणजी मार्ग पर प्रचालन के लिए दो उच्च गति वाले कैटामारान रीफलिक—II और कैप्रीकार्न रीफ–सीकर खरीदने के लिए मैसर्स सत्यगिरि शिपिंग कम्पनी को अनुमति दे दी है। इस शिपिंग कम्पनी ने अब रीफ लिंक–II के संबंध में विक्रेता को प्रारंभिक भुगतान कर दिया है जबकि रीफसीकर को खरीदने की संस्वीकृति 14–8–1991 तक वैध है। सरकार ने मुम्बई–गोवा मार्ग पर प्रचालन के लिए एक कैटामारान खरीदने के लिए मैसर्स लिंक–आन––सी–लिंक को भी अनुमति दे दी है और यह संस्वीकृति 31–10–1991 तक वैध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17

439. श्री गोविन्द राव निकम :

क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (पवैल गोवा) का विकास और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए निर्धारित की गई धनराशि अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की अपेक्षा बहुत कम थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए निर्धारित धनराशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :

(क) जी, हां।

(ख) 1991–92 के दौरान संस्वीकृति के लिए वार्षिक योजना में 27.95 करोड़ रु० की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के विकास, जिसमें इसकी 80 कि० मी० लम्बाई को चौड़ा किया जाना शामिल है, का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) प्रत्येक राजमार्ग के लिए अलग आवंटन नहीं किया जाता है। आवंटन राज्यवार किया जाता है।

आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैंट में भर्ती किए गए मजदूरों को नियमित किया जाना

440. श्री रामाश्रय सिंह प्रसाद :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 505 आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैंट–10 में मई, 1985 में भारी संख्या में भर्ती किए गए मजदूरों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है;

(ख) क्या उसी अवधि दौरान 512, ई० एस० ई०, वर्कशाप, पुणे में भर्ती किए गए मजदूरों को पहले ही नियमित किया जा चुका है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) 505 आर्मी बेस वर्कशाप में भर्ती किए गए मजदूरों को अब तक नियमित न करने के क्या कारण है ; और

(ङ) इन मजदूरों को कब तक नियमित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) :

(क) अप्रैल और मई, 1985 के दौरान 505 आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैन्ट में नियुक्त किए गए कुल 105 श्रमिकों को अभी नियमित किया जाना है ।

(ख) और (ग) 512 आर्मी बेस वर्कशाप पुणे में नियुक्त किए गए 79, 59 और 41 मजदूरों को सरकार के क्रमशः दिनांक 3–5–1989, 20–12–1990 और 10–4–1991 के आदेशों के अन्तर्गत नियमित कर दिया गया था ।

(घ) और (ङ) 1985 में भर्ती पर लगी रोक–अवधि के दौरान भर्ती किए गए 505 आर्मी बेस वर्कशाप के उन सभी कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें अभी नियमित किया जाना है, अपेक्षित सूचना सेना मुख्यालय से प्राप्त की गई है ताकि उन्हें शीघ्र नियमित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों का सामूहिक अनुमोदन प्राप्त किया जा सके ।

ई० एम० ई० कार्यशालाओं में कर्मचारियों की संवर्ग–पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी] **441. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एम० ई० कार्यशालाओं के औद्योगिक और गैर–औद्योगिक कर्मचारियों के लिए एक संवर्ग पुनरीक्षा समिपि गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) से **(ङ)** प्रश्न नहीं उठते ।

निर्यात संवर्धन हेतु नए क्षेत्र

[अनुवाद] 442. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात के मुकाबले अधिक मूल्य का निर्यात करने के लिए किन बुनियादी सुधारों पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या इलेक्ट्रानिक सामान, समुद्री उत्पाद, चमड़े का सामान, हीरे एवं जवाहरात के निर्यात पर बल देने से ही निर्यात दर की प्रतिशतता बढ़ जाएगी; और

(ग) ऐसी कौन सी मुख्य आयतित वस्तुएं हैं, जिन पर कुल आयात बिल का लगभग आधा खर्च होता है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :

सरकार ने अभी हाल ही में निर्यात आयात नीति में दूरगामी सुधार किए हैं जिनका उद्देश्य, लाइसेंसिंग, के माध्यम से नियंत्रण को कम करना, निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाना तथा व्यापक आयात क्षेत्र की आयात क्षमता को निर्यात अर्जन से जोड़ना है।

(ख) निर्यात नीति का व्यापक उद्देश्य अच्छी निर्यात संभाव्यता वाले उत्पाद समूहों को अभिज्ञात करना तथा इनके लिए इस प्रकार की नीति का ढांचा तैयार करना है जिससे कि निर्यात बढ़ाने में मदद मिले । तदनुसार, विदेशी बाजारों में विशेष प्रयास के लिए पंद्रह (15) व्यापक क्षेत्रों को अभिगत किया गया परन्तु उनसे अन्य क्षेत्रों के बढ़ते हुए निर्यात महत्व में कोई कमी नहीं आएगी।

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खाद्य तेल, अलौह धातुएं, धातुमय अयस्क और धातु की कतरन, लोहा और इस्पात के बल्क आयात और मोतियों, मूल्यवान तथा अर्द्ध-मूल्यवान रत्नों के आयात कुल मिलाकर वर्ष 1990-91 दौरान हुए हमारे कुल आयात का पचास प्रतिशत से अधिक है।

किसानों को ऋण माफी

443. श्री आर० प्रभु :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान अब तक सरकार द्वारा किसानों को दी गई कुल कितनी ऋण-राशि राज्यवार और बैंकवार माफ की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हलधर सिंह) :

संभवतः माननीय सदस्यों का आशय कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 से है जिसके अन्तर्गत दिनांक 15-5-1990 से किसानों सहित पात्र उधारकर्ताओं को सरकार द्वारा ऋण राहत प्रदान की गई थी। कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत पात्र उधारकर्ताओं को प्रदान की गई ऋणों की माफी से संबंधित सरकारी क्षेत्र की बैंक-वार और तदानुसार राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण I और II में दी गई हैं।

विवरण–I

दिनांक 1–7–1991 की स्थिति के अनुसार कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंक वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	राशि (रुपये लाख में)
भारतीय स्टेट बैंक	80336
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	5275
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8115
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1896
स्टेट बैंक आफ मैसूर	4499
स्टेट बैंक आफ पटियाला	1458
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1483
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1617
इलाहाबाद बैंक	6279
आन्ध्रा बैंक	4577
बैंक आफ बड़ौदा	14380
बैंक आफ इंडिया	12003
बैंक आफ महाराष्ट्र	4667
केनरा बैंक	13005
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	26763
कारपोरेशन बैंक	2136
देना बैंक	4924
इंडियन बैंक	6626
इंडियन ओवरसीज बैंक	11366
न्यू बैंक आफ इंडिया	1675
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1410
पंजाब नेशनल बैंक	14212
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2269
सिंडिकेट बैंक	13731
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	6390
यूनियन बैंक आफ इंडिया	10798
यूको बैंक	12323
विजया बैंक	1709
कुल	275922

विवरण–II

दिनांक 1-7-1991 की स्थिति के अनुसार कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई ऋण राहत की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण ।

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	राशि (रुपए लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	41,345
2.	अरुणाचल प्रदेश	64
3.	असम	5,784
4.	बिहार	19,598
5.	गोवा	282
6.	गुजरात	13,803
7.	हरियाणा	8,232
8.	हिमाचल प्रदेश	2,148
9.	जम्मू और कश्मीर	439
10.	कर्नाटक	27,610
11.	केरल	6,642
12.	मध्य प्रदेश	15,738
13.	महाराष्ट्र	25,635
14.	मणिपुर	434
15.	मेघालय	644
16.	मिजोरम	98
17.	नागालैण्ड	618
18.	उड़ीसा	12,111
19.	पंजाब	7,682
20.	राजस्थान	15,493
21.	सिक्किम	268
22.	तमिलनाडु	23,112
23.	त्रिपुरा	794
24.	उत्तर प्रदेश	28,976
25.	पश्चिम बंगाल	16,856
26.	चण्डीगढ़	74
27.	दादरा और नागर हवेली	15
28.	दमन और द्वीव	11
29.	दिल्ली	452
30.	लक्षद्वीप	3
31.	पाण्डिचेरी	725
32.	अंडमान और निकोबारद्वीप समूह	36
	कुल	2,75,922

1990–91 के दौरान आयात

444. **श्री भाग्ये गोवर्धन :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान जापान, ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत संघ और जर्मनी से पृथक-पृथक कितने मूल्य का आयात किया गया है ;

(ख) 1990-91 के दौरान उपरोक्त प्रत्येक देश से कितने मूल्य की मशीनरी और उपकरणों, लौह और अलौह धातुओं, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों, रेजिन्स और प्लास्टिक तथा वैज्ञानिक उपकरणों का आयात किया गया ;

(ग) क्या आयातित सामग्री में से कुछ का स्वदेश में निर्माण से उत्पादन किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :

(क) और (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) और (घ) आयात तथा निर्यात नीति 1990-93 के अनुसार कच्चे माल, संघटक तथा उपभोक्ता वस्तुएं इन श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई ह :

(i) निषिद्ध (ii) प्रतिबंधित (iii) सीमित स्वीकार्य (iv) सरणीकृत तथा (v) खुला सामान्य लाइसैन्स। प्रतिबंधित सूची, सीमित स्वीकार्य अथवा सरणीकृत सूची में आने वाले कच्चे माल, संघटक तथा उपभोक्ता वस्तुएं देशी तौर पर अलग-अलग मात्रा में उपलब्ध हैं। विदेशी मुद्रा स्रोत की स्थिति को देखते हुए केवल मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिए ही आयात करने पर विचार किया जाता है। सरणीकृत मदों की आपूर्ति सरणीयन एजेन्सी से केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब ऐसी मदें देश में उपलब्ध न हो और सरकार ने सरणीयन एजेन्सी के माध्यम से ऐसी मदों के आयात का निर्णय किया हो। प्रतिबंधित सूची तथा स्वीकार्य सूची में आने वाली मदों के आयात की अनुमति अनुपूरक लाइसैन्स के जरिए दी जाती है। किन्तु, सरकार की सार्वजनिक सूचना सं० 172 आई टी सी (पी एन)/90-93 दिनांक 4-7-91 द्वारा इस प्रावधान में संशोधन किया गया है और लघु क्षेत्र तथा जीवन रक्षक औषधियों और जीवन रक्षक उपस्कर के निर्माण में लगी इकाइयों के अलावा सभी वास्तविक प्रयोक्ताओं को आर ई पी लाइसैन्सों के जरिए सीमित स्वीकार्य सूची में दर्शायी गई मदों से अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी होगी। ऐसी मदों का आयात उनके द्वारा आर ई पी लाइसैन्स के आधार पर किया जाएगा जो कि मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय है। माने गए निर्यात योजना के अन्तर्गत जो कतिपय आपूर्तियां देशी तौर पर की जाती हैं वे आयात प्रतिस्थापन का एक प्रभावकारी रूप है। निर्यात उत्पादन के लिए जितना आयात-अंश अपेक्षित होता है उसके आयात की अनुमति शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत गुणवगुण आधार पर शुल्क मुक्त है, ताकि निर्यातक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए उसे अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्राप्त कर सकें।

विवरण

वर्ष 1990–91 के दौरान विशेष देशों से आयात

(मूल्य : करोड़ रुपये)

प्रमुख आयात	जापान	यू०के०	यूएसए	यूएसएसआर	जर्मनी
(i) मशीनरी	1530	542	1208	59	1254
(ii) लौह तथा इस्पात	427	121	120	13	483
अलौह धातुएं	27	56	20	2	36
(iii) कार्बनिक तथा					
(iv) अकार्बनिक रसायन	203	96	443	35	254
(v) कृत्रिम रांल तथा प्लास्टिक सामग्री	75	15	206	3	55
(vi) व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक उपस्कर	221	93	263	1	188
योग अन्य सहित	3246	2920	5237	2552	3477

टी०–72 टैंक और बी० एम० पी०–2 युद्धक वाहनों का उत्पादन

445. **श्री वाण्वे मोवर्धन :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शस्त्रागार की मांग को पूरा करने के लिए टी०-72 टैंकों और बी० एम० पी०–2 युद्धक वाहनों का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त है,

(ख) प्रत्येक मद की कारखाने से बाहर निकलते समय उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) उत्पादन में यदि कोई आयातित पुर्जों का प्रयोग होता हो, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या विध्वंसकता गतिशीलता कवच संचार और भू नौसंचालन प्रणालियों के रूप में ये टैंक और युद्धक वाहन अन्य देशों में उत्पादित टैंकों युद्धक वाहनों की तुलना में बेहतर हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) :

(क) सेनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टी०-72 टैंकों और बी० एम० पी०-2 वाहनों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) 1990-91 में प्रत्येक टी-72 टैंक और बी०एम०पी०-2 वाहनों की उत्पादन लागत क्रमशः 245.43 लाख रु० और 106.2 लाख रु० थी।

(ग) यद्यपि इनका देश में ही निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी इनके कुछ हिस्से-पुर्जे अभी आयात किए जा रहे हैं।

(घ) जी, हां। भार की दृष्टि से।

रुपए का अवमूल्यन का प्रभाव

446. **श्री भाग्ये गोवर्धन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन से देश की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों के पुनर्गठन में किस प्रकार सहायता मिलेगी,

(ख) क्या इसके कारण चालू वर्ष के दौरान आयात बिल में काफी वृद्धि होगी, और

(ग) यदि हां, तो इस के कारण अनुमानतः कितनी अतिरिक्त देयता बढ़ जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :

(क) रुपए की विनिमय दर में हाल ही में किए गए समायोजनों से अल्पावधि में भुगतान संतुलनों की स्थिति में स्थिरता आने और मध्यावधि में व्यापार संतुलन की स्थिति में सुधार की आशा की जाती है अर्थव्यवस्था की पुनसंरचना के लिए आवश्यक उपादान यथार्थ विनिमय दर है न कि पर्याप्त स्थिति।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान आयात बिल में परिवर्तन वर्ष के दौरान आयातों की मात्रा और यूनिट मूल्य में परिवर्तनों पर निर्भर करेगा। इस समय इस बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है।

दिल्ली में बैटरी चालित बसें

447. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में बैटरी चालित बसों के बेड़े में 100 नई बैटरी चालित बसें शामिल करने का है,

(ख) क्या सरकार ने इन बसों की कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट मांगी है,

(ग) यदि हां, तो इन रिपोर्टों की क्या स्थिति है,

(घ) क्या परीक्षा के तौर पर कुछ नये मार्गों पर नई, बैटरी बसें चलाने का निर्णय किया गया है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इन मार्गों की कब तक पहचान की जायेगी ?

जल-यूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :—

(क) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी (डी ई डी ए) द्वारा 25 और बसें जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) डी ई डी ए ने बैटरी बसों के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को प्रायोजित किया है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता,

(च) रूटों का निर्णय उस समय किया जाएगा जब दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा डिलिवरी लेने के लिए बसें तैयार हो जाएगी।

वृहत्तर मुम्बई में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों की फालतू जमीन की बिक्री

448. **श्री राम नाईक** :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वृहत्तर मुम्बई में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों की फालतू जमीन बेचने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कपड़ा मिलों के नाम, उपलब्ध जमीन और बेचने के लिये प्रस्तावित जमीन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क) से (घ) यह विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

श्रीलंका में मारे गए सैनिक

[हिन्दी] 449. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय शांति सेना के कितने जवान और कितने अधिकारी श्रीलंका में अलग-अलग घायल हुए और मारे गये,

(ख) क्या कुछ सैनिक अभी भी लापता हैं, और

(ग) यदि हां, तो उन्हें ढूंढ निकालने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) :

(क) 1987 में श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान भारतीय शांति सेना के जो जवान तथा अधिकारी घायल हुए तथा मारे गए थे उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	मारे गए	घायल हुए
अधिकारी	55	162
जूनियर कमीशन अधिकारी	77	192
अन्य रैंक	1033	2657

(ख) और (ग) नौसेना का एक अधिकारी और एक नौसैनिक तथा 28 अन्य रैंक जो 6 माह से अधिक समय से लापता बताए गए थे उनके बारे में यह मान लिया गया है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है क्योंकि सभी सम्भव प्रयास करने के बावजूद उनका कोई पता नहीं लगा है।

डी० टी० सी० सेवा में सुधार

450. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष डी० टी० सी० बेड़े में कुछ नई बसें शामिल करने को मंजूरी प्रदान की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या सरकार को कर्मचारियों के लिए कथित अशिष्ठ व्यवहार, लापरवाही से गाड़ी चलाने तथा डी० टी० सी० बसों के घटिया रख-रखाव की जानकारी है, और

(घ) आगामी छः महीनों में डी० टी० सी० सेवा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :

(क) और (ख) 1991-92 के दौरान "रिप्लेसमैंट अकाउंट, में बसों की खरीद के लिए 43.25 करोड़ रु० का प्रावधान है। यात्रियों की लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान निजी प्रचालकों की 54 बसें भी शामिल की गई हैं। अलाभप्रद भाड़े के कारण और निजी बसें दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत नहीं आ रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अगले छः माह के दौरान दि०प०नि० की सेवाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) वैसी-निर्माताओं की सिफारिशों के अनुरूप दि०प०नि० के वाहनों का रख-रखाव।

(2) पुरानी बसों को नई बसों द्वारा बदलना।

(3) निजी बसें शामिल करके दि० प० नि० के बेड़े में वृद्धि।

(4) कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार और बेहतर सेवा।

(5) स्टाफ, यात्रियों, दुर्घटना पीड़ितों और आपूर्ति कर्ताओं इत्यादि की शिकायतों का तुरन्त निपटान।

(4) मार्गों (रूटों) का युक्तिकरण।

दिल्ली में निजामुद्दीन पुल को मजबूत और चौड़ा करने का प्रस्ताव

451. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में यातायात में हो रही भारी वृद्धि को देखते हुए निजामुद्दीन पुल को मजबूत और चौड़ा करने का है,

(ख) क्या वाहनों के लिए पुल की दशा सुरक्षित और मजबूत है,

(ग) क्या रात में प्रायः सम्पूर्ण पुल पर अन्धेरा छाया रहता है, और

(घ) यदि हां, तो पुल पर प्रकाश की समुचित और पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :

(क) जी, हां। इस संबंध में अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ख) जी, हां। तथापि, बढ़े हुए यातायात को देखते हुए भार और गति से संबंधित कुछेक प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, बेहतर प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था हेतु विचार किया जा रहा है।

जब्त किए गए सोने और चांदी का उपयोग

[हिन्दी]

452. **श्री मोरेश्वर सावे :**

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तस्करी का कितना सोना और चांदी जब्त किया गया ;

(ख) इसे किस प्राधिकारी की देखरेख में रखा गया है; और

(ग) सरकार द्वारा वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तस्करी के सोने और जब्त की गई चांदी की मात्रा वर्ष-वार नीचे दी गई है ;

वर्ष	सोना (कि० ग्राम में लगभग)	चांदी (कि०ग्राम में लगभग)
1988 . . .	6094	16992
1989	8215	99322
1990 . . .	5596	2,20,313

(ख) जब्त किया गया सोना और चांदी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सीमा-शुल्क कलक्टोरेट के कब्जे से लेकर तथा भारत सरकार टकसालों में निपटान किए जाने तक जमा करा दिए जाते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जब्त किए गए सोने का उपयोग सोने के आभूषणों के निर्यात संवर्द्धन और आपूरण योजना जैसी महत्वपूर्ण स्कीमों के संचालन और आवश्यक होने पर सोने की बिक्री अथवा गिरवी के जरिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। अक्तूबर, 1990 से जब्त की गई चांदी घरेलू बाजारों में घरेलू कीमतों पर बेची जा रही है।

किसानों को बैंकों से ऋण

453. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक ने किसानों को अल्पवधि ऋण देने की योजना लागू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को विभिन्न बैंकों से कितनी राशि के ऋण प्राप्त हुए ;

(घ) क्या सरकार का किसानों को अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई नई योजना लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) और (ख) सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक निरंतर आधार पर फसल ऋणों के रूप में अल्पावधि ऋण देते हैं। किसानों को ऐसे ऋण खरीफ और रबी दोनों के लिए मौसमी फसलों के वास्ते प्रदान किये जाते हैं। ऐसे ऋणों को मंजूरी विभिन्न फसलों के लिए अनुमोदित वित्त की सीमा के अनुसार की जाती है। कृषकों को मंजूर किये गये ऋणों को कृषि अग्रिमों के रूप में माना जाता है जिसके लिए ब्याज दर रियायती हैं और मार्जिन एवं प्रतिभूति संबंधी मानदण्ड भी उदार हैं। 10,000 रुपये तक के अल्पावधि और मावधि, सभी कृषि ऋणों के लिए बैंकों द्वारा कोई मार्जिन नहीं लिया जाता। 10,000 रुपये से अधिक के ऋणों के मामले में, बैंक ऋण के प्रयोजन और मात्रा के अनुसार 15% और 25% के बीच मार्जिन ले सकते हैं। इसके अलावा, बैंकों द्वारा 10,000 रुपये तक के फसल ऋणों और 10,000 रुपये तक के सावधि ऋणों के लिए, जिन मामलों में चल सम्पत्तियां सृजित की जाती हैं, भूमि का दृष्टिबंधन या भूमि-प्रभार या अन्य पार्टी गारंटी के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं ली जाती है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से गत तीन वर्षों के दौरान बकाया प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की राशि निम्नलिखित है :—

की अंतिम स्थिति के अनुसार	राशि (करोड़ रुपये)
मार्च, 1989	12833
मार्च, 1990	15082
मार्च, 1991	15857

(घ) और (ङ) : सरकारी क्षेत्र के बैंक स्वयं अपनी योजनाएं तैयार करते हैं और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास, वनरोपण, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं आदि जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत किसानों को ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनमें भाग लेते हैं।

अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे

[अनुवाद] 454. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी खर्च पर सरकारी अधिकारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के विदेशी दौरों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो गत 6 महीनों के दौरान सरकार के और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कितने अधिकारी सरकारी खर्चे पर विदेशी दौरों पर गए तथा इनके दौरों की आवश्यकता के कारण क्या थे; और

(ग) उन्होंने विदेशों के दौरों से क्या उपलब्धियां प्राप्त कीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) :

(क) जी, हां।

सरकार ने सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरों पर प्रतिबन्ध लगाया है किन्तु कुछ अपवादिक मामलों में छूट प्रदान की गई है जिनमें अन्यों के साथ-साथ व्यापार सम्बन्धी सहायता के लिए या विदेशी नीति सम्बन्धी वार्ताओं के लिए दौरे शामिल हैं। सरकारी उद्यम विभाग को भी कहा गया है कि वे सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के बारे में इसी तरह की कार्रवाई करें।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोने की तस्करी रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यकरण की पुनरीक्षा

(हिन्दी)

455. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोने की तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है ;

(ख) क्या इस संबंध में सोने की तस्करी रोकने के लिए जिम्मेदार दोषी पाए गए अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम तथा पद क्या-क्या हैं और इनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बकाया उत्पाद शुल्क

(अनुवाद)

456. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1 अप्रैल, 1991 को किन-किन औद्योगिक घरानों, कम्पनियों इत्यादि पर 1 करोड़ रुपये या इससे अधिक की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि बकाया है; और

(ख) वर्तमान चिन्ताजनक वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस धन की वसूली के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :

(क) लगभग 748.45 करोड़ रुपए (प्रत्येक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय में एक करोड़ रुपए की पुष्ट मांग पर आधारित।)

(ख) समुचित प्रशासनिक, विधिक एवं अन्य उपाय, जो भी आवश्यक समझे जाते हैं, किए जाते रहते हैं।

फिल्म-स्टारों पर आयकर की बकाया राशि

457. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रेल, 1991 को मुम्बई और मद्रास स्थित फिल्म स्टारों पर आयकर की कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :

(क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास केवल ऐसे फिल्मी-सितारों के बारे में ही सूचना उपलब्ध है, जिनमें से प्रत्येक की तरफ एक लाख रुपये से अधिक का आयकर बकाया है। दिनांक 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार बम्बई तथा मद्रास में स्थित ऐसे फिल्मी-सितारों की संख्या 69 है तथा उक्त तारीख को उनकी तरफ कुल 8.24 करोड़ रुपये का आयकर बकाया था।

(ख) दिनांक 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार मांग का एक बड़ा भाग या तो अदायगी के लिए देय नहीं बना था अथवा अपीलों आदि में विवादग्रस्त है। कुछ मामलों में न्यायालयों ने, समझौता आयोग ने अथवा विभागीय प्राधिकारियों ने या तो वसूली को स्थागित कर दिया है अथवा रकम की अदायगी किस्तों में करने की अनुमति दी है। अन्य मामलों में की गई कार्यवाही में ये कार्यवाहियां शामिल हैं—अदायगी नहीं करने पर दण्ड लगाना, चूक-कर्त्ता के बैंक खातों, ऋणों आदि की कुर्की करना तथा मामले का हवाला कर-वसूली अधिकारी के पास भेजना ताकि उन्हें अन्य कार्यवाहियों के साथ-साथ चूक-कर्त्ता की परिसम्पत्तियों की कुर्की करने तथा उनको बिक्री करने में सहायता मिल सके। प्रशासनिक तौर पर, बकाया राशि के आधार पर मांगों की वसूली के बारे में विधिक स्तरों पर आवधिक रुप से निगरानी रखी जाती है। अपीलों का शीघ्र निपटान करने के लिए भी उपाय किए जाते हैं।

कलकत्ता स्थित ईशापुर राइफल्स फैक्ट्री का आधुनिकीकरण

458. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित ईशापुर राइफल फैक्ट्री का आधुनिकीकरण करने और आजकल के सबसे अद्यतन अस्त्र-शस्त्रों, बन्दूकों और राइफलों के निर्माण करने की किसी योजना की रूपरेखा बनायी गयी है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उसमें कितना पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) एक नई लघु शस्त्र प्रणाली का उत्पादन करने के लिए नई क्षमता सृजित करने के वास्ते एक परियोजना आरम्भ की गई है। मौजूदा क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी अलग-से एक और परियोजना आरम्भ की गई है। इन दोनों परियोजनाओं पर होने वाला पूंजीगत व्यय लगभग 84.79 करोड़ रूपये हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण

459 **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण कार्य में काफी विलंब हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) लागत मूल्य वृद्धि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और

(घ) इसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या नवीनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। कलकत्ता में हुगली पर निर्माणाधीन दूसरा पुल, एक राज्य सड़क पर आता है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी अनिवार्यतः पश्चिम बंगाल सरकार की है। इस पुल को प्रारम्भ में वर्ष 1985 में पूरा करने की योजना थी, किन्तु इसके पूरा होने में देरी हुई है। यह देरी अन्य बातों के साथ-साथ, इन कारणों से हुई है—हावड़ा पाइलोन इरेक्शन क्रेन का अचानक गिर जाना, सुपरस्ट्रक्चर के हिस्सों के निर्माण और स्थापना की धीमी गति।

(ग) पूर्व-अनुमानित 250 करोड़ रुपये की तुलना में अब इस पुल की अनुमानित लागत लगभग 415 करोड़ रुपए है।

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इसके पूरा होने की नवीनतम लक्षित तारीख दिसम्बर, 1991 है।

कानपुर छावनी क्षेत्र में सफाई के प्रबन्ध संबंधी समस्या

460. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर छावनी क्षेत्र के निवासियों की ओर से वहीं पर उपयुक्त सफाई तथा स्वस्थ जीवन यापन संबंधी प्रबन्ध करने में कानपुर छावनी बोर्ड की असफलता के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं, और

(ग) समस्याओं का पता लगाने और उन्हें हल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : श्री ए० के० देव, जो ए/5, नेपियर रोड शान्ति नगर कानपुर-4 में किराएदार के रूप में रहते हैं, ने कानपुर छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी को अपने 20 दिसम्बर, 1990 के रजिस्ट्रीशुदा पत्र में यह प्रस्ताव रखा है कि उनके कब्जे में जो उपर्युक्त मकान है उसमें बने चार शौचालयों को पानी की सुविधा वाले शौचालय में परिवर्तित किया जाए और उन्होंने यह भी कहा है कि छावनी बोर्ड द्वारा उन्हें इस तरह परिवर्तित करने पर किए गए खर्च को वे स्वयं वहन करने के लिए तैयार हैं। उनके इस अनुरोध पर पूरी तरह विचार किया गया और उन्हें सलाह दी गई कि ऐसे शौचालय निजी मकानों में होते हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन मकान मालिक/कब्जेदार को अपने खर्च पर करना होता है। छावनी बोर्ड इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता। श्री डे को यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई निवासी अपने खर्च पर शुष्क शौचालय को पानी की सुविधा वाले शौचालय में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव भेजता है तो छावनी बोर्ड उसे मंजूर कर देगा और ऐसे प्रस्ताव उन्होंने पहले भी मंजूर किए हैं। फरवरी, 1991 में एक निर्धारित फार्म में नक्शे के साथ अलग से आवेदन-पत्र अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की सलाह की गई थी।

सेना मुख्यालयों में आगजनी और चोरियां

(हिन्दी)

461. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालयों में आगजनी और चोरियां हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन तारीखों को ये घटनायें घटी और किन मदों की क्षति हुई,

(ग) क्या इन घटनाओं के लिए किसी को उत्तरदाई ठहराया गया है, और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा देना है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गयी है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : **(क) और (ख)** पिछले तीन वर्षों (30 जून, 1991 को समाप्त) के दौरान सेना मुख्यालय के किसी भी कार्यालय में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई। केवल शार्ट सर्किट के कारण पांच घटनाएं हुई जिससे बिजली की तारें, स्विच बोर्ड आदि जल गए थे। इसी अवधि के दौरान चोरी की भी एक घटना हुई थी जो 22 जुलाई, 1988 को कार्यालय समय के बाद और 26 जुलाई, 1988 को सुबह 9 बजे से पहले (बीच में छुट्टियां थी) हुई थी। इसमें 75 फाइलों की चोरी हुई थी।

(ग) और (घ) चोरी की घटना के बारे में जांच अदालत बिठाई गई और उसकी सिफारिशों के आधार पर दोषी पाए गए सेना कार्मिकों और सिविलियन कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-31

(अनुवाद)

462. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या भूतल-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार स्थित राजमार्ग सं०-31 की लंबाई कितनी है

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार इसकी मरम्मत, रख-रखाव और इसे चौड़ा करने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई,

(ग) राज्य को वस्तुतः वर्षवार, कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा राज्य द्वारा, वर्षवार, कितनी धन राशि खर्च की गई,

(च) वर्ष 1991-92 के दौरान अनुमानतः कितनी धन-राशि आवंटित की जायेगी तथा किए जाने वाले निर्माण कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या बिहार में किशन गंज में प्रस्तावित रेलवे उपरिपुल का निर्माण कार्य 1991-92 के दौरान आरंभ हो जायेगा, और

(च) यदि नहीं, तो इस स्वीकृत परियोजना के कार्यान्वियन में विलंब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :

(क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 की कुल लम्बाई 451 कि०मी० है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में सभी राष्ट्रीय राज मार्गों के लिए आबंटित और व्यय की गई राशि और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 की मरम्मत, रख-रखाव और उसमें सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी तथा व्यय की गई राशि संलग्न विवरण "क" पर दी गई है।

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अनुमानित आबंटन इस प्रकार है :—

क्र० सं०	उपशीर्ष	अनुमानित आबंटन (लाख रु०)
1.	रख-रखाव तथा मरम्मत	743.98
2.	मूल कार्य	1100.00

वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर किए जाने वाले बड़े कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण 'ख' पर दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। यह परियोजना अभी तैयार नहीं है।

विवरण–क

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के लिए आवंटित जारी तथा व्यय की गई निधियां दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	बिहार में सभी रा०रा०		रा०रा०–31—जैसा कि राज्य ने सूचित किया है	
	आवंटित निधियां	व्यय की गई निधियां	जारी की गई निधियां	व्यय की गई निधियां
क. रख–रखाव और मरम्मत (लाख रु०)				
1988–89 . .	1168.21	973.96	326.037	326.037
1989–90 . .	981.90	974.75	237.00	237.00
1990–91 .	1148.83	644.15 (2/91 तक)	249.647	249.764
ख. मूल कार्य				
1988–89 . .	1200.00	1025.97	55.886	55.886
1989–90 . .	700.00	699.10	102.226	102.226
1990–91 . .	800.00	906.61 (2/91 तक)	220.254	220.254

विवरण ख

वर्ष 1991–92 के दौरान रा०रा०:–31 पर किए जाने वाले बड़े कार्य

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमोदित अनुमानित लागत	91–92 के लिए मांग
			(लाख रुपए)
1.	133 से 148 कि०मी० को खंडों में सुदृढ़ करना .	118.06	20.00
2.	295 से 197 कि० मी० को प्रथम चरण में सुदृढ़ करना	64.35	15.00
3.	169–179 कि० मी० को प्रथम चरण में सुदृढ़ करना	150.82	35.00
4.	381—400 और 411—420 कि० मी० को सुदृढ करना .	403.02	40.00
5.	218—226 कि०मी० को सुदृढ़ करना	99.74	20.00
6.	266 से 273 कि० मी० को सुदृढ़ करना	98.52	20.00
7.	370—380 कि० मी० को सुदृढ़ करना	154.87	15.00
		1089.38	165.00

बकाया कर

(हिन्दी)

463. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आयकर और अन्य केन्द्रीय करों की एक लाख से अधिक राशि का भुगतान करना है; और

(ख) गत दो वर्षों अथवा इससे अधिक अवधि से इन व्यक्तियों से उक्त राशि की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या तात्कालिक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिनांक 1-7-1990 को लगभग 3036 करदाता ऐसे थे जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का एक लाख रु० या इससे अधिक देय था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल बकाया राशि 1027.61 करोड़ रु० बनती थी। दिनांक 31-12-90 को 4627 व्यक्ति ऐसे थे जिन पर आयकर (निगम कर सहित) 10 लाख रु० अथवा उससे अधिक बकाया था। इन करदाताओं से कुल 3855.15 करोड़ रु० की मांग देय थी।

(ख) यथाआवश्यक समुचित प्रशासनिक, विधिक तथा अन्य उपाय किए जा रहे हैं। अधिकांश बकाया मामले अपील स्तर पर/न्यायालयों में हैं। शीघ्र सुनवाई और स्थगन आदेशों को रद्द करवाने के लिए न्यायालयों में कार्रवाई की जा रही है।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों का निरस्त किया जाना

464. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यवार कितनी पालिसियां निरस्त की गई;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनता की शिकायतों को कारगर ढंग से निपटाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम राज्यवार रिकार्ड नहीं रखता। जोनवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :--

जोन	1989-90 के दौरान आगे न बढ़ाने के कारण बन्द की गई पालिसियों की संख्या
उत्तरी जोन	3720
मध्य जोन	1676
पूर्वी जोन	54
दक्षिणी मध्य और दक्षिणी जोन	185
पश्चिमी जोन	2062
अखिल भारतीय जोड़	7897

(ख) जबकि पालिसियों को रद्द करने का मुख्य कारण प्रीमियम अदा न करना था, तथापि बीमाकृत व्यक्ति की तरफ से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के कुछ मामलों का पता चला जिससे पालिसियों को रद्द घोषित कर दिया गया।

(ग) शाखा कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय/मुख्य कार्यालयों में शिकायत निवारण कक्ष/समितियों की स्थापना की गई है। बीमा कराने वाली जनता की सुविधा के लिए शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में प्रैस में अधिसूचना देकर आवश्यक प्रचार किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा औद्योगिक रुग्णता का विश्लेषण

465. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में औद्योगिक रुग्णता के कारणों का विश्लेषण किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस विश्लेषण का क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

मद्रास में कम्पनियों द्वारा निवेशकों की राशि का वापस किया जाना

466. **डा० जी० एल० कन्नौजिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 में मद्रास की किन-किन कम्पनियों ने "इक्विटी शेयर" के सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन पत्र मांगे थे ;

(ख) क्या कई आवेदकों को शेयर आवंटन न होने के बावजूद उनकी आवेदन राशि अभी तक वापिस नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदक हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जनवरी, 1990 में

निम्नलिखित कम्पनियों ने इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गम हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे।

(i) टी०वी०एस० व्हरलपूल लिमिटेड

(ii) सीटैक्स पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड

(iii) डाइनाविजन लिमिटेड

(iv) मलाली पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सभी आवेदकों को शेयरों का आबंटन न किये जाने के कारण उनकी धनराशि वापस लौटा दी गई है।

(ग) उक्त (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जब कभी भी धनराशी वापस न लौटाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सम्बन्धित स्टाक एक्सचेंज कम्पनियों को इन शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित किया जाता है।

पनडुब्बी–ठेकों की जांच

467. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पनडुब्बी-ठेकों अनिमितताओं के बारे में चल रही जांच के संबंध में अब तक तक कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 5 मार्च, 1990 को एक मामला संख्या आर० सी-1 (ए)/90/ ए० सी० यू० (1) सी० बी० आई०, नई दिल्ली रजिस्टर किया था और उसके बारे में जांच- पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कई गवाहों और कुछ अभियुक्तों से इस सम्बन्ध में पूछताछ का काम भी पूरा कर लिया है । उन्होंने विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों से एस० एस० के पनडुब्बी संविदाओं मे सम्बन्धित बहुत सी फाइलों और दस्तावेजों आदि को अपने कब्जे में ले लिया है और उनकी जांच कर ली गई है । इस मामले की आगे छानबीन के लिए कुछ बाहर के देशों और वहां के न्यायालयों से भी सहायता/सहयोग मांगा गया है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : यद्यपि रानाघाट उप-मंडल में 2 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं फिर भी वहां संचार सुविधाओं के अभाव में काफी परेशानी है । वहां टेलीफोन लाइनें हैं लेकिन वे हमेशा ही खराब रहती हैं। यह क्षेत्र बंगलादेश सीमा के निकट है। वहां केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय, जीवन बीमा निगम के कार्यालय और अन्य कई कार्यालय हैं। यहां तक कि टेलीफोनों के ठीक ढंग से कार्य न करने की वजह से ये कार्यालय नहीं चलाए जा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गौर करें और यह सुनिश्चित करें कि टेलीफोन ठीक ढंग से कार्य करें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द अहिरवार .....

श्री तारा सिंह (कुरुक्षेत्र) : महोदय, 19 तीर्थ यात्रियों की नृशंस हत्या की गई थी ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। मैंने श्री अहिरवार को बुलाया है। मैं बाद में आपसे मुखातिब होऊंगा । ..... **(व्यवधान)**

(हिन्दी)

श्री आनन्द अहिरवार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में सागर जिले के ग्राम पंचायत मकरोनिया में दिनांक 24 जून, 1991 को रात्रि 8 बजे से 12.30 बजे तक पुलिस ने हरिजन महिलाओं, बच्चों एवं ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच राजाराम अहिरवार की जम कर पिटाई की व धमकी दी कि इस क्षेत्र के हरिजनों का नामोनिशान मिटा दिया जायेगा। इस पूरी कार्यवाही में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है तथा अभी तक नागरिकों में भय व असंतोष व्याप्त है। इस पूरी घटना में मध्य प्रदेश सरकार उदासीन रही है। मेरा माननीय गृहमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस घटना की उच्चस्तरीय सी०बी०आई० जांच कराई जाए और मध्य प्रदेश सरकार को बरखास्त किया जाए।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष, महोदय इस तरह की घटनाएं रोजाना हो रही हैं। इस विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, आगरा से प्रकाशित दैनिक "अमर-उजाला" में दिनांक 16-7-1991 के अंक में "फरूखाबाद झांसी से हटाया गया क्रास बार प्रणाली आगरा में मढ़ने की कोशिश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की केन्द्र सरकार की नीतियों के अनुसार आगरा में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने के स्थान पर बहुत पुरानी हो चुकी अनुपयोगी तकनीक व अन्यत्र प्रयोग हो चुके खराब सामान को प्रयोग कर टेलीफोन विभाग के स्थानीय अधिकारी क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण पहले ही टेलीफोन सेवाओं की खराबी से त्रस्त आगरा के टेलीफोन उपभोक्ताओं को भविष्य में भी टेलीफोन सेवाओं की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और शासन के धन का अपव्यय हो जाएगा।

मेरा माननीय संचार मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप कर आगरा में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करवाएं। पूर्व संचार मंत्री आगरा में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा आगरा में कर चुके हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले एक साल से उत्तर प्रदेश सरकार को करीब तीन हजार करोड़ रुपया जो बकाया दिया जाना था, वह नहीं दिया जा रहा है। पिछले पूरे साल प्रयास तो यह होना चाहिए था कि केन्द्र से पैसा मांगा जाता, जो स्वीकृत है, वह न मांग कर सरकार और कामों में उलझी रही। 1370 करोड़ स्वीकृत धन है। 1990-91 वर्ष का, यह अभी तक नहीं मिला है। 787 करोड़ रुपया स्वीकृत ऋण अभी तक नहीं मिल पाया है। 139 करोड़ रुपया परिवार कल्याण का, पिछले वर्ष का और वर्तमान सत्र का बकाया है, यह भी नहीं मिल पाया। इसके अलावा मान्यवर, 700 करोड़ रुपया अनपारा परियोजना का अभी तक नहीं दिया गया है। इस प्रकार यह रुपया तीन हजार करोड़ से ज्यादा है। इसके कारण पूरे प्रदेश का विकास रुका हुआ है। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं, इस ओर विशेष ध्यान दें और यह बताएं कि उक्त रुपया कब तक दिया जाएगा।

12.06 म० प०

उत्तर प्रदेश में 19 तीर्थ यात्रियों की हत्या के बारे में

[अनुवाद]

श्री तारा सिंह (कुरुक्षेत्र) : कल समाचार पत्र में 19 तीर्थ यात्रियों की नृशंस हत्या के बारे में खबर थी और कल यह मामला भी उठाया गया था। महोदय यह बहुत ही गंभीर मसला है। हमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग वहां बसे किसानों को बाहर निकालने में लगे हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस मामले की जांच करे।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी, जिस मसले को आदरणीय तारा सिंह जी ने रखा उसके बारे में बहुत ही चिन्ताजनक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिन यात्रियों को मारा गया, अखबार में उनके बारे में यह कहा गया है कि उनको पकड़ कर एक दिन पहले उनको बस से उतार कर पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा और एक गैस्ट हाउस में उनको साथ रख कर मिटिंग की और ले जा कर दो घाटों पर उनको अलग-अलग ग्रुप में बंधुआ बना कर मार दिया।

अध्यक्ष जी, इस तरह से मासूम लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर और झूठे मुकाबले बना कर उत्तर प्रदेश में नर-संहार करेगी तो इसका परिणाम पूरे देश भर में पंजाब के लोगों पर और सिखों के ऊपर बहुत भयानक होगा। पहले ही हम पिछले 6-7 सालों से नर-संहार देख रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है अध्यक्ष जी, कि यू०पी० पुलिस, जिसके ऊपर विश्वास टूट चुका है, उन अफसरों को सस्पैंड करके सी०बी० आई० में जांच होनी चाहिए ताकि हमें इस बात का पता चले कि जो स्टोरी छापी गई है यह बहुत ही भयानक है और दर्दनाक स्टोरी है। इसलिए आपके माध्यम से और पूरे सदन के मार्फत मैं सरकार से मांग करता हूं कि खास तौर से इस हादसे की सी०बी० आई० जांच होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए ताकि पूरा सदन देख सके कि किस तरह से लोगों को पकड़ कर, मासूम लोगों को बसों से निकाल कर उनकी हत्याएं की गई हैं। आगे परिणाम ऐसे न हों, इसके लिए सी० बी०आई० की जांच होनी चाहिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कल हमने मांग की थी कि गृह मंत्री इस संबंध में वक्तव्य दें। ..... (**व्यवधान**)

हम इसके बारे में चिन्तित हैं। गृह मंत्री को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश का ढांचा बदलने के लिए देश में शिक्षा का एक-रुपता लाना अनिवार्य है। भारत जैसे देश में

भिन्न-भिन्न तरह की शिक्षा दी जा रही है। जिससे एक तरफ शासक वर्ग पैदा होता है, दूसरी तरफ नौकर वर्ग पैदा हो रहे हैं। जिसके कारण विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं। देश का जनतंत्र हिलता जा रहा है। इस प्रकार की शिक्षा से जन असंतोष बढ़ता जा रहा है। देश में उग्रवादी शक्तियां तेजी से फैल रही हैं। देश के गरीब एवं पिछड़ी जाति, दलित जाति के लोगों का लोकतन्त्र पर से विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए देश को बचाना चाहते हैं तो देश में शिक्षा की एक-रूपता कायम करना होगा तथा चुनाव प्रणाली को पूर्ण रूप से सुधारना होगा तभी देश बच सकता है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्या यह बहुत गंभीर मामला है। उस घटना का क्या हुआ जिसमें पुलिस द्वारा 19 तीर्थ यात्री मारे गए थे ? गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए, (व्यवधान) मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर नोटिस भी दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर आऊंगा ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, जो बूटा सिंह जी ने कहा है वह बहुत सीरियस मामला है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं दूसरा मामला उठा रहा हूं। ..... **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, आप गवर्नमैंट को आदेश कीजिए कि इस हाउस में स्टेटमैंट होना चाहिए और आप संसद सदस्यों की एक छोटी सी टीम वहां भेजें। टाइम्स ऑफ इंडिया में होरीबल न्यूज आई है। इसको पढ़कर कोई भी व्यक्ति खामोश नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि आप सरकार की तरफ से एक स्टेटमैंट दिलवाइए।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह वर्ष बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म शती के रूप में मनाया जा रहा है। 1990-91 और 1992 का हम लोगों ने टारगेट रखा था और 1991 तक जितना भी बैकलाग है वह पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जबसे हमारी सरकार गई तबसे इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पिछले पांच दिनों से बंगलौर में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस के एस०सी०/एस०टी० वैलफेयर एसोसिएशन के लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके लीडर मुत्तु मनीकम की हालत खराब है। आज अखबार में निकला है कि सरकार ने नई भर्ती पर रोक लगा दी है। मैं समझता हूं कि यह बड़ा क्रूर मजाक होगा। अनएम्पलायमैंट यूथ के प्रति सरकार बिल्कुल सरकारी नौकरी बंद कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि बैकलाग का जो टारगेट था 1991 तक, उसको पूरा करने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। हम इस सदन में एक बिल पेश करने वाले थे। हमारे अध्यक्ष जो मेरी बगल में बैठे हुए थे, इन्होंने कहा था कि अगले सैशन में बिल पेश करेंगे। वह "लेजिस्लेशन फार रिजरवेशन" था। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि एस०सी०/एस०टी० के लिए जो कानून बनाए गए वे गवर्नमैंट आर्डर से हैं। उन पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता इसलिए सरकार लेजिस्लेशन इस सदन के सैशन में

लाए और जो बैकलाग का कोटा है, इअर ऑफ सोशल जस्टिस में उसको पूरा करें। जो अधिकारी दोषी पाए जायें तो उस विधेयक में ऐसा विधान होना चाहिए कि उनको दण्डित किया जा सके और उसके लिए जेल का प्रावधान हो। ऐसा हम लोगों ने विधेयक तैयार करके रखा था। सरकार को इसी सैशन में पेश करना है और पास भी कराना है। ······· (**व्यवधान**)।

[**अनुवाद**]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप भारत सरकार को एक स्पष्ट दिशा दें अन्यथा यह मामला सार्वजनिक आन्दोलन का रूप ले लेगा। यह दिल्ली में सबसे बदतर आन्दोलन रहेगा। यह किसी एक दल का मामला नहीं है यह तो एक ऐसा मामला है जहां निर्दोष लोगों की एक दिन हिरासत में लेकर नृशंस हत्या कर दी गई (**व्यवधान**)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, श्री बूटा सिंह और सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा उठाए गए इस मामले पर न केवल तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए, बल्कि इसमें जो तथाकथित तथ्य उभर कर आए हैं वे बहुत दहला देने वाले हैं। यद्यपि हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास सभी तथ्य हैं और हम इस पर एक वक्तव्य दे सकते हैं परन्तु मैं समझता हूं कि इस मामले पर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से सभी तथ्य एकत्र करने की कोशिश करेगी और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि जो कुछ भी गलत घटा उसे दुरस्त किया जाए और यदि किसी व्यक्ति से गल्ती हुई है तो उस मामले में पर्याप्त और उचित कार्यवाही की जाए, (**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता इस बात से बाध्य है कि जैसे ही उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्य मिले वह उन्हें सभा के समक्ष रखें।

महोदय, मेरी मांग है कि उन्हें सभा के समक्ष पेश किया जाए।

श्री अर्जुन सिंह : इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यदि माननीय अध्यक्ष ऐसा चाहें एवं माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं तो एक समिति नियुक्त जा सकती है और हम निश्चित रूप से उसमें सहायता देंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, कल जैसे ही मैंने "टाइम्स आफ इंडिया" पढ़ा मुझे बहुत चिन्ता हो गई क्योंकि यह घटना शायद तीन या चार दिन पहले हुई थी। मेरा अपना मत है कि भले ही इनमें से कोई भी वास्तव में तीर्थ यात्री नहीं था और वे आतंकवादी थे जिनके ऊपर इनाम घोषित था फिर भी इससे कोई भी हत्या न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती है। लेकिन इस मामले में अब तक दो तरह के बयान दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि कल यह मामला उठाने के बाद से इस बीच सरकार सभा को कुछ बता सके। एक तरफ तो वहां पार्टी का हमारा अपना आधार है। उत्तर प्रदेश सरकार मेरी पार्टी के द्वारा चलायी जा रही है अतः पार्टी का एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी उत्तरदायित्व है। इसलिए हमने फैसला किया है कि संसद सदस्यों का एक जांच दल तुरन्त उन क्षेत्रों का दौरा करे और पता लगाए तथा जो कुछ भी तथ्य एकत्र कर सके करे। सरकार ने सभा को यह भी आश्वासन दिया है कि वे तथ्यों का पता लगायेंगे। परन्त मैं कहूंगा कि यदि

कल समाचार पत्र में जो बयान छपा है वह सत्य है तो यह बहुत गंभीर मामला है, अतः चाहे कोई भी हो उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। पंजाब वाली स्थिति जहां ज्यादतियां हो जाती हैं यह तो समझ में आती है — लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है मैं समझता हूं कि कुछ गड़बड़ है। अतः कार्यवाही की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : मैंने श्री आडवानी जो से भी बात की थी। वह इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि इस घटना की पूर्ण जांच होनी चाहिए। इसका सबसे चकित कर देने वाला पहलू यह है कि भले ही वे तथाकथित रूप से आंतकवादी ही थे लेकिन वे हत्या के एक दिन पहले पुलिस की हिरासत में थे। इसलिए एक बार पुलिस की हिरासत में आने से पुलिस को यह करने का अधिकार ही नहीं है। और यह मुठभेड़, झूठी मुठभेड़ है क्योंकि पुलिस उन्हें ट्रकों और जीपों में लायी तथा उन्हें लक्ष्य बना कर पुलिस ने उनकी नृशंस हत्या की। अतः जैसा कि सदन के नेता ने कहा है कि संसद सदस्यों का एक दल उनके ही द्वारा मनोनीत किया जाये।

दूसरी बात यह है कि विगत में ऐसे पूर्वोदाहरण हैं कि भारत सरकार सभा में राज्य सरकार के द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों को पेश करती है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदन के नेता इस सभा को आश्वस्त करें कि वे इस मामले में सभा में तथ्यपरक टिप्पण, तथ्य परक विवरण दे ताकि हम सभी इस पर चर्चा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी सभा में कहा गया है हम सब जानते हैं। मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा कि इस स्थिति को देखते हुए सरकार से एक विवरण लिया जाए तथा यथाशीघ्र सरकार इस पर एक विवरण देगी। विवरण मिलने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो सभी दल सहमति से एक दल बनायेंगे, एक समूह बनायेंगे ऐसा किया जा सकता है।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पिछली सरकार ने एक द्वीप विकास प्राधिकरण गठित किया था। स्वयं प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष थे और यह हमारे देश के द्वीपीय क्षेत्र के विकास के लिए था। साथ ही द्वीप विकास प्राधिकरण द्वारा उन क्षेत्रों के आरक्षण, संरक्षण तथा अन्य विशेष समस्याओं को सुलझाया जाता है —मुझे यह कहते हुए खेद है कि जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए तो यह द्वीप विकास प्राधिकरण समाप्त कर दिया गया। अब उन दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। यही नहीं, कई सुविधाएं जो कि लोगों को पहले दी जा रही थीं विशेषरूप से त्रि तार पत्र हेलीकाप्टर सेवा, नौवहन सेवा, यह सब वापस ले ली गई हैं और हाल ही में इस वर्तमान सरकार के आने से पोर्टब्लेयर से कलकत्ता तक नौवहन सेवा आरम्भ कर दी गई है। इससे पहले इसे भी समाप्त कर दिया गया था। इसलिए मैं सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि वह द्वीप विकास प्राधिकरण को उसी तरह गठित करे जैसे कि यह पहले था ताकि दूरस्थ द्वीपीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा सके।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इडुक्की): केरल में किसानों के व्यापक और तीव्र आन्दोलन के फलस्वरुप काफी विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। ये किसान मुख्यत: इडुक्की और अन्य जगहों पर पिछड़े पहाड़ी जिलों में बसे हुए हैं। पिछले 25 वर्षों से जो भूमि उनके कब्जे में है वे उस पर अपने नाम का पट्टा चाहते हैं। अब वे झगड़े पर उतर आए हैं। वे अपनी उस भूमि के संबंध में जोकि उनके अपने कब्जे में 25 वर्षों या ज्यादा समय से है पूर्ण कब्जा चाहते हैं। अब केन्द्रीय वन विभाग कतिपय तकनीकी अड़चनें पैदा कर रहा है जो कि वास्तविकता से परे और उन्हें अमान्य है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस संबंध में केरल राज्य सरकार को पूरी स्वतन्त्रता दे ताकि समस्या को सदभावनापूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): भारत का आयातित तकनीक पर निर्भर होना भी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर काफी दबाव डालता है, जोकि हमारे पास है अथवा नहीं है तथा यह भी कि पेट्रोल का घरेलू उत्पादन भी वर्ष 1980 के आरम्भ से अब तक बढ़ा नहीं है। ऐसी स्थिति में यह एक चिन्ता का विषय है कि जिन क्षेत्रों में तेल के भण्डार होने की संभावना है, उनका पता लगाने में देरी तथा लापरवाही की जा रही है। उदाहरणार्थ, एक भूकंपीय प्रमाण के अनुसार पश्चिमी बंगाल के तीन दक्षिणी जिलों में 10 कि० मी०के घेरे में तेल के भण्डार होने की संभावना है तथा 1984 से लेकर अब तक वहां पर दो बार तेल के कुंआ का पता लगाने का प्रयास किया गया तथा दोनों बार ही इसे छोड़ना पड़ा। दुर्भाग्यवश तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाने की कोशिश नहीं की कि इन प्रयासों को त्यागना क्यों पड़ा। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में वह गंभीरता से विचार करके यह जांच करवाए तथा यह सुनिश्चित करे कि जहां कुएँ हैं उनसे तेल निकाला जाए। **(व्यवधान)** जिन लोगों का इसमें निहित स्वाथ है वे इसमें रोड़ा अटका रहे हैं और तोड़-फोड़ की भी आशंका बनी हुई है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: (दमदम) इस संबंध में बड़े गंभीर आरोप हैं। कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने इन क्षेत्रों में खुदाई के कार्य को रुकवा दिया है। यह कोई साधारण मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री तेज नारायण सिंह।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर): माननीय अध्यक्ष जी, बिहार राज्य में भोजपुर जिला के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से सिद्धार्थ योजना के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपया दिया जाना था लेकिन अभी तक एक नया पैसा भी नहीं दिया गया है। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ योजना के अन्तर्गत जिला भोजपुर और बक्सर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपया जल्द से जल्द भेजने की व्यवस्था की जाए ताकि विकास का कार्य शुरु हो सके।

श्री चन्दूभाई देशमुख (भड़ौच) : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिला भड़ौच में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। वालिया और झगड़िया तहसीलों में दिन-दहाड़े खून-खराबा हो रहा है, लूटमार हो रही है और वहां आतंकवाद एवं नक्सलवाद फैल रहा है। वालिया तहसील में डेढ़ करोड़ रुपये के पेड़ काटे जा चुके हैं। बहुत सी शिकायतें पुलिस में दर्ज हुई हैं फिर भी आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। चुनाव के दौरान अंकलेश्वर में 70 घर जला दिए गए, 70 दुकानें लूटी गई और एक करोड़ रुपए का नुकसान लोगों को पहुँचाया गया मगर गुजरात सरकार ने एक पैसा भी किसी को मुआवजा नहीं दिया। मेरे भड़ौच जिले में पुलिस सबइंस्पैक्टर की 13 जगह खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पुलिस फोर्स भी बहुत कम है। वहां पर भड़ोच जिले में एक साल में तीन कलेक्टर बदल दिए गए, तीन डी० डी०ओ० बदल दिए गए, तीन डी०एस०पी० बदल दिए गए, तीन एस० डी० एम० बदल दिए गए इसलिए मैं आप आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार उन लोगों को उचित मुआवजा प्रदान करे।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ। आज "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक समाचार प्रकाशित हुआ है "शेषन की हत्या का षडयन्त्र" जिसके अनुसार

"राज्य के सुरक्षा कर्मचारियों ने दिल्ली पुलिस को बब्बर खालसा के एक ग्रुप के दिल्ली में संभावित प्रवेश के प्रति सावधान किया है जिस ग्रुप का नेतृत्व लैफ्टिनेंट जनरल धर्म सिंह कस्तीवाल कर रहे हैं तथा जिनका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त की हत्या करना है।

श्री शेषन, जिन पर कि पंजाब के चुनाव लटकाने का आरोप है, उनकी हत्या के षडयन्त्र का पर्दाफाश कस्तीवाल के दो निकट सहयोगियों को मनोज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात हुआ ....

महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह एक मामले की जांच करवाए तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं उड़ीसा में हुई एक अलग तरह की हत्या की घटना को सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं। वर्ष 1988 में उडीसा उच्च न्यायालय द्वारा गठित किए गए एक सदस्यीय आयोग ने यह कहा है कि उडीसा के कालाहांडी जिले में व्यापक स्तर पर भूख से मौतें हुई। इस आयोग के सदस्य जो कि एक सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश हैं, उन्होंने आगे कहा है कि इन भूख से हुई मौतों को प्रायः दबाने की कोशिश की गई यद्यपि मैडिकल प्रमाण-पत्र में मौत का कारण खून की कमी दिखाया गया है जो कि अपरिहार्य रूप में लम्बे समय तक भोजन की कमी का परिणाम होता है।

महोदय, यह एक अलग प्रकार की हत्या है। अब भी स्थिति में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है। प्रशासन द्वारा समर्थित ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है तथा आन्तरिक क्षेत्रों में लोगों को काम नहीं मिल रहा है और जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा लम्बे समय तक इन लोगों का शोषण किए जाने से यह समस्या स्थाई बन गई है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस समस्या पर वांछनीय तत्परता से विचार करें तथा भूख से मर रहे इन लोगों को तुरन्त राहत प्रदान करें। इसके साथ-साथ राज्य सरकार को तुरन्त एक योजना बनाने के लिए सहायता करें ताकि स्थिति को सुधारा जा सके।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत कार्य करने वाली कम्पनी 'दी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' कोयले की खानों के लिए दामोदर नदी से अवैज्ञानिक तरीके से रेत निकाल रही है। इसके परिणामस्वरूप दिन-रात व्यापक स्तर पर भूमि का कटाव हो रहा है जिससे पश्चिमी बंगाल के पुरवा, मदनपुर, बमका, अनदाल पी० एस० जि० बर्दवान के मरीमपुर गांवों के बड़ी संख्या में निवासियों का जीवन और सम्पत्ति खतरे में पड़ गई है। भविष्य में इससे अनदाल रेलवे स्टेशन तथा दुर्गापुर औद्योगिक परिसर को खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

भारत सरकार द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई थी जिसमें पश्चिमी बंगाल सरकार तथा दूसरे विशेषज्ञों का इस मामले पर गौर करने तथा इसमें सुधार के लिए उपाय तथा सुझाव देने के लिए सहयोग मांगा गया था। समिति ने कुछ सुरक्षात्मक उपायों के बारे में सुझाव दिए थे परन्तु ईस्टर्न कोलफील्ड्ज लिमिटेड ने इसपर कोई कार्यवाही नहीं की।

इसलिए मैं कोयला मंत्री तथा पर्यावरण मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे नदी के किनारों तथा प्रभावित गांवों के लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिए तुरन्त कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाएं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : विश्व बैंक ने अपनी जून, 1990 की रिपोर्ट में देश की वित्तीय तथा बैंकिंग प्रणाली के पुनर्निर्धारण के बारे में तीन उपायों का सुझाव दिया है। भारत सरकार बैंकों के निजीकरण तथा उन्हें राष्ट्रीयकरण से मुक्त करने के लिए काफी जल्दी में है जिनका कि वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो हम सब ने इसका स्वागत किया था। रुपए के अवमूल्यन तथा सोने को विदेशों में भेजने के पश्चात्, सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मालिकों को सन्तुष्ट करने के लिए अब राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करने जा रही है जोकि हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री दोनों यहां उपस्थित हैं। प्रधान मंत्री राष्ट्रपति

के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में चर्चा का उत्तर देने वाले हैं। मैं उनसे इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या विश्व बैंक अपना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के बारे में कोई हिदायत प्राप्त हुई है तथा क्या सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों में शेयरों की अनुमति देने का निर्णय ले लिया है ?। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वित्त मंत्री अथवा प्रधान मंत्री स्पष्ट करें कि ऐसा कोई निर्णय लिया गया है अथवा नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : श्रीमान्, मैं बहुत कम शब्दों में बड़ी महत्वपूर्ण बात पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कहूंगा। मान्यवर, इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15–20 जिलों में भयंकर सूखा पड़ रहा है। कुएं सूख रहे हैं। ट्यूबवैलों में पानी नहीं है और चूंकि बरसात में नहरें नहीं खोली जाती हैं, नहरों में पानी नहीं भेजा जाता है इसलिए वे नहरें भी बन्द हैं। धान की रोपाई एकदम नहीं हुई है। ज्वार, मक्का और बाजरे की फसलें सूख गयीं हैं। एक लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन में जायद की फसल को काफी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मालिक, श्री लालकृष्ण अडवाणी साहब, विरोधी दल के नेता, भी बैठे हुए हैं, मैं आप दोनों महानुभावों से निवेदन करूंगा कि जब पूर्वी उत्तर प्रदेश एक भयंकर खतरे से गुजर रहा है, जहां लाखों-करोड़ों आदमी इस समय भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, ये लोग वहां की राज्य सरकार को निर्देश दें कि तुरन्त राहत की व्यवस्था की जाये ताकि लोग भूखों मरने से बचाये जा सकें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के सामने जिस तरह का आर्थिक संकट मौजूद है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार पेयजल समस्या को हल करने के लिए और राहत कार्यों में जुटी हुई है लेकिन मैं यहां माननीय प्रधान मंत्री जी से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, राहत कार्यों के अन्तर्गत, जो 3 हजार करोड़ रुपया बकाया है, पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री, श्री मुलायम सिंह जी थे और उनके सहयोगी थे, वे इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भेदभाव बरतते रहे हैं।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या को हल करने और राहत कार्यों को करने के लिए जुटी हुई है और वहां पर भयंकर संकट है इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि 3 हजार करोड़ रुपया जो उत्तर प्रदेश का केन्द्र सरकार पर बकाया है उस राशि को प्रधान मंत्री कब तक देने की कृपा करेंगे। **(व्यवधान)**

मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार का वहां आर्थिक संकट है जो पेयजल और सूखे की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, उसके प्रयासों को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश का जितना भी रुपया विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार पर बकाया है, वह तुरन्त दिया जाए। (व्यवधान)

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति कुछ वर्षों से अत्यन्त ही नाजुक चल रही है। बिहार को कोयला क्षेत्र से ही 70 करोड़ से अधिक की प्राप्तियां प्रतिवर्ष हो रहीं हैं। राज्यों की प्राप्तियां में यह एक प्रमुख स्रोत था किन्तु इतनी बड़ी कमी को पूरा करना अब आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बिहार राज्य के लिए कदापि सम्भव नहीं है। इसलिए बिहार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा कोयले पर रायल्टी की दर बढ़ाने का जो प्रस्ताव है और कुछ समय से सरकार इस पर विचार कर रही है और जहां तक मुझे मालूम पड़ा है इस विषय में सम्भवत मंत्री-परिषद् का अनुमोदन होना बाकी रह गया है, अब यह आवश्यक है कि इस विषय में तुरन्त निर्णय लेकर अधिसूचना को निर्गत किया जाए।

श्री कमला मधुकर (मोतीहारी) : अध्यक्ष जी दिल्ली, के तमाम मैडीकल कालजों में जो टैक्नीकल असिस्टेंड हैं उनकी संख्या लगभग 4 हजार है और उनकी मांगों को तीसरे और चौथे पे कमीशन ने भी माना, किन्तु इसके बावजूद दिल्ली प्रशासन ने आज तक उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण वे अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। स्थिति यह हो गई है कि यदि उनकी मांगों को मानकर उनकी हड़ताल को नहीं तोड़ा जाता है, तो दिल्ली के तमाम अस्पताल बन्द हो जाएंगे। इसलिए मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हुं कि जब डीन और डायरेक्टर मैडीकल कालेज भी उनकी इन मांगों से सहमत हैं, तो भारत सरकार क्यों नहीं इनकी मांगों को मंजूर करके इन 4 हजार टैक्नीकल असिस्टेंट्स को काम पर ले लेती है? यह बहुत जरूरी है, यह बहुत लंबित मांग है।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान द्वारा योजनाबद्ध तरीके से भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने का प्रयास लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि भारत का रेडियो और दूरदर्शन पाकिस्तान के मुकाबले में कोई कार्यक्रम नहीं दे पा रहा है। वर्तमान में पाकिस्तानी दूरदर्शन द्वारा "मुकदमा कश्मीर का" नामक एक सीरियल दिखाए जाने के कारण जम्मू में इतना रोष है कि परसों वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पुतले जलाए गए और वहां कल और परसों लगातार दो दिन आम बाजार बन्द रहे। पाकिस्तान द्वारा यह जो सीरियल दिखाया जा रहा है, उसमें भारत के नेताओं के चरित्र हनन का पूरा प्रयास किया जा रहा है और भारत के नेताओं के चरित्र का जिस तरह से दिग्दर्शन कराया जा रहा है वह अत्यन्त आपत्तिजनक है। इसलिए मैं सूचना एवं

प्रसारण मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे क्या कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन से पाकिस्तान के मुकाबले कुछ ज्यादा अच्छे कार्यक्रम दिखाए जाएं, जिससे भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे नागरिकों पर पाकिस्तान के कार्यक्रमों का असर न हो

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अदूर) : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण पश्चिम केरल में 1-6-91 से मानसून आ गया है जिसके कारण भीषण समुद्री कटाव, तेज हवाएं, बाढ़ तथा भू-स्खलन आदि की समस्या पैदा हो गई है। वर्षा का प्रकोप अभी भी सारे राज्य में व्याप्त है।

मेरा चुनाव क्षेत्र अदूर क्विलोन जिले का हिस्सा है। येम्मालम पंचायत के अन्तर्गत ओलकुलू तथा ओट्टप्रकम क्षेत्रों को भू-स्खलन ने व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है। इसके कारण इस क्षेत्र में फसलों को काफी हानि हुई है। भू-स्खलन की स्थिति अभी भी बनी हुई है।

मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह एक केन्द्रीय दल वहां भेज कर उस क्षेत्र में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए तथा वहां के लोगों की जान की सुरक्षा के लिए उपाय करे। (व्यवधान)**

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : (पडरौना) : मान्यवर, मैंने नियम 193 में नोटिस दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, गोरखपुर इकाई पूर्वांचल का एक-मात्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा उद्योग है। वर्ष 1968 से 75 तक इस कारखाने ने भरपूर उत्पादन देकर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अपना शीर्षस्थ स्थान का गौरव हासिल किया था। किन्तु इस समय इसकी टैक्नोलोजी पुरानी हो गई है। विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, कच्चे माल की आपूर्ति में विलम्ब, वार्षिक मरम्मत के लिए सरकार द्वारा समय से धन उपलब्ध न कराने तथा मैनेजमेंट की उदासीनता के कारण यह कारखाना पिछले सात वर्षों से निरन्तर घाटे की तरफ अग्रसर हो रहा है। लेकिन मैनेजमेंट और पूर्व सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे न तो इसका विस्तारीकरण हुआ और न ही नए कारखाने की स्थापना की गई। दुर्भाग्य से 10 जून 90 को कारखाने में एक दुर्घटना हुई और तभी से यह कारखाना बंद पड़ा हुआ है। हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं।······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में पढ़िए, सारा मत पढ़िए।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम नगीना मिश्र : इस समय वह कारखाना साल भर से बन्द है। हजारों लोग बेरोजगार हैं और पूर्वांचल की कृषि पर इसका असर पड़ रहा है क्योंकि इस कारखाने से यूरिया का उत्पादन होता था, वह बन्द हो गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां नया कारखाना खोला जाए और जब तक नया कारखाना स्थापित नहीं होता तब तक इसको चलाया जाए। **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर एक स्टोरी छपी है और मिनिस्टर ने इसको कन्फर्म किया है कि सरकारी नौकरियों में सरकार ने नई भर्ती सम्बन्धी बैन लगा/कर दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कदम सरकारी खर्च में कमी करने के लिए उठाया गया है, सरकारी विभागों में नए पद बढ़ाने और उनकी भर्ती पर पूरी रोक लगा दी गई है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स में तो पहले से था लेकिन अब नए उसमें देश में जो पांच करोड़ बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कटौती के नाम पर इसको बैन कर देना कि सरकारी नौकरियों में किसी की भर्ती नहीं की जाएगी, फाईनैंस मिनिस्टर श्री शांताराम ने इसकी हामी भरी है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मेरा यह कहना है कि हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जब नौकरियां नहीं होंगी, शैडयूल कास्ट, शैडयूल ट्राईब्स और पिछड़े वर्ग की बात जो अर्जुन सिंह जी कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर प्रधानमंत्री, फाईनैंस मिनिस्टर बैठे हैं, यह देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या सरकार ने कोई ऐसा फैसला किया है क्योंकि अखबार में मिनिस्टर का नाम लेकर, बाय नेम, स्टोरी छपी है।..... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : हां या ना में तो जवाब दे सकते हैं कि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है या नहीं। **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : यह कोई मामूली मामला नहीं है, यह देश के पांच करोड़ बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। इसलिए वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री से मैं अपील करूंगा कि वे इस बारे में अपना स्टेटमेंट दें।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र । श्री अशोक गहलोत।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री तथा वाणिज्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 'एक्सपोर्ट इन्सपैक्शन कांऊसिल' के 208 कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है और उन्हें नौकरी से बर्खास्तगी के नोटिस दे दिए गए हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है तथा मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर विचार करें। **(व्यवधान)**

जिस तरह से वाणिज्य मंत्रालय अपने कार्यालय बंद कर रहा है उससे लगता है कि स्वंय वाणिज्य मंत्री भी एक दिन फालतू बन जायेंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो तथा सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह तुरंत इन बर्खास्तगी के आदेशों को वापस ले। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय। मैं अब दूसरे विषय पर आ चुका हूं।

12.45 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

जूट विनिर्मित विकास परिषद कलकत्ता का वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) जूट विनिर्मित विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट विनिर्मित विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।
(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या ए ल० टी० 77/91]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 15(अ), जो 8 जनवरी 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (परिवार सुरक्षा निधि) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 78(अ), जो 18 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 83(अ), जो 20 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 92(अ), जो 27 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) चौथा संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 130 (अ), जो 13 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (भर्ती अग्रिम) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(छः) सा० का० नि० 169(अ), जो 21 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) (संशोधन), विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा० का० नि० 287(अ), जो 4 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम मत्स्य बंदरगाह विनियम, 1986 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 78/91]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 79/91]

(ख) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 80/91]

(ग) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 81/91]

(घ) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 82/91]

(ङ) (एक) मारमुगोवा पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) मारमुगोवा पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 83/91]

(च) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखें तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 84/91]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छः विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) (एक) कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 85/91]

विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं आठवीं और नौवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आस्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विवरण संख्या 30—पांचवां सत्र, 1986

[सभा पटल पर रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 86/91]

(2) विवरण संख्या 28—आठवां सत्र, 1987

[सभा पटल पर रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 87/91]

(3) विवरण संख्या 25—आठवां सत्र, 1987 का दूसरा भाग
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 88/91[

(4) विवरण संख्या 24—नौवां सत्र, 1987 आठवीं लोक सभा
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 89/91]

(5) विवरण संख्या 22—दसवां सत्र, 1988
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 90/91]

(6) विवरण संख्या 18—ग्यारहवां सत्र, 1988
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 91/91]

(7) विवरण संख्या 15—बारहवां सत्र, 1988
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 92/91]

(8) विवरण संख्या 14—तेरहवां सत्र, 1989
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 93/91]

(9) विवरण संख्या 11—चौदहवां सत्र, 1989
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 94/91]

(10) विवरण संख्या 9—पहला सत्र 1989
[सभा पटल रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 95/91]

(11) विवरण संख्या 8—दूसरा सत्र, 1990
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 96/91]

(12) विवरण संख्या 4—तीसरा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 97/91]

(13) विवरण संख्या 2—छठा सत्र, 1991
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 98/91]

(14) विवरण संख्या 1—सातवां सत्र, 1991
[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 99/91]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) डाक घर आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 27 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 190(अ), में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1991, जो 27 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत योजना (संशोधन) नियम, 1991, जो 2 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 253(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 100/91]

(2) अधिसूचना संख्या एफ० 15/10/91-एन० एस० II, जो 22 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों, के सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना 1991 में संशोधन के बारे में 12 दिसम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या एफ० 2/19/89-एस० II में कतिपय संशोधन किये हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 101/91]

(3) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1989-90 के बीसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 102/91]

(4) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 37 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सामान्य विनियम (संशोधन) विनियम, 1990, जो 10 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6583-आरपीडी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 103/91]

(5) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) नियम, 1988, जो 26 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1207 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 104/91]

(6) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 105/91]

(7) (एक) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली वित्त निगम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अंतर्गत दिल्ली वित्त निगम के वर्ष 1989-90 के लेखाओं पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दिल्ली वित्त निगम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 106/91]

(9) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) (1991 का संख्या 2)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी 107/91]

(दो) भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (राजस्व प्राप्तियां प्रत्यक्ष कर) (1991 का संख्या 5)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 108/91]

(तीन) भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—केन्द्रीय कार्य योजना (व्यय-कर)—1988-89—संघ सरकार (राजस्व प्राप्तियां—प्रत्यक्ष कर) (1991 का संख्या 6)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 109/91]

(चार) भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (1991 का संख्या 10)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 110/91]

(10) रेलवे के वर्ष 1989-90 के विनियोग लेखाओं, भाग-I—समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 111/91]

(11) रेलवे के वर्ष 1989-90 के विनियोग लेखाओं, भाग-II—विस्तृत विनियोग लेखे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 112/91]

(12) रेलवे के वर्ष 1989-90 के ब्लाक लेखाओं (ऋण लेखाओं वाले पूंजीगत विवरणों सहित) तुलन-पत्रों तथा लाभ-हानि लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 113/91]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 110(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कच्चे पेट्रोलियम को जब उसका भारत में आयात किया जाए सहायक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 111(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाये, उस पर सम्पूर्ण उदग्रहणीय सहायक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 112(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ऐसे कतिपय माल को, जिसे उस पर उद्ग्रहणीय मूल सीमा-शुल्क से आंशिक अथवा पूर्णतः छूट प्राप्त है, सम्पूर्ण सहायक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 113(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उस माल को जिसे मूल सीमा-शुल्क से पूर्णतः अथवा आंशिक छूट प्राप्त है, मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक सहायक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 114(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय माल को मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक सहायक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 115(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे कतिपय माल, जिसे मूल सीमा-शुल्क से आंशिक छूट प्राप्त है, पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक आनुषंगी शुल्क से आंशिक छूट विहित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 116(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विमानों, आदि के सिमुलेटरों के संघटक पुर्जों पर आनुषंगिक शुल्क की दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 117(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उद्भाषित चलचित्र फिल्म पर सहायक शुल्क से आंशिक छूट विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 118(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चिकित्सीय इलैक्ट्रोनिक उपस्करों के संघटक पुर्जों पर सहायक शुल्क की दर विहित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 119(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट मशीनरी की प्रारंभिक स्थापना के लिए आयातित मशीनरी के संघटक पुर्जों पर सहायक शुल्क की दर विहित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 120(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पहले निर्यात किए गये ताम्बे के रिबटै आदि से उत्पादित तांबे के तारों, छड़ों आदि पर सहायक शुल्क की दर विहित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 121(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 5 मार्च, 1991 से 31 मार्च, 1991 तक की अवधि के दौरान सभी ऐसे माल पर दोहरी लेवी न लगाने की दृष्टि से सहायक शुल्क की लेवी से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० का० नि० 122(अ), जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सहायक सीमा-शुल्क से संबंधित कतिपय अधिसूचनाओं को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 131(अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कच्चे पेट्रोलियम को उतने सहायक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है जितना उन पर उद्ग्रहणीय हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 132 (अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो विनिर्दिष्ट माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सहायक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सौलह) सा० का० नि० 133(अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ऐसे कतिपय माल पर, जिसे पूर्णतया या आंशिक रूप से मूल शुल्क से छूट दी गयी है सम्पूर्ण सहायक शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० का० नि० 134(अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ऐसे माल पर जिसे मूल सीमा शुल्क से सम्पूर्ण या आंशिक छूट प्राप्त है, मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक सहायक सीमा-शुल्क से आंशिक छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा० का० नि० 135(अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक सहायक शुल्क से आंशिक छूट प्रदान की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा० का० नि० 136(अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कतिपय ऐसे माल जिनसे मूल सीमा-शुल्क से आंशिक छूट प्राप्त है पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक सहायक सीमा-शुल्क से आंशिक छूट विहित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा० का० नि० 137(अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा विमान आदि के सिमुलेटरों के संघटक पुर्जों पर सहायक सीमा-शुल्क की दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा० का० नि० 138(अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा उद्भाषित चलचित्र फिल्म पर सहायक सीमा-शुल्क से आंशिक छूट विहित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा० का० नि० 139(अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा चिकित्सीय इलैक्ट्रोनिक उपस्करों के संघटक पुर्जों पर सहायक सीमा-शुल्क की दर विहित की गयी है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा० का० नि० 140(अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट मशीनरी की प्रारंभिक स्थापना के लिए आयातित, मशीनरी के लिए संघटक पुर्जों पर सहायक सीमा-शुल्क की दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा० का० नि० 142(अ), जो 14 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा पहले निर्यात किये गये तांबे के रिबर्ट आदि से उत्पादित तांबे के तारों, छड़ों आदि पर सहायक सीमा-शुल्क की दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा० का० नि० 153(अ) तथा सा०का०नि० 154(अ), जो 19 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो समुद्र में चलने वाली विनिर्दिष्ट नौकाओं को बांड में निर्माण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कच्ची सामग्री, संघटकों और कलपुर्जों को, जब उनका भारत में आयात किया गया हो, सीमा-शुल्क तथा अतिरिक्त तथा सहायक सीमा-शुल्क से सम्पूर्ण छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा० का०नि० 181(अ), जो 26 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिसके द्वारा 19 मार्च, 1991 की अधिसूचना संख्या 33/91-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा० का० नि० 195(अ), जो 1 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिसके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 35/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा० का० नि० 259(अ), जो 3 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिसके द्वारा 23 जुलाई 1983 की अधिसूचना संख्या 211/83-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 114/91]

12.47 म० प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(क) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) कॉफी बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4 (1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन ऐसी नीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4 (1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में

से दो सदस्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन ऐसी नीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(चार) रबड़ बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, काफी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(पांच) गर्म मसाला बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि गर्म मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 के साथ पठित गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, गर्म मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गर्म मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 के साथ पठित गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके

अंतर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, गर्म मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(छः) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी नीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(सात) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(आठ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें ।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

14. **श्री अशोक गहलोत** निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.51 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव--जारी

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के समाप्त होने के पश्चात् हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे ।

श्री जीवरत्नम बोल रहे थे; वे कुछ और समय तक बोल सकते हैं ।

श्री यादमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस सभा के कार्य प्रक्रिया के नियमों के अधीन एक प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता को प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार होता है । नागालैण्ड के माननीय सदस्य ने प्रस्ताव का संशोधन प्रस्तुत किया है । यह भी एक प्रस्ताव है । अतः उन्हें बोलने का अधिकार है । कल, इस पर सहमति हुई थी कि यह सभा 8.00 बजे रात्रि तक बैठेगी और उन्हें बोलना था, किन्तु गणपूर्ति न होने के कारण कल वे बोल नहीं सके ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न समझ गया हूं । आपका व्यवस्था का प्रश्न सही नहीं है । मैं अ सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा । अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, आज शुक्रवार है और इसलिए हमें भोजनावकाश मिलना चाहिए । प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहिए कि वे भोजनावकाश

के बाद प्रस्ताव का उत्तर दें क्योंकि शुक्रवार की नमाज के लिए हम मस्जिद जाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, प्रधान मंत्री कल ही बहस का उत्तर देना चाहते थे । इसे स्थगित कर दिया गया क्योंकि कुछ और सदस्य बोलना चाहते थे ।

***श्री आर० जीवरत्नम** (अर्कोनम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे अपना भाषण पूरा करने दें ।

मैं पेय जल की समस्या का जिक्र कर रहा था । कावेरी जल विवाद पर ट्रिब्यूनल ने अपना अंतरिम निर्णय दे दिया है । वह निर्णय अभी प्रकाशित होना है और मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्रता से निर्णय की स्वीकृति का आदेश दें ।

पालर नदी जल विवाद भी काफी लम्बे समय से लम्बित है । पालर नदी का उद्गम मैसूर में नंदी पहाड़ी से होता है । 1802 के एक समझौते का उल्लंघन करते हुए कर्नाटक सरकार ने पेठगमलम में एक बांध बनवाया है । इसके परिणामस्वरूप पालर नदी में कम पानी आने लगा । सूखे मौसम में, नदी में बिल्कुल पानी नहीं होता । उत्तरी आरकट और चिंगलेपाट जिलों में भूमि स्तर से 400 या 500 फुट नीचे तक भी पानी उपलब्ध नहीं होता । यहां तक कि खेती के कूएं और पेय जल जलाशय भी सूख जाते हैं । इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कर्नाटक सरकार को पालर नदी में पर्याप्त पानी छोड़ने के लिए बाध्य करें ।

महोदय, तमिलनाडु में कोयले की कमी की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । कोयले की कमी से बिजली का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इससे औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आई है । इसलिए, मैं, सरकार को सुझाव दूंगा कि उसे दूसरे देशों से कोयले का आयात करना चाहिए । संयुक्त सरकारों का हमें बहुत बुरा अनुभव रहा है । वे बिल्कुल कार्य नहीं करतीं । सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी सरकार दे सकती है जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर काम करती है । पिछले आम चुनाव में जनता का फैसला कांग्रेस के पक्ष में था । सभी दलों को उस फैसले का सम्मान करना चाहिए । इसलिए, विपक्षी दलों को एक संयुक्त सरकार बनाने का विचार छोड़ देना चाहिए और कांग्रेस सरकार के सहयोग से कार्य करना चाहिए ।

कल, माननीय वित्त मंत्री ने सदन में उस आर्थिक संकट का ब्यौरा दिया जिससे देश गुजर रहा है । देश को ऋण के जाल से बचाने के लिए मैं सभी दलों से अनुरोध करूंगा कि वे इक्कठे हों और देश की आर्थिक प्रगति के लिए मिल कर कार्य करें । सभी रामभक्तों को इस समय व्यापक देशहित में राम मंदिर की मांग को छोड़ देना चाहिए ।

माननीय प्रधानमंत्री, जो कल बोले थे, उन्होंने यह चेतावनी दी कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक आंदोलन शीघ्र ही शुरू किया जायेगा । मैं उनसे

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

अनुरोध करूंगा कि वे आंदोलन शुरू न करें और इस देश को जाति और साम्प्रदायिक विभीषिका से दूर रखें । अगर हम एक हैं तो हमारा अस्तित्व है, विभाजित हो गए तो पतन हो जाएगा । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री इम्बालम्बा (नागालैण्ड) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का समय दिए जाने के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

मैं उन कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में छूट गए थे विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र से सम्बन्धित सभा के कई वरिष्ठ एवं माननीय सदस्यों ने देश में बढ़ती हुई अराजकता और आतंकवाद पर अपनी चिंता व्यक्त की है । मैं भी इसमें पूरी तरह उनके साथ हूं । मैं यह बताना चाहूंगा कि ये सभी गतिविधियां देश के विभिन्न भागों में संगठित दलों द्वारा की जाती हैं । किन्तु इन सभी दलों की कुछ पृष्ठभूमि व अतीत हो यह जरूरी नहीं है । इसीलिए, अगर हम एक आम समाधान ढूंढने के लिए उन्हें एक साथ कर दें तो यह गलत होगा ।

उत्तर-पूर्व में ये सभी उग्रवादी आंदोलन प्रारंभ में एक शांतिपूर्ण एवं लोकप्रिय आंदोलन के रूप में शुरू हुए थे । इस पर मैं आज जोर देना चाहता हूं । यह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन हमारी गलती की वजह से उग्र हो गए । आज भी, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में, स्थिति बदतर होती जा रही है । इसका कारण यह है कि हम उस आंदोलन से जुड़ी लोकप्रिय भावनाओं की उपेक्षा कर के एक सैन्य समाधान तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार से, अगर हम ईमानदार हैं तो, हमें यह मान लेना होगा कि "उल्फा" और नेशनल सोसलिस्ट कौंसिल आफ नागालैण्ड पर प्रतिबंध लगाने के बाद से उत्तर-पूर्व में स्थिति गंभीर हो गई है । अगर हम ईमानदार हैं, तो हमें यह स्वीकारना होगा । आज भी हम समस्या में राजनैतिक पहलुओं की उपेक्षा करके समस्या का सैन्य समाधान चाह रहे हैं । हम इस विशेष तथ्य को स्वीकार कर लें । इसी वजह से जैसे ही एन० एस० सी० एन० पर प्रतिबंध लगाया गया, नागालैण्ड सरकार ने आपत्ति प्रकट की और एक संकल्प पारित किया जिसके बारे में मैं यहां संक्षेप में कहूंगा । यह 29–11–1990 को पारित हुआ था ।

> "आज मंत्रिपरिषद् ने अपनी आपात्कालीन बैठक में भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम, 1967 के तहत एन० एस० सी० एन० की प्रतिबंधित करने की नवीनतम उद्घोषणा पर चर्चा की । मंत्री परिषद् ने विचार किया है कि वर्तमान राज्य सरकार की नीति भूमिगत लोगों के सभी वर्गों के साथ सामंजस्य की रही है ताकि उन सब को भारत सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार किया जा सके ।"

1.00 म० प०

ये बातें दर्शाती हैं कि मंत्री परिषद् अनुभव करती है कि भारत सरकार की नवीनतम कार्यवाही समझौते की प्रक्रिया में सहायक नहीं हो सकती और राज्य सरकार को एक स्थायी राजनैतिक समाधान ढूंढना चाहिए । मंत्रि परिषद् ने इस तथ्य पर खेद प्रकट किया

कि घोषणा करने से पूर्व भारत सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श भी नहीं किया । इसलिए, इसने भारत सरकार से अपने रूख पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रतिबंध राज्य सरकार के परामर्श के बिना लगाया गया था और इस प्रतिबंध को लगाने से काफी समस्याएं पैदा हो गई हैं । आज नागालैण्ड शांत नजर आता है । किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि यह शांति एक छलावा है । जो भीतर है वह बिल्कुल अलग है । जब तक एक ऐसी स्थिति पैदा नहीं की जाती जब कि भूमिगत लोगों के साथ वार्ताएं और बातचीत नहीं की जाती, तब तक प्रतिबंध लगाने से लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होगी ।

यदि असम में जैसा सैन्य विरोध हुआ है । ऐसा नागालैण्ड में हुआ होता तो मैं कहूंगा कि वहां स्थिति आज से भी बदतर होती ।

नागालैण्ड विधान सभा ने इस वर्ष मार्च के महीने में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया । यहां मैं यह बात कहना चाहता हूं ।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : कृपया सभा की बैठक स्थगित करें ।

अध्यक्ष महोदय: सदस्य जब अपना भाषण समाप्त करेंगे तो मैं सभा की बैठक को स्थगित करूंगा ।

प्रधान मंत्री भोजनावकाश के पश्चात् 2.15 म० प० पर बोल सकते हैं ।

श्री इम्वालम्बा : नागालैण्ड विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें कहा गया है कि नागा राजनैतिक समस्या के स्थायी समाधान का मुख्य सिद्धांत प्रेम, आपसी समझ और वार्ता पर आधारित है ।

जनता और सरकार जनता के सभी वर्गों के माध्यम से हर संभव प्रयास कर रही है कि इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए एक सहमति बने । जनता और भूमिगत लोग दोनों सिद्धांत रूप से इस समस्या को प्रेम और आपसी समझ से सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं । हथियारों से नहीं । इससे परिणाम प्राप्त हुए हैं और अतीत में इसका व्यापक अनुभव रहा है और आज भी शांतपूर्ण उपाय ही नागा समस्या का एकमात्र समाधान है ।

इसलिए, यह सभा एन० एस० सी० एन० को असहयोगी संगठन घोषित करने पर अपनी चिंता व्यक्त करता है और भूमिगत नागाओं के सभी वर्गों के साथ, प्रेम और आपसी समझ की भावना से, नागा राजनैतिक समस्या का एक स्थायी समाधान ढूंढने के लिए बात-चीत शुरू करने का आग्रह करती है ।

ये कुछ तथ्य हैं । अगर राज्य सरकार ऐसा अध्यादेश पारित करती है जब कि विचार-विमर्श जारी हो, तो आप समस्या पैदा करते हैं । सभा को विश्वास में लिए बिना और मामले के विस्तार में गए बिना ऐसा नहीं करना चाहिये ।

उल्फा को प्रतिबंधित कर दिया गया था और जब स्थिति गंभीर हो गई तभी उल्फा को बातचीत के लिये बुलाया गया। इसे प्रतिबंधित किये जाने से पूर्व उन्हें कुछ भी नहीं करना था। यही मेरा कहना है।

ये कुछ विसंगतियां हैं और मेरे विचार में उल्फा तथा नेशनल कौंसिल ऑफ नागालैण्ड पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत में उत्पन्न हुई वर्तमान स्थिति से इसका सीधा सम्बन्ध है।

दो अन्य बातें हैं। मैं बहुत ही खतरनाक स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है और वह है स्वायत्तशासी राज्य मांग समिति का गठन। असम राज्य के अन्तर्गत कर्बी एंगलौंग और उत्तर कछार जिला के लोग स्वायत्तशासी राज्य की मांग कर रहे हैं। आगे मेरा यह कहना है कि अब तक उनकी मांग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रही है। मैं इस देश के लोगों और विशेष कर कर्बी एंगलौंग और कछार जिला के लोगों को जानता हूं। उनके मन में यह भावना पैदा हो रही है कि जब तक वे अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को आपके सामने नहीं रखेंगे तब तक दिल्ली में बैठे लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित नेता उन पर कोई ध्यान नहीं देंगे और चाहे किसी को यह मान्य हो अथवा नहीं इस बारे में कुछ न कुछ करना ही होगा। वहां आज यही भावना पैदा हो गई है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि लोगों का विश्वास उस व्यवस्था से उठ गया है जिसके अन्तर्गत उन्हें रहना है।

महोदय, इस समस्या के समाधान के लिये संविधान में पहले से ही उपबन्ध किया हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिये संविधान के अनुच्छेद 244–क में स्पष्ट आधार दिया हुआ है। इसमें असम राज्य के अन्तर्गत कर्बी एंगलौंग और उत्तर कछार जिला को स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा देने का स्पष्ट उपबन्ध है। जैसा कि मैंने पहले कहा है यह उपबन्ध संविधान के बाईसवें संशोधन के द्वारा पहले किया जा चुका जिसे 1971 में पारित किया गया था। यह संशोधन असम राज्य में ही स्वायत्तशासी राज्य बनाने के संबंध में विशेष उपबन्ध करता है। यह 1971 में पारित किया गया और विगत बीस वर्षों से इस उपबन्ध को लागू नहीं किया गया है। यहां तक कि एक छोटा बच्चा भी बीस वर्षों में वयस्क हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री इन्चालम्बा : वहां उग्रवाद की स्थिति पैदा हो गई है। 1971 के संविधान संशोधन के बाद जोड़े गये उपबन्ध से कर्बी एंगलौंग और उत्तर कछार जिला के लोग यह नहीं कहते कि वे असम से अलग होना चाहते हैं। निश्चय ही इस संबंध में पहले से उपबन्ध विद्यमान है। वे असम राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त-शासी राज्य नाम के तहत अधिक स्वयत्तता की मांग कर रहे हैं। इस समस्या को हल करने में क्या कठिनाई हो रही है? मैं यह नहीं कहता कि असम सरकार इस पर ध्यान दे परन्तु उन्हें विश्वास में लिया जा सकता है। असम राज्य के लोगों का इस विशेष मुद्दे को हल करने में सहमत नहीं होने का कोई कारण मुझे नहीं दीखता है। यही एक महत्वपूर्ण मंच है जिसके माध्यम से मैं यह बात कह सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी।

अन्त में मेरा यह कहना है कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1972 को वापस लिया जाए। भारतीय संसद् द्वारा जितने भी अधिनियम पारित किये उनमें यह अब तक का सब से अधिक

दमनात्मक अधिनियम है। वे क्षेत्र जहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लागू है मैं स्पष्ट कहता हूं इस अधिनियम ने वहां के लोगों के चेहरों पर परेशानी और उत्पीड़न की अमिट छाप छोड़ी है। जिन लोगों की इस उत्पीड़क अधिनियम का व्यवहारिक अनुभव नहीं है वे इसे गंभीरता से नहीं ले सकते। लेकिन जिन्हें इसका व्यवहारिक अनुभव है वे उसकी क्रूरता से परिचित हैं। इस देश इस अधिक और कोई भी अधिनियम क्रूर नहीं हो सकता है। इस अधिनियम के तहत राज्य और उसकी सशस्त्र बलों को असाधारण अधिकार प्राप्त हैं। वे ऐसे असाधारण अधिकारों से लैस हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं से भी परे हैं। सेना के कमीशन प्राप्त कनिष्ठ अधिकारों को यह अधिकार और शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह किसी भी व्यक्ति को गोली मार सकते हैं, घर में घुस कर तलाशी ले सकते हैं और किसी को भी बिना वारंट के केवल शक पर गिरफ्तार कर सकते हैं। जब यह कानून कार्यान्वित होता है तो कोई भी नागरिक प्रशासन प्रभावी नहीं होता है और प्रशासन सेना के हाथ में होता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि अकारण ही शांतिपूर्ण नागरिकों पर यह कानून लागू है। इसलिये मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इसे समाप्त करें। इस तरह इसे लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसे कानून को लागू करने से धीरे-धीरे लोग राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। यह कानून विशेषरूप से पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिये ही बनाया गया है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि असम नागालैण्ड और मणिपुर जैसे राज्यों में, जहां भी यह कानून लागू है, इसे समाप्त कर दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी बोलेंगे। आपको अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करना होगा।

श्री सत्येन्द्र नाथ ओम्हो चौधरी (कोराझार) : दो मिनट में ? तब मैं नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या (मछलीपटनम) : महोदय, सरदार बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपय ध्यान रखें कि आप थोड़े में ही अपनी बात कहें। आप केवल मुद्दों को ही सामने रखें।

श्री के० पी० रेड्डय्या : मैं केवल मुद्दों को ही सामने रख रहा हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 11 में यह कहा गया है कि सरकार यह समझती है कि देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट से घिरा है। अभिभाषण में यह नहीं कहा गया है कि यह अभूतपूर्व स्थिति क्यों पैदा हुई—क्या यह स्थिति अचानक ही उत्पन्न हो गई या इस सरकार द्वारा विगत चालीस वर्षों में लगातार उपेक्षा, धांधलियों और भ्रष्टाचारों को अपनाए जाने के कारण उत्पन्न हुई है ?

मैं इस माननीय एवं महान सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जनता से सौ प्रतिशत अथवा जो जितना भी हो मत प्राप्त करने के बाद भी यह सभा देश के केवल पांच प्रतिशत लोगों के उद्देश्यों को पूरा करती है। यही मौलिक कारण कि 42 वर्षों तक इस प्रशासन को झेलने के पश्चात् क्यों नहीं कोई भी, मैं भी, नकसलवादी अथवा उग्रवादी बन जाएगा। सरकार के विचारार्थ मैं एक बात कहूंगा। भ्रष्टाचार किस तरह हो रहा है इसका वर्णन मैं नहीं करने जा रहा और निहित स्वार्थ वाले देश के दो प्रतिशत लोग किस तरह आई० डी० बी० आई० और आई० एफ० सी० आई० बैंकों को लूट रहे हैं। मैं इनके विस्तार में नहीं जा रहा। हर व्यक्ति जानता है कि भ्रष्ट लोगों और निहित स्वार्थ वाले लोगों

द्वारा किस तरह विदेशी कर्ज का एक लाख करोड़ रुपया बाहर भेज दिया गया और किस तरह अप्रवासी भारतीयों आदि द्वारा सरकार को ऋण देकर उस राशि को वापस लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ऐसी परिस्थितियों में कोई नक्सलवादी क्यों नहीं बन जाएगा। आजादी के 43 वर्षों बाद भी हरिजन, आदिवासी और किसानों की स्थिति वही है जो 1947 में थी केवल मुझे जैसे कुछ लोगों को छोड़कर जो गांव से शहर आ गये। इस कांग्रेस सरकार ने उन 20 प्रतिशत लोगों को देश को यथासम्भव लूटने का भरपूर अवसर प्रदान किया।

देश में यह स्थिति है। देश के अस्सी प्रतिशत लोगों की स्थिति यथावत है। अब मैं एक दो उदाहरण देता हूं।

ज्यों ही सुश्री जयललिता ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का भार संभाला उन्होंने राज्य में नशाबंदी लागू कर दी। महोदय, आप समझ सकते हैं कि जो नशाबंदी लागू की गई वह शराब गरीबों का पेय है। देशी शराब का मूल्य देश में पचास पैसे या एक रुपये प्रति लीटर है। इस देश में बहुत से बुधिजीवी, विरोधी दल और उच्च व्यक्तित्व वाले लोग हैं। वे जानते हैं कि एक लीटर देशी शराब जिसका मूल्य एक रूपया होता है उसे हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को 60 रुपये में बेचा जाता है। यह पैसा कौन कमा रहे हैं। गरीबों का खून चूस कर प्रत्येक राज्य 500 से 600 करोड़ रुपये कमा रहा है। इस अत्याचार को कोई रोकने वाला नहीं है इस पर कोई उंगली नहीं उठाता? तब कोई उग्रवादी क्यों न बने।

मछुआरों के संबंध में एक प्रश्न करना चाहता हूं। तटीय क्षेत्र के मछुआरों को चक्रवात के समय अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें भोजन, आवास और वस्त्र के बिना रहना पड़ता है। अब भारत सरकार ने कुछ ट्रालियां, मछली पकड़ने के कुछ अन्य उपकरण तथा नावों इत्यादि की स्वीकृति दी थी। महोदय, ये सब किसे दी गई ह? उन्होंने ये सब करोड़पतियों को दी हैं परन्तु किन नियमों व शर्तों पर दी गई हैं? उन्होंने ये सब वस्तुएं करोड़पतियों को दी हैं तथा साथ में 95 प्रतिशत सरकारी ऋण भी ट्रालियां खरीदने के लिए दिया है तथा उन मछुआरों की अपेक्षा करके उन्हें दिया है जो वहां पर कई वर्षों से कार्यरत हैं। करोड़पतियों को अपने पास से सिर्फ 5 प्रतिशत धन ही लगाना है।

देश में इस समय एक नई परम्परा स्थान लेती जा रही है। आंध्र प्रदेश में अस्पतालों के संबंध में सात सितारा संस्कृति प्रचलित हो रही है। एक ओर सरकार कहती है कि हम आर्थिक संकट में है परन्तु वे उन व्यक्तियों को सात सितारा अस्पताल बनाने की मंजूरी दे रही हैं जो इस कार्य में अवैध रूप से अर्जित किए गए अपने काले धन को लगाना चाहते हैं। हमारे सरकारी अस्पतालों में न केवल दवाईयां ही उपलब्ध नहीं होती बल्कि अस्पतालों में स्नान गृहों तथा शौचालयों को साफ रखने के लिए फिनाइल तक नहीं दी जाती। यह स्थिति है। इस कार्य में उन्होंने उपकरणों का आयात करके पच्चीस प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित की थी।

निःसन्देह कांग्रेस के शासन में सरकार ने देश का काफी व्यापक स्तर पर विकास किया था। परन्तु किसके हाथों में सम्पत्ति है? प्रश्न यह है। विपक्ष सहित हर कोई यही कहता है कि

इस देश में धन सम्पत्ति की कोई कमी नहीं है। परन्तु सम्पत्ति किसके पास है? धन सम्पत्ति स्वार्थी तत्वों, राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों के हाथों में है। पिछले 44 वर्षों से कृषक सम्प्रदाय सहित पूरी अस्सी प्रतिशत जन संख्या की उपेक्षा की जा रही थी। मैं सदन के ध्यान में इस देश की वर्तमान स्थिति को लाना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को किसानों के कर्जे माफ करने के कारण काफी गम्भीर रूप से नुकसान हो रहा है। महोदय, मैं सदन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि किसानों के कर्जे माफ करने से अधिकतम राशि 600 करोड़ रु० अथवा 1,000 करोड़ रु० से भी कम होगी। जबकि पिछले बयालीस वर्षों से 64,000 करोड़ रु० का ऋण उद्योगपतियों को दिया जा चुका है तथा इस ऋण पर ब्याज माफ किया जा चुका है। क्या वित्त मंत्री जी का यह अनुचित वक्तव्य नहीं है? जब कोई कृषक कई करोड़ टन अनाज पैदा कर रहा है तो आपको भारतीय कृषक पर गर्व होना चाहिए। इससे पहले हम अनाज का आयात कर रहे थे तथा अमरीका से मंगाए जाने वाले अनाज का हम जो कुछ भी आवाजाही शुल्क दे रहे थे वह सब अभी तक ऋण माफी के रूप में उन्हें नहीं दिया गया है। ताड़ी बेचकर आपको शीरे से 20,000 करोड़ रु० मिल रहे हैं जिसके लिए आदान गन्ना है। मैं समझता हूं कि इस सम्पूर्ण देश की जनता का माननीय वित्त मंत्री में विश्वास है तथा इसीलिए उन कांग्रेसियों द्वारा उन पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए जो उनके ऊपर हावी हो रहे हैं।

हमें दलगत भावनाओं को भूलना है। मंडल आयोग के बारे में मैं यही कहूंगा कि मेरे माता पिता ने यही सिखाया है कि

[हिन्दी]

कभी कोई सच्चा ब्राह्मण रास्ते में मिले तो प्रणाम करो।

[अनुवाद]

अन्यथा इस देश में यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। मैं कुर्मी यादव हूं। इस देश में बावन प्रतिशत पिछड़ापन वहां पर है। वे ईमानदारी पूर्वक देश की सेवा कर रहे हैं। वहां न राजनैतिक भ्रष्टाचार है अथवा न ही आर्थिक भ्रष्टाचार। उन्होंने अभी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। वे ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं सौ प्रतिशत हिन्दू हूं। जब किसी हिन्दू को आरक्षण द्वारा भारत सरकार से थोड़ा सा लाभ मिल रहा है तो

[हिन्दी]

पूरे हिन्दुस्तान को जला दिया।

[अनुवाद]

यहां पर भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेसी निहित स्वार्थी तत्व आ गए।

मैं सौ प्रतिशत हिन्दू हूं। आप हिन्दुत्व की रक्षा कैसे कर सकते हैं जबकि मुझे सरकार से सिर्फ थोड़ा सा लाभ ही मिल रहा है तथा आपको यही सहन नहीं हो पा रहा है? सम्पूर्ण देश को इन शर्माओं की अभिरक्षा में रखे जाने का प्रयत्न किया जा रहा है आपने इस देश को इस स्थिति तक पहुंचा दिया है।

जब श्री एन० टी० रामाराव ने कार्यभार संभाला था देश में पचास प्रतिशत भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। आपने एन० टी० रामाराव को बलि का बकरा बना दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि एन० टी० रामाराव जी ने भ्रष्टाचार को कैसे बन्द किया है। उन्होंने एक योजना बनाई है।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको अपनी बात समाप्त करनी है। अब आपको निश्चित रूप से अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या : मैं पीठासीन अधिकारी के आदेशों को मानूंगा। महोदय, केवल एक बात कहनी है। जब श्री एन० टी० रामाराव ने अपना कार्यभार संभाला था उन्होंने ईमानदारी से भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची देखी थी। उन्होंने उनसे पूछा था कि अब तक उनकी क्या परिसम्पत्ति थी तथा क्या यह उनके घोषित अर्जन को देखते हुए अनुरूप थी।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त करिए। अब बहुत हो चुका।

श्री के० पी० रेड्डय्या : महोदय, देश एक अत्यन्त गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है जबकि हम सरकार को समर्थन देना चाहते हैं ताकि वह यथासंभव सीमा तक समस्याओं का समाधान कर सके। **(व्यवधान)** .....

अध्यक्ष महोदय : 3.30 बजे हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संबंधी चर्चा करेंगे। हमें उसके आरम्भ होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरा करना है। अब अपनी बात समाप्त करिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या : मैं आपकी सज्जनता के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा 1.25 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.25 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.25 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.26 म०प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.26 म०प० पर पुनःसमवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी)

[अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी]

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैं समझता हूं कि उच्च स्तरीय चर्चा की गई है जो कि इस सम्माननीय सदन के अनुकूल है।

महोदय, मेरे लिए माननीय सदस्यों का नाम लेकर उल्लेख करना तथा उन्हें जो भी कहना था उस सम्बन्ध में कुछ कहना संभव नहीं होगा। अतएव, मैं केवल कुछ ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जिनके बारे में अधिकतर सदस्य संभवतः लगभग सभी सदस्यों द्वारा कहा गया है तथा उन सभी विषयों पर अलग-अलग सरकार का मत बताते हुए कुछ कहना चाहूंगा।

महोदय, एक बात जो कुछ सदस्यों द्वारा कही गई वह अभिभाषण के तरीके के बारे में कही गई। कुछ ने इसे नीरस तथा कुछ ने रंगविहीन आदि कहा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा सिवाय यही कि राष्ट्रपति जो शायद सदस्यों के लाभ के लिए ही सारा भाषा में समझाना चाहते थे। मैं नहीं समझता कि हमें इसके लिए उन्हें दोष देना चाहिए। यह नवनिर्वाचित सभा है तथा हम सभी तथा मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी सभी विषयों के बारे में संक्षेप में कहने के बजाय विस्तार पूर्वक बतायें। मैं प्रसन्न होऊंगा तथा मुझे विश्वास है कि कई सदस्य भी यह देखकर प्रसन्न होंगे कि अधिकतर मुद्दों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। अतः जहां तक तरीके का सम्बन्ध है यह अवसर के अनुकूल है तथा मैं उन सदस्यों से सहमत नहीं हूं जिनके विचार से यह काफी लम्बा है अथवा रुचिदायक नहीं था। किसी भी रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिये गये अभिभाषण में हमें "रुचिपूर्ण मामलों" की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये क्योंकि ये "रुचिपूर्ण मामले" उतने लाभदायक नहीं है" जिन पर कि संसद सदस्य पूरी जिम्मेदारी से विचार विमर्श करें तथा फिर निर्णय लें। ये वही सब बातें हैं जो कि आमतौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में होनी चाहिए तथा इसीलिए इस अभिभाषण में भी उन्हीं सब बातों का उल्लेख था।

महोदय, मैं बहुत देर तक कुछ सदस्यों द्वारा की गई टीका-टिप्पणियों, जिन्हें पहले भी कई बार व्यक्त किया जा चुका है जैसे कि यह अल्पमत की सरकार है, इस बारे में भी अधिक नहीं कहूंगा।

इस समय उसे पुनः कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मानते हैं कि यह अल्पमत की सरकार है। तथा अल्पमत की सरकार होते हुए भी इसे वे निर्णय लेने हैं जो अन्य अल्पमत की सरकारें औपचारिक रूप से नहीं ले सकीं अथवा कभी नहीं लिया था। इस अल्पमत की सरकारें की यही विशेषता है। सदस्यों ने कांग्रेस दल को सभा में केले सबसे बड़े दल के रूप में कहा है। ऐसा ठीक भी है। परन्तु इससे भी अधिक थोड़ी कुछ और इसकी विशेषता है। यदि मेरे दल की संख्या 119 अथवा 120 होती तब भी सदन में मेरा सबसे बड़ा दल होता। मेरे दल की संख्या 120 पर समाप्त नहीं होती। अतः यह न केवल सबसे बड़ा दल है बल्कि इसे लगभग बहुमत भी प्राप्त है। अतएव 120 तथा 240 में अन्तर इतना अधिक स्पष्ट है कि मुझे अपने दल की संख्या 120 पर ही नहीं रोकनी है। यह 240 अथवा 241 है जिसका अभिप्राय यह है कि मुझे केवल 10,12 अथवा 13 स्थान की ही बहुमत प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। परन्तु मैंने पहले ही कहा है कि मैं इस संख्या को अथवा मुझे जितनी और संख्या की आवश्यकता है इन सब बातों को वास्तव में कोई महत्व नहीं देता। मैंने पहले ही कहा है कि देश की समस्याओं

का समाधान करने का मेरा तरीका भिन्न है। मैं आम सहमति प्राप्त करना चाहूंगा। मैं उस आम सहमति को बनाने के लिऐ बड़ी सावधानी पूर्वक प्रयास करूगा। चूंकि कोई भी निर्णय कांग्रस सरकार का निर्णय ही होगा तथा निर्णय की जिम्मेवारी, निर्णय के नतीजों का सामना करने की जिम्मेवारी भी मेरी ही होगी अत: कम से कम मैं स्वय को यह आश्वस्त अवश्य करना चाहूंगा कि प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले में अपनी क्षमतानुसार आम सहमति बनाकर ही कुछ निर्णय लिया जाए। अत: मेरा तरीका यही रहा है तथा आगे भी मेरा यही तरीका रहेगा। अत: जितनी संख्या की मुझे आवश्यकता है अथवा इस समय हमारे सभा में जितने स्थान हैं, वास्तव में इनकी संख्या का कोई बहुत महत्व नहीं है। मैं पुन: सदस्यों से निवेदन करूगा कि वे पुन: 14 अथवा 15 स्थानों की कमी रहने की बात न कहें। इस बात को हम (पूरी सभा) भूल सकते हैं तथा शायद अपना ध्यान इस तरफ से हटा सकते हें तथा अपना ध्यान उन वास्तविक समस्याओं की ओर लगा सकते हैं—जिनका सामना पूरे देश को करना पड़ रहा है।

कांग्रेस ने अपने सामने सर्वदा एक दृष्टिकोण रखा है। उस दृष्टिकोण के बिना कांग्रेस दल अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकेगा तथा 106 वर्षों से भी अधिक समय तक प्रभावी रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। यह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है कि यह दल इतने लम्बे समय तक अस्तित्व में रहा है तथा और लम्बे समय तक अस्तित्व में रहने का वचन देता है। प्रश्न यह है कि हमारा एक दृष्टिकोण है। तथा यह दृष्टिकोण सम्पूर्ण देश के लिए है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक वर्ग, देश के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में ध्यान दिया गया है तथा सब का हित हो यह माना गया है। हम किसी समस्या का टुकड़ों-टुकड़ों में समाधान करना नहीं चाहते हैं बल्कि हम समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप में भी करने का प्रयास करते हैं। बल्कि हम हमेशा उस समस्या का समाधान सम्पूर्ण देश के हित को सामने रखकर ही करने का प्रयास करते है तथा यही हमारा दृष्टिकोण है जो कभी भी नहीं बदला है। हमने इस दृष्टिकोण को धूमिल नहीं होने दिया है।

हमने चाहा था कि इस कल्पना की कार्यरूप में परिणति हो, इसे वास्तविक रूप दिया जाए, ताकि पुरानी बातों की निरन्तरता के साथ परिवर्तन भी होता रहे। अब हम जैसे भी हं अपने को आगे भी वैसा ही, जारी रखे हुए हं साथ ही, एक समय विशेष में हम जो रहे हैं, उससे हममें बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। भारत के किसी गांव का उदाहरण लीजिए। हममें से अधिकांश लोग गांवों से सम्बन्ध रखते हे। क्या मैं यह कह सकता हूं कि आज मेरा गांव वैसा ही है जैसा यह 40, 50 या 60 वर्ष पूर्व था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि मेरा गांव वैसा ही है जैसा कि यह पांच या दस वर्षों पूव था। लेकिन आज भी मेरे गांव को उसी नाम से जाना जाता है। यह दिखाई भी वैसा ही देता है। इसकी मौलिक विशेषतायें भी वही हैं जो 100 वर्षों पूर्व थी। इसलिए यह अपने भूत से जुड़ा भी है और इसमें परिवर्तन भी हुआ है। ये दोनों चीजें साथ-साथ ही रही हैं और वास्तव में इसके मूल में हमारी संस्कृति है। हम आकस्मात परिवर्तनों में विश्वास नहीं करते हैं। हम परस्पर विरोधी विचारधाराओं के टकराव में विश्वास भी नहीं करते हैं।

हम उस प्रकार के वाद और प्रतिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, जिससे किसी अन्य प्रणाली का उदय हो। इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हमें कोई परिवर्तन करना होता है, तो हमें पुरानी बातों के साथ निरन्तरता बरकरार रखते यह परिवर्तन करना पड़ता है। हमारे कानूनों, भारत के प्राचीन कानूनों का उदाहरण लीजिए। उनमें बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है। लेकिन वास्तव में उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक कानून को समाप्त कर अन्य कानून को बिल्कुल नय रूप से लिखा गया हो। ऐसा नहीं हुआ है। हमने इसकी व्याख्या कर इसे परिवर्तित किया है। हमने पुराने कानूनों में कुछ नई विशेषतायें जोड़ कर इसमें परिवर्तन किया है। इस प्रकार से भारत की प्राचीन विधि व्यवस्था हजारों वर्षों से बरकरार है। इस प्रकार हम व्यवहार द्वारा परिवर्तन लाने में विश्वास करते हैं। कानून में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक विशष स्थान में यदि कोई बात, परम्परा व्यवहार में लायी जाती रही है तो इसे कानून की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इन बातों में हम विश्वास करते हैं। हम व्यवहार द्वारा, व्याख्या द्वारा परिवर्तन लाते हैं। किसी विषय विशेष पर सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपना कर हम परिवर्तन लाते हैं। जबकि कोई कानून बना रह सकता है, कानून के शब्द बरकरार रह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम इसकी व्याख्या करते हैं, जिस प्रकार से वास्तविक जीवन में हम इसे लागू करते हैं, उससे परिस्थितियां बदल जाती हैं और इस प्रकार हम परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार पुरानी बातों को बरकरार रखते हुए परिवर्तन लाया जाता है, जिसमें आधुनिक विचारों को समाहित किया जाता है।

आधुनिकीकरण द्वारा परिवर्तन लाया गया है। आधुनिकीकरण का अर्थ उन बातों से नहीं है जो विगत चार या पांच वर्षों से की जाती रही हैं। जब हम पुरानी तकली के स्थान पर चरखे का प्रयोग शुरू किया तो यह आधुनिकीकरण ही था। और जब हम जब उस चरखे से अम्बर चरखे पर जिससे गांधी जी ने शुरू किया था आये तो यह और आगे आधुनिकीकरण था। फिर जब हम मशीनी चरखे में आये तो उससे भी ज्यादा आधुनिकीकरण हुआ। इसलिए बिना हमारी जानकारी के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि यह अचानक नहीं हुआ है। परिवर्तन आकस्मिक नहीं है। यह परिवर्तन ऐसा नहीं है कि विगत की सभी व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है और आगे के लिए नये सिरे से तैयारी शुरू कर दी गयी है। ऐसा दृष्टिकोण कभी नहीं रहा है और इसलिए परिवर्तन पुरानी बातों को बनाये रखते हुए हुआ है। समाज कभी भी स्थिर नहीं रहा है। हमें यह बात समझनी चाहिए। यह कभी भी स्थिर नहीं रहा है। यह हमेशा से गतिशील रहा है इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रकार यह भारतीय इतिहास की एक विशेषता है। कभी कभी इन समस्त परिवर्तनों के कारण देश को क्षति उठानी पड़ी है लेकिन प्राय देश ने प्रगति ही की है। पंडित जी और शायद अनेक लेखकों ने अनेक बार यह कहा है कि जब भी यह परिवर्तन रुका है, जब भी भारतीय जन जीवन के किसी भी क्षेत्र में जड़ता आयी है, तो देश और समाज को नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए ये ही कुछ घटनायें हैं जो कि भारतीय जीवन में एक नियम की अपेक्षा अपवाद समझी जा सकती है। जीवन में परिवर्तन हो रहा है और आमतौर पर सभी परिवर्तन सही दिशा में हुए हैं। कोई भी परिवर्तन

सम्भवतः गलत दिशा में नहीं हुआ है। इससे हमारे समक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रश्न उठता है। महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कोई भी आविष्कार हमेशा से समस्याओं के निदान हेतु होते हैं। बिना किसी उपयोगिता के विज्ञान का कुछ भी महत्व नहीं है। यह हमेशा से उपयोगी रहा है। हमने हमेशा से यह देखा है कि किसी बेहतर तरीके के लिए ही हमने परिवर्तन किया है चाहे यह एक चरखे से अन्य में ही, चाहे यह एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में हो, तथा चाहे यह बुनकरों या रंगाई प्रक्रिया और हमारे गांवों की अनेकों प्रक्रियाओं में हो। मैं बड़े उद्योगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस आर्थिक जीवन की चर्चा कर रहा हूं जो भारत के गांवों से सम्बन्धित है। इसमें हमेशा परिवर्तन हुए हैं और हर परिवर्तन बेहतर जीवन के लिए, सम्बद्ध लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए हुआ है। भारत में प्रौद्योगिकी का यही उद्देश्य रहा है। आज हम प्रौद्योगिकी को जो समझते हैं, प्रौद्योगिकी का अर्थ सिर्फ वह नहीं है। वास्तविक जीवन स्थिति में वैज्ञानिक सिद्धान्त का कोई भी उपयोग प्रौद्योगिकी ही है और यह प्रौद्योगिकी हमेशा लोगों की अच्छाई के लिए है तथा विशेष रूप से पिछले पांच से दस वर्षों में आई आधुनिक प्रौद्योगिकी। देश की समस्याओं के निदान के लिए हमने इसे लागू करने की कोशिश की है।

महोदय, अब मैं एक बहुत ही छोटा और सामान्य-सा उदाहरण दूंगा। हम गांवों में पेयजल की बात करते हैं। जी हां, विगत 40 वर्षों में लाखों गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है। लेकिन अब भी हमारे देश में कम से कम हजारों गांव ऐसे हैं, जहां पेय जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब राजीव जी थे तो उन्होंने पेयजल हेतु विशेष प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की थी। उस मिशन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी और दो तीन वर्षों में ही उन्होंने गांवों में पेयजल सम्बन्धी असाध्य समस्या का समाधान ढूंढ लिया। हम में से प्रत्येक का अनुभव क्या है? हम गांवों में जाते हैं, खण्ड विकास पदाधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति जो वहां के विकास सम्बन्धी कार्यों का प्रभारी है, उन्हें धनराशि दे देते हैं। वहां लोग कुआं खोदते हैं और उन्हें अन्त में वहां चट्टान मिल जाती है। लोग कुआं खोदते हैं और उन्हें खारा पानी मिलता है। लोग कुआं खोदते हैं और उन्हें फ्लोराईड-युक्त पानी मिलता है। इन सबका समाधान क्या है? आप फिर दूसरे वर्ष जाते हैं, और अधिक धनराशि देते हैं और फिर कुआं खोदने पर पहले से भी अधिक फ्लोराईट, चट्टानें आदि मिलती हैं। यह समस्या कभी सुलझायी नहीं गयी है। इसलिए यह सिर्फ धनराशि का प्रश्न नहीं है। अब यह सिर्फ धनराशि प्रदान करने का प्रश्न नहीं रह गया है। हमने गांवों में देखा है, मैं उन गांवों को जानता हूं जहां गांव में तीन या चार अलग-अलग स्थानों पर हम तीन-तीन या चार-चार बार कुआं खोदते हैं लेकिन कुछ नतीजा प्राप्त नहीं होता है। वहीं चट्टान निकल आती है। क्या यह धनराशि का प्रश्न है? क्या यह कोई ध्यान देने का प्रश्न है? इस पेयजल के कुओं के सम्बन्ध में जो कि बहुत ही आम बात है, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें प्रौद्योगिकी का प्रश्न निहित है, न कि धनराशि या ध्यान देने वाली कोई बात है। हमारे सामने ये समस्यायें हैं।

अब टीकाकरण का ही उदाहरण लीजिए। हम गांवों में टीके भेजते हैं। शहरों के आस-पास तो ये टीके बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। सौ मील दूर चले जाईये और

ये टीके मात्र पानी बन कर रह जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि इनसे बच्चे का भला हो सकता है। इनसे बच्चे की रक्षा नहीं हो पाती है क्योंकि वहां टीके की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। इन टीकों को लगातार एक निश्चित कम तापमान पर रखना होता है? जिसे इसकी शीत श्रृखला (कोल्ड चेन) कहते हैं। यदि यह शीत श्रृखला कहीं भी भंग हो जाती है, तो यह टीका बेकार हो जाता है। हमारे रिकार्ड में लिखा होता है कि टीके जारी कर दिये गये है। हम विधान सभा या संसद में वक्तव्य देते ह कि अमुख-अमुख गांवों को टीकों की सप्लाई कर दी गई है। लेकिन उस टीके ने काम नहीं किया। उसमें किस चीज की कमी थी? मेरा कहना है कि भारत जैसे देश में हमने ऐसे टीके की खोज के लिए आवश्यक अनुसंधान नहीं किया है जो उच्च तापमान में खराब न हो। यह टीके हमें अन्य देशों से प्राप्त हो रहे हैं। यदि आप आयुर्वेद में देखें तो पाएंगे कि जो औषधि 200 अथवा 100 वर्ष पुरानी है वह अभी भी प्रयोग की जा रही है। लोगों को इन औषधियों पर गर्व है। वह समय के साथ खराब नहीं होती। इस देश में हमें इसी प्रकार की औषधि चाहिए। जो औषधियां अथवा टीके हम उपयोग में लाते हैं उन्हें तापमान में परिवर्तन के साथ बदलना नहीं चाहिए। क्या हमने इस प्रकार की वस्तु खोजने के लिए दृढ़ प्रयास किए हैं? हमने ऐसा नहीं किया है क्योंकि हम कुछ आसान तरीकों को ही अपना रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब हमें अनुसंधान और विकास के वह तरीके अपनाने हैं जिनसे जो वस्तुएं हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं वह हमारी परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाए। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सदन के सभी वर्गों, देश की समस्त जनता, प्रत्येक सरकार, राज्य, जिला प्रशासन और केन्द्र सरकार को सामना करना है। इन मामलों को दलीय विषय बनाने का कोई लाभ नहीं है। कोई भी कह सकता है कि खराब टीके के कारण एक बच्चे की मृत्यु हो गई। हां, ऐसा हुआ होगा। ऐसा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश अथवा एक दल अथवा दूसरे दल द्वारा शासित राज्य में हो सकता है। टीका एक दल अथवा दूसरे दल के बीच भेद नही करता है और न ही बीमारी भेद करती है। इसलिए हमें उन समस्याओं का समाधान करना है जो राजनीति अथवा दल से अलग है। हमारी अधिकांश समस्याए दल से अलग हैं। जब हम उनका राजनीतिकरण कर देते हैं, उन्हें दल का मुद्दा बना लेते हैं तब समस्याए शुरु हो जाती हैं और क्रिया-प्रतिक्रिया शुरु हो जाती है। इसलिए महोदय, हमें इस देश के लिए ऐसा भविष्य बनाना है और में सभी सदस्यों से इसके लिए सहयोग की अपील करता हू। इस सरकार का रवैया समस्याओं के समाधानोन्मुख होना चाहिए और जब तक समस्या दल से ऊपर रहती हैं उसका उसी भावना से समाधान किया जाता है।

माननीय राष्ट्रपति जी ने पेय जल के बारे में कुछ कहा था। हमें पेय जल की समस्या की ओर निरन्तर ध्यान देना है। यह ऐसा नहीं है कि आपने एक गाँव में एक कुआँ खुदवा दिया और कह दिया कि समस्या सुलझ गई। यह ऐसे सुलझती नहीं है। जल स्तर प्रत्येक वर्ष गिरता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सिचाई के लिए और अधिक जल का उपयोग कर रहे हैं। और अधिक पानी निकाला जा रहा है तथा सिंचाई के लिए और कूए खोदे जा रहे हैं। इसी कारण पेय जल के कुए सूख जाते हैं जब मौसम ठीक नहीं

रहता है अथवा वर्षा नहीं होती है। हमें इस सतत कार्यवाही करने के बारे में कुछ सोचना है। यदि इसे सतत आधार पर करना है तब इसके लिए कोई एजेंसी होनी चाहिए जो इससे संबंधित मामलों की जांच करें और इस प्रकार की एजेंसी हम श्री राजीव गांधी के नाम पर स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि वास्तव में उन्होंने ही इस समस्या का तार्किक समाधान खोजा था। वह प्रौद्योगिकी के आधार पर इसका समाधान चाहते थे और इसीलिए हमने इस एजेंसी का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया ताकि यह कार्यक्रम चलता रहे और लोगों का फ़ायदा हो सके क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है। इस प्रकार यह जीवनपयोगी वस्तु अर्थात् पानी देश की समस्त जनता को देने की आवश्यकता है। यह कह देना ही काफी नहीं है कि चालीस वर्ष के बाद भी अनेक गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं है। यह एक नारा है। कोई भी इसे दुहरा सकता है। लेकिन इसे दुहराने से समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप पानी नहीं ले सकते। विशेषरूप से राजस्थान में, जाखड़ जी मुझे बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में लोगों को पानी लेने के लिए 8,10,12 अथवा 15 मील तक जाना पड़ता है। यदि महिलाओं की केवल यही काम करना है तब यह बहुत दुख की बात है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा उस क्षेत्र की परिस्थितियों के कारण है। हमने इन चुनौतियों का आधुनिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर समाधान करने के बारे में नहीं सोचा। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए हमारा यही विचार होना चाहिए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इंदिरा महिला योजना का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं गया। यह महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए महिलाओं का कार्यक्रम है। इस योजना का क्रियान्वयन महिलाओं के हाथ में होगा, इसमें पुरूषों का कोई हाथ नहीं होगा क्योंकि वह महिलाओं की समस्याओं को समझ नहीं सकते हैं। अतः पूरा कार्यक्रम महिलाओं को शक्तियां देने के लिए महिलाओं द्वारा प्रशासित और क्रियान्वित होगा। महिलाओं को शक्तियां देने का अर्थ है कि हम उनके कधों पर दायित्व और सत्ता डालने चाहते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। आपने कहा है कि आप दल से अलग कार्यक्रम चाहते हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय आयोग इसी प्रकार का कार्यक्रम था जो दलगत राजनीति से ऊपर था। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपने अभी तक यह क्यों नहीं बताया कि आप एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने वाले हैं। कृपया इस बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। (**व्यवधान**) जब मैंने महिलाओं की बात की तो इसका अर्थ केवल कांग्रेस की महिलाओं में नहीं था। मैं इस संबंध में आश्वासन देता हूं कि इसमें सभी को शामिल किया गया है (**व्यवधान**)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, वे सभी महिलाए खामोश है, (**व्यवधान**)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : आप महिलाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं है हमारी सरकार महिलाओं के प्रति वचनबद्ध है (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : कृपया हर समय चिल्लाइए मत।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप कृपया अपने प्रधान मंत्री से कहिए कि वह आपकी मांगों को मान लें। उन्हें सभा में घोषणा करने दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : हमारे प्रधान मंत्री महिलाओं के लिए कुछ करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। किसी भी मामले में मेरा कार्य उन्हें एक जगह इकट्ठा करना है और हम बाहर से देखते रहेंगे और मुझे विश्वास है कि वह अच्छा समाधान ढूंढ कर लाएंगे। (**व्यवधान**) यह एक संकल्पनात्मक मामला है जिसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूं। मुझे हर रोज अनेक महिलाएं आकर बताती हैं कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। एक महिला के साथ उसके दो बच्चे थे, वह नहीं जानती थी कि वह कहां जाए क्या करे। इस देश में अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक क्षेत्र में हो रहा है अथवा दूसरे में नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि इस समाज में महिला को दूसरे पर निर्भर बना दिया है।

इंदिरा महिला योजना का उद्देश्य, यदि संभव हो, इन बेड़ियों को तोड़ना है हम ऐसा करना चाहते हैं। इसीलिए जब महिलाओं के अधिकारों की बात आई थी तब राजीव जी ने महिलाओं के लिए नहीं बल्कि अनेक अधिकारों के लिए आयुक्त की बात की। उन्होंने यह अंतर इसलिए किया क्योंकि महिलाओं की समस्याएं, यदि आप विश्लेषण करें, भिन्न है, उनके अधिकार पुरुषों के अधिकारों से कम हैं। अतः यह अधिकार का प्रश्न है इसीलिए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों संबंधी आयुक्त का विचार रखा। हम उसे आगे बढ़ाएंगे। (**व्यवधान**)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : इसे सभी महिला संगठनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम उसी पर आगे कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सभी पार्टियां उस पर वचनबद्ध थीं। (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे इस संबंध में भी कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक पार्टी समानरूप से इस बात की पुरजोर हिमायत करती है कि महिलायें अपने अधिकारों को जानें और उपलब्ध किसी भी कानूनी तौर तरीकों से अपने अधिकार प्राप्त करें। इस समाज को महिलाओं को यह अधिकार देना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर समाज खुद ही पिछड़ा रह जाएगा। मुझे इस संबंध में कोई संदेह नहीं है। इसी वजह से यह इंदिरा महिला योजना और महिलाओं के अधिकारों संबंधी आयोग तथा अन्य कई अभिनव परिवर्तन सामने आए हैं, जिनके साथ आगे बढ़ने में हो सकता है हमें परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन ये सब वह पैकेज है जिसके

तहत महिलाओं के लिए विचार किया जा रहा है । मुझे आशा है कि प्रत्येक व्यक्ति इस पर सहमत है । लेकिन इस संबंध में भी इसी पार्टी ने और इसी पार्टी की सरकार ने पहल की थी । इसलिए इस संबंध में किसी को गलती नहीं निकालनी चाहिए । हां केवल एक बात यह होनी चाहिए कि हम सभी एक साथ मिलकर इसे करें । यदि इसमें कोई गलती है तो कृपया इंगित करे । इसमें प्रतिष्ठा का सवाल उठने की कोई बात नहीं है । हम निश्चित रूप से जहां परिवर्तन लाजमी होगा परिवर्तन करेंगे और जहां भी ठीक किया जाना है उसे ठीक करेंगे ।

महोदय, जहां तक आर्थिक स्थिति दुरस्त करने की बात है, जो कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों में चलाये गये थे उन पर व्यापक रूप से काफी कुछ कहा गया है ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : श्रीमती गीता मुखर्जी बाहर जा रही हैं । (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उन्हें सदन से उठकर जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह सदन से उठकर नहीं जा रही हैं । वह तो केवल बाहर गयी हैं ।

औद्योगिक नीति सुधारों संबंधी पैकेज हम अगले कुछ दिनों में जारी करने की आशा रखते हैं और हम सभा के समक्ष इसे लायेंगे तथा सभा इस पर टिप्पणी कर सकेगी । यह सारा पैकेज वित्तीय, आर्थिक, व्यापार और उद्योग पक्ष से संबद्ध है और एक संपूर्ण पैकेज है तथा मैं पुन: इस बात पर जोर दूंगा कि यह पैकेज पुरानी बातों की निरन्तरता के साथ परिवर्तन का पक्षधर है । उलटा सीधा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा । इसमें से कुछ भी निकाला नहीं जायेगा । कुछ भी नहीं हटाया जायेगा और उसकी जगह न ही कुछ दूसरा कुछ लाया जायेगा ।

पंडित जी द्वारा चलाई गई मिली जुली अर्थव्यवस्था का यह सबसे बड़ा फायदा है । मैं यह सोच कर सिहर जाता हूं कि यदि इस देश में मिली जुली अर्थव्यवस्था की अवधारणा नहीं होती और यह बात हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विचारधारा में पिछले 40 वर्षों से नहीं होती, तो फिर क्या होता । अन्य कुछ देशों में जहां इस संबंध में कड़ा रूख अख्तियार किया गया है, वहां क्या हो रहा है ? नयी व्यवस्था लाना अथवा पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन करना कितना कठिन होता ? यदि हमें ये सब परिवर्तन ऐसी स्थिति में करने होते जिन्हें हम थोड़ी बहुत आलोचना के साथ सफलता पूर्वक आज कर रहे हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता ।

इस देश में जहां तक मैं समझता हूं एक सबसे बड़ी एकल आर्थिक गतिविधि, जो निजी क्षेत्र के हाथ में है और हमेशा रही है तथा रहेगी और वह गतिविधि है कृषि । हमने सहकारी कृषि के बारे में संकल्प पारित किये; हमने यहां, वहां सामूहीकरण के बारे में संकल्प पारित किये थे, अन्तत: भारत का किसान ही इस अवसर पर काम आया, उसने यह दिखा दिया कि वह इस देश की खाद्य समस्या को हल कर सकता है, जबकि कोई अन्य संगठन, जिनमें भी हमने सम्भावनायें देखी थी, हमें असफलता मिली । इसलिए मैं यहां एक की दूसरे से तुलना नहीं करूंगा परन्तु मुद्दा यह है कि हम अपने इस मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले व्यापक विचार में सभी परिवर्तन ला सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। किसी भी बैंक का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का कोई विचार नहीं है। लेकिन जो कुछ भी परिवर्तन आज बैंककारी व्यवस्था के कार्यकरण में, मैं लाना चाहता हूं उनसे कोई इन्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत से परिवर्तन आवश्यक हैं तथा बैंकों के कार्यकरण में कई परिवर्तन जरूरी हैं। आप गांव में किसी बैंक में जाइए। बैंक का लिपिक या प्रबंधक इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति होगा, वह गांव का स्वामी होता है; वह लगभग 10 गांवों का सर्वोपरि व्यक्ति होता है। क्या यह उचित है? क्या हम उस समाज पर इस तरह की व्यवस्था थोपें, जो कि पूरी तरह से ग्रामीण है और गरीब लोग ही जिसके घटक हैं? क्या ऐसा करना उचित है?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): ; आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम आपको बतायेंगे कि ये परिवर्तन क्या होंगे, मैं परिवर्तन का समर्थक हूं। आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं। लेकिन चिन्ता न कीजिए। मैं आपसे पूछे बिना, आपसे परामर्श किये बिना कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। मैं आपको भी इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बनाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कारणों के प्रति जवाबदेह हूं। यदि आप मुझे इस बात को समझायें कि जिन परिवर्तनों की मैं बात कर रहा हूं वे अच्छे नहीं हैं, तो मैं उन्हें वापस लेने को तैयार हूं; मैं उनमें संशोधन करने को तैयार हूं। इसलिए मेरा इन मामलों में खुला रवैया है। मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा खुला रवैया रखें। हमें इस अवधारणा से ग्रस्त हो कर कार्य शुरू नहीं करना चाहिए कि जो कुछ हम जानते है वही अंतिम है। इसी दृष्टिकोण से हम इस देश की प्रत्येक समस्या को निपटायेंगे।

जहां तक आठवीं योजना की बात है, पहले ही दो वार्षिक योजनायें हमारे हाथ में हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें वार्षिक योजनायें जारी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करना हमारी अर्थव्यवस्था और विकास के लिए अहितकर होगा। मैं इस मामले को तुरंत लेना चाहता हूं, और फिर आठवीं योजना ठीक पहली अप्रैल 1992 से आरम्भ हो जायेगी। बीच का यह वक्त इसकी तैयारी में लगेगा और अब यह योजना लगभग तैयार ही है, लेकिन पूरी तरह से तैयार होने में थोड़ा समय और लगेगा और इसीलिए मैं सभा में घोषित करता हूं कि आठवीं योजना पहली अप्रैल 1992 से आरम्भ हो जायेगी।

3.00 म० प०

इस योजना को तैयार करने में अब मात्र इतना ही समय और लगेगा। वस्तुतः हमने विगत में कहीं ज्यादा समय लिया है और जो कुछ भी किया जाना है वह सब इन कुछ महीनों में पूरा किया जायेगा और यह योजना पहली अप्रैल 1992 को पूरी तरह से तैयार मिलेगी।

श्री भोगेन्द्र झा : (मधुबनी): अथवा आप पहली अप्रैल के बजाय कोई अन्य तारीख चुन लें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

अब मैं कुछ उन गंभीर समस्याओं की बात करूंगा जिनके विषय में हम संसद में तथा साथ ही साथ भारत के सभी लोग चिन्तित हैं, जैसे कि पंजाब और कश्मीर की समस्यायें।

पहले मैं पंजाब की बात करता हूं। हमारा इस संबंध में लम्बा अनुभव रहा है, चाहे कभी अच्छा भी रहा हो, लेकिन ज्यादातर कड़ुवा अनुभव रहा है, क्योंकि पंजाब के संबंध में जो स्थिति चल रही है उसे सद्भावनापूर्वक हल करने के प्रयत्नों को कुछ ऐसे तत्वों ने धक्का ही पहुंचाया है, जिन्हें हम सब भली भांति जानते हैं।

महोदय, राजीव लोंगवाल समझौता हुआ। सभी ने समझौते का समर्थन किया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से समझौते का पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हो सका और इसके कार्यान्वयन से पहले ही हम दूसरी, समस्याओं में फंस गये। इस वर्ष यह विचार किया गया था कि हमें चुनाव कराने चाहिएं। अब मैं कहूंगा कि चुनाव कराना कोई नई बात नहीं है। जब तीन-चार वर्ष पहले चव्हाण साहब गृह मंत्री थे, तो हमने पंजाब के लोगों, राजनैतिक दलों और अन्य लोगों से यह जानने के लिए परामर्श किया था कि क्या वहां पंचायत के चुनाव या विधान सभा के चुनाव कराने संभव हैं, क्या वे समझते हैं कि ये कराये जाने चाहिएं। इसलिए कोई पहली बार हम वहां चुनाव कराने की नहीं सोच रहे हैं--शुरू से ही सरकार वहां चुनाव कराने के संबंध में सोचती रही है, लेकिन हमें बार-बार बताया गया कि चुनाव कराने के लिए यह उचित समय नहीं है। बल्कि हमारी एक बैठक में तो सदस्यों ने कहा कि आप पहले पंचायतों का चुनाव क्यों कराना चाहते है? आप विधान सभा का चुनाव क्यों नहीं कराते? यदि उम्मीदवारों के मारे जाने का ही प्रश्न है तो आप विधान सभा के उम्मीदवारों से ही आरम्भ क्यों नहीं करते हैं?

आप इन पंचायतों, जोकि गरीब पंचायतें हैं, ग्रामों की है : के चुनाव क्यों चाहते हैं? इसी प्रकार की कटु टिप्पणियां पंजाब के गांवों के कुछ प्रतिनिधियों ने उस वक्त की थीं। मैं समझता हूं कि शंकर राव जी को ये बातें याद आ रही होंगी। मैं वहां मौजूद था और कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे।

अतः यह चुनाव के लिए उचित अवसर, उचित माहौल ढूंढने का सवाल है--ताकि अपनी इच्छा बनाने का हमारा इरादा तो हर समय चुनाव कराने का ही रहा है।

महोदय, इस वर्ष जब चुनावों की घोषणा की गई, तो जो संकेत पंजाब की स्थिति के बारे में प्राप्त हुए थे; उनसे स्पष्ट था कि पंजाब का माहौल निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव करवाने के अनुरूप नहीं था चाहे, हम चुनावों के फायदों के बारे में कैसे भी सोचें। मुझे याद है कि राज्य स्तर पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। राजीव जी ने कहा कि कृपया आप जा कर बैठक में भाग लीजिए। जब पंजाब कांग्रेस के लोग आए तो उन्होंने कहा; आप जा कर बैठक में भाग लीजिए और आप जिस निर्णय पर भी पहुंचेंगे, हम उस पर विचार करेंगे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, तथा इस सम्बन्ध में श्री बूटा सिंह तथा

दूसरे साथी भी सहमत होंगे कि इस बारे में सभी दलों की एक सर्वसम्मत राय तथा सर्व-सहमत निर्णय था कि चुनाव नहीं करवाएं जाने चाहिए क्योंकि स्थिति इसके अनुरूप नहीं है। फिर भी, चण्डीगढ से दिल्ली पहुंचते हुए जब उन्होंने अपने दल के नेताओं को रिपोर्ट दी तो पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ कि कुछ दलों के मन बदल गए। इतना ही काफी है। इसलिए जब हमें पता है कि पंजाब के हालात चुनाव के करवाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो पंजाब में चुनाव करवाने के बारे में मन बदलने के कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये केवल हमारे मन में ही हो सकते हैं। एक अर्थ में वे व्यक्तिनिष्ठ हैं; विषयनिष्ठ नहीं। मैं तो यही निष्कर्ष निकाल सकता हूं क्योंकि जो वहां पर घटित हुआ वह भी सर्वविदित है तथा उसे स्वीकार किया गया है तथा जो यहां हुआ उसे भी स्वीकार किया गया है। महोदय, इनके साथ-साथ एक और उलझन भी हमारे सामने है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य तथा पार्टियों के नेता इस पर विचार करें क्योंकि मेरे विचार में यह देश की एकता के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक या दो सदस्यों ने यह वक्तव्य दिया कि उनका दल पंजाब में वहां के लोगों द्वारा आत्मनिर्णय के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा जिससे एक अलग सिक्ख राज्य खालिस्तान की स्थापना हो। अब यह कोई बहाना नहीं है। मैं आपको बताता हूं। हमें अगर जल्दी नहीं तो हर पांच वर्ष बाद प्रत्येक राज्य में चुनाव करवाने होते हैं। परन्तु अगर किसी चुनाव को ऐसे मुद्दे के साथ लड़ा जाता है जो कि अलगाववाद तथा पृथकवाद को बढावा देता हो तो क्या मैं इस चुनाव में भाग लूंगा? अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। हमें इन सब बातों पर गौर करना है। इसका इलाज क्या है; उस पर हम बाद में बात करेंगे। परन्तु क्या यह वास्तविक समस्या है या नहीं? मैं विनम्रता से यह कहना चाहूंगा कि अगर दस पार्टियां चुनाव में हिस्सा ले रही हैं और वह चुनाव संविधान के दायरे में हो रहे हों तो कांग्रेस चुनाव में हारना, जीतना या उससे हटना सब कुछ स्वीकार करेगी। हम तमिलनाडु में लगातार 23 वर्षों तक सत्ता से बाहर रहे हैं और कोई आसमान नहीं गिर गया है। एक लम्बे अर्से से हम पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं हैं और कोई आसमान सिर पर नहीं टूटा है। यह लोकतंत्र है। जो भी दल अपने पक्ष में जनादेश प्राप्त करता है, उसे सत्ता मिल जाती है। परन्तु जब कोई ऐसा चुनाव हो जिसके परिणाम को एक अलग राज्य के लिए जनमत दर्शाया जा रहा हो, जरूरी नहीं वह जीतने वाला दल ही हो, तो तो ऐसे चुनाव में बिल्कुल भाग नहीं लूंगा तथा यह कहूंगा, "यहां कुछ गलत हो रहा है। चुनाव से पहले मुझे इसको ठीक करना है। यही निर्णय कांग्रेस पार्टी ने भी लिया। इसे मैं काफी महत्व देता हूं। हम पंजाब में चुनाव करवायेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर पंजाब में कानून व्यवस्था की कोई समस्या न भी हो तथा वहां पर बिल्कुल शान्ति हो अथवा कोई भी ऐसा राज्य जो बिल्कुल शांत हो तथा जहां पर चुनाव हो रहे हों--और कोई एक दल यह मांग करे कि वह अलग राज्य चाहता है तथा वह पृथक राज्य के आधार पर इस चुनाव में हिस्सा लेगा" तो मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति में आप चुनाव करवा सकते हैं प्रश्न यह नहीं है कि वह जीतता है अथवा आप हारते हो या मैं हारता हूं। प्रश्न चुनाव में हिस्सा लेने का है; हार या जीत का नहीं। इसलिए यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि भारत की एकता पर एक कड़ा आघात कर रहा है और मैं तब तक चुनाव करवाना नहीं चाहूंगा जब तक कि मैं इस आघात को समाप्त करने के सभी तरीकों को आजमा नहीं लेता। वर्ष 1965 अथवा 1967 में हमने

चुनाव प्रक्रिया की एक ऐसी ही खामी के यह प्रावधान करके समाप्त किया जो भी चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है उसे एक शपथ लेनी पड़ेगी । अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकता । परन्तु अगर वह उम्मीदवार बनने के पश्चात् अपनी शपथ से पीछे हटता है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब कि भावनाएं भड़की हुई हों और एक अलग राज्य का आकर्षण अपने पूरे उन्माद पर हो, जैसा कि कुछ क्षेत्रों में हम ने देखा है, तो अगर ऐसा भी होता है तो इस प्रवृत्ति को भी समाप्त करना होगा । उन्होंने खालिस्तान का प्रस्ताव पारित किया । वास्तव में कुछ नहीं हुआ है । मैं नहीं समझता उन्हें खालिस्तान मिल जाएगा अथवा हम उन्हें खालिस्तान बनाने देंगे ····· (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आपके मैम्बर ने कल खालिस्तान की बात कही है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं आप मेरी बात को सुनिए । मैम्बर ने क्या कहा है उसके बारे में मैं उनसे पूछ लूंगा । आप मेरी बात को सुनिए और इसमें कोई माकुलियत है, तो आप उसे कबूल करें तो अच्छा है ।

[**अनुवाद**]

अगर ऐसा है तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? पंजाब में जो हो रहा है, उसके बारे में विदेशों में क्या कहा जा रहा है? क्या इसमें केवल एक कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में ही निपटा जा रहा है जिस तरह कि देश के किसी दूसरे राज्य अथवा किसी दूसरे देश में निपटा जाता है ? कानून व्यवस्था की समस्या के दृष्टिकोण से ही अगर देखा जाए तो ऐसी कानून व्यवस्था की समस्या किस देश में नहीं है ? म यह कहूंगा कि वास्तविकता यह नहीं है । कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं । वहां पर बैठे-बैठे वे ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे कि कुछ भटके हुए लोग स्वयं ही देश को विखण्डित करने की स्थितियां बना देते हैं । अब इस खतरे से हम सब लोग वाकिफ हैं । किसी विशेष चुनाव में क्या होता है, कितने उम्मीदवार हारते हैं अथवा जीतते हैं । परन्तु पंजाब में यह हो रहा है कि बहुत से उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि नहीं बल्कि अपनी जान गवां बैठे ह । इस लिए इस चुनाव में जमानत राशि नहीं बल्कि जानें दांव पर लगी हुई हैं । इस समस्या का सामना हमें करना है । इस समस्या का समाधान ढूंढने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं । कुछ दलों के नेताओं से मैंने पहले ही विचार-विमर्श किया है । दूसरे दलों के नेताओं से मैं अगले एक दो दिनों में मिल रहा हूं ।

मेरे विचार में मूल समस्या अलगाववाद तथा अलगाववाद को एक चुनावी मुद्दा बनने के खतरे तथा उसके परिणामों की है । मैं किसी भी कीमत पर इससे बचाव चाहता हूं । हम इससे बचाव कर पाएं अथवा नहीं परन्तु हमें इस समस्या पर एक रहना है । मैं महसूस करता हूं कि इसका एक उपाय है । जो विचार-विमर्श मैंने किया है उससे मुझे

यह पता चला है कि इससे निपटने का उपाय है । मैं ऐसा कोई नोट अथवा सुझाव सभी दलों के नेताओं के समक्ष रखूंगा । अगर हम सब सहमत हों तो यह हमें सबसे पहले करना होगा । उसके पश्चात् मैं चुनाव तिथि निर्धारित करने हुए किसी औपचारिकता अथवा प्रतिष्ठा, अपने दल के लाभ हानि के बारे में नहीं सोचूंगा । मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं । मैं इस पर पूरी तरह दृढ़ संकल्प हूं ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : (करोल बाग) : प्रधान मंत्री जी, दिल्ली में क्यों चुनाव नहीं कराए गए । आठ साल हो गए हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि दिल्ली में चुनाव नहीं कराए गए । यहां पर तो कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं है । मेट्रोपोलिटन, कौंसिल कारपोरेशन, किसी के चुनाव नहीं हुए ।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : प्रासंगिकता भी कोई चीज होती है । मैं इसमें हटना नहीं चाहता । जब दिल्ली का प्रश्न आयेगा तो मैं बीच में पंजाब की बात नहीं करूंगा । इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : यहां चुनाव क्यों नहीं होते हैं । इस बारे में हम सब आपसे मिले भी थे । .....(**व्यवधान**).....

श्री पी० वी० नरसिंह राव : दिल्ली का जब सवाल उठेगा तो मैं पंजाब या हरियाणा की बात नहीं लाऊंगा उसका जवाब देते समय यह मैं आपको आश्वासन देता हूं **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : आज अनाउंस कर ही दीजिए दिल्ली के चुनाव, दिल्ली वाले दुआएं देंगे ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपको मैं जरूर खुश करना चाहूंगा लेकिन उसका भी एक तरीका होता है ।

श्री कालका दास : आज ही घोषणा कीजिए । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पुनः काश्मीर समस्या पर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में विचार विमर्श हो रहा है । काश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता । परन्तु हम जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ है । वास्तव में काश्मीरी लोगों और केन्द्रीय सरकार तथा प्रशासन के बीच एक बहुत बड़ी दरार है । कोई भी ऐसा नहीं जो कि आतंकवादी और गैर आतंकवादी के बीच फर्क बता सके । जब तक स्थानीय लोग प्रशासन से सहयोग नहीं करते तथा हम उनको इस बात की गारंटी नहीं दे पाते कि उनकी कल सुबह तक हत्या नहीं होगी; तो कोई भी स्वयं जानकारी उपलब्ध नहीं करवायेगा । काश्मीर के लोग देशभक्त हैं । उनके आतंकवादियों तथा देशद्रोहीं

तत्वों से किसी प्रकार के सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता । इन गतिविधियों का संचालन बाहर से हो रहा है । हम पाकिस्तान से बार-बार निवेदन कर चुके हैं तथा उसे कहते रहे हैं कि वह ऐसा करने से गुरेज करे। सभी सरकारों ने ये प्रयत्न किए। विश्वनाथ जी ने भी ऐसे प्रयत्न किए ।

चन्द्रशेखर जी ने ऐसा किया है, मैंने भी ऐसा इससे पहले किया है तथा अभी भी मैं यही कर रहा हूं । परन्तु दूसरी तरफ से समय-समय पर इस बारे में उनके निर्णय का अभी तक पता नहीं लगा है । अतः मैं कहूंगा कि हम उस समस्या के साथ रहना है तथा वही प्रश्न पूछने तथा वही उत्तर देने का कोई लाभ नहीं है प्रश्न भी वही है, उत्तर भी वही है । मैं दस वर्षों से ऐसा देख रहा हूं । पुनः आगे बढ़कर साथ-साथ कार्य करने तथा कोई समाधान ढूंढने का प्रश्न है । हम इस गहरी खाई को पाटने के लिए क्या कर रहे हैं ? राष्ट्रपति जी ने जनता समितियों के बारे में कहा है कि जनता तथा सरकार को जोड़ने का एक वही तरीका हो सकता है । परन्तु यह तो केवल पहला कदम है। हमें और भी कई कदम उठाने के बारे में सोचना होगा तथा मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी के भी पास इस समस्या का समाधान तैयार नहीं है । इससे पहले कि हम इस समस्या का समाधान टोस आधार पर करने के बारे में सोच सकते, यह अपहरण आदि की समस्या उत्पन्न हो गई है । अब आप सोच सकते हैं कि लोग इस बारे में कितने चिन्तित हैं, संसद में भी सभी इस बारे में कितने चिन्तित हैं ? हम यह जानते हैं । यहां तक कि सूचना भी इतनी अनिश्चित सी होती है कि जो सूचना हमें एक घंटे पूर्व मिली है वह सूचना वही नहीं होती है । प्रातः कोई सूचना मिलती है, 10.00 बजे हमें कुछ और सूचना मिलती है। तथा मुझे दुःख है कि इस बदलती हुई स्थिति में तथा बार-बार सूचना के प्रति पल बदलने की स्थिति में सभा को विश्वास में लेना तक संभव नहीं हो पा रहा है । चह्वाण जी ऐसा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । हम दोनों ही कम से कम उस अवस्था का पता करने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां पर कि हम संसद को यह बता सकें कि अभी तक ऐसा हुआ है तथा ऐसा होने जा रहा है अथवा हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं । हम आपको वह विशिष्ट सूचना देने में भी समर्थ नहीं हैं । यह बात नहीं कि हम करना नहीं चाहते, हम बहुत चाहते हैं । ऐसी ही परिस्थितयों में जब आपरेशन ब्लैक थंडर चल रहा था उस समय मैं सभा में प्रत्येक तीन घंटे, चार घंटे पश्चात उपस्थित हुआ हूं । सभा को स्मरण होगा कि इस सदन में तथा दूसरे सदन में मैं प्रत्येक तीन अथवा चार घंटे पश्चात कुछ घोषणा करने हेतु उपस्थित होता रहा था क्योंकि वहां पर कुछ निश्चित कार्यवाई की जा रही थी । अतःएव मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम आपको कोई विशेष जानकारी नहीं दे पाए हैं तो यह सब वहां पर व्याप्त उस विरोधात्मक स्थिति के कारण ही दें न कि इस कारण कि सरकार का इरादा कुछ भी न बताने का है । हम किसी भी जानकारी को छिपाना नहीं चाहेंगे । ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छुपाया जा सके । वास्तव में प्रत्येक जानकारी माननीय सदस्यों को बताकर हमें उनका हर प्रकार का समर्थन मिलता है ।

महोदय, धार्मिक पूजास्थलों के सम्बन्ध में हमें हमारे अन्य वचन जिसके बारे में हमने स्पष्ट निर्णय दिया है कि रामजन्म भूमि मुद्दे को छोड़कर अन्य पूजा स्थलों के बारे में हम

एक कानून लायेंगे । हम यह धार्मिक कलह नहीं चाहते । हम इस देश में सम्प्रदायों में परस्पर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण जो कि अभी तक बना रहा है सिवाय एक दो अपवादों को छोड़कर, हम सत्ता में आने की खातिर उसे दूषित होने देना नहीं चाहते । कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता । जहां तक मुझे ज्ञात है अन्य दलों ने भी यही कहा है कि इसे अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए । हम वही करने जा रहे हैं । यह पूरी तरह से कानून तथा व्यवस्था पर ही आधारित नहीं है । मैं कानून और व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं । जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो मैं सामाजिक सौहार्दता को भी समान महत्व देता हूं । यदि सामाजिक सौहार्दता नहीं तब सामाजिक न्याय सम्बन्धी सभी कार्यक्रम वहीं रह जायेंगे जहां पर कि वे हैं, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता । सामाजिक सौहार्द्रता भी इस देश में उतनी ही महत्वपूर्ण है । हम जानते हैं कि जब परस्पर सौहार्द कायम नहीं रहता है तब सभी कार्यक्रम एकदम से रुक जाते हैं । अतः हमारा उद्देश्य सामाजिक मधुरता कायम करने का होना चाहिए तथा हम धार्मिक कलह को उत्पन्न होने नहीं दे सकते । हम धार्मिक कड़वेपन को उस हद तक बढ़ने नहीं दे सकते कि वातावरण इतना दूषित हो जाये कि अन्य कुछ भी संभव न रह जाये । अतः हमारा पूरा दृढ़ संकल्प है कि हम उस कानून को लायेंगे तथा मुझे आशा है कि हमें सभी को सभी वर्गों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिलेगा क्योंकि यह केवल कांग्रेस का ही चुनाव घोषणापत्र नहीं है अथवा केवल एक हमारा ही ऐसा प्रस्ताव नहीं है बल्कि मेरे विचार से यह एक आम प्रस्ताव है ।

अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र तथा अन्य दलों के चुनाव घोषणापत्र सभी में ही लगभग कम अथवा अधिक एक समान ही बातें कही गई हैं । हम चाहते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए । हम केवल यही विचार कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा कैसे दी जा सकती है ? मैं इस सम्बन्ध में संक्षेप में यही कहूंगा कि कई वर्षों से हम उन्हें सुरक्षा देना चाहते थे परन्तु हम यही नहीं जानते थे कि ऐसा कैसे संभव होगा । हमने कुछ प्रयत्न किया था तथा यह सफल भी हुआ तथा कुछ हद तक यह कामयाब नहीं भी रहा । तब हमने कुछ और करने के बारे में विचार किया हमने विशेष अदालतों के गठन तथा तेजी से कार्रवाई करने वाले बल के बारे में भी विचार किया था । हमने इन सभी बातों का अपने घोषणापत्र में उल्लेख किया है । हमने एक प्रकार की पैकेज व्यवस्था द्वारा यह किया है जो कि कामयाब होगा तथा हम चाहते हैं कि यह कामयाब हो तथा यही विचार और यही भावना है । ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है जिसके बारे में किसी अन्य ने विचार ही नहीं किया हो । ऐसा नहीं है । हमने इस बारे में काफी सोचा था । कई दिनों तक हमने घोषणापत्र बनाने सम्बन्धी समिति में विचार विमर्श किया था तथा विचार किया था कि और क्या किया जा सकता और इससे भी अधिक आगे क्या किया जा सकता है । हमारी भावना यही थी । हमारे मन में कई अन्य और विचार भी आए जैसे कि जिन व्यक्तियों की जानें गई हैं उनके नजदीकी रिश्तेदारों को उचित रोजगार दिया जाये, दंगों में शिकार हुए व्यक्तियों को तुरन्त पर्याप्त मुआवजा देने हेतु सांविधिक प्रावधान किए जाएं, विशेष

अदालतों का गठन किया जाये तथा इसके लिए समाहर्ता तथा पुलिस अधीक्षक को जिम्मेवार ठहराने जैसे प्रशासकीय परिवर्तन किए जायें । ये सभी छोटे उपाय हैं । इनमें से प्रत्येक अलग-अलग उतना प्रभावी नहीं है परन्तु ये सभी एक साथ मिलकर एक ऐसा उपाय है जो कुछ कारगर है तथा अल्पसंख्यकों के दिलोदिमाग में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। क्योंकि उनके मन में पहले यह विश्वास जगाना अधिक महत्वपूर्ण है तथा तत्पश्चात् आप इसे व्यवहारिक रूप दे सकते हैं क्योंकि एक बार अल्पसंख्यकों का मनोबल यदि उस सीमा तक बढ़ा दिया जाए जहां पर कि इसे होना चाहिए तब वास्तविक सौहार्द उत्पन्न करने के लिए रास्ता खुल जाता है । तत्पश्चात् अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा दिया जा रहा है। हमने ये सब बातें कही हैं तथा हम इनमें से हर एक को करने जा रहे हैं तथा मैं यही कहना चाहूंगा ।

मंडल आयोग के बारे में कुछ कहने से पूर्व मैं विदेश नीति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ वक्तव्य दिये गये हैं । एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा तथा यह भी चाहूंगा कि आडवाणी जी मुझे क्षमा करेंगे, जब मैं यह कह रहा हूं कि हमारे तथा भारतीय जनता पार्टी में विदेश नीति के बारे में परस्पर बातचीत का कोई आधार नहीं है । ऐसा क्यों होना चाहिए ? अटल जी विदेश मंत्री के पद पर तब तक रहे थे जब तक कि उनके दल ने उन्हें रहने दिया तथा इसमें उनका दोष नहीं है यदि वे अधिक समय तक उस पद पर नहीं रहे । क्या उन्होंने किसी अलग नीति को माना था ? मैं ऐसा नहीं समझता । हम वर्ष 1977–79 में विपक्ष में थे वह वास्तव में ही गुट-निरपेक्षता लाना चाहते थे । वह केवल इसे वास्तविक रूप देना चाहते थे । यह कम अथवा अधिक वही बात है । मैं नहीं समझता कि अपनी उपस्थिति से उन्होंने इसे और अधिक वास्तविक बनाया था। संभवतः वह ठीक थे परन्तु उससे अधिक कुछ भी नहीं ।

आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्रों की तुलना करता हूं तो मुझे थोड़ा भय लगता है । जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गुट-निरपेक्षता असंगत हो गई है तो मुझे भय महसूस होता है क्योंकि वही हमने सांझा था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (लखनऊ) : हमने वैसा नहीं कहा है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे याद है मैंने इसे पढ़ा था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने यही कहा है कि स्थिति बदल गई है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां, स्थिति बदल गई है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विदेश नीति में बदलती हुई अंतरराष्ट्रीय स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अटल जी, क्या मैं इसे पढ़ूं ? मुझे लगता है कि मैं इसे पढ़ चुका हूं । मुझे याद है आपने ऐसा कहा है । आपके दल ने कहा है कि गुट निरपेक्षता असंगत हो गई है । आपने इसी शब्द का प्रयोग किया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गुट-निरपेक्षता उस हद तक असंगत हो गई है कि अब कोई शीत-युद्ध नहीं है । अब विश्व दो पक्षों में विभाजित नहीं है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं यही कह रहा हूं । यदि हम उचित रूप से गुट-निरपेक्षता को समझ लें तब हम जानेंगे कि गुट-निरपेक्षता पूरी तरह से नकारात्मक विचार नहीं है । यह एक नकारात्मक धारणा नहीं है बल्कि यह एक सकारात्मक धारणा है । यदि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो उनमें से एक तरफ गुट-निरपेक्षता है तथा दूसरी तरफ स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता का पर्यायवाची है । यदि आप एक स्वतंत्र देश चाहते हैं तो इसे गुट-निरपेक्ष होना ही होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम चाहते हैं कि आप दूसरी तरफ अधिक ध्यान दें कि हमारी नीति स्वतंत्र होनी चाहिए ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हां, ठीक है पूरी तरह से स्वतन्त्र होनी चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तथा प्रत्येक मुद्दे को इसी आधार पर मुलझाया जाना चाहिए ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : गुट-निरपेक्षता यही है । गुट-निरपेक्षता का यही सार है । उनके चुनाव घोषणापत्र में यदि जो कुछ भी लिखा गया है यदि वह मुख्यतः गुट-निरपेक्षता पर आधारित है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है । उन्हें इसमें सुधार कर लेने दें तथा गुट-निरपेक्ष जो हमारी नीति है वह एक आम नीति आम सहमति के रूप में उभर कर आयेगी क्योंकि उसमें आपने जो लिखा है उससे आम सहमति समाप्त हो रही है । इसीलिए मैं भयभीत हूं । मैं नहीं चाहता कि आम सहमति जो कि चालीस अथवा पैंतालीस वर्ष अथवा हजारों वर्षों से हमारे बीच में रही है अर्थात् मध्यमार्ग जिसके बारे में हम अपने ग्रन्थों में पढ़ते रहे हैं उसे भंग कर दिया जाए । यह गुट-निरपेक्षता की दिशा में प्रारम्भिक कदम है। अतएव, इसमें कोई दरार नहीं डाली जानी चाहिए । अटल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस पर एक नजर दौड़ायें । मैंने आपके चुनाव-घोषणापत्र में यही पढ़ा है जो प्रति मुझे दी गई थी उसमें यही था बशर्ते दो खानों को नरह कहीं दो तरह के चुनाव घोषणापत्र न हों ।

हमें बैठकर इसका हल खोजना होगा । सम्भव है कि हमें इसमें सुधार करना पड़। आपका कहना है कि भारत एक अलग शक्ति का केन्द्र बनने जा रहा है । हम सभी शक्ति के केन्द्रों को तोड़ने की सोच रहे हैं और आप भारत को एक अलग शक्ति के रूप में उभरने की बात कर रहे हैं । वास्तव में यह बात आज की दुनियां और दुनियां के बारे में वर्तमान विचारों के अनुरूप नहीं है । आप इस पर पुनर्विचार करें, मुझे कोई त्रुटि नजर नहीं आती, मैं केवल यह बता रहा था कि आपका घोषणा पत्र उस स्थिति तक पहुंच गया है जहां आपने यह स्वीकार कर लिया कि विदेश नीति पर आम सहमति नहीं हो पा रही है । हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए ।

महोदय, मैं विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं जिसे यहां प्राप्त किया गया था लेकिन हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री को नहीं दिखाया गया । इस पर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है । जहां तक मुझे याद है कुछ दिन पहले चन्द्रशेखर जी ने मुझे लिख भेजा कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है जो उन्हें, जब वह स्वयं प्रधानमंत्री थे, नहीं दिखायी गयी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोहन धारिया को भी नहीं दिखायी गयी। मैंने तुरन्त उन्हें जवाब लिखा कि 'मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और आपको दे दूंगा।' मुझे यह कहना है कि जब मैंने इस बारे में पता लगाया तो मुझे यह बताया गया कि ऐसी रिपोर्टें प्रतिदिन आती हैं और यह आवश्यक नहीं उन्हें प्रधानमंत्री को दिखाया जाए । मुझे इस तरह की जानकारी दी गई । मैं उन्हें और सभा को बताना चाहूंगा कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं । यदि कोई रिपोर्ट विश्व बैंक अथवा ऐसी किसी प्रतिष्ठित संस्था से प्राप्त होती है तो वह प्रधानमंत्री के पास आनी चाहिए । यदि इस मामले या पूर्व में ऐसी ही किसी अन्य मामलों में प्रधानमंत्री को यह नहीं दिखाई गई है तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृति का शिकार नहीं होना चाहता । मैं ऐसा ही चाहता हूं। मैंने निर्देश दिया है कि इस तरह की कोई भी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सिद्धांत तौर पर अवश्य दी जाए और यह आवश्यक नहीं कि प्रधानमंत्री उसे पढ़े ही । कोई भी रिपोर्ट जो वित्त विभाग को प्राप्त होती है, उनके लिए यह आवश्यक है कि उस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को उपलब्ध कराया जाए । इस मामले में मुझे पता नहीं है कि उन्हें उक्त रिपोर्ट मिली या नहीं लेकिन चन्द्रशेखर जी के अनुसार उन्हें नहीं दी गई और उनका उत्तर यहां भी नकारात्मक था । इस लिए, यह गंभीर बात है और मैं इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाऊंगा ।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : केवल यह ही गभीर बात नहीं है । आपने हमारे पत्र का एक ही भाग उद्धृत किया दूसरा भाग नहीं । ज्योंही मैंने अपना पद त्याग किया और वह सरकार जो सत्ता में आई है, उसने सात दिन के अन्दर उस रिपोर्ट के आधार पर कार्य किया । यह बहुत ही दुःखद और आश्चर्यजनक बात है । यह इतनी अहितकर रिपोर्ट नहीं थी । आपके अनुसार यह रिपोर्ट परम्परा वश मंत्रालय को नहीं दिखाई गई । मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपकी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये जो भी उपाय किये गये हैं वे उस रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर आधारित हैं । मैंने अपने पत्र में लिखा था कि यह बहुत ही गंभीर बात है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे रिपोर्ट की चिंता नहीं है । मैं इतना ज्ञानी व्यक्ति नही हूं कि मैं इसे पढ़ भी पाऊंगा या नहीं । लेकिन मैंने कई रिपोर्टों को पढ़ा है, मैं कई बातें जानता हूं पर उन्हें कहने के लिये मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैंने उस पत्र में अन्य बातों का भी जिक्र किया था जिसे आपने सभा के समक्ष नहीं उद्धृत किया है अर्थात् कि आप उसी रिपोर्ट के अनुरूप कार्य कर रहे हैं ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं उसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं । यह तो अच्छा हुआ चन्द्रशेखर जी ने उसका जिक्र कर दिया । यदि वह इसकी चर्चा न भी करते तो भी हम उसका निश्चय ही जिक्र करते क्योंकि हम किसी बात को टुकड़ों में नही कहते अथवा अधूरा नहीं रखते । मैं जो कहने जा रहा हूं उसके प्रति आश्वस्त हूं और जो मैंने पहले कहा है उसके प्रति भी पूरी तरह आश्वस्त हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए और समय देने पर सहमत होगी और इस प्रस्ताव को निपटाने के पश्चात गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य पर चर्चा करेगी ।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं । मुझे खेद है कि मैंने गैर-सरकारी सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है । यदि मुझे पता होता तो मैं अपनी बात को और संक्षेप में कहता ।

महोदय, दूसरा मुद्दा जिसे उन्होंने उठाया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने स्वयं भी उस रिपोर्ट को उस रिपोर्ट के प्राप्त होने से छह महीने पहले देखा था । जिसमें करीब-करीब वही बातें कही गई हैं । उसे हमारे सचिवों ने तैयार किया था । इस सम्बन्ध में कोई रहस्य नहीं है । विश्वनाथ जी, सिन्हाजी, मनमोहन जी और वे सभी हैं जो किसी भी प्रकार से आर्थिक मामलों से जुड़े हैं । जानते हैं कि किन उपायों को उस स्थिति में क्रियान्वित किया जाए जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। इसलिए वित्त मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे मुझे सौंपा गया है वह करीब-करीब य। बिल्कुल वही बातें हैं जो विश्व बैंक की रिपोर्ट में होने की अपेक्षा की जाती है । इसलिए पूरे विश्व में लोगों के सोचने का नजरिया एक ही है । इसलिए मैं विश्व बैंक रिपोर्ट के साथ कोई चेतावनी जैसी बात नहीं जोड़ रहा हूं । (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और विश्व बैंक की रिपोर्ट को सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाए ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह एक ऐतिहासिक घटना है कि आपके विचार विश्वबैंक के अनुरूप हैं ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: यह ऐतिहासिक घटना नहीं यह महज संयोग नहीं है कि वही विचार मंत्रालय द्वारा दिया गया और एक विशेष विचारधारा वाले अर्थशास्त्रियों ने भी ऐसे ही विचार दिए हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य : यह आपका दृष्टिकोण है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, प्रधान मंत्री वित्त मंत्रालय की एक भी ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जो विश्व बैंक द्वारा व्यक्त किए गए विचार से मिलती जुलती हो। मुझे इसके बारे में जानने दें ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: मैंने इसे स्वयं देखा है और इस बारे में संतुष्ट हूं । (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : तब आपने इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र में क्यों नहीं शामिल किया । (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर : महोदय यदि इसके बारे में सभी को पता है तो प्रधान-मंत्री ने इसकी घोषणा क्यों नहीं की ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसमें घोषणा करने वाली कौन सी बात है ? हम इसकी घोषणा करते रहे हैं । **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर : प्रधान मंत्री विश्व बैंक की रिपोर्ट और मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जो उन्हें छह माह पूर्व प्राप्त हो चुकी थी उसे वह सभा पटल पर क्यों नहीं रखते ? **(व्यवधान)**

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जब मैं यह कह रहा हूं कि मैं संतुष्ट हूं तो मैं ऐसा पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं **(व्यवधान)**

महोदय, मैं अब मंडल आयोग की रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताना चाहता हूं ।

महोदय, मंडल आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख हुआ है और मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लिए सरकार जो कुछ भी करने जा रही है, उसका स्पष्ट का उल्लेख कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में किया गया है ।

"सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए विशेष कदम सर्वप्रथम चालीस वर्ष पूर्व किए गए थे और कई राज्यों में कांग्रेस सरकार द्वारा सफलतापूर्वक इसे लागू किया गया है । इस महत्वपूर्ण समय में यह वायदा पार्टी की नीति का बुनियादी मुद्दा होगा । इन विशेष उपायों को लागू करने में पिछड़े वर्गों में अधिक गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जबकि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि इन पिछड़े वर्गों में गरीब वर्ग के लोगों के उपयुक्त अभ्यार्थी नहीं मिलते तो यह लाभ पिछड़े वर्ग के ही दूसरे लोगों को दे दिया जाएगा ।

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना के लिए आवश्यक विधान लाएगी तथा आर्थिक रूप से पिछड़े उन लोगों को जिन्हें वर्तमान योजना में शामिल नहीं किया गया है, आरक्षण का लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए वचन बद्ध है ।"

इसी योजना को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जिसे जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । जब मैं दूसरी पार्टियों के घोषणा पत्र से इसकी तुलना करता हूं तो मैं यह पाता हूं कि सी० पी० आई० (एम०) का घोषणा पत्र वास्तव में चाहता है कि आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के उन लोगों को वास्तव में मिले जो इसके हकदार हैं । यही उनका कहना है मैंने जो कहा है और सी० पी० आई० (एम) का जो कहना है उसमें कोई अधिक अन्तर नहीं है । इसका मतलब यह है कि सी० पी० आई० (एम) यह चाहती है कि पिछड़ा वर्ग में अत्यधिक गरीब लोगों को इसका लाभ मिले । "अधिक हकदार" होने से उनका यही तात्पर्य है । इसमें कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के बारे में भी कहा गया है । यह इस बात को पूरी तरह मानता है कि उच्च जाति के लोगों में जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भी राहत देने की आवश्यकता है । सी०पी०आई० (एम) के घोषणा पत्र और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का वह अंश जिसमें इसकी चर्चा की ग है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई भारी अंतर है ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : कई कांग्रेस शासित राज्यों में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण जाति आधार पर किया गया था न कि आर्थिक आधार पर ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : माननीय सदस्य के पार्टी ने जो कुछ कहा है मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। अभी मैं सी० पी० आई० (एम) की बात कर रहा हूं।

हम एक कदम और आगे निकल गए हैं। हमने कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की बात नहीं की है क्योंकि वह कुछ कानूनी विवाद में फंस गया है। उच्चतम न्यायालय या किसी अधिकारिक निर्णय का यह कहना है कि किसी को "अधिक पिछड़ा" या "अत्यधिक पिछड़ा" मानना संवैधानिक नहीं है। तो भी हम इस पर विचार नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इससे समस्या उत्पन्न हो सकती थी इसलिए हमने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है। हमने आर्थिक आधार की बात पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत ही की है। अपेक्षाकृत अधिक गरीब को यह पहले मिलना चाहिए।

किंतु अगर कमजोर वर्गों में कोई है, तो यह पिछड़े वर्गों के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। यह लाभ पिछड़े वर्गों को ही मिलेगा। और इसे उसी भाग में रहना होगा। यही हमने कहा था।

हमने आर्थिक मापदण्ड के आधार पर कुछ आरक्षण देने की जरूरत की बात कही है। जनता दल ने भी यह कहा है, क्योंकि पहले उन्होंने निर्णय की घोषणा कर दी थी। कुछ ही दिनों में अगर मुझे ठीक याद है — अगर मेरी बात गलत हो तो विश्वनाथ जी उसे सही कर देंगे। उन्होंने भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पांच से दस प्रतिशत आरक्षण की बात कही थी। हालांकि चन्द्रशेखर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट में जहां मामला सुना जा रहा है, इस पर कोई अलग रूख नहीं लिया, उन्होंने इसे काफी शब्दों में कहा। उन्होंने यह कहा है :

"दल का चुनाव घोषणा पत्र बनाना एक संयुक्त कार्य है। सरकार मंडल आयोग की रिपोर्ट के विरूद्ध नहीं है। फिर भी, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए, काफी पूर्व आधार कार्य करने की जरूरत है।"

यह मानते कि जब उन्होंने इसे लिखा था, तब तक यह कार्य नहीं किया गया।

"हमें यह मानना चाहिए कि पिछड़ेपन को परिभाषित करने में जहां जाति की उपेक्षा नहीं हो सकती, वहां आर्थिक पिछड़ेपन पर भी ध्यान देना होगा। इस तरह के मामले में, किसी भी नीति का उद्देश्य इन दोनों कारकों का समन्वय होना चाहिए।"

वह स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी इसे सिर्फ आर्थिक आधार पर चाहती है।

श्री मदन लाल खुराना : नहीं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवानी (गांधी नगर) : इस समय मैं यह जिक्र करना चाहूंगा कि 1989 के चुनाव घोषणा पत्र में भी, भा०ज०पा० ने स्पष्ट कहा था कि मुख्य रूप से हम मंडल आयोग के खिलाफ नहीं है, हम इसमें आर्थिक पहलू का समावेश चाहते हैं। 1989 में, जहां तक मुझे याद है, न तो आपके चुनाव घोषणा पत्र में और न ही सी० पी० आई० (एम) के चुनाव घोषणा पत्र में इस तरह की कोई बात कही गई थी, जो आपने 1991 में कही है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवर्तक है। इस बात में आप प्रवर्तक हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह सहमति का पहला मामला लगता है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसी पर मैं आखिर में आ रहा हूं। इसी पर मैं वास्तव में आ रहा हूं। इस आधार पर आंशिक रूप से, चुनाव लड़े गए हैं, हारे और जीते गए हैं, कुछ जानें भी गई हैं, क्या कम से कम अब भी हम इस मामले पर सर्व सम्मति नहीं पा सकते ? काफी कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था, कभी होना नहीं चाहिए और होने देना भी नहीं चाहिए।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अल्पसंख्यकों के आरक्षण का क्या हुआ ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह भी हमने कहा है। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह भी कहा है। पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों को वहीं आरक्षण मिलेगा जो पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा। यह हमने कहा है। मैं सोचता हूं कि जब वार्ता होगी तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : शायद एक बात को भुला दिया गया है, कि मंडल आयोग की रिपोर्ट में एक संयुक्त इकाई के रूप में आर्थिक दण्ड है। इसमें आर्थिक मापदण्ड पर बल दिया गया है। इसमें सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार लिया गया है। आर्थिक मापदण्ड में, समाज के उन वर्गों को लिया गया है जिनकी आय और सम्पत्ति राज्य औसत से 25 प्रतिशत कम है और समाज के वे वर्ग जो राज्य औसत से 25 प्रतिशत ऊपर हैं और कच्चे मकानों में रहते हैं और समाज का वह वर्ग जो श्रम से जीविका कमाते हैं। यह आर्थिक मापदण्ड है जिसे पहले से ही मंडल आयोग की रिपोर्ट में शामिल किया गया है और इस पर विशेष बल दिया गया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अगर ऐसा है, तो मैं विश्वनाथ जी से पूरे सम्मान के साथ पूछूंगा कि इसे पहले आदेश में उन्होंने शामिल क्यों नहीं किया ? उन्हें 10 या 15 दिन के बाद यह क्यों कहना पड़ा "हम 5 से 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी देंगे।" हम इस पर बात ना करें। मैं आप से इस पर बात करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हम इसे भूल जायें। आइए हम इसे नए सिरे से शुरु करें। इसमें जो भी लिखा है, अगर यह बुरा है, तो इसे छोड़ दें। अगर यह अच्छा है, जिस पर हम सहमत हैं, तो इसे मान लें और आगे चलें। मंडल आयोग पर मैं यह कहना चाहता हूं। कई और सिफारिशों भी हैं, मंडल आयोग में 21–22 सिफारिशें की गई हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वाधिक विवादास्पद रिपोर्ट को हमने केन्द्र बनाया है और जो सिफारिशें विवादास्पद नहीं है उन्हें छोड़ दिया गया है। हमें उन सिफारिशों पर जो विवादास्पद नहीं हैं, सहमत होना है। आप पायेंगे कि यदि हमने वास्तव में उन्हें क्रियान्वित किया तो इस देश में पिछड़े वर्गों का रूप ही बदल जाएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप आरक्षण के बिना कुछ नहीं कर सकते। आरक्षण जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही समस्या है। 40 वर्षों से उन्होंने यह नहीं किया, क्योंकि वे आरक्षण नहीं देना चाहते थे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम देख चुके हैं कि आरक्षणों का क्या प्रभाव पड़ा है। मैं अन्य सभी सिफारिशों को आरक्षण में प्रतिस्थापन के रूप में रखने की बात नहीं कर रहा। कृपया

ऐसा न सोचें। हमने आरक्षण से शुरुआत की थी। प्रत्येक व्यक्ति आरक्षण चाहता है। मरीज दूध चाहता है, डाक्टर दूध की सलाह देता है। आप और क्या चाहते हैं? **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप अपने चुनाव घोषणा पत्र पर कायम है। आपने वकील जिसे जब सुप्रीम कोर्ट भेजा गया तो उसने कहा : "हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कहा था उस पर हम कायम हैं।" आपने अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में आरक्षण की बात नहीं कही .... **(व्यवधान)**।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। मैं किसी चीज की उपेक्षा नहीं कर रहा। मैं यहां अपने चुनाव घोषणा पत्र को पुनः कह रहा हूं। मैं आप से चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर बात कर रहा हूं। इस पर पीछे हटने की कोई बात है ही नहीं। इसको सारा विश्व जान ले। **(व्यवधान)** मुझे खेद है कि मैंने 15 मिनट अधिक ले लिए। मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : पिछले दो दिनों से इस पर हल्ला हो रहा था। अर्जन सिंह जी यहां थे। क्योंकि आपने अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया था इस लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका समय बढ़ा दिया था। कल कहा था कि कल तक लास्ट डेट थी इस लिए 06 अगस्त तक उसमें समय बढ़ाने का काम किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने 5 से 10 प्रतिशत की बात कही है, श्री वी० पी० सिंह ने 27 अगस्त को इसी पार्लियामेंट में कहा था कि पहले पचास प्रतिशत का जो रिजर्वेशन है, 27 प्रतिशत मंडल कमीशन के लिए, पिछड़ी जाति के लिए और साढ़े बाइस प्रतिशत अनुसूचित जाति, जन जाति के लिए है, दोनों मिलाकर साढ़े उन्नचास प्रतिशत होता है .... **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

मैं आलोचना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं।

[हिन्दी]

इसलिए मंडल कमीशन को पहले लागू किया जाए और उसके बाद जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं उनके लिए भी 5 से 10 प्रतिशत रखा जाए, यह 27 अगस्त को कहा गया था। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी नीयत साफ है, आप चाहते हैं लेकिन ज्यों ही आप आर्थिक मामलों को लेकर कोर्ट में जायेंगे कोर्ट का जूरिसडिक्शन वह नहीं है।

.... **(व्यवधान)**

आप मण्डल कमीशन को लागू करना चाहते हैं या नहीं। यदि कोई भी अमैंडमेंट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि शायद फिर हम नए सिरे से देखेंगे और नतीजा यह होगा कि मण्डल कमीशन कभी लागू नहीं होगा। इसलिए आपकी नीयत साफ भी हो, ठीक है आप ऐज्जीक्यूटिव आर्डर्स बाद में कर सकते हैं, आपका राज है आंध्र प्रदेश में, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी हाउस को ऐश्योर करें कि किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पड़ा हुआ है, सरकार की तरफ से कोई ऐसी

कार्यवाही नहीं होगी जिससे मण्डल कमीशन के अगेन्स्ट कोई निर्णय लेने का सुप्रीम कोर्ट को मौका मिले ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से 30 साल पहले जब तेलंगाना रीजनल कमेटी काम कर रही थी . . . **(व्यवधान)** **(अनुवाद)**

सिर्फ एक मिनट, कृपया ।

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैं सिर्फ दो मिनट लेना चाहता हूं । मैं इस सभा में मंडल आयोग पर बोल चुका हूं । जब मैं बोला था तो मैंने अपने विचार स्पष्ट कर दिए थे । जब मैंने अपने समुदाय को पिछड़ी जाति घोषित करने से मना कर दिया था तो मुझे श्रीमति इंदिरा गांधी का समर्थन मिला । उन्होंने मुझे बधाई दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे 'पिछड़े' शब्द को हमारी सामाजिक शब्दावली से हटाना चाहती हैं । मंडल आयोग की रिपोर्ट में काफी कमियां थी । यह सिर्फ हिन्दुओं के लाभ के लिए थी और इसमें आर्थिक आधार पर विचार नहीं किया गया था । मंडल आयोग के अनुसार ऊंची जातियों को ही सभी सुविधाएं मिली । बीच की जातियों को भी काफी सुविधाएं मिलीं । किन्तु वास्तविक रूप से पिछड़े वर्गों को कुछ भी नहीं मिला । उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए . . . . **(व्यवधान)** ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे खेद है, मैंने काफी समय ले लिया है । मैं अधिक जोर नहीं देना चाहता । **(व्यवधान)** क्या ? मैं आपको बाहर बताऊंगा । **(व्यवधान)** ऐसा कई बार हुआ है कि इस देश के शीर्षस्थ व्यक्तियों ने स्वयं को पिछड़ा वर्ग मानने से इंकार कर दिया है । श्री कुमार मंगलम के दादाजी डा० सुब्बारया ने कहा था । "मैं अपने समुदाय को पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं होने दूंगा ।" लेकिन, पीढ़ियों के साथ नीयत भी बदल गई । और, अब वे पिछड़े वर्ग के हैं । ये उदाहरण हैं । इसलिए, आखिरकार एक समय आएगा जब हमारा उद्देश्य पिछड़ेपन को खत्म करना होगा जहां कोई भी दूसरे वर्ग की तुलना में पिछड़ा कहलाने के लिए तैयार नहीं होगा । गैर-जरूरी मुद्दों पर उलझने की बजाए यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए । यही उद्देश्य है और हमें अपने जीवन-काल में इस उद्देश्य को पाना है । मुझे आशा है कि ऐसा संभव होगा और हम सब के सहयोग से, एक ही काम करते हुए और एक ही उद्देश्य अपनाने से यह संभव हो सकेगा । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है **(व्यवधान)**

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वार) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने शैडयूल्ड कास्ट्स के बारे में जिक्र नहीं किया है । . . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा कई संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं । अगर सभा सहमत हो, तो मैं सभी संशोधनों को सभा के मत के लिए इकट्ठा रखूंगा ।

संशोधन लोक सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक सभावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 11 जुलाई, 1991 को एक साथ समवेत संसद को दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम गैर—सरकारी विधेयक संबंधी कार्य लेंगे। **(व्यवधान)**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : नियम 377 के अधीन मामलों के बारे में क्या कर रहे हैं ? .... **(व्यवधान)**

श्री वल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह इस संबंध में है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त करने के पश्चात् नियम 377 के अधीन मामले लिए जाने चाहिएं। ये अभी लम्बित ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं इसे निरस्त करता हूं। मैंने कहा था कि यदि समय होगा तो हम इसे लेंगे। अब यह कल लिया जायेगा। इस समय गैर—सरकारी विधेयक पुरः स्थापित किए जायेंगे।

3.57 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 74 और 163 में संशोधन)

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*दिनांक 19 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र- असाधारण, भाग 2 खंड 2 में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.57½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 26 में संशोधन)

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जार्ज **फर्नांडीस** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.58 म० प०

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक*

(विधेयक के पूरे नाम आदि में संशोधन)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

---

*दिनांक 19 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र-असाधारण, भाग—2, खण्ड— 2 में प्रकाशित ।

3.58½ म० प०

परिसीमन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 9 में संशोधन)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि परिसीमन अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.59 म० प०

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (बरेली में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की बरेली में स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की बरेली में स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.59½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(उद्देशिका आदि में संशोधन)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

*दिनांक 19 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र- असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

4.00 म० प०

शिशु खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक*

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्तन पोषण के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से शिशु खाद्य और पोषण बोतलों के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्तनपोषण के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से शिशु खाद्य और पोषण बोतलों के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

4.1/2 म० प०

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक*

(धारा 2 में संशोधन)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

---

*दिनांक 19 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र-असाधारण, भाग–2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

"कि सरकारी स्थान (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीराम नाईक । मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

4.01 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 81 आदि में संशोधन)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राम नाईक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :

4.1½ म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

अनुच्छेद 370 का लोप

श्री काशी राम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री काशी राम राणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

*दिनांक 19 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र- असाधारण, भाग–2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

4. 1¾ म० प०

सामाजिक नि:शक्तताओं का निवारण विधेयक*

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने समुदाय के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों पर सामाजिक नि: शक्तताओं के अधिरोपण का निवारण करने तथा ऐसे कार्य या कार्यों के लिए शास्तिओं और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने समुदाय के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों पर सामाजिक नि:शक्तताओं के अधिरोपण का निवारण करने तथा ऐसे कार्य या कार्यों के लिए शास्तियों और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशी राम राणा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

4. 2 1/4 म० प०

गुजरात उच्च न्यायालय (सूरत में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री काशी राम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गुजरात उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की सूरत में स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गुजरात उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की सूरत में स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशी राम राणा : मैं विधेयक पुन:स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 19 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र-असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

4.23/4 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक *

(नए अनुच्छेद 26क का अन्तःस्थापना)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव में करता हूं कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं

4.03 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

4.31/4 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 327 आदि में संशोधन)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 19 जुलाई, 91 के भारत के राजपत्र- असाधारण भाग–2, खण्ड–2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

4.03/½ म० प०

रोजगार गारंटी विधेयक*

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को रोजगार देने के लिए या स्वरोजगार हेतु साधनों और संसाधनों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को रोजगार देने के लिए या स्वरोजगार हेतु साधन अथवा संसाधनों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

4.04 म० प०

15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों की यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिये उपाय किए जाने के बारे में संकल्प

अध्यक्ष महोदय : अब हम 12 जुलाई को श्री जायनल अबेदिन द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार एक अमेंडमेंट दिया था । उसकी रूलिंग के बारे में आपने कहा था कि बुलाऊंगा । आपने बुलाया। जब आपने मुझे बुलाया और यह कहा कि इसके अन्दर और भी स्टैप्स हैं, तो मैंने उसके बारे में एक दूसरा अमेंडमेंट दिया था । ..... **(व्यवधान)** ..... ।

---

*दिनांक 19 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र- असाधारण, भाग-2 खण्ड-2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन संशोधनों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे रहा जिन्हें पहले ही रद्द किया जा चुका है । क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो प्रत्येक संशोधन तथा प्रत्येक निर्णय पर सदन में चर्चा होनी शुरू हो जाएगी । पिछली बार भी इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, या तो आप यह तय करिए कि आप आइंदा से भी तय नहीं करेंगे । ..... (व्यवधान) ..... ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदन में नहीं । अन्यथा यहां संशोधनों पर ही चर्चा होती रहेगी ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इस रेजोल्यूशन के फार-रीचिंग-इफैक्ट्स होने वाले हैं । ..... (व्यवधान) ..... ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया इस प्रकार जोर-जबरदस्ती मत कीजिए । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । अगर मैं इसकी अनुमति दूंगा तो यह परम्परा बन जाएगी । प्रत्येक रद्द किए गए प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की जाएगी । इसलिए अगर किसी सदस्य को किसी संशोधन के स्वीकृत या अस्वीकृत होने पर आपत्ति है तो वह मुझ से मेरे कक्ष में मिल सकता है । मैं धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनूंगा और अपने विवेकानुसार निर्णय दूंगा । परन्तु इन मुद्दों पर मैं सदन में चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा । अन्यथा हजारों नोटिस दिए जाते हैं और अगर उन पर सदन में निर्णय होने लगेगा तो हम केवल नोटिस पर ही चर्चा करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा । इसलिए खुराना जी, हमें सहयोग कीजिए और इस मुद्दे को यहां मत उठाइए ।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं बोलना चाहता हूं । मैं आदरणीय खुराना जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर साफ रूलिंग दे दी है । आप यही चाहते हैं कि भविष्य में भी इस पर पक्का रहा जाए । आपकी इस भावना को मैं समझता हूं लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हाउस के रूल के बाहर जो फैसले होते हैं, अगर हम उन फैसलों पर भी यहां बहस करना शुरू कर देंगे, तो एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर देंगे जिसका कोई अन्त नहीं होगा । इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो बात कही है और हम सब

आश्वस्त हैं कि यदि हमारा कोई अमेंडमेंट रिजेक्ट किया जाता है, उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं हम उनसे ही प्रार्थना करके उसे मनवा लेने की बात करें, सदन में उस बात को उठाने की कोशिश न करें।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मुझे यह लगता है कि अगर यह रेजोल्यूशन पास हो गया तो सारे देश के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे हो जाएंगे । **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह : बिल्कुल नहीं।

श्री मदन लाल खुराना : आप यह चाहते हैं कि माता सुन्दरी कालेज, जो पहले मस्जिद था इसको हटा दिया जाए । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । संशोधन की स्वीकृति के सम्बन्ध में मैं किसी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा । अगर आप इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे तो उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । परन्तु अगर आप अपने भाषण में कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है । आप प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा कहना यह है कि अगर पहले से मुझे यह बता दिया जाता कि मेरा पहला अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है तो मैं दूसरा दे देता । मेरा पहला अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा तभी तो मैं दूसरा दूंगा । **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगी।

[हिन्दी]

ये आपके ही हित में है । अगर सब लोग इस तरह से प्रश्न उठाएंगे तो यह ठीक नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यह एंशोरेंस चाहता हूं कि अगर कोई भी इस तरह का संशोधन आएगा तो आप उसको नहीं लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्षपीठ से कोई आश्वासन लेने की आवश्यकता नहीं। आप अध्यक्षपीठ का निर्णय स्वीकार करने को बाध्य हैं । आपको अध्यक्षपीठ से आश्वासन नहीं मिल रहा है बल्कि यह अध्यक्षपीठ का विनिर्णय है जिसे स्वीकार करने को आप बाध्य हैं । मुझे आपको आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं। मैं किसी दूसरे सदस्य की तरह ही हूं । इसलिए आश्वासन जरूरी नहीं। अगर मेरे द्वारा कही गई कोई बात विनिर्णय के रूप में है

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो यह मुझ पर, आप पर और हम सब पर सामान्य रूप से लागू होती है । इसलिए खुराना जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, इस मुद्दे पर मैं किसी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि यह तो एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और अगर मैं इसकी अनुमति दूंगा तो यहां केवल प्रस्तावों की स्वीकृति पर ही चर्चा होती रहेगी ।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : यह तो डिसक्रीमिनेशन हो गया न । **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप इस तरह का आश्वासन नहीं ले सकते । इस प्रकार का कोई सार्वजनिक आश्वासन नहीं दिया जायेगा । मैं नियम, कानून और निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही करूंगा । अब श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित अपना भाषण जारी रखेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित जी, आप पहले ही 45 मिनट ले चुके हैं । अब, कृपया अपनी बात संक्षेप में करिए ।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : यह विषय काफी महत्वपूर्ण है और इस पर मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहने के लिए समय लीजिए ।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : इस विषय के बहुत से पहलू हैं । फिर भी मैं इसे संक्षिप्त करने की चेष्टा करूंगा । ..... **(व्यवधान)** .....

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि भाषण शुरू हो, मैंने जो बातें उठाई हैं, उन पर आप रूलिंग दीजिए, रूलिंग आप जो चाहे दे सकते हैं, बात यह है कि मैंने लिख कर आपके सामने प्रस्तुत किया है कि यह मैटर सबजुडिस होने के कारण हाउस में पेश नहीं हो सकता और पहले के अध्यक्ष महोदय ने इस बात के लिए लिखित रूप में निर्णय दिया था, क्योंकि यह मैटर 11 मुकदमों में सबजुडिस है **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत से सदस्य ऐसे बोलना शुरू कर देंगे । मुझे खेद है कि कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता ।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष में आकर एक घण्टा या दो घण्टा चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा जो कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा जी, आप मेरे कक्ष में आइए। मैं आपसे सादर निवेदन कर रहा हूं। मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। या तो आप मुझे आश्वस्त कीजिए अथवा मैं आपको आश्वस्त करूंगा।

[हिन्दी]

श्री भीश चन्द्र दीक्षित : श्रीमान इस रेजोल्यूशन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि अयोध्या स्थित पूजा स्थल से संबंधित विवाद को शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए कदम उठाएं।

4.11 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत गंभीर विवाद है। इसको हल करने के लिए 3 ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कहा जा सकता है कि इसका कोर्ट आफ ला से सोल्यूशन निकाला जाए। दूसरा तरीका इसका हो सकता है कि नेगोशिएटेड सैटलमेंट हो और तीसरा तरीका हो सकता है इन दी स्पिरिट आफ गिव एण्ड टेक, इस तरह से कोई समझौता हो जाए।

श्रीमन् एक बात शायद हाउस को मालूम नहीं होगी। और मैं यह बताना चाहता हूं कि यह विवाद अदालत में 100 साल से ज्यादा से चल रहा है। इसका पहला मुकदमा सन् 1885 में महन्त रघुवर राम ने सब जज फैजाबाद के सामने दाखिल किया गया था और उस वक्त जो ब्रिटिश जज थे कर्नल एफ० ई०ए० चैरियर, उन्होंने अपने जजमेंट में यह कहा था--

[अनुवाद]

"यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिन्दुओं की पूज्य भूमि पर एक मस्जिद बनाई गई और 356 वर्ष बाद इतनी देर में इसे सुधारने की बात की जा रही है।"

(हिन्दी)

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी कही थी, पिछली बार भी कही थी कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने यह मामला, इसका मुकदमा 18 दिसम्बर, 1961 को फाइल किया था।

इसमें यह आरोप लगाया गया था कि 22/23 दिसम्बर 1949 की रात को हिन्दुओं ने उस भवन में गुप्त रूप से मूर्तियां रख दी जिसे वे अपनी मस्जिद मानते थे।

वास्तव में इस घटना से काफी पहले श्री गोपाल सिंह विशारद ने 16-9-1950 को एक केस दायर किया था। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि अदालत ने निम्नलिखित अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की थी :

"पार्टियों पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत यह रोक लगाई जाती है कि विवादास्पद स्थल से मूर्तियां न हटाएं और इस समय हो रही पूजा इत्यादि में हस्तक्षेप न करें।

दिनांक 16-09-50 का यह आदेश तदनुसार अधिसूचित किया जाता है।"

इस पर हुई अपील के तहत अन्तरिम निषेधाज्ञा की पुष्टि कर दी गई और अपीलीय अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

"अयोध्या के कुछ मुस्लिम निवासियों के अनेक शपथ पत्रों से यह प्रतीत होता है कि कम से कम 1936 के बाद से मुसलमानों ने इस स्थल का मस्जिद के रूप में प्रयोग नहीं किया है और न ही कभी वहां पर प्रार्थना की है और इस विवादास्पद स्थल पर हिन्दू अपनी पूजा इत्यादि करते आ रहे हैं।"

"यह निर्विवाद तथ्य है कि इस याचिका की तारीख के दिन श्री भगवान राम चन्द्र तथा अन्य की मूर्तियां इस स्थल पर मौजूद थी और प्रार्थी सहित हिन्दुओं द्वारा वहां पर पूजा की जा रही थी हालांकि ऐसा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा तय कुछ पाबंदियों के तहत हो रहा था।" **(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, वह किसी दस्तावेज का उल्लेख कर रहे हैं। क्या वह इसे सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हैं।

श्री ओश चन्द्र दीक्षित : मैं न्यायालय के फैसले की प्रतियों में से उद्धृत कर रहा हूं।

श्री अनिल बसु : सभापति महोदय, उन्हें सभा पटल पर इनको रखकर प्रमाणिकता सिद्ध करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री ओश चन्द्र दीक्षित : यह न्यायालय के फैसले हैं और मुझे इनसे उदधृत करने की अनुमति दी जाए। अगर आवश्यकता हो तो मैं फैसलों की प्रमाणिक प्रति यहां पर रख सकता हूं। **(व्यवधान)** मैं 1951 के केस का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री अनील बसु : जब तक इन फैसलों को प्रमाणित करके सभा पटल पर नहीं रखा जाता हम उनकी वास्तविकता कैसे मान सकते हैं ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जब वह कोई फैसला उद्धृत करते हैं तो यह पर्याप्त है। इसकी जांच की जा सकती है। यह आवश्यक नहीं कि इन फैसलों को सभा पटल पर रखा जाए। जब वह उद्धृत कर रहे हैं तो ठीक ही करेंगे। अगर गलत करते हैं तो निःसन्देह में इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

15 अगस्त, 1947 की थिति के अनुसार सभी पूजा स्थलों की यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए उपाय किए जाने के बारे में संकल्प — **19 जुलाई, 1991**

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित : मैं 1950 से केस संख्या 2 जिसमें श्री गोपाल सिंह विशारद अपीलकर्ता थे तथा उनके विरुद्ध जहूर अहमद तथा अन्य थे, सिविल जज आदेश, फैजाबाद दिनांक 3-3-51 मे एक टिप्पणी उद्धृत करता हूं ।

अक्सर विश्व हिन्दू परिषद के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वह न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करती। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि न्यायालय के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद जिसकी बाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पुष्टि की थी, हिन्दुओं द्वारा बेरोक पूजा करने के अधिकारों के साथ हस्तक्षेप किया गया। हमने ताला खुलवाने का हरसंभव प्रयास किया। महोदय, जब हम इसमें सफल नहीं हुए तो यह निर्णय लिया गया कि हम इस मुद्दे पर एक शान्तिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे । लेकिन इसी दौरान जिला न्यायाधीश, फैजाबाद श्री के० एम० पाण्डे ने 1 फरवरी 1986 के अपने आदेश के द्वारा ताला खोल दिया। मैं सम्बन्धित भाग उद्धृत करता हूं :

> "प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि गेट, ओ०एण्ड पी० के ताले, तुरंत खोल दिए जाएं। वे प्रार्थी तथा समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा दर्शन करने और पूजा करने में कोई पाबन्दी या कठिनाई उत्पन्न नहीं करेंगे। फिर भी, प्रतिवादियों को यह छूट है कि वे स्थिति के मुताबिक किसी कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं।"

तीसरी बात जो मैं इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि जब हमने शिलान्यास करने का दिर्णय लिया तो एक रिट याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई। मैं उच्चतम न्यायालय के आदेश में से सम्बन्धित भाग उद्धृत करता हूं।

इसमें कहा गया है :

"हमें इस पूरे प्रश्न का यह सार प्रतीत होता है कि क्या पवित्र की हुई शिलाओं को ले जाने के लिए धार्मिक समारोह को अनुमति दी जाए जो कि बाबरी मस्जिद क्षेत्र के निकट राम जन्म भूमि मन्दिर की आधारशिला रखने के लिए होगा और यह गंभीर साम्प्रदायिक दुर्भावना उत्पन्न करेगा और क्या इसलिए इस संबंध में विश्व हिन्दू परिषद के सदस्यों द्वारा ऐसा जलूस निकालने पर रोक लगनी चाहिए और विशेषकर 9-11-89 को आधारशिला रखने पर रोक लगनी चाहिए ।

इस उद्देश्य से यह ध्यान में रखना है कि संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार प्रत्येक धार्मिक समुदाय के सदस्यों को तब तक अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतन्त्रता देता है जब तक कि यह धार्मिक विश्वास उस स्थान के मौजूदा कानूनों का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करता। यह बात ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी

ध्यान में रखते हुए कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का प्रमुख कर्तव्य और दायित्व है ·····इत्यादि, इत्यादि।"

अन्तिम वाक्य में कहा गया है :

"हम, इसलिए इस रिट याचिका को खारिज करते हैं।"

यह अन्तिम आदेश है। शिलान्यास और शिलायात्रा पर रोक का अनुरोध करने वाली रिट याचिका को अनुमति नहीं दी गई।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : श्री दीक्षित ने उच्चतम न्यायालय के फैसले में उद्धृत किया है और मुझे यह संभवतः ठीक ठीक याद है। क्या श्री दीक्षित उस भाग को पुनः पढ़ेंगे जिसमें शिलान्यास करने का उल्लेख किया गया है।

श्री अवध बिहारी दीक्षित : अध्यक्षपीठ की अनुमति से मैं पूरा फैसला पढ़ सकता हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आप केवल प्रभावी भाग को फिर से पढ़िये।

श्री अवध बिहारी दीक्षित : प्रभावी भाग यह है, "हम, इसलिए इस रिट याचिका को खारिज करते हैं।"

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मेरे विचार से आपने कहा था कि इसमें शिलान्यास की अनुमति दी गई है। मैं यह पूछ रहा हूं कि फैसले में यह कहां कहा गया है कि शिलान्यास को अनुमति दी जाती है। शिलान्यास शिलायात्रा से भिन्न है। मैं यह कह रहा हूं।

सभापति महोदय : जहां तक मुझे याद है रिट याचिका शिलायात्रा के संबंध में थी। मैं नहीं समझता कि विवादास्पद स्थल पर शिलान्यास करने का उल्लेख किया गया है और मैं यह बात पूरे अधिकार के साथ कह सकता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने विवादास्पद स्थल पर शिलान्यास करने की वैधता या अवैधता पर कोई फैसला नहीं दिया है।

श्री अवध बिहारी दीक्षित : महोदय, फैसला बहुत स्पष्ट है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को यह आपत्ति है कि ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने 'फाउंडेशन स्टोन' कहने की बजाय शिलान्यास कहा है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : शिलान्यास फाउंडेशन स्टोन का हिन्दी शब्द है। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह धारणा पैदा की जा रही है कि शिलान्यास उच्चतम न्यायालय की अनुमति से किया गया। ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : उच्चतम न्यायालय ने शिलान्यास और शिलापत्थर पर रोक लगाने से मना कर दिया।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : लेकिन लखनऊ उच्च न्यायालय ने तो कहा था कि.. **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जब आप फैसले को उद्धृत करते हैं तो यह जैसा है वैसे ही उद्धृत हो, चाहे हिन्दी में हो या अन्य भाषा में हो। **(व्यवधान)**

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा पर क्या कहना है ? आप उसे उद्धृत क्यों नहीं करते ? **(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा : वह इसे आपके लिए छोड़ रहे हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने यहां पर पहले ही यह उल्लेख किया है कि जब भी वह कुछ भी कोई फैसला उद्धृत करें तो फैसला ही हो इसका अनुवादित रूप न हो।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : क्या मैं एक प्रश्न कर सकता है ? मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता था कि क्या वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा विश्व हिन्दू परिषद के बीच हुए इस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता थे कि उन्हें आधारशिला रखने की अनुमति दी जाए और जब तक न्यायालय उनके पक्ष में फैसला नहीं देता वे निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे।

क्या यह सच है ? क्या वह हस्ताक्षरकर्ता थे ? ....**(व्यवधान)**....

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हम यहां आराम से इस पर बहस कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने उनको इल्ड करने के लिए जो सवाल पूछा है उसका जवाब माननीय सदस्य देंगे, आप उसमें व्यवधान न डालें।

श्री शीश चन्द्र दीक्षित : मैंने यह कहा कि इस विषय को तय करने के तीन तरीके हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा जवाब नहीं आया कि उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर थे या नहीं।

श्री शीश चन्द्र दीक्षित : जवाब ही दे रहा हूं। आप सुनिये तो। इनमें तीन हिस्से हैं। एक तो न्यायालय का, दूसरा बातचीत का और तीसरा मैंने कहा था गिव एण्ड टेक का। यह जो इनका सवाल आया है, यह दूसरे पाइंट पर रैफर करता है। जब मैं दूसरे भाग पर आऊंगा तब मैं इसको भी रैफर करूंगा।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : गोल कर दिया।

श्री शीश चन्द्र दीक्षित : गोल नहीं किया, अपनी बात कह रहा हूं। स्टेटस क्यों के बारे में बड़ा जोर है कि कोर्ट ने स्टेटस क्यों मेंटेन करने का आर्डर दिया था। यह रेफरेंस है स्पेशल बैंच इलाहाबाद हाई कोर्ट का 7-11-89 का माननीय जज श्री के० सी० अग्रवाल

श्री यू० सी० श्रीवास्तव, श्री एस०एच०ए० रजाक आर्डर है। माननीय बूटा सिंह जी यहां नहीं हैं, 8 नवम्बर को, इसके एक ही दिन बाद लखनऊ तशरीफ लाये। और उनके साथ होम मिनिस्टरी के सब आफिसर्स थे, जिनमें होम सैक्रेट्री, डायरेक्टर-इंटेलीजेंस ब्यूरो और बहुत से अधिकारी थे। लखनऊ में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी, होम मिनिस्टर श्रीमती सुशीला रोहतगी, आई० जी० पी०, चीफ सैक्रेटरी और होम सैक्रेटरी आदि थे। हम लोगों की तरफ से महन्थ अवैद्यनाथ, महाराज गोरखपुर पीठाधीश थे।

[अनुवाद]

एडवोकेट जनरल श्री भटनागर समेत कुल 40 सदस्य थे। हम सिर्फ दो व्यक्ति ही थे।

[हिन्दी]

और तीन-चार घण्टे की बातचीत के बाद इस नतीजे पर आये कि

[अनुवाद]

जिस स्थान पर हम शिलान्यास करने जा रहे थे वह विवादरहित स्थल था। ऐसा भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात किया गया था। जब आप शिलान्यास करने की अनुमति दे देते हैं तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप हमें भवन निर्माण करने की अनुमति नहीं देंगे।

[हिन्दी]

जब आप किसी चीज की फाउंडेशन स्टोन ले की परमिशन देते हैं

[अनुवाद]

जब आप हमें नींव रखने की अनुमति दे रहे हैं तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप हमें वहां भवन निर्माण की अनुमति नहीं देंगे।

[हिन्दी]

हमने अपना पूरा नक्शा, अपनी पूरी रिपोर्ट स्कीम, श्री राम जन्म भूमि मन्दिर का पूरा नक्शा, अपना पूरा स्टेटमेंट गवर्नमेंट को दिखाया कि हम यहां इस तरह से मन्दिर बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हम यह शिलान्यास करने जा रहे हैं। जब आप हमको शिलान्यास करने की अनुमति दे देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें इमारत बनाने की परमीशन देते हैं।

[हिन्दी]

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : चूंकि यह समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था इसलिए यह सार्वजनिक दस्तावेज है।

श्री भीशचन्द्र दीक्षित : आप पहले उस दस्तावेज को प्रस्तुत कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : प्रश्न मेरा इतना ही था कि जब आपने उनसे चर्चा करने के बाद जिस कागज पर या डाक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए उसमें स्पष्ट उल्लेख यह था कि जो शिलाएं लाई गई हैं,

वहां रखकर शिलान्यास करने दिया जाये और जब तक न्यायालय का फैसला न हो जाए, तब तक निर्माण नहीं करेंगे ?

श्री अीश चन्द्र दीक्षित : मैं यह चाहूंगा कि यदि वह कागज अगर आप पेश करेंगे तब उसका जवाब दिया जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : वह भी किया जा सकता है और वह भी है मेरे पास।

[अनुवाद]

क्या आप इससे इंकार कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री अीश चन्द्र दीक्षित : जब आप मेरे सामने वह कागज प्रोडयूस करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा–बूंदी) : सभापति जी, इनको बोलने मत दीजिए।

श्री कालका दास (करोलबाग) : सभापति जी, ये इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप इनको बोलने दीजिए जब उनका नम्बर आयेगा तो ये बोलेंगे।

सभापति महोदय : देखिये, प्लीज, आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : जब उनसे प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि वे इसका उत्तर देंगे। अभी तक उन्होंने इसका जबाव नहीं दिया है। उन्हें इस सभा में इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं और यदि जो व्यक्ति बोल रहा है अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा है तो आप उन्हें परेशान न कीजिए। जब आपका अवसर आता है तो आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री अनिल बसु : आप स्वयं उनसे पूछिए कि क्या वे उत्तर देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा था कि बात–चीत द्वारा समस्या के निपटारे का प्रश्न उठने पर वे उत्तर देंगे। अब वे उत्तर नहीं दे रहे हैं। यही तो प्रश्न है। आप उनके बीच में हस्तक्षेप कीजिए। इस प्रश्न पर कि क्या श्री दीक्षित उत्तर देंगे, उन्होंने जबाव दिया था और वे ऐसा करने के लिए सहमत हो गए थे। श्री दीक्षित इस पर सहमत हो गए थे। जब आपने उनसे यह पूछा कि क्या वे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। श्री दीक्षित ने कहा कि जब इस मसले पर बात–चीत का प्रश्न उठेगा तो वे इसका उत्तर देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अपने राज्य के अवकाश प्राप्त डी० जी० रह चुके हैं और लोक सेवा के क्षेत्र में जिनका इतना लम्बा रिकार्ड रहा है, उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

श्री भीश चन्द्र दीक्षित : यहां मेरे भाषण के साथ इसका क्या संबंध है ?

श्री दिग्विजय सिंह : यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। उन्हें इस संबंध में हां या ना कहना है।

श्री भीश चन्द्र दीक्षित : यह एक सार्वजनिक दस्तावेज हो सकता है। उस दस्तावेज को प्रस्तुत कीजिए, मैं उत्तर दूंगा।

सभापति महोदय : वे कहते हैं कि वे इस बारे में नहीं जानते हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है।

श्री भीश चन्द्र दीक्षित : उस दस्तावेज को आने तो दीजिए, मैं उत्तर दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि क्या उन्हें इस दस्तावेज की जानकारी है।

सभापति महोदय : वे कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भीश चन्द्र दीक्षित : इसे आने दीजिए, मैं देखूंगा।

सभापति महोदय : वे कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। दीक्षित जी, आप कृपया अपना भाषण जारी रखें ।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : इस बात की कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाए कि उन्हें दस्तावेज की जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय : भाषण देते समय आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री भीश चन्द्र दीक्षित : मैं कहना चाहता हूं कि इसे हल करने के तीन तरीके हैं। मैं सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहा था। अब इस न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में हम हर संभव प्रयास करेंगे ताकि इस मामले का निपटारा अविलम्ब हो जाए। जब इस विशेष न्यायपीठ का गठन हुआ था तो हमने सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ द्वारा दायर किए गए मुकदमे में कुछ मौलिक त्रुटियों का उल्लेख किया था और यह कोई छोटी मोटी आपत्ति नहीं थी। ये आपत्तियां उठाई गई थी। कानून के अनेक विद्वानों ने जैसे अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायधीश श्री गुमान मल लोढा, अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायधीश श्री एम० एन० शुक्ल, अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायधीश श्री देवकी नन्दन अग्रवाल, अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायधीश श्री गोपीनाथ और उच्च न्यायालय के अन्य अवकाश प्राप्त न्यायधीशों ने इन आपत्तियों का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, यहां तक कि एक अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत

के भूतपूर्व महाधिवक्ता श्री लाल नारायण सिन्हा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मैं उनके विचार के कुछ अंश उद्धृत करता हूं। वे कहते हैं :

"प्रिवी कांउसिल और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुसलमानों की ओर से बनाए गए मुकदमे अर्थात 1961 का मुकदमा नं० 12 के लिए 6 वर्षों की न कि 12 वर्षों की समयावधि नियत की गई है। इससे सम्बद्ध अनुच्छेद 1908 के परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 120 है।"

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह घटना 22/23 दिसम्बर, 1949 की रात को घटी थी और इसका मुकदमा इस घटना के 11 वर्ष 11 महीने और 26 दिन बाद 18 दिसम्बर 1961 को दायर किया गया था। इसलिए इस मुकदमे की मूल त्रुटि परिसीमा सम्बन्धी त्रुटि है। मुसलमानों द्वारा दायर किए गए मुकदमे की दूसरी बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें देवी–देवताओं की मूर्तियों को हटाने की बात कही गए है जबकि इन मूर्तियों को मुकदमे में पक्ष बिल्कुल नहीं बनाया गया है। महोदय, आप जानते हैं कि हिन्दू देवी देवताओं को मुकदमें में पक्ष बनाया जाता है। और जब तक आप उन देवी देवताओं पर मुकदमा नहीं चलाते हैं न्यायालय का कोई भी फैसला उन पर लागू नहीं होगा। मैं इस मुकदमें की एक अन्य मूल त्रुटि का उल्लेख भी करना चाहूंगा। यह मुकदमा सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ द्वारा दायर किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि मस्जिद के रख रखाव और इसका नियंत्रण एक मुतवल्ली के अधीन है। इस मुकदमें में कोई मुतवल्ली शामिल नहीं है।

[हन्दी]

उसमें किसी मुतवल्ली का नाम नहीं है। अगर यह मस्जिद थी, तो कोई मुतबल्ली होगा और अगर मुतवल्ली नहीं है तो यह मस्जिद नहीं है। अगर मुतवल्ली था तो इस मुकदमे में वह क्यों नहीं आया। ये फेबुलस आब्जेक्शन्स हैं। यह मुकदमा जो एक स्पेशल बेंच के सामने रेफर किया गया, एक्सपीडिशियसली इन इश्यूज को डिसाइड कर दिया जाता, तो यह बात ला के बाहर हो जाती, तो फिर नेगोशिएट करके गिव एण्ड टेक की बात करके हम कोई फैसला कर लेते।

[अनुवाद]

दुर्भाग्यवश हमारे मित्रों ने इस प्रक्रिया को अपनाने की अनुमति नहीं दी और उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता ने भी इस पर आपत्ति की। इसलिए फैसला हमारे विरूद्ध हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि करीब तीन वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय के तीन न्यायधीशों की विशेष न्यायपीठ गठित की गई थी इस मुकदमें की कार्यवाही मन्थर गति से हो रही है और 1949 से अभी तक इस मुकदमें में सुनवाई हो रही है। आज तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इस स्तर पर भी एक सक्षम न्यायालय द्वारा इस मुकदमें का फैसला हो जाने के आसार नहीं है। इस सम्माननीय न्यायपीठ के फैसले के एक बहुत ही सम्बद्ध अंश का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। यह बहुत ही प्रासंगिक है। जिस बात पर हम विशेष रुप से जोर दे रहे हैं वह यह है। कोई भी न्यायालय इसका फैसला नहीं कर सकता

है। इस देश में कोई भी न्यायालय यह निर्णय नहीं कर सकता है कि भगवान राम का जन्म स्थान कहां है। ——(व्यवधान)। माननीय न्यायालय ने यह फैसला किया है। अब मैं इसके फैसले को उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

"इस बात में संदेह है कि इस मुकदमें में निहित कुछ प्रश्नों का हल न्यायिक प्रक्रिया द्वारा हो पायेगा।"

विशेष न्यायपीठ का कहना है कि इस मुकदमें में शामिल कुछ मुद्दों का हल न्यायिक प्रक्रिया द्वारा नहीं हो पाएगा।

[हिन्दी]

इस बात को ही लेकर, मैं पहली बात यह अर्ज करना चाहता था कि मुकदमें का अगर इंतजार करेंगे, तो पता नहीं इसका कब तक फैसला हो। दूसरा रास्ता है निगोशिएटिव सैटलमेंट। जब से हम लोग इस मामले को देख रहे हैं तब से हमारे निगोशिएशन्स बूटा सिंह जी से हुए, कई बार हुए, बूटा सिंह जी तशरीफ लाते थे, हम लोगों को बुलाते थे। उसके बाद जब वी० पी० सिंह जी तशरीफ लाए, उन्होंने हमको बुलाया। उनके बुलाने पर हम उनसे बात करने गए और श्रीमान् उन्होंने हमको यह कागज लिखकर के दिया, इसमें उन्होंने कहा——हम फैसला कर चुके थे कि हम फलां तारीख से मन्दिर का निर्माण शुरु करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने नया–नया पदभार अभी संभाला है और आखिर में कहा कि मैं आशा करता हूं कि लगभग 4 महीने में इस समस्या का निश्चित रुप से समाधान हो जाएगा। यह बात 07 फरवरी, 1990 की है। जब चार महीने गुजर गए और हम लोग फिर प्रधानमंत्री के पास गए। एक तो यह होता है कि काम हो रहा है, कुछ हो गया है, हमको ताज्जुब हुआ कि काम शुरु ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं था और हमको कोई ऐश्योरेंस यह नहीं दिया गया कि प्रधानमंत्री को कितना वक्त और चाहिए इस मामले को नैगोशिएटेड सैटलमेंट से बात करने का। उसके बाद चन्द्रशेखर जी की हुकुमत आई। उस समय फिर नैगोशिएटेड सैटलमेंट की बात हुई और 01 दिसम्बर 1990 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ हमारी पहली मीटिंग हुई। उसके बाद कई मीटिंग्स हुई और यह फैसला हुआ कि 05 फरवरी, 1991 तक हम इस पर किसी नतीजे पर आ जायेंगे। तब हश्र यह हुआ कि 24 जनवरी, 1991 को जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के एक्सपर्टस आए थे वे हमको यह कागज लिखकर दे गए थे :

[अनुवाद]

"संबंधित प्रमाणों की जांच और अयोध्या जाने के लिए हमें कम से कम छः सप्ताह का समय चाहिए।"

[हिन्दी]

यह कहकर वे मेज से चले गए। उस पर हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को खत लिखा और हमने लिखा कि यह तो बड़े ताज्जुब की बात है कि हम लोगों को बात करने के लिए बुलाया गया और हम बात करने के लिए यहां पर बैठे हैं और जिन लोगों को बात करने के लिए

बुलाया गया वे मेज छोड़कर चले गए। जिनसे बात करनी है वह मेज ही छोड़कर चले गए तो बात किससे होगी। नैगोशिएटेड सैटलमेंट का हश्र यह हुआ। तीसरी बात "गिव एंड टेक" की की जाती है। उस मन्दिर में, शायद हिन्दुस्तान का कोई ऐसा मन्दिर कम से कम मुझे मालूम नहीं है कि 1949 से लेकर आज 1991 तक 24 घंटे, 12 महीने बगैर एक मिनट के व्यवधान के राउण्ड दी क्लोक, कीर्तन और रामायण का पाठ वहां पर होता रहता है। आज पिछले 42 वर्षों में एक मिनट के लिए भी हिन्दुओं ने उस स्थान पर अपना कीर्तन और भजन बन्द नहीं किया है।

[अनुवाद] :

विभिन्न फैसलों में यह कहा गया है कि 1936 से ही हमारे मुसलमान दोस्तों ने उस स्थान पर जाना बन्द कर दिया था।

[हिन्दी] :

दो-एक मिसालें मिलती हैं कि 1940 या 41 में कुछ लोग, एक-दो आदमी वहां नमाज पढ़ने गए थे। यह मन्दिर-मस्जिद का सवाल नहीं है। मन्दिर सैंकड़ों हो सकते हैं, मस्जिद भी हजारों हो सकती हैं।

[अनुवाद] :

यह राम शिला समारोह में भाग लेने का प्रश्न है। यह राम के जन्म स्थान का प्रश्न है। सक्षेप में हिन्दुओं की यही भावना है।

[हिन्दी] :

अगर वह उसको राम का बर्थ प्लेस नहीं मानता ..... (व्यवधान)

श्री पीयूष तोरकी (अलीपुरद्वार) : कब से कब तक ताला बन्द था।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : ताले के बारे में मैं बोल चुका हूं और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अलग से आ जाइए मैं आपको बता दूंगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक मन्दिर में जहां हिन्दू दिन और रात हजारों की नहीं लाखों की तादाद में, आपको ऐसा रामभक्त हिन्दू नहीं मिल पाएगा जो यह कहे कि मैं अयोध्या गया हूं लेकिन मैंने राम जन्म भूमि में मत्था नहीं टेका। इतना जबरदस्त फेथ हिन्दू का उस स्थान पर है और अगर यह फेथ नहीं होता, हम आपके सामने हिस्टौरीकल ऐवीडेंस लायेंगे, तब आप देखेंगे 1528 से लेकर और आज तक आजादी के वक्त सैंकड़ों बार उसके लिए लड़ाइयां हुई। श्रीमान आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि किसी मस्जिद के प्रागंण [अनुवाद] में एक मन्दिर बनाया गया है। यह सरकार है। [हिन्दी] मैंने नहीं बनाया, विश्व-हिन्दू परिषद ने नहीं बनाया, आजादी के बाद नहीं बना और आजादी के पहले अंग्रेजों के वक्त नहीं बना। अंग्रेजों के पहले हुकूमत किस की थी, जनाबों की थी, मुगलों की थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी मस्जिद के प्रीमाइसिस के अन्दर एक मन्दिर बनाया गया।

[अनुवाद] :

यह विवाद 1528 से ही चल रहा है ;

[हिन्दी] :

जब आप सुलह–सफाई की बात करते हैं तो देखें कि एक तरफ इतना जबर्दस्त फेथ है हिन्दुओं का, एक अपने तीर्थ स्थल के बारे में, अपने राम के जन्म स्थान के बारे में ।

[अनुवाद] :

यह विश्वास का मामला है । बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विश्वास का मामला हमेशा सही नहीं माना जा सकता है । मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं ।

[हिन्दी] :

जो बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं । बहुत सी चीजें फेथ की ऐसी होती हैं जिस को इंटिलैक्चुअली और साइंटिफिक्ली आप उसको सही नहीं मान सकते हैं । (व्यवधान) । वह उसको राम का जन्म स्थान मानते हैं और राम का जन्म स्थान मानने के कारण वह वहां पूजा करते हैं । किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति के दो जन्म स्थान नहीं हो सकते । मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दो जन्म स्थान का प्रश्न ही नहीं है ..... (व्यवधान) । गलत है । मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि वे महज कन्फ्यूजन पैदा करते हैं । (व्यवधान)

श्री मसूदल हुसैन सैयद (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इन्हें और कितना समय बोलने के लिए देंगे ? (व्यवधान)

[अनुवाद] :

सभापति महोदय : यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस पर बोलने वाले वक्ता अनेक हैं । मैं समझता हूं कि हम इसे जारी रखेंगे और यदि हम आज इसे समाप्त नहीं कर पायेंगे तो हम इसे आगामी सत्र के लिए स्थगित कर देंगे । (व्यवधान)

सभापति महोदय : अनेक सदस्यों ने अपने नाम भेजे हैं ..... (व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : आज आप कितने समय तक बैठे रहे हैं ?

सभापति महोदय : छः बजे तक । अब मैं माननीय सदस्य महोदय को अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने करीब-करीब 45 मिनट ले लिए हैं । (व्यवधान)

श्री मसूदल हुसैन सैयद : पिछली बार, प्रस्तुतकर्ता को अपनी बात समाप्त करने की अनुमति भी नहीं दी गई थी । यही कारण है कि किसी भी सदस्य को असीमित समय नहीं दिया जा सकता है ।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : माननीय सदस्य को अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए । उन्हें असीमित समय नहीं दिया जा सकता है ।

[हिन्दी] :

श्री अंश चन्द्र दीक्षित : सभापति महोदय, असली बात यह है कि जो सबूत मैं हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं, कम से कम सदस्यों में इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि वह उनको देखें और सुने । (व्यवधान) इनको मालूम तो हों कि फैक्टस क्या हैं ?

[अनुवाद] :

जब तक आप सच्चाई नहीं जान लेते, आप कार्य कैसे करने जा रहे हैं ?

[हिन्दी] :

अभी तो मैंने महज आप के सामने तीन आसपैक्टस दिये हैं। अभी तो मुझे आपको हिस्टोरिकल एवीडेंस कोट करना है, अभी मैं आपके सामने आर्कोलोजीकल एवीडेंस कोट करूंगा, अभी मैं आपके सामने ज्योग्राफीकल एवीडेंस कोट करूंगा, अभी मैं आपके सामने बायोग्राफिकल एवीडेंस कोट करूंगा **(व्यवधान)**

[अनुवाद] :

हम एक विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूं.... **(व्यवधान)** [हिन्दी] अभी तो मैंने महज दो सबजैक्टस लिए हैं। मैंने महज लीगल और निगोसिएटिड सैटलमेंट... **(व्यवधान)** ...अभी मैं आपके सामने सम्पूर्ण विषय पर हिस्टोरियंस ने क्या कहा, वह बताना चाहता हूं। अभी मैं आपके सामने आर्कोलोजीकल एवीडेंस कोट करना चाहता हूं.... **(व्यवधान)** ।

सभापति महोदय : आप बैठिये, एक मिनट। सुनिये, यह प्राइवेट मैम्बर्स का रैजोल्यूशन और बिल ।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति जी, मैं एक तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जब गई बार यह चर्चा प्रारंभ हुई थी तब आप ही इस आसन पर सभापति के रूप में बैठे हुए थे, तब यह निर्णय दिया गया था, सदन की उसमें सर्वसम्मति थी कि जब तक सदस्य बोलना चाहेंगे, बोलेंगे और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी।

श्री मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन मूवर को टाइम नहीं दिया गया था ..... **(व्यवधान)** .....

[अनुवाद] :

जब कभी भी गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी संकल्प तथा विधेयक लाए जाते हैं, सामान्यत: उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती तथा यही प्रश्न है। **(व्यवधान)**

श्रीबसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं चाहता हूं कि ..... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आचार्य जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं खड़ा हुआ हूं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं कोई निर्णय कैसे दे सकता हूं ? मैंने माननीय सदस्य को अपना वक्तव्य समाप्त करने के लिए कहा है। उन्होंने पहले ही पैंतालीस मिनट का समय ले लिया है। मैं समझता हूं कि सदस्य मेरा निवेदन मानेंगे।

[हिन्दी] :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मदसोर) : सभापति जी, मैं एक तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जब गई बार यह चर्चा प्रारम्भ हुई थी तब आप ही इस आसन पर सभापति के रूप में बैठे हुए थे, तब यह निर्णय दिया गया था, सदन की उसमें सर्वसम्मति थी कि जब तक सदस्य बोलना चाहेंगे, बोलेंगे और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी।

श्री मसूदल हुसैन सैयद : मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन मूवर को टाइम नहीं दिया गया था ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद] :

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। हम जानते हैं कि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों अथवा विधेयकों के मामले में सामान्यतः कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। समय भी बढ़ाया जाता है। इस सकल्प के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया जाता है तथा इसके लिए सर्वसहमति भी हो गई थी। चूंकि यह मामला बहुत ही संवेदनशील है अतः हमें दो घंटे की समय-सीमा का ही कठोरता पूर्वक पालन नहीं करना चाहिए। समय-सीमा और बढ़ाई जाये। परन्तु उसका यह अर्थ भी नहीं है कि यह समय बिना किसी सीमा के बढ़ाया जाए। यह ठीक नहीं है कि एक सदस्य असीमित समय तक बोलता रहे। जब इस संकल्प का प्रस्तुतकर्ता बोल रहे थे तब उन्हें आधे घंटे से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। **(व्यवधान)** आप आधे-घंटे तक बोलते रहे थे।

सभापति महोदय : वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं कृपया उन्हें कहने दें।

श्री बसुदेव आचार्य : संकल्प प्रस्तुतकर्ता के भाषण का अन्तिम भाग कार्यवाही से निकाल दिया गया था तथा इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया था। सभा की परम्परा यह है कि सकल्प प्रस्तुतकर्ता को अन्य वक्ताओं की अपेक्षा अधिक समय मिलता है।

सभापति महोदय : जी हां।

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु इस मामले में सकल्प प्रस्तुतकर्ता को अधिक समय नहीं दिया गया। परन्तु अन्य वक्ताओं को असीमित समय दिया जा रहा है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आरंभ में इसके लिए हमने दो घंटे का समय निर्धारित किया है। ऐसा समझा गया था कि यह चर्चा दो घंटे में ही समाप्त हो जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : इस संकल्प के लिए कितना समय निश्चित किया गया है ? आपको निश्चित करना चाहिए। क्योंकि आज हम सात बजे तक बैठेंगे।

सभापति महोदय : आचार्य जी, आपने स्वयं यह कहा है कि यह एक अत्यन्त ही संवेदनशील मुद्दा है। कई माननीय सदस्य इस संकल्प चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

5.00 म०प्र०

श्री बसुदेव आचार्य : यदि कोई सदस्य दो घंटे तक बोलना चाहता है तो क्या आप इसकी अनुमति दे देंगे ?

सभापति महोदय : नहीं इतने समय के लिए नहीं। **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : तब तो मैं दो घंटे तक बोलूगा। मैं इस संकल्प पर दो घंटे तक बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : इसलिए मैंने माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने का अनुरोध किया है। मेरा कहना यह है कि प्रत्येक सदस्य को दस से पन्द्रह मिनट का समय लेना चाहिए। उसी के अनुसार हम आगे कार्यवाही करेंगे। जब इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता ने अपना भाषण दिया था उस समय मैं सभा में उपस्थित नहीं था। यदि उन्हें आधे घंटे का समय नहीं दिया गया तो इसमें मेरी गलती नहीं थी। खैर, मैं श्री दीक्षित से अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह रहा हूं ताकि अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिल जाए तथा हम छः बजे तक बैठेंगे तथा इस विषय को अगले निर्धारित दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टयम) : कृपया सभी को समय दीजिए।

श्री अनिल बसु : महोदय, माननीय सदस्य श्री दीक्षित एक अत्यन्त ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं मैं उस बारे में तर्क नहीं करूगा। परन्तु यहां पर जब वह अपना वक्तव्य दे रहे थे तो सभा की परम्परा यह है कि जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक मेरा अपना विश्वास है वह यह है कि ईश्वर यहां पर जन्म नहीं ले सकता परन्तु उन्होंने कहा कि भगवान ने यहां पर जन्म लिया है। **(व्यवधान)** अब मैं इस बारे में एक निर्णय चाहता हूं। **(व्यवधान)**

[**हिन्दी**] :

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : तुम्हें विश्वास नहीं है, यह तो विश्वास की बात है। .... **(व्यवधान)** ....

[**अनुवाद**] :

श्री शीशचन्द्र दीक्षित : मैंने किसी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। **(व्यवधान)** इसके सामाजिक तथा नैतिक पहलू है। जब तक मैं सभा के समक्ष सभी पहलुओं को नहीं रखूगा, इसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। मुझे सभा के समक्ष सभी तथ्यों को लाना चाहिए **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शीशचन्द्र दीक्षित : अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। **(व्यवधान)** मैं अनेक प्रमाण दे सकता हू ..... **(व्यवधान)** यदि आप मुझे समय दें तो मैं अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद (मंजेरी) महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक विद्वान व्यक्ति हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात का उल्लेख किया है जो अब अदालत के समक्ष विचाराधीन

है। निश्चित रूप से हम भी इसका उल्लेख कर रहे हैं। परन्तु उन्हें इस मामले के गुणों पर नहीं जाना चाहिए था जबकि यह एक औचित्य संबंधी मामला है तथा जिसका निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। ..... (व्यवधान)

[हिन्दी] :

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, यह अगर न्यायालय में है तो विचार के लिए यह नहीं आ सकता है और जब आपने संकल्प लिया है तो डिसकसन होगा। .. (व्यवधान) ..

[अनुवाद] :

श्री ई० अहमद : महोदय, सुन्नी वक्फ बोर्ड एक "मुत्तवली" नहीं है। परन्तु एक निर्णय के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड का पहले ही यू० पी० वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जा चुका है तथा मुकदमा दायर करना इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः ऐसे मामले का जिक्र सदन में नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

सभापति महोदय : दीक्षित जी, आपके दल के आठ सदस्य इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं। आप ने पहले ही पैंतालीस से पचास मिनट का समय ले लिया है। अतः अपना भाषण कृपया जल्दी समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री ओश चन्द्र दीक्षित : महोदय, यदि मेरे भाषण के दौरान हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो निश्चित ही मैं अपना भाषण शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा। अतः मैं चाहता हूं कि आप मुझे संरक्षण दें। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य काफी ज्ञान सम्पन्न व्यक्तित्व वाले हैं। राम जन्म भूमि मन्दिर के गिराए जाने संबंधी एक ऐतिहासिक तथ्य के बारे में मैं उनसे एक साधारण स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह अभी-अभी उल्लेख कर रहे थे कि वह ऐतिहासिक तथ्यों से हीं आरम्भ करने जा रहे हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आपमें से किसी को भी बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। अतःएव मैं उनसे कह रहा हूं कि वह अपना भाषण कृपया जल्दी समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की जाए तथा हम समय नष्ट नहीं करें। आचार्य जी ने बहुत सही कहा है कि हमारे पास बहुत सीमित समय है। यह दो घंटे भी हो सकता है, चार घंटे भी हो सकता है, यह छः घंटे भी हो सकता है, तथा आठ घंटे का भी हो सकता है। इससे अधिक इस पर समय नहीं दिया जा सकता। (व्यवधान)

हमारे पास वक्त बहुत कम है तथा यह मामला महत्वपूर्ण भी है। हम इस मामले पर केवल अगले एक वर्ष तक के लिए चर्चा जारी नहीं रख सकते। खैर, मैं इस

सभा की समाप्ति तक इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं यदि विश्व-हिन्दू परिषद यह वचन तथा आश्वासन दे देती है कि इस दौरान यह कोई एक पक्षीय निर्णय नहीं लेगी। हम इस पर अगले पांच वर्षों तक के लिए चर्चा करने को तैयार हैं। हमें इस चर्चा के लिए कोई उचित समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए। हमें इसके लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों को समय देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस चर्चा के निर्धारित कुल समय का आधा समय दिया जाए तथा अन्य दलों को आधा समय मिल जाए। परन्तु भारतीय जनता पार्टी को सारा समय नहीं दिया जा सकता।

इसमें एक और बात है। हम इस संकल्प से संबंधित हैं जिसमें यह सुझाव नहीं है कि अन्तिम निर्णय क्या होना चाहिए। केवल हमारा यह प्रस्ताव है कि बातचीत के माध्यम से समझौता किया जाना चाहिए। बस मुझे यही कहना है। अतएव सारे सबूत प्रस्तुत करने के लिए, जो बड़ी संख्या में हो सकते हैं, कुछ अन्य मंच भी हैं तथा मैं श्री दीक्षित से अनुरोध करता हूं कि वह मामले को ठीक दिशा में आगे प्रस्तुत करें। मैं चाहता हूं कि श्री दीक्षित जी स्पष्ट करें कि विश्व हिन्दू परिषद बातचीत के माध्यम से समझौता निकालने के विचार का समर्थन करती है अथवा नहीं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, जैसा कि श्री शहाबुद्दीन ने अभी-अभी बताया है, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य में सामान्यतः हर एक को अवसर मिलता है तथा विपक्ष तथा सत्तारूढ़ दल के बीच में समय का कोई विभाजन नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य के मामले में सदस्य होता है। अतएव हममें से प्रत्येक को उस रूप में सोचना चाहिए।

मैं श्री दीक्षित से भी अपना भाषण समाप्त करने का निवेदन कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं यहां पर सदस्यों के अधिकार कम करने के लिए नहीं हूं। मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं? सदस्यों के अधिकारों में काट-छांट करने वाला मैं कोई नहीं हूं। अतएव मैं उनसे केवल अनुरोध कर रहा हूं कि वह अपना भाषण समाप्त करें ताकि अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकें।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : श्री शहाबुद्दीन ने अभी-अभी कहा है कि हमारे समक्ष समस्या यह है कि हम बातचीत पूर्ण समझौता चाहते हैं अथवा नहीं। मुख्य प्रश्न यही है। परन्तु यहां पर कई बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अतः हमें उन सभी बातों का खण्डन करना है। अतः हमें समय मिलना चाहिए। उन सभी बातों को ठीक किया जाना चाहिए। अतः यहां पर लगाए गए सभी आरोपों का खण्डन करने के लिए हमें समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपको अवसर मिलेगा। प्रत्येक वह सदस्य जो बोलना चाहता है, उसे अवसर मिलेगा।

[हिन्दी] :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि नियम है लोक सभा में हर आदमी को इस पर खुल कर अपने विचार रखने चाहिएं। हम चाहते हैं कि इस संकल्प को गंभीरतापूर्वक लिया जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर आदमी को इस संकल्प में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाए और इसके लिए पर्याप्त समय देने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि बाहर भी पूरा समाज बैठा हुआ है और जो विवाद चल रहा है, इस पर एक सरकार भी चली गई। मैं सभी पक्षों से और हर पार्टी के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे बीजेपी के लोग हों, उनको भी पूरा मौका दिया जाए, वे अपनी बात कहें, जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा, कांग्रेस, सबको पूरा मौका दिया जाए और इस विषय को बड़ी संजीदगी से लिया जाए। यह केवल प्राइवेट संकल्प ही नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान के लोगों का आईना है, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : सभापति महोदय, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा, मैं भी सदन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिर्फ प्राइवेट बिल ही नहीं है बल्कि भारत के भाग्य का फैसला हो रहा है, इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाए। इसके साथ ही मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा कि यहां जब शाहबानो केस पर चर्चा चल रही थी, उस समय कुरान की कितनी ही आयतें यहां पर उद्धृत की गई थीं, दिन भर लगा था, प्राइवेट 2–3 मीटिंग भी हुई थीं। यह मामला उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पर उत्तेजित न हों। सदन में जो वाद–विवाद चल रहा है, इसका जो भी निर्णय होगा, उस पर भारत के भाग्य का फैसला होने वाला है। इसलिए इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए, अधिक से अधिक समय दिया जाए। इस तरह से मैं शास्त्री जी की बात का समर्थन करता हूं। (**व्यवधान**)।

[हिन्दी] :

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, यह गैर सरकारी संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकार से लेकर अभी तक देश में विवाद बढ़ रहे हैं और इस पर बहस हो रही है। लोक सभा में जो माननीय सदस्य यह बिल लाए हैं, ये उस रोज भी बोल चुके हैं और आज भी बोलते जा रहे हैं। विश्व हिन्दू परिषद की ठेकेदारी आपके पास नहीं है······ (**व्यवधान**) ···सभापति महोदय, मेरी भी बोलने की इच्छा है, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों की बोलने की इच्छा है। सबसे पहले यह निर्णय होना चाहिए कि इसके लिए कितना समय आप निर्धारित करते हैं और इनको कितना समय देते है। हम लोगों को यह लग रहा है कि ये विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से वकालत करके हम लोगों को बोलने से वंचित कर रहे है ·······व्यवधान·······।

श्री मसूदल हुसैन सैयद (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मेरा सवाल इतना ही है कि प्राइवेट मेम्बर रैज्यूलेशन में किसी मेम्बर के आप अगर अन–लिमिटेड समय दें तो उसमें मेरा

एतराज नहीं है, यह इम्पार्टेंट मॉमला है, इसलिए समय देना भी चाहिए। मेरा मतलब सवाल इतना ही है कि पिछले दिनों मेरे मूवर को रोक दिया गया और चेयर से रूलिंग दी "नथिंग विल गो आन रिकार्ड" क्या आप मेरे मूवर को भी दोबारा मूव करने का मौका देंगे?

[अनुवाद] :

सभापति महोदय : मैं अब भी श्रीशचन्द्र दीक्षित से अपनी बात समाप्त करने को कहता हूं। कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी] :

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित : अभी आपके सामने कहा गया कि यह गम्भीर विषय है। इस पर सबको बड़े ध्यान से सोचना चाहिए। बजाए इसके कि एक पक्ष की बात को ध्यान से सुना जाए, तथ्यों को जाना जाए, आप हमको अगर बोलने नहीं देंगे, सारा वक्त जो इंटरप्शन में जाएगा तो कैसे चलेगा।.... (**व्यवधान**).... सभापति महोदय, यदि 15 मिनट का समय और दे दें तो मैं समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : आपको पांच मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित : मैंने अर्ज की थी कि इस महत्वपूर्ण मामले को तीन तरीकों से सुलझाया जा सकता है। एक—नैगोसिएशन सैटलमेंट से, दूसरा—अदालत से, और तीसरा—ए स्पीरिट आफ गिव एण्ड टेक से। न्यायालय से सम्बन्धित बातें मैंने आपके सामने रख दी। हम लगातार न्यायालय की बात मानते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम न्यायालय को बात नहीं मानते। हम दावे के साथ कहते हैं कि स्पेशल बेंच का अपना आब्जर्वेशन है।

[अनुवाद] :

इसमें कई मुद्दे हैं जो इस प्रक्रिया से सुलझेंगे नहीं।

[हिन्दी] :

आप कब तक अदालत के फैसले का इन्तजार करते रहेंगे। जिस रफ्तार से अदालत में यह फैसला चल रहा है।

स्पैशल बेंच कांस्टीच्यूट हुए लगभग तीन साल हो गए। इन तीन सालों में क्या प्रोग्रेस हुई। एवीडेंस रिकार्ड करना शुरु नहीं हुआ। कितना वक्त लगेगा और कितने दिनों तक इंतजार किया जाए। इसमें दो-दो प्लेन्टीफ थे हिन्दुओं के। एक तो भगवान को प्यारे हो गए और चले गए। मुकदमे के फैसले की इंतजार में चालीस साल जिन्दा रहे। एक तो गोपाल सिंह विशारद और दूसरे रामचन्द्र परम हंस जिन्होंने यह देखा कि अदालत का यह हालत है। हमारे जो जस्टिस थे लाल नारायण सिन्हा और चीफ जस्टिस गुमान मल ..... (**व्यवधान**) जरा खामोश रहें। इस तरह के जो लोगल इल्युमिनीरी के जो आब्जेक्शन थे उनको आपने ब्रश—एसाइड कर दिया। उसका नतीजा

यह हुआ कि अदालत में कब फैसला होगा । इक्कीसवीं सैन्चुरी में फैसला होगा या नहीं । मैं वाराणसी का रहने वाला हूं । वाराणसी में दोशीपुरा–ग्रेव–यार्ड का मुकदमा 38 साल तक चला और 1983 में फैसला हुआ और आज तक वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ···· (व्यवधान)।

[अनुवाद] :

1983 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला अभी तक लागू नहीं हुआ ।

[हिन्दी] :

शिया और सुन्नी के बीच में ग्रेव–यार्ड का मामला था (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं सिर्फ उसका उल्लेख कर रहा हूं । मैं इसके गुण–दोष नहीं बता रहा हूं । मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि ऐसा भी पूर्वोदहारण है कि एक मुकदमा 138 वर्ष तक चल सकता है । उसके बाद भी, इस देश में उच्च न्याय पीठ द्वारा घोषित निर्णय भी लागू नहीं हो सकता ।

[हिन्दी] :

अदालत की बात चल रही है और नैगोशिएट सैटलमेंट की बात हुई । श्री बूटा सिंह और श्री वी० पी० सिंह के सामने नैगोसिएशन की बात हुई और श्री चन्द्र शेखर के सामने नैगोसिएशन टेबल पर हम गए । जो वहां पर आए थे, वे उठकर चले गए । हमें यह लगा कि नैगोशिएशन किससे करें । हजारों और लाखों मस्जिदों में से वह एक मस्जिद है । बस एक मस्जिद है जिसमें ज्युडिशियल प्रोनाउंसमेंट है और जिसमें एवीडेंस है । 1936 के बाद से कम से कम कोई मुसलमान वहां नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता । 1949 से लेकर आज तक एक मिनट के लिए वहां हिन्दुओं ने अपना कीर्तन और भजन बन्द नहीं किया । इतना इमेम्स फेथ और वोल्यमीनस फेथ है और दूसरी तरफ महज जिद के लिए पूजा नहीं कर पाते । यह बताइए कि क्या यह मुमकिन है कि जिस स्थान पर हमारे हिन्दू भाई पिछले 42 सालों से लगातार पूजा करते चले आ रहे है और दूसरे 36 वर्षों से तशरीफ नहीं लाए । "गिव एण्ड टेक" का उनके लिए क्या महत्व है । उसका महत्व हमारे लिए है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 30 अक्तूबर, 1990 तक और 2 नवम्बर 1990 ···· (व्यवधान)।

[अनुवाद] :

30 अक्तुबर, 1990 और 2 नवम्बर, 1990 में अयोध्या की गलियों में रक्तपात हुआ । यह इतिहास में स्वतंत्रता पूर्व हुए जलियांवाला हत्याकांड के समान ही है ।

[हिन्दी] :

हमारे कार सेवकों की हत्या की गई । ····· (व्यवधान) ।

अगर उनके साथ "गिव एण्ड टेक" की बात करते है तो क्या करें। हमारे मंदिर पर लगातार पूजा चल रही है। एक मिनट के लिए कीर्तन बन्द नहीं होता ।..... **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : वे वही दोहरा रहे हैं जो पहले ही कह चुके हैं। यह सिर्फ पुनरावृत्ति है ।

सभापति महोदय : आप पाच मिनट ले चुके है । अब कृपया समाप्त करें ।

(हिन्दी) :

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित : अभी तो मैं एक पार्ट ही बोल रहा हूं और सेकण्ड रेजोल्युशन है इसमें कहा गया है ..... **(व्यवधान)**

अभी तो मैं एक ही पार्ट पर बोल रहा था । सेकण्ड पार्ट आफ रेजोल्युशन जो है उस पर आय। ही नहीं यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पार्ट है । **(व्यवधान)** ।

(अनुवाद) :

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से अपना भाषण समाप्त करने का अनुरोध करता हूं । अब काफी हो गया । मैं आप से इसके लिए अनुरोध कर रहा हूं। आपने लगभग पन्द्रह मिनट ले लिए हैं । कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने बहुत अधिक समय ले लिया है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं उन्हें दो मिनट दे रहा हूं।

(व्यवधान)

(हिन्दी) :

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित : यह जो सेकण्ड पार्ट आफ रेजोल्युशन है इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों की यथापूर्ण स्थिति के संरक्षण तथा आरक्षण के लिए उपयुक्त विधान बनाएंगे।

हम लोग इसके खिलाफ हैं । हम समझते हैं कि इससे बहुत ही सीरियस कांसीक्यूसेज होंगे, क्योंकि हिन्दुओं के कितने ही ऐसे मंदिर है जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अगर इसे उठाया गया तो यह मामला केवल अयोध्या के मन्दिर तक ही सीमित न होकर सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जितने मन्दिर हैं उन सबका उठेगा । **(व्यवधान)** इस तरह का कानून बनाना देश के हित में नहीं होगा इसलिए इसका हम वेमेंटली ओपोज करते हैं और यह बात रिकार्ड में

आनी चाहिए कि अगर इस तरह का रेजोल्यूशन लाया जाता है तो उसके बड़े सीरियस कांसीक्यूसेज होंगे। अगर आप इस प्रकार कदम उठाते है तो इसके इम्प्लीकेशंस पर गौर कर लीजिए।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : अब श्री के० वी० थामस बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

सभापति महोदय : मैं अगले वक्ता से अनुरोध करता हूं कि उन्हें भी बोलने का अवसर मिलेगा। जब वे बोलें तब वे जो खंडन करना चाहते हैं वह करें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा। (व्यवधान)।

श्री के० वी० थामस : (एर्नाकुलम) : हम आठवीं और नवीं लोक सभा में इस विषय पर काफी लम्बी, गर्म और उग्र चर्चा होते हुए देख चुके हैं। इस सत्र में भी, सभा एक तरह से इसी विषय पर चर्चा के साथ शुरू हुई।

इस देश के दक्षिणतम भाग, केरल से होने के कारण मुझे यह देखकर दुःख होता है कि धार्मिक मामलों ने इतनी भयानक शक्ल ले ली है कि इस देश की मिट्टी रक्त से सिक्त हो गई है। मेरे राज्य केरल में, मंदिर और मस्जिद के लिए एक ही दीवार है। त्रिवेन्द्रम जो मेरे राज्य की राजधानी है। वहां आप एक ही परिसर में एक सुन्दर चर्च, एक सुन्दर मस्जिद और एक सुन्दर गणपति मंदिर पाएंगे। हम अत्यन्त धार्मिक लोग हैं। जब हम अपने पूजा स्थल पर जाते हैं तो अन्य पूजा स्थलों पर भी जाते हैं। उदाहरणार्थ, सबरीमलाई मंदिर जो इस देश का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह हमारे राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का एक उदाहरण है। भगवान अयप्पा की पूजा करने के लिए सबरीमलाई मंदिर जाने से पूर्व, हम पहले अरुचिगल नलापी नामक एक ईसाई चर्च में जाते हैं और इस कैथोलिक चर्च में जाने के पश्चात हम बवार नामक एक मस्जिद में जाते हैं। इसके पश्चात् ही हम भगवान अयप्पा की पूजा करते हैं। मैं अनुभव करता हूं कि एक ही ईश्वर है। हम विभिन्न परिवारों में जन्म लेते हैं, विभिन्न सम्प्रदायों में जन्म लेते हैं और ईश्वर की विभिन्न तरीकों से पूजा करते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से, इस महान देश में, जहां कई महान सन्त पैदा हुए हैं, हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। महोदय, इस देश में पर्याप्त खून बह चुका है। देश के बापू को गोली से मार दिया गया। अभी भी हम पहले भारतीय नहीं है। अभी भी हम हिन्दू हैं, मुस्लिम हैं और अभी भी हम पहले ईसाई हैं। क्या यह समय नहीं है कि हम ये सब विभाजन भुला दें और सोचें कि हम भारतीय हैं। हांलांकि मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ था। महोदय, मैं स्वीकारता हूं कि मैं एक हिन्दू हूं क्योंकि केरल में हिन्दुओं को ईसाई बनाया गया था। मैं हिन्दू समुदाय और हिन्दू धर्म की महान शक्तियों को स्वीकारता हूं। इसने विभिन्न धर्मों और विश्वास को आत्मसात किया है। ईसाई धर्म के मामले में, यूरोप में ईसाई धर्म के

फैलने से पूर्व यह भारत में आया और भारत के हिन्दू राजाओं ने ईसाई चर्च और मस्जिद बनवाने में सहायता की । कोई इसे भूल नहीं सकता । मैं मछुआरों के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहां ईसाइयों का बहुमत था और शेष हिन्दू थे । कुछ वर्ष पूर्व, हमारे एक मुस्लिम भाई वहां आए और वहां बस गए । अब उनकी संख्या सौ से ज्यादा है । हमने मस्जिद बनवाने में उनकी सहायता की । यही हमारी भावना रहेगी । यहां, राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के नाम पर हम स्वयं लड़ रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि यदि भगवान राम स्वयं अवतार ग्रहण करें तो, वह भी इस देश के लोगों से लड़ाई बन्द करने के लिए कहेंगे । वे भी इस देश के लोगों को कहेंगे कि इस मुद्दे पर लड़ने की अपेक्षा, आप इस देश के हजारों बेघरबार लोगों के लिए हजारों घर बनाने का प्रयत्न करें ।

क्या हमारे पास समस्याओं की कमी है ? जब यह सभा बनी थी तो हमने पाया कि यह एक त्रिशंकु संसद है । 1984 से इस सदन के सदस्य के नाते मैं देख रहा हूं कि इस देश में मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं । इस देश में लोकतन्त्र बचा रहे, हम इसके रक्षक हैं । एक बार लोकतंत्र की हत्या हो गई तो हम सभी खत्म हो जाएंगे । इस देश से एक बार लोकतंत्र खत्म हो गया तो राम जन्म भूमि के लिए हमारा संघर्ष, बाबरी मस्जिद के लिए हमारा संघर्ष सब समाप्त हो जाएंगे ।

मैंने पिछले सात आठ सालों में इस सदन में वो देखा है कि 1989 के अन्त तक हम एक मुद्दे पर लड़ते रहे—मैं किसी मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रहा—वह मुद्दा था बोफोर्स और पनडुब्बी । 1989 के चुनावों में बोफोर्स तोप सौदा एक मुख्य मुद्दा था और एक नई सरकार 1990 में सत्ता में आई। जब वह सरकार गिरी, तो मुझे अभी भी वह दिन याद है जब श्री आडवाणी ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री से कहा था कि सरकार गिरने से पूर्व बोफोर्स मुद्दे से सम्बन्धित सभी कागजात रख दें, क्योंकि चुनाव मुख्यत: इसी मुद्दे पर लड़ा गया था । और वह सरकार गिर गई। हम उस मुद्दे को भूल गए हैं ।

पिछला चुनाव भाजपा ने राम जन्म भूमि के मुद्दे पर लड़ा था । फिर यह संसद बनी। हम कहां हैं ? क्या हम इसके उत्तरदायी नहीं हैं कि इस देश की 83 करोड़ जनता सुरक्षित रूप से रहे ? आज हमारे सम्मुख क्या समस्याएं हैं ?

सोना गिरवी रखने पर हमने दु:ख व्यक्त किया था । केरल में हम अन्तिम उपाय के तौर पर मंगलसूत्र गिरवी रखते हैं, हम सब कुछ गिरवी रख देंगे । और अगर कुछ नहीं बचा है तो अन्तिम सहारा मंगलसूत्र है । इस देश में, जिस पर हमें गर्व है, हमने अन्तिम सहारा लिया है, और अपना सोना गिरवी रख दिया है । मैं सोने को गिरवी रखने के गुणावगुण नहीं बता रहा हूं, किन्तु मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं कि जब देश को ऐसे गहन संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

मैं इस मुद्दे पर एक लम्बा भाषण नहीं देने जा रहा । मैं उन विभिन्न वर्गों से अनुरोध करता हूं जो इस मुद्दे से जुड़े हैं कि वह इकट्ठे बैठें और एक समाधान खोजें । अगर हम इस

मुद्दे का समाधान नहीं पा सकते तो मेरे विचार से अन्य मुद्दों का भी समाधान नहीं ढूंढ़ पाएंगे । क्या पंजाब में समस्याएं नहीं हैं । क्या कश्मीर और तमिलनाडु में समस्याएं नहीं हैं ? प्रतिदिन कई बड़े मुद्दे उठते हैं । कई करोड़ नवयुवकों को रोजगार देना है । हजारों लोग भूख से मर रहे हैं । उन्हें एक जून की रोटी भी नसीब नहीं होती । जब हमारे सामने ये मुद्दे हैं तो हम उस मुद्दे पर लड़ रहे हैं जिस पर मुझे विश्वास है कि भगवान राम या मोहम्मद भी हमें क्षमा नहीं करेंगे । हमें इसका समाधान तलाशना होगा । समाधान यह है कि हमें एक साथ बैठकर बात करनी होगी । सभी धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए । सभी धार्मिक स्थलों का आदर होना चाहिए । किन्तु इसके साथ ही, हमें देखना चाहिए कि सभी धर्म एक ही बात कहते हैं । हम एक ही ईश्वर की पूजा कर रहे हैं । जब मैं ईसा मसीह की पूजा करूं, तो मुझे अन्य धर्मों के अपने भाइयों से प्रेम करना चाहिए । अगर मैं ईसा मसीह की आराधना करता हूं और अपने हिन्दू और मुस्लिम पड़ौसियों से नफरत करता हूं तो मैं ईसा मसीह का सच्चा अनुयायी नहीं हूं । इसलिए इस सम्माननीय सभा से जो कि इस देश में जनतांत्रिक प्रक्रिया की पुण्यभूमि है, मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम कोई उपाय ढूंढें । यह उचित समय है और अब समय आ गया है । भगवान राम हर समय पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते । वे एक विशेष समय पर ही आते हैं और मेरे विचार से वह विशेष समय आ गया है जबकि पूरा देश अन्दर से और बाहर से गंभीर संकट का सामना कर रहा है ।

इसलिए हमें एक साथ बैठकर एक उपयुक्त समाधान ढूंढ़ना होगा ताकि प्रत्येक की भावनाओं का आदर हो । मुझे विश्वास है कि यह चर्चा इस मुद्दे का एक उचित समाधान ढूंढ़ने में इस सदन की सहायता करेगी ।

(हिन्दी)

सभापति महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वैसे, बोलने के लिए आपका नाम पुकारते ही इतना ज्यादा विवाद किस बात का हुआ, यह समझ में नहीं आया ।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : क्योंकि ये किसी को बोलने नहीं देते ····· **(व्यवधान)** ।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय ····· **(व्यवधान)** ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य जब अपना भाषण कर रहे थे तो भाषण शुरू करने से पहले बीच में कुछ टोका-टाकी हो रही थी, उस दौरान एक माननीय सदस्य ने "तेरा" शब्द के साथ अपनी बात सदन में कही । मुझे ऐसा लगता है कि यह शब्द हमारी सभ्यता के अनुसार ठीक नहीं है । मेरा आग्रह है कि आप कार्यवाही में से इस शब्द को निकाले जाने के आदेश जारी करें ।

सभापति महोदय : यह तो पहले की बात है, इसको छोड़िए।

(अनुवाद)

कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

सभापति महोदय : प्यार के अन्दर तो भगवान को भी "तू" कहकर पुकारा जाता है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लेकिन यह प्यार करने की जगह तो नहीं है । **(व्यवधान)**

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अभी मैं बड़े धैर्य से राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में सभी पक्षों की बातें सुन रहा था । **(व्यवधान)** आप पहले मेरी बात सुनने की कोशिश तो करिए । मैंने आप सब की बातों को बड़े धैर्य से सुनने का काम किया है और इन लोगों को मेरी बात सुनने का धैर्य तक नहीं है। **(व्यवधान)** सभापति महोदय, राम शब्द से मुझे याद आता है कि रामराज्य की कल्पना इस देश में काफी पुराने समय से की जाती रही है। इन्होंने भी राम के नाम पर वोट मांगने का काम किया । **(व्यवधान)** हां, गांधी जी ने भी रामराज्य की कल्पना की थी । हमारा देश वह देश है जो राम के नाम पर 14 वर्षों तक उनकी खड़ाऊं की पूजा करता रहा। जिस राम की चर्चा यहां विश्व हिन्दू परिषद के लोगों द्वारा की जाती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राम ने शबरी के झूठे बेर खाने का काम नहीं किया था । **(व्यवधान)** मैं विश्व हिन्दू परिषद के लोगों से जानना चाहता हूं कि आप आज राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। **(व्यवधान)** यदि आप चाहते हैं कि हम लोग न बोलें, मत बोलने दो । यदि आप हमें नहीं बोलने दोगे तो आडवाणी साहब से पूछ लो, वे भी नहीं बोल पाएंगे। **(व्यवधान)** ।

श्री राजवीर सिंह : यदि आप हमें धमकी दोगे तो हम वी० पी० सिंह को भी नहीं बोलने देंगे । **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करलें ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सभापति को सम्बोधित करें ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप आपस में निजी बातचीत न करें ।

(हिन्दी)

श्री सूर्यनारायण यादव : सभापति महोदय, मैं ..... (व्यवधान) ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : इसका भी जवाब है, राम जन्म भूमि मंदिर का शिलान्यास एक हरिजन से करवाया गया है ।

श्री सूर्यनारायण यादव : सभापति महोदय, मैं विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि पिछले शुक्रवार से अभी तक हजारों बार जिस बात को यहां उद्धृत किया है, मैं भगवान राम के नाम पर जानना चाहता हूं कि भगवान राम ने गरीबों, दलितों, और अछूतों का उद्धार किया, उनको गले से लगाया, गले से लगाने का काम किया था और क्रिश्चियनों और मुसलमानों को भी उन्होंने अपना ही माना था, राम ने कोई भेदभाव नहीं किया था । (व्यवधान)

श्री रतिलाल वर्मा (धधुका) : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

सभापति महोदय : हां, बताइए।

श्री रतिलाल वर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य इतिहास को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वे यहां सदन में ऐसा कर सकते हैं ? जो इतिहास बना हुआ है उसको तोड़-मरोड़ कर पेश करने का प्रयास यहां क्यों कर रहे हैं ?

सभापति महोदय । यह पाइंट आफ आर्डर का विषय नहीं बनता है । इतिहास को कोई तोड़–मरोड़ नहीं सकता है ।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : सभापति महोदय, जिस समय राम का जन्म हुआ था, उस समय कोई हिन्दू भी नहीं था । सब आदिवासी थे। (व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण यादव : सभापति जी, जिस राम के नाम का हम लोग बहुत आदर करते हैं, उनको ईश्वर मानते हैं और आज हिन्दुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है, जहां राम की पूजा, शंकर की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा न होती हो, लेकिन जब हिन्दू परिषद की बात आई, और जब इन्होंने अपनी शुरूआत की, तो महोदय आपको सुनकर आश्चर्य होगा—विश्व हिन्दू परिषद की शुरूआत उस रोज से हुई, जिस रोज इन्होंने हरिजनों के गले में घंटी बांधने का काम किया था, उस वक्त हुई थी जब हरिजनों और पिछड़े तथा दलितों को मंदिर में पूजा करने पर रोक लगाने का काम किया (व्यवधान)

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, विश्व हिन्दू परिषद ने कभी पूजा करने पर रोक लगाने का काम नहीं किया । राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भी एक हरिजन द्वारा कराया गया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया शोर न कीजिए। प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए ।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : बीच में इन्टरप्ट नहीं करना चाहिए, हरेक को मौका मिलेगा, उनको भी बोलने दीजिए ।

(**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा पाइंट आफ आर्डर है । आप आसन पर बैठे हैं, आप सर्वोच्च हैं इस सदन के, आपकी प्रोटेक्शन में माननीय सदस्य आपकी अनुमति से बोल रहे हैं, आप आसन से जो निर्देश देंगे उसका पालन होगा । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं मैम्बर्स से दरख्वास्त करता हूं कि आप मेहरवानी करके बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

(**अनुवाद**)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सभा की गरिमा को बनाए रखें ।

(**हिन्दी**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं आपसे सहमत हूं कि सदन में बिना उत्तेजना के चर्चा होनी चाहिए और मैं अपने दल के सदस्यों से भी कहूंगा कि अगर किसी सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया है तो उसकी बात धीरज के साथ सुनें, उससे सहमत होना जरूरी नहीं है । इस सदन में गलत से गलत बात कहने का अधिकार है मगर उस अधिकार का अगर कोई उपयोग करता है तो बाद में जब उत्तर देने का अवसर मिलता है तब उत्तर दीजिए, टोका–टाकी नहीं की जाए। यह जैसे मेरे सदस्यों पर लागू होता है वैसे सब पर लागू होता है।

सभापति महोदय : मैं वाजपेयी जी को धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे सहमत हूं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हाउस की गरिमा बनाए रखने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए, हाउस का डैकोरम रखने की कोशिश सबको करनी चाहिए । जैसा वाजपेयी जी ने कहा है कि सब मैम्बर्स का अधिकार है, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, आप अपने जवाब में जो भी कहना चाहते हैं बड़ी खुशी से कह सकते हैं । इसलिए, मैं आपसे कहूंगा कि इस समय सूर्यनारायण जी बोल रहे हैं, आप बीच में इनटरप्ट न करें । दूसरी बात यह है कि हाउस 6 बजे

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

तक चलना है । अगर आप उसे एक्सटेंड करना चाहें तो वह आपकी इच्छा है । अगर आप इसे एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं तो यह रेजोल्यूशन नैकस्ट फाइडे को लिया जाएगा ।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय से मेरी उनके चैम्बर में बात हुई थी । उन्होंने कहा था कि जैसे ही यह चर्चा समाप्त होगी तो "नियम 377 के अधीन सूचना" को लिया जाएगा । अत: इसको भी लिया जाए ।

प्रो० प्रेम कुमार धुमाल : सभापति महोदय 377 6 बजे लिया जाए ।

सभापति महोदय : यह कन्सल्ट करके आपको बताया जाएगा । अभी सूर्य नारायण जी अपना भाषण जारी करें ।

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो अटल जी और आडवाणी जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान राम मन्दिर का मुद्दा बहुत जोरों से उठाया था। हम लोग उनसे जानना चाहते हैं कि क्या इस देश में कुछ लोग ही हिन्दू हैं, क्या इस देश के पिछड़े हिन्दू हैं या नहीं, इस देश में हरिजन हिन्दू हैं या नहीं? अगर ये हिन्दू हैं तो आप उन्हें भी समझें, उनकी भी मर्यादा को रखने का काम करें। आज से नहीं हजारों वर्षों पहले से उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है ।

आदरणीय वी० पी० सिंह जी ने जब समानता की बात की थी तो ऐसा लगा कि यह देश हिलने लगा है । जब उन्होंने मंडल कमीशन, सोशल जस्टिस, पिछड़े हरिजनों, दलितों, अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने की बात की और सत्ता में उनको हिस्सेदारी देने की बात की तब रथ यात्रा प्रारम्भ हो गई, मंडल पर कमंडल चला, हिन्दुओं को मंदिर और मस्जिद के नाम पर भड़काने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंदिर और मस्जिद एक भी भूखे इन्सान को एक रोज खाना खिला सका है ? आज हमारे देश में हजारों और लाखों भूखे इन्सान हैं जो कपड़े और खाने के लिए मरते हैं । उनके बच्चे को पढ़ने के लिए विद्यालय में शिक्षा–दीक्षा नहीं मिलती है । क्या विश्व हिन्दू परिषद ने उनके बच्चों के लिए खाने का इन्तजाम किया, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाया ? मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब ढोंग है । जब तक समानता और सामाजिक नीति की बात नहीं होगी तब तक गरीबों का उत्थान नहीं हो सकता है । जब–जब इस देश में दलितों और पिछड़ों की बात आई है तब–तब इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने देश को चरमराने का काम किया है ।

इस देश में भगवान बुद्ध ने समानता और मानवता लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा "बुद्धम् शरणम् गच्छामि" । उस समय भी बुद्ध को जाना पड़ा हिन्दुस्तान से। बुद्धिस्ट की पूजा हिन्दुस्तान में नहीं होने दी गई । उसकी पूजा चीन और तिब्बत में हुई। फिर कबीर आए। उन्होंने समता और समानता की बात कही और कहा कि सब को जीने का अधिकार दिया जाए, लेकिन उसकी भी पूजा इस देश में नहीं होने दी गई। महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी । जब उन्होंने कहा था कि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, हम एक हैं,

6.00 म० प०

इस देश की अण्खडता अनेकता में एकता है और समानता की बात करो। सभापति महोदय, अब जिस मंदिर की बात की जा रही है, उसी मंदिर में जाते वक्त नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली से उड़ाने का काम किया था, वह भी यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी । मैं कहना चाहता हूं कि आज इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत विश्व हिन्दू परिषद जैसी संस्था जब तक देश में पलती रहेगी, हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसांई का झगड़ा चलता रहेगा । मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि आज इस देश में लोग मूर्ख नहीं रहे, सबको समझ में आता है, सब में समझने–बूझने की क्षमता और ताकत है । ऐसा न हो कि इस देश में जिस तरह से पाखण्डवादियों को भगाने का काम किया गया, आज फिर इस देश से वैसे पाखण्डवादियों को भगाने के लिए सारे लोगों को एकजुट होना पड़े । मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह जय श्रीराम, जय श्रीराम, तोलो कम नापो कम, यह इस देश में चलने वाला नहीं है । जो सबसे ज्यादा पूजा करता है, जो सबसे ज्यादा भक्त हुआ करता है, वह सबसे ज्यादा बेईमान इस देश में हुआ करता है, यही इसमें मूलभूत बात है ।

आज इस देश में शासन करने की बात हो, देश के आगे आने की बात हो, ज्यादा सांसदों को जिताने की बात हो, उसको आगे ले आने की बात हो तब बराबर मंदिर और मस्जिद का नारा दिया जाता है, कटा दो इन्सानों को । हिन्दू मुसलमान में क्या वैर है, इस देश में मुसलमानों ने क्या किया, मैं यह मानता हूं कि आज मुसलमानों ने पाकिस्तान में हमारे हिन्दू भाइयों पर अत्याचार करने का काम किया है लेकिन क्या हम उससे सबक लेना चाहते हैं, क्या वह सीखना चाहते हैं ? ऐसा नहीं हो सकता । मैं चाहता हूं ....

सभापति महोदय : 6 बज गए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, जब हाउस ने फैसला कर लिया । आप उन पर कैसे अंकुश लगा सकते हैं कि दो मिनट में खत्म करें, यह अंकुश तो आप नहीं लगा सकते ।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : यह चर्चा अगले शुक्रवार तक बढ़ जाएगी ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : इससे पहले की आप सभा को स्थगित करें मेरा एक व्यवस्था के सम्बन्ध में गंभीर प्रश्न है । कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें ।

गैर–सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्यों के लिए ढाई घंटे का समय निश्चित किया गया है और हमने उस समय में कभी भी कोई कटौती नहीं की है । पहले भी यह निर्णय किया गया है कि यदि जब कभी कोई शुक्रवार गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो दूसरे दिन इसके लिए ढाई घंटे का समय बचा लिया जाता है ।

कई अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं के कारण आज गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों पर 4.00 म० प० बजे ही चर्चा आरम्भ की जा सकती है। इस चर्चा को पूरा करने के लिए ढाई घंटे का समय अवश्य होना चाहिए। और इस प्रकार हम 6.00 म० प० बजे सभा स्थगित नहीं कर सकते हैं। अतः सभा 6.30 म० प० बजे तक चलनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने सभा की राय ली है और माननीय सदस्य 6.00 म० प० बजे जाना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : गैर–सरकारी सदस्यों के समय में कटौती नहीं की जा सकती है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप कृपया बैठ जाएं। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि ढाई घंटे का समय दिया जाना चाहिए। यदि सभा बैठना चाहे तो मैं समय बढ़ाने के लिए भी तैयार हूं और हम चर्चा जारी रख सकते हैं। जहां तक नियम 377 के अधीन मामलों का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय किया कि इस पर चर्चा कल शून्य काल के बाद कराई जाएगी।

तब हम चर्चा जारी रखेंगे।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : 3.30 म० प० बजे जब प्रधान मंत्री उत्तर दे रहे थे तब सभा ने यह निर्णय लिया था कि वह अपना भाषण तब तक जारी रख सकते हैं जब तक वह चाहें, तो उस समय सभा के समय को बढ़ाए जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसलिए यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि गैर सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्यों पर चर्चा 6.00 म० प० बजे के बाद भी जारी रहे।

दूसरा बहुत ही गंभीर मामला है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि इसके लिए ढाई घंटे का समय निश्चित किया गया है। यह 6.25 म० प० बजे समाप्त होगा। इसलिए सभा की बैठक 6.25 म० प० बजे तक जारी रहेगी।

श्री ए० चार्ल्स : मुझे दूसरी बात भी कहनी है। जहां तक गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों का संबंध है उन पर हर दूसरे शुक्रवार को चर्चा होती है। पिछले शुक्रवार को सभा ने एक संकल्प पर चर्चा की थी। मैं नहीं जानता कि आज विधेयकों की चर्चा के लिए क्यों नहीं रखा गया। मैं नहीं जानता कि किस नियम के तहत उस नियम को तोड़ा गया और संकल्प पर चर्चा की गई।

क्या मैं सभापति महोदय से उस नियम को जान सकता हूं।

सभापति महोदय : अतः आप इस चर्चा को अगले शुक्रवार तक आगे बढ़ने नहीं देना चाहते।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, यदि उसी संकल्प पर चर्चा जारी रही तो विधेयकों का क्या होगा ?

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था कल दी जाएगी कि नियमानुसार गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्यों पर चर्चा अगले शुक्रवार के लिए बढ़ाई जाएगी अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था कल दी जाएगी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह बहुत ही गंभीर बात है पहले भी हमने **आर्थिक सर्वेक्षण** सम्बन्धी मुद्दा उठाया था। **आर्थिक सर्वेक्षण** अभी तक सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और 24 तारीख को बजट भी पेश किया जा रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि बजट पर चर्चा 26 तारीख से शुरू की जाएगी। **आर्थिक सर्वेक्षण** को सभा के समक्ष बजट से दो दिन पूर्व रख दिया जाना चाहिए, अन्यथा बजट पर चर्चा नहीं शुरू की जा सकती है। वायदा यह किया गया था कि शुक्रवार या शनिवार को **आर्थिक सर्वेक्षण** सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि कल तक **आर्थिक सर्वेक्षण** को सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० अंकब) : वित्त मंत्री जी, जो ठीक हमारे पीछे बैठे हैं उन्होंने हमें अभी अभी बताया है कि वे भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और आशा है कि इसे कल तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जो भी हो, मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम यह जानना चाहते हैं कि वह कहां तक सफल हो पाएंगे। हम चाहते हैं कि उन्हें इस कार्य में सफलता मिले, ताकि वे कल तक **आर्थिक सर्वेक्षण** को प्रस्तुत कर दें।

श्री ए० चार्ल्स : आप कल तक इंतजार करें।

श्री ई० अहमद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमें भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। हमें अवसर दिए बिना आप इसे नहीं निपटा सकते। कृपया आप इसका ध्यान रखें।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति जी, यह बात ठीक है कि हमारे हिन्दुओं के साथ पाकिस्तान में जलील किया गया। इसमें कतई दो मत नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनका अनुकरण करें। जैसे हमारे आडवाणी साहब, ये थे पाकिस्तान में, तंग हो गए और चले आए हिन्दुस्तान। हमारे वे अभी नेता हैं। यह ठीक है कि मानसिकता ऐसी है मैं मानता हूं, लेकिन इसकी वजह यह नहीं होती है। आज इस सदन में हमारे आडवाणी जी बैठे हुए हैं' मैं विनती

के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारे राजनीतिक महारथी हैं। इस देश की जो बनावट है, काश्मीर से कन्याकुमारी तक, और मैं अभी नागालैण्ड भ्रमण पर गया था, वहां जिन्दा गाय की हत्या की जाती है, कहीं सुअर की हत्या की जाती है। आज इस देश में घी में चर्बी की मिलावट की जाती है और वे लोग विश्व हिन्दू परिषद हो आज इस देश की जो स्थिति है, आप समझते हैं। ..... (व्यवधान) .....

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश में कुछ ऐसे लोगपति हैं। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि गाय या सुअर की चर्बी घी में मिलाते हैं और विश्व हिन्दू परिषद के लोग मिलाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोग तो यहां जवाब देने के लिए बैठे नहीं हैं और क्या इस प्रकार से माननीय सदस्य आरोप नहीं लगा सकते हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव : आज वही लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। आज इस देश में क्या मुसलमानों की आबादी कम है, कम नहीं है। इस देश में 18 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है, इस देश में हिन्दू भी हैं। मैंने कहा था कि मैं विनती कर रहा हूं आज मंदिर और मस्जिद के नाम पर आप इस देश को तोड़ने का काम न करें। मैं मानता हूं कि वहां मन्दिर था। आप कह रहे हैं कि गर्भ गृह में मन्दिर बनना चाहिए, क्या राम की पैदा होते किसी ने देखा है और अगर देखा है तो जरूर बने। किसी ने नहीं देखा है और आज राम मन्दिर के लिए 70 एकड़ जमीन ट्रस्ट को है। अयोध्या में एक मन्दिर नहीं। 1 मन्दिर आप बनाने चाहते हो तो इसके लिए कोई रूकावट नहीं है। लेकिन इसके लिए पहले मन तो साफ हो, जब मन ही साफ नहीं है, नियत ही साफ नहीं है तो मन्दिर नहीं बन सकता है। आप कहते हो कि गर्भ स्थान में मन्दिर बनेगा ऐसा लगता है कि आपने राम को पैदा होते आंखों से देखा है।

सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि राम को पैदा होते किसी ने नहीं देखा है और राम के अगर आप भक्त हो और अगर आप वहां पर राम का मन्दिर बनाना चाहते हो तो आपके पास 70 एकड़ ट्रस्ट की जमीन है, आपने चंदा इकट्ठा किया है। करोड़ों रुपया विश्व हिन्दू परिषद् के पास जमा है, आप मन्दिर बनाओं, एक नहीं हजारों मन्दिर बनाओ। हम लोग भी इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर किसी ने या विश्व हिन्दू परिषद् ने आपस में लड़ाने का काम किया, अगर मन्दिर और मस्जिद के नाम पर किसी ने लड़ाने का काम किया, तो मैं भी यादव हूं, हिन्दू भी हूं, उपासक भी हूं। तो मेरे जैसा व्यक्ति इस देश में इस बात का विरोध करेगा और इसका पर्दाफाश करने का भी हम लोग काम करेंगे। (व्यवधान) सभापति जी, इसलिए आप इसको रोकने के लिए कोई काम करें। आप चेतावनी देते हो कि सन् 1947 की स्थिति को बरकरार किया जाएगा। (व्यवधान) अगर आप देश में आग लगाना चाहते हो तो मैं देश में आग नहीं लगाना चाहता। कृष्ण जी ने गीता में ऐसा उपदेश नहीं दिया है, राम ने अपनी आवाज में ऐसी बात नहीं कही है। राम तो ए आदर्श पुरुष थे। (व्यवधान) हम सब लोग राम की पूजा करते हैं, नकली राम और नकली सीता

की पूजा करना हम लोग नहीं जानते हैं । अगर कोई नकली नकाब और चोला पहन करके इस काम को करना चाहेगा तो उसके इरादे को हम लोग चलने नहीं देंगे । यह देश अब पढ़ा-लिखा हो गया है । आज हरिजन का बच्चा भी पढ़ा है और पिछड़े लोगों के बच्चे भी पढ़े हुए हैं । अब पूर्व की भांति तुम उसे बहकाओगे और और तेरे बहकावे में कोई आने वाला नहीं है । अब वही यह करेगा जो पढ़ा–लिखा नहीं है और जो व्यापार करता है, उद्योगपति है, वही सिमट करके रह जाएगा । मैं चेतावनी देता हूं कि अगर तुम भी अपने दल को इस देश में, इस सत्ता में भागीदारी देना चाहते हो तो अपने विचार को फैलाओ, गरीबों के हित में, देश के हित में, देश की अखण्डता की रक्षा के लिए हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई का भेदभाव समाप्त करो । इस देश में सभी फूलों को खिलने दो और अगर कोई फूल मुरझा जाएगा तो यह देश चल नहीं, पाएगा ।

सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि क्या किसी ने राम को जन्मते हुए देखा है, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने पिताजी को जन्मते हुए देखा है ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप शायद कैसेट कोट कर रहे हैं ।

श्री सूर्यनारायण यादव : सभापति महोदय, इन्होंने प्रश्न किया है तो जवाब देना पड़ेगा । मेरे पास इसका जवाब है कि मेरे वक्तव्य में इसका कोई माने ही नहीं होता है । **(व्यवधान)** अगर आपने राम की माताजी से ही पूछा हो तो मैं मान लूंगा । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

***श्री सुदर्शन राय चौधरी** (सीरमपुर) : श्री जायनल अबेदिन द्वारा हमारी पार्टी की ओर से पिछले शुक्रवार 12 जुलाई, 1991 की प्रस्तुत किए गए गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प का समर्थन करते हुए मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस संकल्प में आशा की बातें निहित हैं और यह संकल्प इस महान सभा के लिए ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश के उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं । वे लोग जो हमारी स्वतन्त्रता आंदोलन से अब तक धर्म निरपेक्षता की नीति में विश्वास करते रहे हैं, वे इस संकल्प का समर्थन करेंगे । इस संकल्प में जो प्रस्ताव है वह यह है कि हिन्दू, मुस्लिम सिख, ईसाई जो भी हों उनके पूजा–स्थलों की, हमारी स्वतन्त्रता के समय अर्थात् 15 अगस्त 1947 की स्थिति में ही बनाए रखा जाए। किसी भी स्थिति में इसमें परिवर्तन लाने का कोई भी निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। यह खेद की बात है कि हम स्वतन्त्रता के 44 वर्षों

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

बाद यह निर्णय ले रहे हैं । स्वतन्त्रता के बाद हमें कई समस्याओं से जूझना पड़ा । हम आज भी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें गरीबी और अशिक्षा जैसी दो बड़ी समस्याएं हैं । हम अब उनसे संघर्ष कर रहे हैं । इन समस्याओं से जूझते हुए जो अनुभव हमें मिला है, वह यह है कि गरीबी और अशिक्षा की समस्या को हल करने के लिए लोगों की एकता को बनाए रखना महत्वपूर्ण व मुख्य बात है । अब वे कौन लोग हैं जो लोगों की एकता से भयभीत होते हैं, जो लोगों में एकता पर आधारित किसी भी समस्या से जूझना नहीं चाहते । वे पूंजीवादी, जमींदार और टाटा, बिड़ला जैसे लोग हैं, जो आजादी के 44 वर्ष बाद भी गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्यहीनता को बनाए रखना चाहते हैं । लम्बे समय से ये लोग चालाकी से लोगों के एक जुट संघर्षों को नाकाम करने का प्रयास करते रहें हैं । इन पूंजीवादियों द्वारा दो तरीके अपनाए गए हैं । लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ना उनमें से एक तरीका है । हमने यह भी देखा है कि किस तरह हमारे संविधान का अपमान किया गया है और हमारे मौलिक अधिकारों का समय-समय पर हनन किया गया है । हमें इसका अनुभव है । आज भी जब हम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कर रहे हैं, संसद के बाहर निवारक निरोध अधिनियम लागू है ।

हमारे लिए यह गर्व की बात है कि यह अधिनियम हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है । और पुनः यह दुःख की बात है हमारा राज्य पश्चिम बंगाल ऐसी व्यवस्था का एक हिस्सा है जिस व्यवस्था में लोकतन्त्र का दूसरा पहलू नदारद है और वह है शक्ति का विकेन्द्रीकरण । शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लाभ से मेरे राज्य को वंचित रखा गया है । केन्द्रीयकरण का यह तरीका जन आंदोलन और संघर्ष को दबाने के लिए है । लेकिन ये तरीके भी काफी नहीं माने गए । लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करना ही काफी नहीं माना गया । शक्ति का केन्द्रीयकरण ही काफी नहीं माना गया है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से एक नया तरीका और नई युक्ति इजाद कर ली गई है । वह योजना क्या है ? जनता की एकजुट शक्ति को नाकाम करने की योजना है । सबसे खतरनाक कोशिश जो कि गई है वह है दो संप्रदायों के बीच संघर्ष पैदा करना—वह संघर्ष हिन्दू-मुसलमान, मुसलमान-सिख या सिख-ईसाइयों के बीच भी हो सकता है । संप्रदायों के बीच दुश्मनी चलती रहे और उन्हें कभी भी एक नहीं होने दिया जाए । इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को दूषित करने का भरसक प्रयास किया गया है । जो लोग इस गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनका इरादा जनता की एकता को तोड़ने का है ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कभी भी एकजुट न हो सकें और अपना सिर नहीं उठा सकें ।

हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किए 44 वर्ष बीत चुके हैं । इतने वर्षों बाद मंदिर-मस्जिद का विवाद विगत चार-पांच वर्षों से अचानक फिर से खड़ा हो गया है । जहां मस्जिद है वहां पर मंदिर निर्माण का दावा किया जा रहा है । मंदिर कहीं और नहीं बन सकता । रामचन्द्र ऐतिहासिक पात्र हैं या पौराणिक, इस पर विवाद वही लोग करेंगे जो बहस करना चाहते हैं । लेकिन खेद की बात यह है कि विवाद का आधार ही अवैज्ञानिक है । यदि आप वैज्ञानिक सिद्धांतों

में विश्वास करते हैं तो आप पौराणिकता या किसी भी ऐतिहासिकता पर बहस नहीं कर सकते। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बाबरी मस्जिद उस स्थान पर पहले से स्थित है। इस विचार से केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि तथाकथित बहुसंख्यक वर्ग के बहुत से लोग भी इस विचार से सहमत हैं। उनका यह मानना है कि बाबरी मस्जिद वहीं स्थित है जहां पर वह पहले से है। इस विवादग्रस्त मुद्दे का गुप्त उद्देश्य क्या है ? उनका उद्देश्य और इरादा यह है कि इस मुद्दे को फिर से नए तरह से उठाया जाए ताकि जनता की जो धर्मनिरपेक्ष एकता है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए और तोड़ दिया जाए।

इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यह विचार है कि इस विवाद को शुरू करने के पीछे धर्म ही एक कारण नहीं है। बल्कि धर्म निरपेक्षता भी एक कारण है। धर्म के आड़ में लोगों में अलगाववाद को पैदा करना और उनके मन में मतभेद पैदा करने का यह सुनियोजित तरीका अपनाया गया है। यदि आप लोगों को बांट नहीं सकते तो उन्हें दबा भी नहीं सकते। उन्हें न तो पीड़ित और न शोषित किया जा सकता है और न उन पर प्रभुत्व कायम किया जा सकता है। यदि उत्तर प्रदेश के गरीब, मजदूर और मेहनतकश लोग एक हो जाएं तो यह अमीरों, जमींदारों, मिल मालिकों तथा पूंजीवादी वर्ग के लोगों के लिए हानिकारक होगा।

वे जो इस नीति पर चल रहे हैं वे धर्म, राम या कृष्ण या किसी भी देवी–देवता के नाम पर कसम खा सकते हैं। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जनता की एकता को तोड़ने का है। यह उनका उद्देश्य और यही उनकी नीति रही है।

इसलिए हम यह पाते हैं कि हमारे देश में जो लोग धार्मिक कट्टरपंथी हैं वे भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तथ्य को नहीं स्वीकार कर सकते हैं परन्तु देश के अधिकांश लोगों का यही विचार है। हम यह पाते हैं कि अमीर, जमींदार और टाटा और बिड़ला जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए इसलिए आगे आए क्योंकि वे यह नहीं चाहते कि जनता एकजुट हो सके। यदि देश के गरीब और मजदूर एकजुट हो जाए तो जमींदारों, अमीरों और मिल मालिकों को इससे हानि हो सकती है। लेकिन खेद की बात यह है कि देश के मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल भी धर्म के इस नारे को उठाना चाहते हैं। यदि हम अपनी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था खो देते हैं तो पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर फैल जाएगा तब किसको लाभ और किसको हानि होगी ? यदि गरीबों का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष न हो तो उसे आसानी से दबाया जा सकता है। हमने यह प्रवृत्ति देखी है। हो सकता है वह स्थिति कुछ मध्य वर्ग के लोगों को लाभ दे दे क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मध्य वर्ग के लोगों में असहायता, उदासी और निराशावाद की स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार है। इस समस्या को नहीं सुलझाया गया है और यदि यह नहीं सुलझाया गया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है।

सभापति महोदय : श्री सुदर्शन राय चौधरी, आप अपनी बात बाद में जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : सभा 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.26 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शनिवार, 20 जुलाई, 1991/ 29 आषाढ़, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रभासमुफ–. 610 एल एस एस/91—3-1-92—225